अष्टम माला, खंड 15, अंक 22

सोमवार, 24 मार्च, 1986
3 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Acc. No. 55
17/1/87

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

सप्तम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 22, सोमवार, 24 मार्च, 1986/3 चैत्र, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	1—25
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 414, 415, 417 से 420 426 और 427	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	25—254
	तारांकित प्रश्न संख्या : 409 से 413, 4 16, 421 से 425 और 428	
	तारांकित प्रश्न संख्या : 3883 से 4017 और 4019 से 4043	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... ...	254—258
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	... ...	258
छठा और सातवां प्रतिवेदन		
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	... ...	
कार्यवाही—सारांश		258

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
रेल अभिसमय समिति	259
की गई कार्यवाही सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन	
सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में 19 मार्च, 1986 को सभा में की गई टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में एक वक्तव्य	259—260
श्री योगेन्द्र मकवाना	259
समितियों के लिये निर्वाचन	260—264
(एक) प्राक्कलन समिति	260
(दो) व (तीन) लोक लेखा समिति	260—261
(चार) व (पांच) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	261—262
(छः) व (सात) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	262—263
कार्य मंत्रणा समिति	264
22वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	264—270
(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एक टीन कारखाना स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को निदेश देने की आवश्यकता	
श्री मानकूराम सोढी	264
(दो) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूर संचार विभाग को अधिक धनराशि का आबंटन करने की आवश्यकता	
श्री अनूप चन्द शाह	265

विषय पृष्ठ

(तीन) मध्य प्रदेश में सागर को वायुसेवा से जोड़ने की मांग

श्री डाल चन्द्र जैन 265

(चार) दक्षिण कोरियाई पैकेज पेशकश को अंतिम रूप देकर पारादीप पत्तन का विकास करने और जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन को पूरा करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 266

(पांच) कर्नाटक के कोलार जिले में लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश 266

(छः) राजस्थान के चुरु जिले में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुदानिया 267

(सात) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का कोई स्थायी हल निकालने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी 268

(आठ) सिगनल और स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली तथा आधुनिकतम एंटीना प्रणाली का आयात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति 268

(नौ) बिहार के पूर्णिया जिले में बनमंखी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर तथा खुश्की बाग रेल फाटक पर पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह 269

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की मांगें, (सामान्य) 1986-87		270—358
विदेश मंत्रालय		
श्री पी० कुलनदईवेलु		270
प्रो० के० के० तिवारी		272
डा० जी० एस० ढिल्लों		278
प्रो० पी० जे० कुरियन		281
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया		286
प्रो० एन० जी० रंगा		289
श्रीमती मीरा कुमार		293
श्री इन्द्रजीत गुप्त		297
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		303
श्री पी० नामग्याल		306
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन		308
प्रो० नारायण चन्द पराशर		313
श्री अब्दुल रशीद काबुली		316
डा० गौरी शंकर राजहंस		329
श्री जी० एम० बनातवाला		330
श्री बी० आर० भगत		335
रावी व्यास जल अधिकरण अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, ...		359—366
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्रीमती गीता मुखर्जी		359
श्री बी० शंकरानन्द		362

लोक सभा

सोमवार, 24 मार्च, 1986/3 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री तारिक अनवर—अनुपस्थित।

बिस्मिल्लाह ही ग़लत है।

श्री सरफराज अहमद—अनुपस्थित।

एक माननीय सदस्य : श्री सरफराज अहमद तो सरफराज हो गये।

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द सिंह—अनुपस्थित।

गफूर साहब ने कह दिया होगा।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : सब लोग होली के मूड में हैं।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अब चारों बिहार के हैं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : गफूर साहब, आप तो तैयार हैं। कहीं बिहार वालों की मिली-भगत तो नहीं है।

श्री हुसैन दलवाई—अनुपस्थित।

लीजिए हो गई हैट-ट्रिक आज तो।

डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी—अनुपस्थित।

आप का ख्याल हो, तो हाऊस एडजोर्न कर दूं और आज छुट्टी मना लें।

श्री एन० डेनिस—अनुपस्थित।

श्री कालीप्रसाद पाण्डेय। कुछ तो तोड़ो क्रम संख्या।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : बिहार से आता हूं, इसलिए तोड़ना ही पड़ेगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आवास समस्या

*414. श्री काली प्रसाद पाण्डेय
श्री शांति धारीवाल } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विशेष रूप से जनसंख्या में वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप भूमि पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए आवास समस्या को शीघ्र हल करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई ठोस कदम उठाने अथवा राज्यों को उपयुक्त निदेश देने का है;

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : आवास की कमी को समाप्त करने तथा आवास समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) बेघरों के लिए घर के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रावधान के अनुसार 2000 ईस्वी तक समस्त बेघर जनसंख्या को आश्रय सुविधाएं मुहैया करना सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(2) सातवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश के स्तर को छठी योजना में 1,491 करोड़ रुपये की तुलना में 2458 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।

(3) 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसे राज्य योजनाओं के एक आवश्यक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत विकसित आवास स्थल तथा निर्माण सहायता के वितरण की योजनाएं शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग परिवारों की आवास योजनाओं हेतु आवास तथा शहरी विकास निगम के वित्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह

बात सही नहीं है कि अनियमित एवं अवैध कालोनियों को नियमित नहीं करना भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। यहां दिल्ली में और अगल-बगल में यह पाया गया है कि अनेकों लोग हाऊस बनाने के नाम पर थोड़ी सी जमीन लिए और अवैध कब्जा करके होटल बना लिए जैसे विक्रम होटल है, हाऊस के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और अरबों रुपयों का होटल बन कर तैयार है। तो क्या अवैध कब्जा भी इसका मूल कारण है और इस को मिटाने के लिए आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह : सर माननीय सदस्य का जो यह कहना है कि अवैध कालोनियों का नियमितीकरण करना चाहिए, बराबर शासन का ध्यान है। जहां तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है और माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वैसे मैंने पिछली बार भी इसी तरह के क्वेश्चन का उत्तर दिया था कि हमारे पास अरबन साईट और रूरल साईट की जो योजनाएं हैं वे दो तरह की योजनाएं हैं। एक— आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए योजना है और इसी तरह से दूसरी योजना जो हमारे पास है वह पूरी तरह से फुल असिस्टेंस की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में रूरल सेक्टर में लेण्डलेस वर्कर्स के लिए 577 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और उसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के लिए प्रावधान पांच सौ रुपये साईट डवलपमेंट के लिए और दो हजार रुपये हाऊस कंस्ट्रक्शन के लिए है। शहरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 350 रुपये की आमदनी को बढ़ा कर 700 रुपये किया गया है। जहां पहले हाऊस कंस्ट्रक्शन के लिए 3,000 रुपये कर्ज दिया जाता था अब उसे बढ़ा कर 5,000 रु० कर दिया गया है। उन्हें यह रकम 20-22 सालों में रिपे करनी होगी और उनसे ब्याज भी पांच परसेंट लिया जायेगा।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : मेरा मूल प्रश्न था कि जो कब्जे मकान बनाने के नाम पर लिए गये हैं और उनको आलीशान होटल बनाने में परिवर्तित कर दिया गया है, उसके सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा था। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से जो गलत ढंग से निर्माण किये गये हैं, उनके बारे में आप कौन-सी कार्यवाही करने जा रहे हैं और कब तक ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा, इसके बारे में वे कोई पर्टिकुलर सूचना हमें दें तो हम जानकारी प्राप्त कर के दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो कुछ और है और आप वैसे ही छक्के मार रहे हैं।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : अध्यक्ष जी, उस दिन छक्के मारे थे तो आपने एतराज नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : लगाइये, लगाइये।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : मेरा सेकिंड सप्लीमेंटरी है। क्या ऐसे जरूरतमंद लोगों, गृह निर्माण

समितियों और कोलोनाइजरों को कम ब्याज पर ऋण न मिलने से भी आवास की समस्या उत्पन्न होती है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य के यह कहने से मैं सहमत नहीं हूं। बराबर वीकर सेक्शंस के लिए हम देखते हैं और ट्वन्टी प्वाएंट प्रोग्राम का 1982 में फिर से रिव्यू किया गया था। केन्द्रीय शासन बराबर राज्य शासनों को इस दिशा में निर्देश देता है। वैसे हाऊसिंग राज्य का विषय है। उसके बावजूद भी, इसी दृष्टिकोण को ले कर हम 1987 में 'बेघर लोगों के लिए घर' अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का भी ऐसा संकल्प है। यह वर्ष न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। हाऊसिंग का जो प्रोब्लम है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस दृष्टिकोण को अपनाये हुए हैं और बराबर केन्द्रीय शासन इस पर विचार करता रहता है।

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह वालिया : श्रीमन्, हम ऐसे नारे सुनते रहे हैं कि सरकार निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत से मकानों का निर्माण कर रही है, जहां तक मैं समझता हूं इस समस्या को शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा के बारे में विधान लाकर ही हल किया जा सकता है। अतः अगर सरकार वास्तव में ही इस समस्या को सुलझाना चाहती है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने के लिए कोई विधान बनाने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य का जो कहना है, जो सुझाव है उस पर सोचा जायेगा। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए शासन बराबर घोषणा करता है और उन घोषणाओं का शासन बराबर पालन करता है।

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मोहन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वे नियमित जांच और मौके पर निरीक्षण करते हैं। मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कश्मीरी गेट क्षेत्र में लगभग 30,000 स्लम-बस्तियों के निवासी और मजदूर डी० डी० ए० अधिकारियों को दो रु० प्रति दिन के हिसाब से देकर फुटपाथ पर सोते हैं। इन गरीब लोगों की सहायता करने के लिये सरकार क्या विशिष्ट और ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : यह दिल्ली में सिर्फ कश्मीरी गेट की ही प्राब्लम नहीं है, यह सभी जगह समस्या है और इसको हम स्वीकार करते हैं और इस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और हमारा विभाग इसको देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो लेटेस्ट टेक्नीक है, जिसके जरिए जल्दी घर बन जाते हैं, बाहर देशों में इसको अपनाया जा रहा है, उसका आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये चीप भी पड़ेंगे।

[अनुवाद]

क्या आप इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं ? इससे निर्माण भी बढ़ाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : आप ठीक कह रहे हैं। अभी 12 हजार मकानों के लिए टेंडर हो गया है और इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनी है, जिसमें जैसा आप कह रहे हैं प्रीफेब्रीकेटेड मकान जल्दी से बनें, उसके लिए विचार हो रहा है और एक हफ्ते के अन्दर टेंडर फाइनलाइज हो जाएंगे और बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, एन०बी०ओ० या सी०पी०डब्ल्यू०डी० वगैरह, इनको दे रहे हैं। इतना ही नहीं इस टेंडर के एक्सेप्ट हो जाने के बाद ऐसे लोगों को हम इनवाइट करेंगे जिन्होंने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया है। उनको हम बुला रहे हैं, क्योंकि यह एक जाइगेंटिक प्राब्लम है हाउसिंग की।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बाहर देखा है, बहुत अच्छे मकान बनते हैं।

श्री अब्दुल गफूर : जी हां, उसके बारे में ही कार्यवाही कर रहे हैं।

उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत भर्ती एजेन्ट

*415. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने के बाद पंजीकृत भर्ती एजेंटों की एक निर्देशिका प्रकाशित की है; और

(ख) उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद कितने ऐसे भर्ती एजेंट, जो विदेशों में रोजगार के प्रयोजनार्थ भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने के लिए पजीकृत किया गया था, लोगों को अपने चंगुल में फंसाने और उनका शोषण करने के दोषी पाए गए हैं ?

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। पंजीकृत भर्ती एजेंटों की निर्देशिका (दो खंडो में) प्रकाशित की गई है और उसे सदन के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

(ख) 22 पंजीकृत एजेंटों द्वारा कागजातों की जालसाजी, संविदाओं के प्रतिस्थापन, धन ऐंठने, वीजा की जालसाजी, उचित दस्तावेजों के बिना भर्ती आदि जैसी की गई अनेक अनियमितताएं नोटिस में आई थी। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, 20 मामलों में पंजीकरण प्रमाणपत्र आस्थ-

गित किए गए और दो मामलों में प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं। जैसे ही अनियमितताओं का पता लगता है, तो मामले को पुलिस प्राधिकारियों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा संबंधित पक्षकारों के साथ भी उठाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर दिया गया है, इसको आप कृपा करके देखें। भाग 2 में उत्तर दिया गया है :—

[अनुवाद]

"....कागजातों की जालसाजी, संविदाओं के प्रतिस्थापन, धन ऐंठने, वीजा की जालसाजी, उचित दस्तावेजों के बिना भर्ती आदि जैसी की गई अनेक अनियमितताएं नोटिस में आई थीं...।"

क्या यह अनियमितताएं हैं ? यह अवैधता है, न कि अनियमितताएं। मंत्री महोदय को इस सभा में बताना चाहिए कि यह अनियमितताएं हैं या अवैधता ?

[हिन्दी]

मुझे समझ में नहीं आया कि सेक्रेट्री महोदय ने यह क्या जवाब लिख दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है कि मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है, सेक्रेट्री साहब ने लिखा है ?

श्री मूल चन्द डागा : मैंने यह नहीं कहा, जो मंत्री महोदय काम करते हैं वह तो ठीक है, लेकिन जवाब जो लिखकर दे देते हैं, वही पढ़ देते हैं। इनके अनुशासन के बारे में कुछ नहीं कहता, बड़े अच्छे आदमी हैं। ये इरेगुलरिटीज हैं या अफेंसेस हैं —

[अनुवाद]

उन लोगों द्वारा किये जा रहे ये अपराध हैं और आप कह रहे हैं ये अनियमितताएं हैं।

[हिन्दी]

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले उस बात का उत्तर ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मदद कर रहे हैं। आप जमीन पर ज्यादा पैदावार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वहां भी लेबर की जरूरत पड़ती है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं पूछ रहा था कि आपने डायरेक्ट्री कब बना ली, यह बताइये और मैंने यह भी पूछा था कि भारतीय श्रमिकों को रिक्रूटिंग एजेंट्स ने अपने बंगुल में लेकर जो रुपया कमाया है, जो उनके साथ जुल्म किया है, जो उनका शोषण किया है, उनमें कितने आदमियों को आज तक सजा हुई है और कितनों का चलान हुआ है। मेरा क्वेश्चन यह था, मेरा प्रश्न यह था और इसका उत्तर आप मेहरबानी करके दीजिए। अगर आज नहीं दे सकते हैं तो बाद में दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बस, बस।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : श्रीमन्, इस शब्द अनियमितता को इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि जब तक हम जांच कर आरोपों की सत्यता नहीं पा लेते तब तक हम इन्हें अवैध नहीं कह सकते। इसीलिए शब्द 'अनियमितता' का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। जहां तक पंजीकृत फर्मों का संबंध है, यह स्थिति है। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, 30-6-1985 (यही आंकड़े मुझे इस वक्त उपलब्ध हैं) व्यक्तिगत मामलों में 223 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 204 शिकायतों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री मूल चन्द डागा : 23-8-1985 को दिये गये उत्तर में आपने कहा था कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने के बाद से 143 भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध जांच चल रही है। अब तक 1,008 भर्ती एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है और जब कभी गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं तो जांच की जाती है।

[हिन्दी]

आपकी तरफ से रिटन क्वेश्चन का जो ओरल आन्सर आया है, उसके मुताबिक 143 केसेज इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड 30-12-83 से किए हुए हैं। आज दो साल से ज्यादा हो गए हैं, मेहरबानी करके यह बताइये कि उनका क्या हुआ।···(व्यवधान) यह, हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डागा जी, सवाल कीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने यह प्रश्न किया है कि 143 रिक्रूटिंग एजेंसीज के खिलाफ जांच चालू कर दी गई है 30-12-83 से। उस जांच का परिणाम क्या निकला।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछ लिया है, अब जवाब तो देने दो।

···(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : आप तो कह देंगे कि सैकण्ड सप्लीमेंटरी हो गया है, और मैं श्रीमान् का रुख जानता हूं कि आपकी ट्रेजरी बेंच पर हर वक्त मेहरबानी रहती है।

[अनुवाद]

ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध, जो विदेशों में, अधिकतर खाड़ी देशों में नौकरी पाने वाले भोले-भाले लोगों और अनपढ़ मजदूरों का शोषण करती रही हैं, पिछले तीन वर्षों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के एक हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और यह सारा विवरण 27-10-84 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाऊस कह रहा है कि आपकी कृपा दृष्टि डागा जी पर ज्यादा लगती है, आप उनको रोकते क्यों नहीं। मैं क्या करूं, आपको सही मानूं या इनको सही मानूं।

...(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : आपकी कृपा से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ...(व्यवधान) आप तो हजार आदमियों के बारे में कह रहे हैं।

[अनुवाद]

वे मामले कहां लम्बित हैं ?

[हिन्दी]

आपने किन लोगों को जेल में डाला। दो साल से जो जांच चल रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई और यह जांच कहां चल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो गया है। डागा जी की मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, माननीय सदस्यों को उन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि मैंने सम्मानित सभा में बताये हैं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में जो कुछ छपा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभा में मैंने जो आंकड़े दिये हैं उन के लिए मैं उत्तरदायी हूं उसके लिए नहीं जो हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है। माननीय सदस्य ने इन जांच के परिणामों के बारे में जानना चाहा है मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जांच कार्य अभी चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : पिछले तीन वर्षों से।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, जब भर्ती करने वाली एजेन्सियों को मजदूरों की भर्ती करके उन्हें विदेशों में भेजने की इजाजत दी गई थी तो उसमें एक शर्त यह थी कि वे उप-एजेन्टों के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती नहीं कर सकते। क्या सरकार को इस तरह की कोई जानकारी है कि इनमें से कुछ भर्ती करने वाली एजेन्सियों ने उप-ठेकेदारों को काम पर लगा लिया है, काफी पैसा एकत्र किया है तथा उनमें से कुछ लोगों को विदेश भेजा गया तथा कुछ को नहीं ? अतः सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उनसे यह तीन वर्षों के विलम्ब का कारण पूछिए ? आप यह प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

श्री पी० ए० संगमा : कुछ निर्माण कार्य एजेन्सियां हैं जिनकी विदेशों में अपनी निर्माण परियोजनाएं हैं। वे मजदूरों की भर्ती उप-एजेन्सियों के माध्यम से करते हैं जिनका पंजीकरण हमारे पास नहीं होता है, इस तरह कुछ श्रमिकों को ठगा गया। ये मामले हमारी जानकारी में लाये गये तथा माननीय सदस्य स्वयं भी एक मामला हमारे पास लाये। अब हमने निर्णय कर लिया है तथा उन एजेंसियों के द्वारा उप-एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी है।

एक माननीय सदस्य : इसमें तीन वर्ष का विलम्ब क्यों हुआ ?

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि श्रमिक विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को मानव संसाधन का अंग समझने की सरकार की नीति को, दृष्टिगत रखते हुए तथा खाड़ी के देशों में उन्हें भेजना एवं रोजगार आदि दिलाने में उनकी मदद करने आदि की सम्पूर्ण योजना जो कि मानव संसाधन का आंशिक निर्यात है, को देखते हुए क्या सरकार को प्रत्येक वर्ष धोखाधड़ी, ठगी आदि की शिकायतें मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से खाड़ी देशों के लिए नर्सों की भर्ती की गई थी। उप-एजेंट द्वारा दस नर्सों की भर्ती की गई थी तथा पांच को वापस नहीं भेजा गया। उन्हें अनैतिक कार्यों के लिए कहीं बेच दिया गया।

इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पद्धति को पूर्ण रूप से समाप्त करेगी तथा एक ऐसी राष्ट्रीय एजेन्सी की नियुक्ति करेगी, जिसकी निगरानी स्वयं सरकार करेगी तथा जिसका कार्य सम्पूर्ण पद्धति को व्यवस्थित करना होगा तथा लोगों को आंशिक तथा नैमित्तिक रोजगार के लिए विदेशों में भेजना होगा ? मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हमें इन समस्याओं की जानकारी है तथा सच तो यह है कि भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि श्रमिकों का निर्यात सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से ही होगा। कतार सरकार के साथ हमारा लिखित समझौता हुआ है। हम अन्य देशों के साथ भी वार्ता कर रहे हैं तथा जैसे ही हमारे बीच द्विपक्षीय समझौता हो जायेगा तो ये सरकारें अपनी श्रमिकों की जरूरतों को हमारी सरकार को भेजेंगी तथा जब तक आयात करने वाले देश सहमत नहीं होते हम उन पर यह

नहीं थोप सकते। मेरा उत्तर यही है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह द्विपक्षीय समझौता कैसे बीच में आ गया ?

(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : मैं इस बात पर आ रहा हूं। अत: एक बार जब यह हमारे पास आता है तो हम इसे राज्य सरकार निगमों को भेज देंगे। सम्पूर्ण देश में छह राज्य सरकार निगम हैं। इस समय ये निगम केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा तथा उड़ीसा में हैं। अत: भविष्य में हम जनशक्ति का निर्यात सरकारी निगमों के माध्यम से सहायता करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब यह ठीक है।

(व्यवधान)

श्री शरद देव : मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय एजेंसी बनाने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे राष्ट्रीय एजेन्सी बनाना चाहते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : मैं एकदम स्पष्ट बात कहूंगा। जनशक्ति के निर्यात के लिए एक राष्ट्रीय एजेन्सी का गठन करना एक बहुत अच्छा उपाय प्रतीत होता है। वाणिज्य मंत्रालय में रहने की वजह से मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह निर्यात कार्य कोई आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद विदेशों में सम्पर्क होना चाहिए। यह उतना आसान कार्य नहीं है। अत: सबसे पहले हम प्रयोग करना चाहते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहूंगा। मैं भी इस स्थिति को अच्छी तरह समझता हूं। मैं चाहूंगा कि श्री संगमा इस समस्या के बारे में कुछ और सक्रिय कदम उठायें। जब तक हम इस बारे में कुछ करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। उर्दू में दो लाइनें हैं।

[हिन्दी]

माना के तगाफुल न करोगे लेकिन,

खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।

[अनुवाद]

यह एक ऐसी समस्या है जिसको युद्ध स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। मेरे पास भी कुछ

शिकायतें हैं मैंने उन्हें विभिन्न एजेन्सियों में भेज दिया है। इन लोगों से लाखों रुपये ऐंठे जा रहे हैं। गरीब तथा नासमझ लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, तथा उन्हें धोखा दिया जाता है। इस बात पर ध्यान दिये जाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : धन्यवाद, महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। इसमें और जांच किये जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि श्री संगमा जी कर्मठ व्यक्ति हैं। वह पूरे मनोयोग से इसकी जांच करेंगे।

अब प्रश्न संख्या 416—श्री यशवंत राव गडाख पाटिल उपस्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न—श्री बनवारी लाल बेरवा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा दी गई परामर्शी तथा अन्य सेवाएं

*417. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन संगठन के पास शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण हेतु कितने डिजाइन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी एजेंसियां राष्ट्रीय भवन संगठन से मकानों के माडल, डिजाइन, आदि अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करते हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन के कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही हैं; और

(घ) राष्ट्रीय भवन संगठन ने पिछले दस वर्षों के दौरान किन-किन संगठनों/निकायों को परामर्श अथवा अन्य प्रकार की सेवा प्रदान की और उसके बदले में उसे कितनी राशि का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के पास शहरी क्षेत्रों के लिए मकानों के 166 विभिन्न डिजाइन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत मकानों के 81 विभिन्न डिजाइन उपलब्ध हैं।

(ख) कम लागत आवास तथा भवन तकनीकी के क्षेत्र में एन० बी० ओ० के एक अनुसंधान पोषक संगठन होने के नाते सरकारी अभिकरण, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, इसकी सलाह लेते हैं।

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के कार्यक्रमों में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन परामर्शी कार्य नहीं करता है। यह तकनीकी सलाह तथा मार्गनिर्देशन मुफ्त देता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि एन० बी० ओ० ने 247 डिजाइन तैयार किए हैं। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि इन 247 डिजाइनों में कितने डिजाइन आपने राजस्थान सरकार को दिए हैं और उनमें से सरकार ने कौन-कौन से डिजाइन काम में लिए हैं तथा उनकी सफलता और असफलता के बारे में आपकी क्या जानकारी है ?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आज कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अन्दर सबसे अधिक लोग देश में काम करते हैं, तो क्या मंत्री महोदय ने इस बात का कभी सर्वे करवाया है कि कितने लोग स्थायी रूप से और कितने लोग अस्थायी रूप से काम करते हैं तथा ऐसे अस्थायी लोग जो अपने प्रदेश और गांव में प्राकृतिक विभीषिका अर्थात् बाढ़ अथवा सूखा होने के कारण इस काम को करने के लिए आ जाते हैं उनके लिए किस तरह के मकानों के डिजाइन होंगे और वे मकानों में किस तरह से रहेंगे ?

श्री बलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, एन० बी० ओ० ने कितने अपने ढंग के मकान राजस्थान में बनाए हैं, इस बारे में माननीय सदस्य को बताया गया है और राजस्थान में जोधपुर में, हमारी जो नई टैक्नोलोजी है और एन० बी० ओ० रिसर्च करके समय-समय पर बताता है कि किस प्रकार से कम लागत पर मकान बन सकता है, चाहे वह अर्बन एरिया हो अथवा रूरल एरिया में हो। इसके लिए पिछले महीने एन० बी० ओ० ने रीजनल लैंग्वेजेज में एक डाकुमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसके द्वारा यह बताया गया है कि लोग चाहे देहात में रहते हों, चाहे शहर में, यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो कम लागत पर अच्छे मकानों का निर्माण हो सकेगा। एन० बी० ओ० ने न केवल वहां की एकौलोजी और मौसम बल्कि वहां का जिस तरह का नेचर है, उसको रिसर्च के अन्दर लेकर बताया है कि किस प्रकार से अच्छे और सस्ते मकान बनाए जा सकते हैं। माननीय सदस्य ने राजस्थान के लिए कहा है, हम बराबर एन० बी० ओ० को निर्देश इस बारे में दे रहे हैं कि न केवल राजस्थान में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जाकर वे इस नये पैटर्न और नई टैक्नोलोजी को बताएं और केन्द्रशासित क्षेत्रों में भी उसका प्रदर्शन करें।

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या कोई ऐसा सर्वे करवाया है जिससे यह मालूम हो कि इस इंडस्ट्री में कितने लोग परमानेंटली काम करते हैं और कितने लोग अस्थायी तौर पर ऐसे आ जाते हैं जब कभी उनके गांव में हालात खराब होते हैं हमारे राजस्थान के मजदूरों का पूरे मुल्क में योगदान है, दिल्ली का निर्माण तो शायद उन्हीं लोगों ने किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने उनके बारे में कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो उनकी आवासीय व्यवस्था क्या है ?

कास्ट आफ मैटीरियल बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। सीमेंट, ब्रिक्स और चूने की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या आप कास्ट आफ मैटीरियल का कोई मूल्यांकन कराते हैं क्योंकि यह कास्ट अब उनको फिट नहीं बैठती है। आप निर्धारित कास्ट में कैसे मकान बनायेंगे ? हमारे देहातों में कच्चे मकान बनते हैं, क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, वह इस तरीके के मकान बनायें ?

अध्यक्ष महोदय : बेरवा जी, मुश्किल यह है कि आपकी बात समझ में नहीं आई क्योंकि आप दो काम इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिये गड़बड़ हो रहा है। आप जोरदार आदमी हैं, पान भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आई है। आप एक वक्त में एक काम कीजिए।

श्री बनवारी लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, सभी पर आपकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि रहती है, इसके लिए धन्यवाद। मैंने यह जानकारी चाही है कि स्थायी और अस्थायी तौर पर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या है ?

दूसरी बात यह है कि जो अस्थायी तौर से यहां रहते हैं, या तो वह सड़कों पर पड़े रहते हैं या खुले में पड़ रहते हैं। उनको बसाने के लिए, रहने और खाने के लिए अस्थायी तौर पर क्या आपकी कोई योजना है ? अगर है तो क्या है और नहीं है तो क्या आप इस तरह की योजना बनाने का विचार रखते हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : इसके लिए कोई ऐसा सर्वे नहीं है। जो मकान बन रहे हैं, उसमें कई किस्म के मकान बनाने वाले हैं। कुछ गवर्नमेंट एजेन्सीज मकान बनाती हैं, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स बनाते हैं और कुछ लोग खुद अपने मजदूरों को रखकर मकान बनाते हैं। यह बहुत मुश्किल काम है कि कौन मकान बना रहा है और कितने मजदूर काम कर रहे हैं और कहां-कहां कर रहे हैं और रह रहे हैं। मेरी नजर में यह आसान काम नहीं है।

अगर आप कहें तो इस किस्म के फिगर मंगाकर दे सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एजेन्सीज काम कर रही हैं, उसमें कितने मजदूर काम करते हैं, लेकिन सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कहां-कहां मकान, होटल या कोर्ट-यार्ड बन रहे हैं और कहां-कहां क्या होता है, यह मेरे पास नहीं है।

श्री बनवारी लाल बेरवा : सर्वे करवाना तो बहुत आवश्यक है।

श्री अब्दुल गफूर : हमने फाइनेन्स मिनिस्टर को लिखा है कि कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री डिक्लेयर

कीजिये, सारी चीजें उसमें आ जायेंगी लेकिन यह अभी इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं हुई है।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के पास कतिपय डिजाइन उपलब्ध हैं—166 डिजाइन शहरी क्षेत्रों के लिए तथा कम लागत के मकानों के 81 विभिन्न डिजाइन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या ग्रामीण व्यक्तियों के लिए सरकार कुछ कर रही है क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं,—मैं ग्रामीण क्षेत्रों से हूं और मैं जानता भी हूं—तो पाते हैं कि बीस से तीस परिवार पेड़ों के नीचे रहते हैं। इस तरह के हजारों लोग हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवास समस्या को हल करने के लिए क्या सरकार कुछ कार्य कर रही है। प्रत्येक गांव में हम देखते हैं कि लोग ठीक प्रकार के मकान के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। यह मूलभूत आवश्यकता है। अतः मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास कर रही है।

श्री अब्दुल गफूर : हमारा जवाब पहले ही दिया जा चुका है। परन्तु अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण देश में आवासीय समस्या को हल करने के लिए अगर सरकार एकदम कुछ करे तो यह नामुमकिन है। योजना में कुछ प्रावधान किए गए हैं। हम योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : उदाहरण के बतौर, हम कहते रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : जितनी चादर हो, उतने ही पांव पसारिये।

श्री अब्दुल गफूर : सरकार दो-तीन प्रकार की सहायता देती है। एक सहायता 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है। आवास राज्य का विषय है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए केन्द्र सरकार दिल्ली में रह कर मकान नहीं बना सकती है। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र से उन्हें कुछ सहायता मिलती है और वे उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल जैसे कुछ राज्य आगे बढ़ गये हैं। लेकिन कुछ राज्य पिछड़ रहे हैं। मकान-स्थानों के लिए वे धन का नियतन नहीं करते हैं। हम उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज की दर से 20 से 25 वर्ष के लिए ऋण सहायता देते हैं। किन्तु कुछ राज्य सरकारें इस धन का उपयोग नहीं कर रही हैं। कुछ राज्य इसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इसलिए केन्द्र केवल सलाह दे सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केन्द्र पूरे देश में मकान बनाये।

फिल्मोत्सवों के लिए फिल्मों का चयन

*418. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद में हुए फिल्मोत्सव में प्रदर्शित फिल्मों का स्तर घटिया था;

(ख) क्या फिल्मोत्सवों के लिए फिल्मों का चयन करने हेतु कोई चयन समिति बनाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके चयन की क्या पद्धति थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) हैदराबाद में आयोजित फिल्मोत्सव, 86 में दिखाई गई फिल्मों का स्तर घटिया नहीं था।

(ख) और (ग) फिल्मोत्सव, 86 के मुख्य वर्ग के लिए फिल्मों का चयन एक चयन, पैनल द्वारा किया गया था जिसमें श्री यू० विश्वेश्वर राव (अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश फिल्म चैम्बर आफ कामर्स), श्री डी० के० समरसिम्ह रेड्डी (निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम), श्री आर० के० पाल (फेडरेशन आफ सोसाइटीज आफ इंडिया के प्रतिनिधि), श्री पी० के० नायर (निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय), श्री बी० बी० अय्यर (निदेशक, विदेश मंत्रालय) और श्री ए० वीरेन लूथर (कार्यकारी निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय) शामिल थे।

फिल्मों का चयन करते समय चयन पैनल द्वारा अपनाए गए मानदंड ये थे कि फिल्म पुरस्कार प्राप्त होनी चाहिए या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई होनी चाहिए या ख्याति प्राप्त निर्देशक द्वारा बनाई गई होनी चाहिए या विषय-वस्तु और सिनेमैटिक प्रविधि की दृष्टि से कलात्मक गुणवत्ता की होनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मुद्दा यह है कि चयन पैनल केवल उन्हीं फिल्मों का चयन कर सकता है जो उसे दिखाई जाएं। और जो फिल्में दिखाई गई थीं उनमें से अधिकांश फिल्में साधारण कोटि की थीं और उनका निर्माण तीन से पांच वर्ष पहले किया गया था। यहां एक फिल्म-उत्सव निदेशालय है। वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि विदेशों में केवल एक वर्ष पहले तैयार की गई फिल्में, इस देश में आएं। किन्तु आप उन फिल्मों को दिखाते हैं, जो तीन से पांच वर्ष पूर्व तैयार की गई थीं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव है। इसके लिए निदेशालय को कुछ श्रम भी देना चाहिए। इसके लिए वे विदेशी दूतावासों से अनुरोध करते हैं और ये दूतावास वे सब फिल्में हम पर थोप देते हैं, जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हैदराबाद में फिल्म उत्सव में कितनी विदेशी फिल्में प्रदर्शित की गईं ? उनमें से ऐसी कितनी फिल्में थीं जिनका निर्माण 1985 में किया गया था ? मंत्री महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करेंगे कि भविष्य में मेले में केवल उन्हीं फिल्मों को दिखाया जाये जो नई और अद्यतन हों।

श्री वी० एन० गाडगिल : जो बात सबसे पहले ध्यान रखने की है, वह यह है कि यह फिल्म मेला प्रतियोगितात्मक नहीं था। प्रतियोगितात्मक फिल्म मेले में और अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होना

स्वाभाविक है। जहां तक फिल्मों को प्राप्त करने का सम्बन्ध है, यह सही नहीं है कि निदेशालय इसके लिए विदेशी दूतावासों को केवल लिख देता है। एन० एफ० डी० सी० तथा फिल्म मेला निदेशालय के प्रतिनिधि विदेश जाते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं तथा फिल्म प्राप्त करते हैं। आप यह कह सकते हैं कि इसके लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु कहना गलत होगा कि इसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया है। जहां तक मेले में प्रदर्शित की गई फिल्मों का सम्बन्ध है, उसमें मुख्य अनुभाग में 82 फिल्में थीं, 22 विदेशी उत्कृष्ट पुरानी फिल्में थीं, 21 भारतीय पनोरमा और 28 भारतीय उत्कृष्ट पुरानी फिल्में थीं। 81 विदेशी फिल्मों में 34 फिल्में पुरस्कार प्राप्त थीं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्में घटिया किस्म की थीं।

जहां तक अद्यतन फिल्म प्राप्त करने का प्रश्न है, सभी फिल्म मेलों में इसकी परेशानी होती है, क्योंकि कुछ और भी स्वार्थ होते हैं, और स्वभावतः निर्माता इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हैं। अतः यद्यपि हम अद्यतन फिल्में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किन्तु हमेशा नई फिल्में प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है। किन्तु हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है। मैंने यह प्रश्न किया था कि 1985 में निर्मित कितनी फिल्में 1985 में प्रदर्शित की गई थीं। उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। अच्छी फिल्म कभी पुरानी नहीं होती··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : फिल्म की कोई आयु नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : सौन्दर्य में स्थायी आनन्द होता है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, यह क्या बात है ? मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। मेरा प्रश्न था···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : सौन्दर्य कभी पुराना नहीं होता ?

श्री सुरेश कुरूप : मुझे आपका संरक्षण चाहिए। महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है···**(व्यवधान)**

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री सुरेश कुरूप : मेरा प्रश्न था कि उनमें से कितनी फिल्में 1985 में निर्मित थीं और 1985 में ही प्रदर्शित की गई थीं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि कितनी फिल्में 1985 की थीं किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि उनमें गत पांच वर्षों में निर्मित अनेक फिल्में थीं।

अध्यक्ष महोदय : फिल्म शब्द 'स्त्रीलिंग है' और आप उसकी आयु नहीं पूछ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : जिस प्रकार किसी महिला से नहीं पूछी जा सकती है।

श्री सुरेश कुरूप : यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं भी संतुष्ट हूं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि सरकार इस प्रकार के मेले पर 30 से 35 लाख रुपये तक व्यय करती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि एक सही निदेशक रखा जाये जिसे फिल्म मेला निदेशालय में एक सुनिश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। इस मेला निदेशालय के लिए इस समय कोई निदेशक नहीं है। वहां एक तथाकथित सहायक निदेशक है जिसे हवाई फिल्म स्कूल भेजा गया है जिससे कि वह सरकारी खर्चे पर स्वयं को निदेशक के पद के योग्य बना सके। उसे फैलोशिप के लिए एक लाख रुपया दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के सहायक निदेशक नियुक्त करने का क्या मानदण्ड है। एक लाख रुपये की फैलोशिप पर इस समय जिस सहायक निदेशक को विदेश में स्थित हवाई फिल्म स्कूल भेजा गया है, उसकी योग्यता क्या है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, जहां तक फिल्म मेले के निदेशक के पद का सम्बन्ध है, यह बहुत ही उच्च श्रेणी का पद है, और इसलिए इसे विज्ञापित और परिचालित किया जाता है तथा ऐसा करते समय हम सरकारी उद्यम ब्यूरो से भी परामर्श करते हैं। अतः ऐसी बात नहीं है कि नियुक्त करने के उद्देश्य से हम किसी को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। यह एक ऐसा पद है जिसके लिए ब्यूरो से परामर्श करना आवश्यक है। चूंकि यह बहुत ही उच्च श्रेणी का पद है, इसलिए इसके बाद इसके बारे में मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

श्री सुरेश कुरूप : हवाई के बारे में क्या है। महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि आगे अध्ययन के लिए जिस सहायक निदेशक को हवाई फिल्म स्कूल भेजा गया है, उसकी योग्यता क्या है ? सिनेमा से सम्बन्धित इस प्रकार के निदेशक की नियुक्ति के बारे में क्या मानदण्ड है।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं पहले ही कह चुका हूं। मुझे नहीं पता कि वह किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं। किन्तु इस उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विदेश नहीं भेजा जाता कि उसे बाद में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि निदेशक के पद पर नियुक्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई होती है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मेरा विशेष प्रश्न यह था कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप अपने सम्बन्धित प्रश्न के बारे में सूचना भेज सकते हैं और इसके बाद वह उत्तर दे देंगे।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मेरा प्रश्न था कि इस समय··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह सब ठीक है। मैं इस पर आंखों देखा हाल नहीं चलने दे सकता।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, फिल्म मेला निदेशालय का वर्तमान सहायक निदेशक आगे अध्ययन के लिए हवाई फिल्म स्कूल भेजा गया है।

श्री वी० एन० गाडगिल : जो व्यक्ति भेजा गया है, वह संयुक्त निदेशक है। वह फैलोशिप पर भेजा गया है। सरकार उस पर कोई धन नहीं व्यय कर रही है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, वह महिला है अथवा पुरुष ?

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब संयुक्त निदेशक से है; अथवा महिला अथवा पुरुष से ?

श्री भगवत झा आजाद : अब महिला और पुरुष बराबर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आजकल दोनों बराबर हैं।

एक माननीय सदस्य : किन्तु वे सब एक से नहीं है।

महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह परियोजना

*4.9. श्री एस० जी० घोलप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में मिरकारवाड़ा मत्स्य बन्दरगाह की मंजूरी काफी समय पूर्व दी गई थी और यदि हां, तो उस परियोजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सतपति, दहानु जैसे मत्स्य बन्दरगाहों के लिए कई और प्रस्ताव भी केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजे हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। मिरकारवाड़ा में मत्स्यन पत्तन की स्वीकृति अप्रैल, 1977 में दी गई थी और 80% काम पूरा हो चुका है।

(ख) जी नहीं। ये प्रस्ताव केन्द्रीय तटवर्ती मत्स्यन इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर द्वारा तैयार किये गये थे। इन्हें राज्य सरकार को छान-बीन करने और प्रस्तावों को मंजूर करने तथा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार लागत में शेयर करने के लिए भेजा गया था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इस समय इन परियोजनाओं पर अमल करना सम्भव नहीं है।

श्री एस० जी० घोलप : बताया गया है कि केन्द्रीय तटवर्ती मत्स्यन इंजीनियरी संस्थान द्वारा

कुछ परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है और इन परियोजनाओं को राज्यों को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया था। राज्यों ने क्या किया ? क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किए या नहीं ? प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : 127 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें से 5 बड़े, 26 छोटे और 96 लघु अवतरण केन्द्र हैं। इनमें से 4 बड़े, 9 छोटे तथा 73 लघु अवतरण केन्द्रों को चालू किया जा चुका है। एक बड़ा, 17 छोटे और 23 अवतरण केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि माननीय सदस्य निर्माण कार्य की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये जानकारी दे सकता हूं। मेरे पास राज्य-वार सूची है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी अच्छा। मैं सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री एस० जी० घोलप : किन बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् उनके निर्माण की सिफारिश की गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इससे सम्बन्धित पत्र सभा-पटल पर रख रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सब कुछ सभा पटल पर रख रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये एक लम्बी सूची है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस० जी० घोलप : दो बड़ी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। इनमें से मिरकारवाड़ा को 1977 में स्वीकृति दी गई थी। यह अभी अधूरी है। इसके कार्य की क्या प्रगति है ? यह कब तक पूरी होगी ? अगली सासून डाक हार्बर है, जो कि बम्बई में ही है। यह भी रुकी हुई है। इसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक सासून डाक हार्बर का संबंध है, इसका मामला उच्च न्यायालय में है क्योंकि कोलाबा में रहने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति की थी और अब ठेकेदार तथा सरकार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गये हैं इसलिए यह लम्बित है। जहां तक मिरकारवाड़ा का प्रश्न है, यह भी लम्बित है क्योंकि इसके बारे में भी कुछ मतभेद थे और अब यह जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी।

श्री के० एस० राव : आंध्र-प्रदेश के मछलीपट्टनम पत्तन का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अभी तक मछलीपट्टनम समुद्र तट पर मछली पकड़ने का काम शुरू नहीं किया गया। वहां पर मछली पकड़ने के लिए एक बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है। मेरे विचार में यह प्रस्ताव मन्त्री महोदय को भेज दिया गया है। क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि ये किस अवस्था में है और क्या सरकार

इसको मंजूरी शीघ्र देगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले भी कहा था कि इस संबंध में कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं। इसलिए हम इस समय बहुत सी परियोजनाओं पर विचार नहीं कर रहे हैं। किंतु जहां तक स्वीकृति परियोजनाओं का संबंध है हम उन पर यथासम्भव शीघ्र कार्य आरम्भ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही—प्रश्न संख्या 420

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, आप उड़ीसा की हालत समझ सकते हैं, मेरे प्रश्न की संख्या 420 है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी जैसा नम्बर है, वैसा ही सवाल है।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : यद्यपि इसका नम्बर 420 है तो भी इसका उत्तर देने पर सहमत होने के लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वाकयी 420 समझ रहे हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नये दूरदर्शन केन्द्र

*420. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नए दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) इन दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों को स्थापना करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा में लगभग 4.30 करोड़ रुपए के अनुमानित पूंजीगत व्यय से उच्च शक्ति (10 किलो-वाट) वाला एक तथा अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 8 दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं। सातवीं योजना में भुवनेश्वर में 16.09

करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजीगत लागत से उपग्रह अपलिंक सुविधा के साथ एक पूर्णरूपेण रंगीन दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम भी शामिल है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम लम्बे समय से चले आ रहे हमारे प्रयासों के बाद उड़ीसा में एक उच्च शक्ति तथा 8 अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन रिले ट्रांसमिशन केन्द्र, और भुवनेश्वर में पूरा दूरदर्शन स्टूडियो सातवीं योजना में शामिल किए गये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वो कौन से आठ अल्प शक्ति वाले और एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन रिले ट्रांसमिशन केन्द्र हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए चुना गया है और राज्य सरकार से इस संबंध में कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय 'अपलिंकिंग' सुविधा के साथ दूरदर्शन स्टूडियो भुवनेश्वर में होगा, एक उच्च शक्ति स्टेशन भवानीपट्टम में और आठ अल्प शक्ति स्टेशन, बारीपाड़ा, सुन्दरगढ़, बक्सवार, क्योंझरगढ़, बोलनगीर, फूलबनी, जेपुर और छतरपुर में होंगे। ये सातवीं योजना में शामिल किए जायेंगे।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि जहां तक भारत में जनता को रेडियो और दूरदर्शन की सुविधाओं की उपलब्धता का संबंध है, उड़ीसा की स्थिति कितनी नीचे है? क्या वे विभिन्न राज्यों के संबंध में तुलनात्मक जानकारी दे सकते हैं? क्या उड़ीसा सबसे नीचे नहीं है?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं रेडियो के संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकता।

दूरदर्शन के संबंध में, छठी योजना अवधि के पूरा होने पर उड़ीसा में जनसंख्या-वार सुविधा 52.5 प्रतिशत होगी और जब वो सभी स्कीमें जिनका मैंने उल्लेख किया है – एक उच्च शक्ति और आठ अल्प शक्ति केन्द्र पूरे हो जायेंगे तो ये सुविधा 81.58 प्रतिशत जनसंख्या को प्राप्त होगी।

(व्यवधान)

पान के पत्ते की वैज्ञानिक आधार पर खेती

*426. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पान के पत्ते की वैज्ञानिक आधार पर खेती करने के लिए तत्संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पान के पत्ते की वैज्ञानिक आधार पर खेती के बारे में अब तक क्या उपलब्धियां हुई हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1981 से ही पान के पत्ते की बीमारी पर एक लक्ष्य समन्वित अनुसंधान प्रायोजना चला रही है। यह प्रायोजना देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में स्थित 9 केन्द्रों में चलाई जा रही है। इसके अलावा सी० एस० आई० आर० का लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०) भी इस फसल पर अनुसंधान कर रहा है।

(ख) भा० कृ० अ० प० की इस प्रायोजना का लक्ष्य पान के पत्ते की प्रमुख बीमारियों के लिए उपयुक्त नियंत्रण विधियों को विकसित करना तथा उन्नत किस्मों (पान के पत्ते) के सम्वर्धन के लिए ऊतक को पालना है। एन० बी० आर० आई० पोषण एवं जल की आवश्यकताओं, पान के पत्तों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी तथा बीमारियों के नियंत्रण पर अध्ययन के अलावा जर्मप्लाज्म के संग्रह और परिरक्षण पर अपना ध्यान संकेन्द्रित कर रहा है।

(ग) (i) अभी तक जर्मप्लाज्म संसाधन के रूप में पान के पत्तों की 80 किस्में इकट्ठी की गई हैं जिनमें से पान उगाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए आशाजनक किस्मों का पता लगाया गया है।

(ii) बड़े पैमाने पर उगाने के लिए फंफूद, जीवाणु एवं गोलकृमि की प्रमुख बीमारियों की प्रतिरोधी/सहनशील किस्मों का भी पता लगाया गया है।

(iii) इस फसल की प्रमुख बीमारियों की रोकथाम के लिए रोग-रहित रोपाई सामग्रियों और अन्य क्रियाओं के उपयोग द्वारा समेकित नियंत्रण विधियों का विकास किया गया है।

(iv) पौधों की उर्वरक और जल की जरूरतों पर और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी समस्याओं के हल के लिए उपयोगी सिफारिशें की गई हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, बात यह है कि देश में पान के पत्तों के उत्पादन का तीन चौथाई भाग पश्चिम बंगाल में होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल में पान के पत्तों पर अनुसंधान के लिए एक पूरी परियोजना स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, वहां पर समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं यह काम कर रही हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि सरकार ने पान के पत्तों के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन केन्द्रों में कोई समन्वय है तथा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञा-

निक अनुसंधान केन्द्रों की निगरानी करने वाला प्राधिकरण कौन सा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, इन केन्द्रों के बीच समन्वय है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी निगरानी करता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने भा० कृ० अ० प० के माध्यम से आंध्र में पान के पत्तों पर अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति दे दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पोन्नूर में इन अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियों का पता लगाती रही है और क्या उन्होंने इसकी कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए पर्याप्त निधि की स्वीकृति दी है, ताकि पान के पत्ते को प्रभावित करने वाले कृमि को नष्ट करके इस समस्या को समाप्त किया जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने क्या कहा है ? आपने क्या पूछा है ? क्या ये भा० कृ० अ० प० द्वारा समन्वय के बारे में है ? (व्यवधान) मैंने पहले ही बताया है कि समन्वय है (व्यवधान)

श्री एस० अयपाल रेड्डी : वे एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे।

प्रो० मधु दंडवते : यह कोई घरेलू मामला नहीं है। उन्हें आपके माध्यम से बात करनी चाहिए।

राजधानी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल खोलना

*427. श्री सुभाष यादव†
श्री माणिक राव होडल्या गावीत } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नए अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अस्पताल खोले जाने की सम्भावना हैं ; और

(ग) इनकी स्थापना के लिए किन स्थानों को चुना गया है और इसके लिए कितने धन का नियतन किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 4 (चार)

(ग) शिलमिल, शाहदरा में 200 पलंगों वाला अस्पताल निर्माण की चरम अवस्था पर है।

इस अस्पताल के निर्माण की अनुमानित लागत 4.37 करोड़ रुपये है। ओखला में 200 पलंगों वाले अस्पताल के निर्माण के अनुमानों तथा रोहिणी योजना के अन्तर्गत 250 पलंगों वाले अस्पताल के निर्माण की योजना को तैयार किया जा रहा है। 150 पलंगों वाले चौथे अस्पताल (टी० बी०) को पश्चिम दिल्ली में बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि के उपयुक्त प्लाट को अभी उपार्जित किया जाना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यादव जी कुछ पूछेंगे या हो गया। सामन्त जी आप पूछेंगे ? पूछिए।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : महोदय इस ई० एस० आई० स्कीम के माध्यम से सरकार बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। सीमा बढ़ाने के बाद केवल एक ही वर्ष में अतिरिक्त 44 करोड़ रुपये एकत्रित हो गए। यहां दो प्रश्न उठते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

सरकार प्रतिवर्ष कितना धन इकट्ठा कर रही है अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध है ? पूरे देश में प्रस्तावों में इतना विलम्ब क्यों हुआ—विशेषकर महाराष्ट्र-औरंगाबाद, और उन सभी स्थानों पर जहां पर ये प्रस्ताव 15 वर्षों से मंजूरी के लिए पड़े हैं ? वेतन की सीमा बढ़ाने के बाद इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त राशि कितनी है और विभिन्न राज्यों और शहरों में अस्पताल बनाने की योजनायें लम्बित क्यों पड़ी हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम इन अस्पतालों के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं।

डा० दत्ता सामन्त : मैंने कहा है कि आप इस ई० एस० आई० योजना के अन्तर्गत वेतन की सीमा को 1600 रु० तक बढ़ा कर बिजनेस कर रहे हैं। आप प्रति कर्मचारी 100 रुपये एकत्रित कर रहे हैं और अब आप इस सीमा को और भी बढ़ाने की योजना बना रहे हो।

श्री पी० ए० संगमा : इससे हम और कर्मचारियों को इस योजना में शामिल कर सकेंगे। हमारा यह इरादा है।

डा० दत्ता सामन्त : आप प्रति कर्मचारी 150 रुपये से भी अधिक एकत्रित कर रहे हैं। किन्तु आप लोगों को अधिक लाभ नहीं दे रहे। सैकड़ों अस्पतालों के लिए योजनायें लम्बित पड़ी हैं। ये मेरी शिकायत है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, ये प्रश्न विशेषकर दिल्ली के लिए है। मैं अन्य स्थानों के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत—उपस्थित नहीं।

प्रश्नों की सूची समाप्त हो गई है।

मैं फिर से उन सदस्यों के नाम पुकारता हूं जो पहले अनुपस्थित थे।

श्री तारिक अनवर।

श्री सरफराज अहमद।

श्री आनन्द सिंह।

श्री हुसैन दलवाई।

डा० टी० कल्पना देवी।

श्री एन० डेनिस।

श्री यशवन्तराव गड़ाख पाटिल।

श्री मानिक रेड्डी।

श्री डी० एन रेड्डी।

श्री गुरुदास कामत।

श्री आई० रामा राय।

श्री लक्ष्मण मलिक।

श्री मुरली धर माने।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत।

ये सभी सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम

*409. श्री तारिक अनवर
श्री सरफराज अहमद : } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार और काम में विलम्ब की सम्भावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कदाचार को करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

(ख) उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :

(i) दिल्ली में विभिन्न स्थलों पर नियमित स्थल निरीक्षण।

(ii) उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों की कोटि को सुनिश्चित करने के लिए कार्य स्थल से ली गई सामग्रियों का नमूना परीक्षण।

(iii) घटिया निर्माण सामग्री की आपूर्ति तथा घटिया निर्माण कार्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही।

(iv) अपने कर्तव्यों से विमुख पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समयबद्ध जांच।

(v) प्रत्येक विभाग में सक्रिय पर्यवेक्षण तथा प्रबोधन पर बल देना, जनता की शिकायतों को दूर करना तथा सतर्कता को बढ़ाना और निर्माण की कोटि सुनिश्चित करना।

[अनुवाद]

उद्योगों में दुर्घटनाओं से श्रमिकों की रक्षा

*410. श्री आनन्द सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वहां एक ओर विकासशील देशों में गत दो दशकों के दौरान श्रमिकों की संख्या में प्रति वर्ष 2 से 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को एक ऐसा देश माना गया है जहां उद्योगों में सब से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले 30 वर्षों में ऐसी दुर्घटनाओं में लगभग 36,000 श्रमिक मारे गए और 64 लाख से अधिक घायल हुए; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई विश्व श्रम रिपोर्ट-2, में इस विषय से संबंधित टिप्पणी की गई है हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में आठवें दशक के दौरान श्रम बल में 2 और 3 प्रतिशत के बीच वार्षिक वृद्धि हुई, लेकिन 1976-80 के दौरान, 21 विकासशील देशों में, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को आंकड़े भेजे, अघातक रूप से घायल व्यक्तियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर .3 प्रतिशत थी। यह सीमित आंकड़ों पर आधारित सामान्य विश्लेषण है जिसके अन्तर्गत कारखानों के अतिरिक्त कृषि, खानों, बागानों, बैंकिंग, परिवहन आदि सहित नियोजन के विभिन्न क्षेत्र आ जाते हैं लेकिन जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया कि विकासशील देशों में व्यावसायिक दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े बहुत कम उपलब्ध होते हैं और जो इने-गिने उपलब्ध होते हैं उन्हें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना पड़ता है। सामान्यत: दिए गए आंकड़े न्यूनतम आंकड़े होते हैं और कई दुर्घटनाओं की रिपोर्ट नहीं हो पाती है। इसलिए तुलना करने के लिए इन आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया है कि दुर्घटना बारम्बारता में, वर्ष 1981 की 76.73 हजार कर्मकार की दर की तुलना में, वर्ष 1982 (बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) की दर घट कर 69.10 प्रति हजार कर्मकार हो गई। तथापि, वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़े असमान हैं, लेकिन 1971 से 1982 तक के दीर्घ परिपेक्ष्य में, यह पाया गया कि दुर्घटना बारम्बारता दर में सुस्पष्ट कमी आई है। खानों में नियोजन के संबंध में, नियोजित प्रति हजार कर्मकार गंभीर चोट दर वर्ष 1982 में 3.37 की तुलना में वर्ष 1983 में 3.35 थी। सन् 1961 से इनमें निरन्तर कमी आती रही।

(ख) केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुरक्षा संबंधी कई उपबंध निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम को राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी है कि वे कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करें। पद्धतियों को सरल व कारगर बनाएं और कानून के उपबंधों को सख्ती से लागू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कारखानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाय, और वे बेहतर सुरक्षा मानकों एवं निम्नतर दुर्घटना दर बनाएं रखें। इसी तरह खान अधिनियम, 1952, के अधीन, सरकार ने खान सुरक्षा निदेशालय को सुदृढ़ करने, खान सुरक्षा निरीक्षकों की सेवा-शर्तों में, और खानों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण करने के लिए उनको दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1983 में उक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों के अधीन, जो 31 मई 1984 से लागू हुए, खानों में सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर निगरानी रखने के लिए कर्मकार-निरीक्षक और गर्त सुरक्षा समितियों के बारे में उपबंध किया गया है।

बागवानी का विकास

*411. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बागवानी के विकास के लिये कितना क्षेत्र निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) "आम की कलमबन्दी" पद्धति का विकास करने के लिए कौन से क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) अखरोट की खेती के लिये जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त और कौन से क्षेत्र उपयुक्त हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) बागवानी विकास के लिए कोई विशेष प्रकार के क्षेत्र निर्धारित नहीं किए गए हैं। अलग-अलग फसल के उपयुक्त कृषि जलवायु के अनुसार बागवानी की फसलें विकसित की जाती हैं। केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा बागवानी की फसलों का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) आम के आरोपण (कलम बंध) की आपूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल आदि जैसे आम पैदा करने वाले सभी राज्यों में की जा रही है।

(ग) जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त समशीतोष्ण जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके तथा उससे मिलते-जुलते अन्य क्षेत्र भी अखरोट की खेती के लिए उपयुक्त हैं।

आन्ध्र प्रदेश में मात्स्यकी विज्ञान पाठ्यक्रम

*412. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मात्स्यकी विज्ञान का कोई डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के विस्तृत समुद्र तटीय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वहां मत्स्य विज्ञान का एक डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य विज्ञान में कोई डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य विज्ञान सहित कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों में उच्च शिक्षा आरंभ करने का उत्तरदायित्व आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का है। इस तरह, आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना का प्रश्न आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय/आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

बाल श्रम पर प्रतिबन्ध

*413. **श्री एन० डेनिस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बाल-श्रम पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में संशोधन करने के लिए विधान लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा विधेयक संसद में कब पुर:स्थापित किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में कतिपय निर्दिष्ट व्यवसायों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पहले से ही प्रतिबन्ध है। इस अधिनियम में पिछली बार वर्ष 1985 में संशोधन किया गया था ताकि इसके उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की जा सके। सभी व्यवसायों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बाल श्रम को विनियमित करने और उसे धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए बाल श्रम संबंधी व्यापक विधान बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के और अधिक अस्पताल खोलना

*416. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश में और अधिक अस्पताल खोलने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 18,583 पलंगों वाले 90 अस्पतालों, और 42 उपचर्या गृहों का अब तक निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, 7951 पलंगों वाले 28 अस्पतालों और एक उपचर्या गृह का निर्माण भिन्न-भिन्न अवस्था में है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 7930 पलंगों वाले 41 अन्य अस्पतालों के निर्माण के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गया है। इन अस्पतालों के निर्माण

लिए उपयुक्त भूखण्ड उपार्जित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रयोगशाला से खेतों तक सम्पर्क कार्यक्रम

*421. श्री मानिक रेड्डी
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं के निकट सम्पर्क में लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि किसान उस अनुसंधान का पूरा लाभ उठा सकें; और

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए किसानों की अपनी एजेंसियों को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) परिषद की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रायोजनाओं जैसे (i) राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना (ii) परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं (iii) कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा (iv) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के निकट सम्पर्क में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रायोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य के कृषि विभागों तथा चुने हुए स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

(ख) परिषद् की कुछ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रायोजनाएं जैसे कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम को चुने हुए स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में किसानों के अपने अभिकरण भी भाग ले सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे का कार्यकरण

*422. श्री गुरुदास कामत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के खराब कार्यकरण और कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में आरोपों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अक्तूबर-

नवम्बर, 1985 में पुणे के स्थानीय मराठी पत्रों में प्रकाशित कतिपय आरोप सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) आरोपों की जांच की जा रही है।

पश्चिमी घाट पर मत्स्य बन्दरगाह

*423. श्री आई० राजा राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट पर नदी के मुहानों के पास कितने मत्स्य बन्दरगाह हैं और वहां क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या नदी के मुहानों पर अधिकांश मत्स्य बन्दरगाहों का उपयोग नौकाएं खड़ी करने और उनकी मरम्मत करने के लिए नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तट के समीप सुरक्षित स्थान प्रदान करके मछुआरों की सहायता करने के बारे में प्रस्ताव क्या है; और

(घ) नदी के मुहानों को गहरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि मत्स्य नौकाएं नदी में प्रवेश कर सकें ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पश्चिमी तट पर नदी के मुहानों के भीतर की ओर 9 मत्स्यन बन्दरगाहों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से पांच बन्दरगाह पूरे हो चुके हैं तथा शेष का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों पर चल रहा है। सुविधाएं जहाज को घाटों और जेटियों पर ठहराने और माल उतारने, नीलामी हाल, बर्फ संयंत्र और शीतागार तथा जल आपूर्ति बिजली आदि अन्य मदों के रूप में हैं।

(ख) और (ग) पश्चिमी घाट पर नदी के मुहानों के नजदीक पूरी बन चुकी पांच बन्दरगाहों में से कोचीन बन्दरगाह में मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं हेतु स्लिप-वे का निर्माण अभी हाल में पूरा हुआ है। होनोवर मत्स्यन बन्दरगाह पर मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं (स्लिप-वे) सम्बन्धी काम भी पूरा हो चुका है। कोचीन और होनोवर पर मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं के इस्तेमाल के बारे में जानकारी क्रमश: कोचीन पत्तन न्यास और कर्नाटक सरकार से प्राप्त करनी होगी। पूरी बन चुकी अन्य तीन बन्दरगाहों पर मरम्मत की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, पूरी बन चुकी मत्स्यन बंदरगाहों में जहाजों के ठहराने की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उनमें से अधिकतर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) मत्स्यन नौकाओं के प्रवेश के लिए नदियों के मुहानों को केवल ड्रेजिंग द्वारा गहरा करना सम्भव नहीं है और यह महंगा भी है, क्योंकि ड्रेजिंग किए हुए मार्गों में जल्द ही गाद भर जाती है और इनके रखरखाव के लिए लगातार ड्रेजिंग करनी पड़ती है। जहां कहीं पर्याप्त ज्वार-भाटा आता

रहता है, अर्थात केरल में नींदकारा और कर्नाटक में माल्पे में, वहां नदियों के मुहानों पर गहराई को बढ़ाया जा रहा है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

*424. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के संबंध में कोई परीक्षण किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना अवधि के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र, एक आंध्र प्रदेश में रामागुण्डम में तथा दूसरा उड़ीसा में तालचर में, पहली नवम्बर, 1980 से प्रचालन में है।

(ख) उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोल गैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी सिद्ध हो गई है परन्तु उपस्कर समस्याओं, अन्य असन्तुलनों तथा पावर की कमियों के कारण, ये दो संयंत्र निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं कर सके हैं।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फीडस्टाक के रूप में कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कोयले पर आधारित वर्तमान उर्वरक संयंत्रों के पुनर्वास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 57 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे में फिल्मों का संरक्षण

*425. श्री मुरली धर माने : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा फिल्मों के संरक्षण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार संघ द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे द्वारा प्राप्त की गई सैंकड़ों फिल्में एक खुले शैड में पड़ी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत विशिष्टियों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) फिल्मों के समुचित संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार संघ) (एफ० आई० ए० एफ०) द्वारा स्वीकृत कोई विशिष्टियां नहीं हैं, किन्तु फिल्मों के संरक्षण के बारे में एफ० आई० ए० एफ० समिति द्वारा कतिपय बुनियादी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। एफ० आई० ए० एफ० ने यह सम्बन्धित देशों पर छोड़ दिया है कि वे अपने संसाधनों और फिल्मों के अभिलेखागारीय महत्व पर निर्भर कराते हुए अपनी संरक्षण पद्धतियां बनाएं। इन सिद्धांतों का भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा यथा सम्भव हद तक अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में यूरेनियम के भण्डार

*428. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के निकट कोलार स्वर्ण खानों में यूरेनियम के विशाल भण्डार प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) क्या भारतीय और सोवियत वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के दौरान सीसा पाया गया है जिसमें यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितना यूरेनियम उपलब्ध होगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क), (ग) और (घ) एक समाचार पत्र में नवम्बर, 1985 में यह छपा था कि एक भारत-सोवियत दल के अध्ययन से कोलार गोल्ड फील्ड्स की चैम्पियन रीफ खान के निकट सम्पन्न यूरेनियम स्रोत होने का संकेत मिला था। इस दावे की प्रामाणिकता के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग से पता किया गया तो उन्होंने बताया कि :—

"परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने पहले समय-समय पर के०जी०एफ० नमूनों का विश्लेषण किया है लेकिन अभी तक किसी रेडियो धर्मिता का पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों को के० जी० एफ० खानों के ड्राइव और क्रास कट के विभिन्न खण्डों की जांच के लिए तैनात किया गया था। मार्च, 1984 में वैज्ञानिकों को के० जी० एफ० संयंत्र तथा खान के कुछ हिस्सों में शीलाइट ढेरों की जांच के लिए तैनात किया गया था। इन क्षेत्रों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण किया गया था और उनमें से कुछ में 10 पी० पी० एम० से कम यूरेनियम का तथा कुछ में तो 1 पी० पी० एम० से कम यूरेनियम का संकेत मिला। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि के० जी० एफ० खानों में अभी तक आर्थिक महत्व के यूरेनियम का जमाव नहीं है।"

(ख) जी नहीं, खान विभाग की देख-रेख में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी को भूमि का आवंटन

3883. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण के लिए इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी को अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटित करने का निर्देश देने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बड़े पैनल औद्योगिकृत भवन तकनीकी पर आधारित 12000 पूर्वविरचित मध्यम आय वर्ग के मकानों के निर्माण के लिए इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी भी एक निविदादाता है। निविदाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही सफल निविदादाताओं को भूमि के आवंटन का प्रश्न पैदा होगा।

[अनुवाद]

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की आकस्मिकता योजना

3884. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के मार्ग पर स्थित गैस आधारित छ: उर्वरक संयंत्रों में से किसी ने भी आकस्मिकता योजना नहीं बनाई है जोकि पाइपलाइन के निर्माण कार्य

में प्राय: एक वर्ष के सम्भावित विलम्ब पर नजर रख सके।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि एच-बी-जे गैस पाइपलाइन के रास्ते पर निर्मित किए जाने वाले गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्रों का फीडस्टाक अपेक्षाओं को समय-सूची के अनुसार पूरा किये जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्किम में प्राकृतिक आपदाओं को टालना

3885. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम में बहुत छोटे-छोटे पहाड़ हैं जिनके कारण वहां भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने की अधिक संभावना रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने सिक्किम में भू-स्खलन के कारणों की जांच और भू-स्खलन के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु सिक्किम में एक भ-स्खलन विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। समिति की अन्तिम सिफारिशों की अपेक्षित कार्यवाही के लिए सभी संबंधितों में परिचालित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

3886. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान केरल ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में लक्ष्यों, उपलब्धियों तथा निधियों के आबंटन एवं उनके उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में वर्ष 1985-86 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य व उपलब्धियां तथा निधियों का आबंटन और उपयोग

(फरवरी, 1986 तक)

	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
लक्ष्य	86,000 परिवार	78.55 लाख श्रमदिन रोजगार	61.00 लाख श्रमदिन रोजगार
उपलब्धियां	21,206 परिवार	84.98 लाख श्रमदिन रोजगार	54.81 लाख श्रमदिन रोजगार
निधियों का केन्द्रीय आवंटन (लाख रुपये में)*	670.66	1060 00	2283.00
निधियों का उपयोग (लाख रुपए में)	288.42		
	(दिसम्बर, 85 तक)	1432.65	1333.05

* 1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बराबर की धनराशि उपलब्ध कराई जानी है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष की उपयोग में न लाई गई शेष 117.38 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु 347.25 लाख रुपए के बराबर का 23,150 मीटरी टन गेहूं भी अतिरिक्त खाद्यान्नों के रूप में मुक्त किया

गया था जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अंश सहित उपलब्ध कुल संसाधन 2584.63 लाख रुपये हो गए हैं।

3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष की उपयोग में न लाई गई शेष राशि के रूप में 634.28 लाख रुपये भी उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु 347.25 लाख रुपए के बराबर का 23150 मीटरी टन गेहूं भी अतिरिक्त संसाधन के रूप में मुक्त किया गया था जिससे ग्रामीम भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कुल संसाधन 3264.53 लाख रुपए हो गये हैं।

कृषि और कृषि उत्पादन के अप्रचलित तरीके

3887. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि उत्पादन में अप्रचलित उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) देश के विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न भागों में कृषि और कृषि उत्पादन में परम्परागत उपकरणों और तरीकों का उपयोग घटती-बढ़ती मात्रा में प्रचलित है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा राज्य और केन्द्र सरकारें कृषि उत्पादन के लिए उन्नत उपस्कर और तरीकें इस्तेमाल करने के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार करके किसानों की सहायता की है। सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और उन्नत कृषि उपस्करों तथा मशीनरी के अधिक इस्तेमाल के लिए और कदम उठाये हैं और कार्यक्रम चलाये हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गांवों में दूरदर्शन की सुविधा

3888. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के कितने गांव दूरदर्शन प्रसारण सुविधा के अन्तर्गत आते हैं और कितने गांव इस सुविधा से वंचित है; और

(ख) सरकार द्वारा शेष गांवों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा

रहे हैं और यह सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) उत्तर प्रदेश में उन ग्रामों जिनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है, की सही संख्या का निर्धारण करने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, अनुमान है कि इस समय राज्य की लगभग 83 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है।

(ख) उत्तर प्रदेश में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 8 दूरदर्शन ट्रांसमीटर और बहुत ही कम शक्ति (2 × 10 वाट) के 7 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन संसाधनों के वर्ष-वार वास्तविक आवंटन पर निर्भर करेगा। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर राज्य की लगभग 91 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। दूरदर्शन सेवा का और विस्तार, भावी योजनाओं के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केवल चरणों में ही किया जा सकता है।

पान पर अनुसंधान के लिए और अधिक अनुसंधान केन्द्र खोलना

3889. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा, नवादा, औरंगाबाद और वैशाली जिले पान उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं ;

(ख) क्या पान की खेती को कीड़ों और अन्य बीमारियों से भारी नुकसान हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पान उत्पादन के प्रमुख केन्द्रों, खुदागंज (नालन्दा) नदियागंज) (नवादा), (देवकेतकी औरंगाबाद) और हाजीपुर (वैशाली) में पान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पान उगाने वाले क्षेत्र में वैशाली जिला प्रमुख है जबकि नालन्दा, नवादा तथा औरंगाबाद जिले छोटे स्तर पर पान उगाते हैं।

(ख) बिहार में पान को मुख्यत: फंफूदी जीवाणु तथा गोलकृमि रोगों से नुकसान हो रहा है न कि कीटों के कारण। वर्षा के मौसम में इन रोगों के कारण भारी नुकसान हो सकता है। पान के रोगों पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गए अनुसन्धान कार्य के आधार पर प्रमुख रोगों का पता लगाया गया है तथा उसके प्रबन्ध के लिए ठोस कदम सुझाये गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा बिहार में पान अनुसंधान के लिए एक पूर्ण समन्वय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

"योजना" का आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रकाशन

3890. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मासिक पत्रिका "योजना" अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है तथा पत्रिका की प्रत्येक भाषा के संस्करण के लिए कितने मुद्रण आदेश प्राप्त हुए है;

(ग) क्या इस पत्रिका को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब से किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। "योजना" अंग्रेजी और हिन्दी सहित 12 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (ङ) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित "योजना"।

क्रम संख्या	भाषा	आवधिकता	चालू मुद्रण आदेश
1	2	3	4
1.	अंग्रेजी	पाक्षिक	15,550
2.	हिन्दी	"	6,800

1 2	3	4
3. असमिया	पाक्षिक	2,000
4. बंगला	,,	1,600
5. गुजराती	,,	2,000
6. मराठी	,,	2,000
7. मलयालम	,,	2,000
8. तमिल	,,	13,150
9. तेलुगु	,,	2,000
10. उर्दू	,,	600
11. कन्नड़	मासिक	2,500
12. पंजाबी	,,	500

पूर्वोत्तर राज्यों में नारियल उत्पादन

3891. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों में नारियल उत्पादन की धीमी प्रगति का कारण नए क्षेत्रों में नारियल लगाने के लिए वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उचित नर्सरी और पौध लगाने की सुविधाओं का अभाव है ;

(ख) क्या नारियल विकास बोर्ड ने नारियल उत्पादन की दर ऊंची रखने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने में रुचि ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) असम और त्रिपुरा में नारियल का उत्पादन बढ़ा है। फिर भी, अच्छे किस्म की पौद रोपण सामग्री अधिक उपलब्धता से नारियल उत्पादन को और भी बढ़ाया जा सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) नारियल विकास बोर्ड के अधीन असम, मणिपुर, त्रिपुरा में राज्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय सहायता से नारियल विकास के लिए चार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये इस प्रकार

हैं—(1) नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार, (2) अच्छे किस्म के नारियल की पौद पैदा करना, (3) हाईब्रीड बीज फार्म की स्थापना और (4) त्रिपुरा में खस भूमि में नारियल प्लान्टेशन स्थापित करना।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का पुनर्गठन

3892. श्री सोमनाथ रथ : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना, रांची और मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के लिए दृश्य अश्य प्रचार निदेशालय द्वारा आबंटित किए गए विज्ञापन

3893. डा० सुधीर राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना, रांची और मुजफ्फरपुर (बिहार) से हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के क्या नाम है ;

(ख) 1983 से इन समाचार पत्रों को दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा कितने विज्ञापन आबंटित किए गए ;

(ग) क्या सरकार को विज्ञापनों के आबंटन में हिन्दी समाचार पत्रों के विरुद्ध मतभेद बरतने के मामलों में हो रही वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार मतभेद के मामलों की जांच करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल : (क) और (ख) पटना, रांची और मुजफ्फरपुर (बिहार) से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी और हिन्दी के उन समाचार पत्रों, जिन्हें वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (31 दिसम्बर, 1985 तक) के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन जारी किए गए थे, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान इन समाचार पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों

की वर्ष-वार मात्रा नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	वर्ष	राशि (रुपयों में)
1.	1983-84	10,21,989
2.	1984-85	11,39,457
3.	1985-86	0,44,066
	(दिसम्बर, 1985 तक)	

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पटना, मुजफ्फरपुर और रांची से प्रकाशित होने वाले उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के नाम जिन्हें वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक) के दौरान सरकारी विज्ञापन जारी किए गए थे (केवल अंग्रेजी और हिन्दी के)।

अंग्रेजी

(क) दैनिक

1. इण्डियन नेशन, पटना
2. सर्चलाइट, पटना

(ख) साप्ताहिक

1. नेशनल लाइफलाइन, पटना
2. वामसेम, पटना
3. स्पलिंटर, पटना
4. बिहार हेराल्ड, पटना
5. न्यू रिपब्लिक, रांची

हिन्दी

(क) दैनिक

1. आर्यावृत, पटना
2. आज, पटना
3. जनशक्ति, पटना
4. प्रदीप, पटना
5. आत्मकथा, पटना
6. भारत मेल, पटना
7. विश्वबंधु, पटना
8 मगध मेल, पटना
9. सत्ता की खोज, पटना
10. इंडियन पंच, पटना
11. बेरोजगार, पटना
12. समरबोध, पटना
13. पाटलीपुत्र टाइम्स, पटना
14. मुगेश सन्देश, पटना
15. मिथिला मिहिर, पटना
16. पंच, पटना
17. बिहार जन, पटना
18. वनिता परिसर, पटना
19. प्रातः वायु, मुजफ्फरपुर
20. प्रातः कमल, मुजफ्फरपुर
21. बिहार की चुनौती, मुजफ्फरपुर
22. बिहार शाखा, मुजफ्फरपुर

23. मुजफ्फर पुर गौरव, मुजफ्फरपुर
24. विमल वाणी, मुजफ्फरपुर
25. समाचार सुरभि, मुजफ्फरपुर
26. मोना टाइम्स, मुजफ्फरपुर
27. रांची एक्सप्रैस, रांची
28. प्रभात खबर, रांची

साप्ताहिक

1. नव राष्ट्र, पटना
2. वैशाली, पटना
3. हुंकार, पटना
4. उत्तर बिहार, पटना
5. हिमालय, सन्देश, पटना
6. जन सम्वाद, पटना
7. आपकी पसन्द, पटना
8. बसन्त बिहार, पटना
9. युवा कंठ, पटना
10. बिहार किरन, पटना
11. राष्ट्र गौरव, पटना
12. दानापुर समाचार, पटना
13. अनुगामिनी, पटना
14. मिथिला गौरव, पटना
15. बिहार दर्पण, पटना
16. जय धरती, पटना
17. मनु पटना

18. राष्ट्र भावना, पटना
19. इलाक्षित, पटना
20. प्रतिरूप, पटना
21. हरपक्ष, पटना
22. राजधानी गौरव, पटना
23. समर यात्रा, पटना
24. दक्षिण बिहार, पटना
25. योगी, पटना
26. प्रत्येक शुक्रवार, पटना
27. चाणक्य, पटना
28. बिहार की पुकार, पटना
29. विचार बोध, पटना
30. अजय अशोक, पटना
31. समय और समाज, पटना
32. इंजीनियर इंस्टीट्यूट, पटना
33. कुनाल कथा, पटना
34. बिहार धारा, पटना
35. आज का बिहार, पटना
36. लोक आस्था, पटना
37. विप्लवी बिहार, पटना
38. समरक्षेत्र, पटना
39. अटूट, पटना
40. नव बिहार, पटना
41. गणदेश, पटना
42. यज्ञपत्र, पटना

43. पुन पुन संदेश, पटना
44. कालस्वर, पटना
45. फ्रीडम फाइटर, पटना
46. शक्ति संचय, पटना
47. पाटलीपुत्र संदेश, पटना
48. स्प्रीन्टर, पटना
49. हमारा बिहार, पटना
50. अशोक स्तम्भ, मुजफ्फरपुर
51. विमल वाणी, मुजफ्फरपुर
52. समहक, मुजफ्फरपुर
53. दो टूक, मुजफ्फरपुर
54. हाजीपुर टाइम्स, मुजफ्फरपुर
55. भागमती राग, मुजफ्फरपुर
56. जा रे साती, मुजफ्फरपुर
57. कमल का कमाल, मुजफ्फरपुर
58. दरभंगा संवाद, मुजफ्फरपुर
59. कागज का कमल, मुजफ्फरपुर
60. बिहार की हकीकत, मुजफ्फरपुर
61. तिरहित एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर
62. दैनिक तार, मुजफ्फरपुर
63. मानव संवाद, मुजफ्फरपुर
64. विमल ध्वनि, मुजफ्फरपुर
65. किसान स्तम्भ, मुजफ्फरपुर
66. तिहुंत संवाद, मुजफ्फरपुर
67. मेहता टाइम्स, मुजफ्फरपुर

68. प्लिट्ज, मुजफ्फरपुर
69. हिन्द तेरे धाम, मुजफ्फरपुर
70. बिहार मेल, मुजफ्फरपुर
71. मुजफ्फरपुर की चिंगारी, मुजफ्फरपुर
72. हमारा प्रमाण, मुजफ्फरपुर
73. धरम मेघ, मुजफ्फरपुर
74. ग्रामवासी, मुजफ्फरपुर
75. रांची संवाद, रांची
76. छोटा नागपुर संदेश, रांची
77. मिथिला गौरव, रांची

पाक्षिक

1. नानकवाणी, पटना
2. शिक्षेतर समाज, पटना
3. समाजवादी सत्ताहकार, मुजफ्फरपुर
4. न्यू मैसेज, रांची

मासिक तथा ग्रन्थ

1. सुखी गृहस्थ, पटना
2. तीसरी आंख, पटना
3. पानलोक, पटना
4. पहुंच, पटना
5. पंचायत सेवा संदेश, पटना
6. शिक्षा डाइजेस्ट, पटना
7. बालक, पटना
8. आनन्द, पटना

9. ज्योत्सना, पटना

10. प्राच्य प्रभा, पटना

11. पवन प्रसाद, पटना

12. नारी जगत, पटना

13. योगांजली, पटना

14. समीक्षा, पटना

15. दर्शन मंथन, मुजफ्फरपुर

16. नया आलोचक, मुजफ्फरपुर

आस्ट्रेलिया में आयोजित क्रिकेट मैच का दूरदर्शन प्रसारण पर हुआ खर्च

3894. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया में बेंसन एण्ड हैजेज क्रिकेट मैच का दूरदर्शन से प्रसारण करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और रायल्टी, उपग्रह लागत आदि के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) दूरदर्शन को टेस्ट मैच के दौरान विज्ञापनों के प्रसारण से कितनी आय हुई है और प्रति मिनट विज्ञापन प्रसार की दर क्या थी; और

(ग) शुद्ध लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन ने विश्व क्रिकेट शृंखला के अन्तर्गत फरवरी, 1986 में आस्ट्रेलिया में खेले गए 12 मैचों का सजीव टेलीकास्ट करने की व्यवस्था की थी।

12 मैचों के सजीव टेलीकास्ट पर कुल लगभग 34,18,080,00 रुपए खर्च हुए जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) टी० वी० अधिकार शुल्क : 85,800 यू० एस० डी० (10,29,600/-रुपए-12/-रुपए =1 यू० एस० डी०।) रकम टी० वी० अधिकार धारक मैसर्स पी० बी० एल० मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिडनी आस्ट्रेलिया को पहले ही अग्रिम में अदा की जा चुकी है।)

(2) पहुंच शुल्क 55,440 यू० एस० डी० (लगभग 6,65,280/रुपए) बीजक के प्राप्त

होने पर वास्तविकों पर अदा किए जाने हैं (660 यू० एस० डी० खेल के प्रति घंटे की दर से)

(3) उपग्रह लागत: 17,23,200/-रुपए (लगभग) वास्तविक बिल के प्राप्त होने पर ओ० सी० एस० को भारतीय मुद्रा में अदा किए जाने हैं। (प्रत्येक मैच के प्रथम घंटे के लिए 24,800/- रुपए तथा मैच के उत्तरवर्ती घंटे के लिए 19,800/-रुपए की दर से)

(ख) विश्व कप क्रिकेट मैचों के टेलीकास्ट की प्रायोजकताओं तथा वाणिज्यिक विज्ञापनों से कुल राजस्व 1,60,20,000/- रुपये है। विश्व कप क्रिकेट शृंखला जैसे सुपर "ए" स्पेशल कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय संजाल पर विज्ञापन की दर 10 सेकिंड के लिए 45,000/- रुपए है तथा इस श्रेणी के 30 मिनट के कार्यक्रम चैक की प्रायोजकर्ता के लिए 1,50,000/- रुपये है।

(ग) वाणिज्यिक विज्ञापनों तथा प्रायोजकता के माध्यम से अर्जित कुल आय 1,60,20,000 रुपए है। अनुमानित व्यय लगभग 34,18,080/- रुपए है। किसी एकल घटना से शुद्ध लाभ की मात्रा निकालना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि टेलीकास्ट पर होने वाले विभिन्न प्रकार के खर्चों को टेलीकास्ट होने वाली वैयक्तिक घटनाओं के बीच विभक्त नहीं किया जा सकता।

कन्नानूर जिले में अजीक्कल में जहाज तोड़ने का एकक

3895. **श्री टी० बशीर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सरकार ने कन्नानूर जिले में अजीक्कल में जहाज तोड़ने का एक एकक स्थापित करने का निर्णय किया है और इसके लिए अपेक्षित आशय-पत्र और सीमा-शुल्क विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या खनिज राज्य व्यापार निगम द्वारा इस एकक को आवश्यक पंजीकरण अभी तक मंजूर नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं और इस यूनिट को पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने केरल के कन्नानूर जिले में अजीक्कल बंदरगाह पर जहाज तोड़ने के कार्य के लिए मैसर्स स्टील इंडीस्ट्रियल केरल लिमिटेड को पंजीकरण की मंजूरी दे दी है।

सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का नवीकरण

3896. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नवीकरण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और उसे राज्यों में किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रबुद्ध सदस्यों को प्रोत्साहित करना और व्यावसायिक प्रबन्ध में वृद्धि करना है, जिससे सदस्यों को बेहतर और किफायती सेवाएं प्रदान की जा सकें। वरिष्ठ कार्मियों के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, मध्य स्तर के कार्मिकों के लिए 17 सहकारी महाविद्यालय और कनिष्ठ कार्मिकों के लिए 87 प्रशिक्षण केन्द्र और सदस्य-शिक्षा के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी एक राष्ट्रीय केन्द्र वाला एक प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया गया है। सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों सहित सहकारी समितियों की नित नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार परिवर्तित किया जा रहा है और विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं। समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं में प्रशिक्षण परियोजना का एक अभिन्न अंग है। सातवीं योजना में, सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे कि सहकारी समितियां अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर बकाया धनराशि

3897. श्री सी० अंगा रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और भूतपूर्व संसद सदस्य की ओर मकान-किराये, जल और बिजली प्रभारों की कितनी धनराशि बकाया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : तीन अलग-अलग विवरण संलग्न हैं (विवरण I से III) (विवरण-I में नगर निकायों के सम्बन्ध में पानी तथा बिजली प्रभारों के बकायों के ब्यौरे, विवरण-II में प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्य पर मकान के किराये के बकायों के ब्यौरे तथा विवरण-III में प्रत्येक भूतपूर्व प्रत्येक मंत्री पर पृथक्-पृथक् मकान के किराये, पानी तथा बिजली के बकायों का विवरण दिया गया है।

विवरण-I

नगर निकायों के सम्बन्ध में प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्यों पर बिजली तथा पानी के प्रभारों की बकाया राशि का विवरण

क्र० सं०	नाम नई दिल्ली नगर पालिका	आवास	बिजली तथा पानी के बकाया प्रभारी की राशि (रु०)
1	2	3	4
1.	श्री के० बी० देव बर्मन	12 तीन मूर्ति लेन, नई दिल्ली	4402.26
2.	श्री के० मनोहरन	10, विशम्बरदास मार्ग	1062.80
3.	स्वर्गीय श्री संजय गांधी	12, विलिंग्डन, क्रीसेंट	2818.49
4.	श्री एच० सी० कछवाई	19, विन्डसर प्लेस	506.64
5.	श्री आर० एस० पाण्डेय	14, ताल कटोरा रोड	434.74
6.	श्री सैयद अहमद आगा	सी-1/12 पंडारा रोड	105.19
7.	श्री विनायक प्रसाद यादव	7, विन्डसर प्लेस	873.56
8.	श्रीमती जहानारा जयपाल सिंह	6, अशोका रोड	1215.76
9.	श्री दुगपाल सिंह	28, जनपथ	217.42
10.	श्री रामदेव सिंह	30 ग, अतुल ग्रव रोड	379.75
11.	श्री तुल मोहन राम	19 (34) गुरूद्वारा रोड	1500.37
12.	श्री एस० एस० गुप्ता	33, केनिंग लेन	434.39
13.	श्री वी० वी० दत्त	17, बलवन्त राय मेहता लेन	506.50
14.	श्री सोलंकी प्रवीनिस	17, केनिंग लेन	173.50
15.	श्री कृष्ण सिंह	21, केनिंग लेन	444.49
16.	श्री कमेश्वर सिंह	12, ताल कटोरा रोड	5656.14
17.	श्री रामजी लाल यादव	सी-1,/7 हुमायूं रोड	172.44
18.	श्री नथूनी राम	22, गुरूद्वारा रोड	1010.39

1	2	3	4
19.	श्रीमती यशोज, पत्नी स्व० श्री प्रकाश वीर शास्त्री	1, केनिंग लेन	739.57
20.	श्रीमती रानो एम० सैजा	2, तीनमूर्ति लेन	183.45
21.	श्री जैड० ए० अहमद	23, केनिंग लेन	133.61
22.	श्री भरत सिंह चौहान	30, जनपथ नई दिल्ली	538.01
23.	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	5, जनपथ	503.02
24.	श्री फारूख अब्दुला	सी 1/90 शाहजहां रोड	3464.31
25.	श्री भगवान दीन	11, केनिंग लेन	4332.64
26.	स्व० श्री पीलू मोदी	2, लोधी एस्टेट	2071.06
27.	श्री वी० पी० मण्डल	21, जनपथ	192.80
28.	श्रीमती गंगादेवी	7, केनिंग लेन	140.60
29.	श्री एस० एस० लाल	15, कर्जन लेन	939.55
30.	ठाकुर गिरजा नन्दन सिंह	6, डा० विशम्बर दास मार्ग	1896.11
31.	श्री एम० कमलानाथन	सी-1/22 हुमायूं रोड	392.46
32.	श्री नवल किशोर सिन्हा	18, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	142.37
33.	श्री रामानन्द तिवारी	24, गुरूद्वारा रोड	165.69
34.	श्री डी० पी० शहा	28, केनिंग लेन	2871.46
35.	श्री एम० देवीकन	9 (?6) गुरूद्वारा रोड	190.32
36.	श्री मल्लिकार्जुन (भूतपूर्व मंत्री)	19, केनिंग लेन	788.03
37.	श्री राम विलास पासवान	12, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	12978.53
38.	श्री मुबारक शा	सी-1/7 हुमायूं रोड	430.17
39.	श्री देवी लाल	11 तीमूर्ति लेन	1227.47
40.	श्री एम० आर० कृष्णा	4, कुशक रोड	6818.79 358.93
41.	श्री के० ए० राजन	4, विडसर प्लेस	1770.57

1	2	3	4
42.	श्री राम जेठ-मलानी	7-बी, जनपथ	4449.93
43.	श्री आर० आर० भोले	17, जनपथ	960.60
44.	श्री राम गोपाल तिवारी	29, केनिंग लेन	713.93
45.	श्री बी० एन० सिंह	3, केनिंग लेन	506.92
46.	श्री रविन्द्र वर्मा	ए बी-3 मथुरा रोड	1814.56
47.	श्री पी० एन० टण्डन	18, जनपथ	6901.86
48.	श्री राम किंकर	10, हेस्टींग लेन	1126.10
49.	श्री सज्जन कुमार	16, जनपथ	1229.48
50.	श्री अब्दुल रहमान शेख	14 ए० बी० पुराना किला रोड	15814.37
51.	डा० घनिक लाल मण्डल	6 बी, जनपथ	6495.30
52.	श्री ए० ए० रहीम	7, तुगलक लेन	3190.90
53.	श्री सी० पी० सैलानी	22, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	11931.05
54.	श्री ए० आर० मल्लू	24 —वही—	7708.40
55.	श्री रतन सिंह राजदा	19, जनपथ	5359.23
56.	श्री जी० सी० भट्टाचार्य	सी-2/92 शाहजहां रोड	5971.25
57.	श्री सुभाष यादव	सी-2/59 बापा नगर	591.59
58.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	18, डा राजेन्द्र प्रसाद रोड	8465.24
59.	श्री एम० एच० खान	20, विंडसर प्लेस	144 .76 37.20
60.	श्री मोहम्मद यूनस सलीम	7, तुगलक लेन	1117.35 220.65
61.	श्री एम० एम० एम० अहमद खान	31, केनिंग लेन, सर्वेन्ट क्वार्टर	2021.80 43.73 32.42
62.	श्री एस० एम० कृष्णा	सी-/95 शाहजहां रोड	1040.14 390.16 255.94

1	2	3	4
63.	श्री बालकृष्ण वासनिक	22, जनपथ	1761.81
64.	श्री मोहित यशवन्त राव	5, केनिंग लेन	1178.38
65.	श्री एन० कोजागिन	7, केनिंग लेन	11803.18
66.	श्री बी० एन० सिंह	3, केनिंग लेन	507.12
67.	श्री सी० डी० पी० वर्मा	33, केनिंग लेन	736.58
68.	श्री पी० एल० कुरील	18, विंडसर प्लेस	4196.12
69.	श्री तैयब हुसैन	1, कर्जन लेन	16913.42
70.	श्री आर० आर० मोरारका	7, डुप्लेक्स रोड	701.34
71.	श्री चन्द्रजीत यादव	21, हुमायू रोड	1195.82 66.19
72.	श्री डी० एन० द्विवेदी	13, केनिंग लेन	725.24
73.	श्री अचिन्त राम	2 ए, टेलीग्राफ लेन	223.30
74.	श्री आर० पी० त्रिपाठी	36, साउथ एवेन्यू	101.69
75.	श्री एम० एन० सरदार	178, साउथ एवेन्यू	230.78
76.	श्री आर० एस० गिल	135, साउथ एवेन्यू	171.69
77.	श्री के० बी० क्षेत्री	121, —वही—	442.07
78.	श्री चन्दन सिंह	167, —वही—	1672.75
79.	श्री एस० आर० रेड्डी	159, —वही—	226.23
80.	श्री विरके जार्ज	10, —वही—	331.31
81.	श्री रामनरेश यादव	36, —वही—	121.28
82.	श्री नटराजन	168, —वही—	442.97
83.	श्री रुद्रसैन चौधरी	73 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर, 75 साउथ एवेन्यू	154.78
84.	श्री डी० एस० प्रधान	112 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर-15 साउथ एवेन्यू	680.88

1	2	3	4
85.	श्री एन० आर० विकारिया	162 साउथ एवेन्यू	1832.59
86.	श्री एम० आर० पलोतकर	150 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर, 115 साउथ एवेन्यू	356.19
87.	श्री पी० राज शेखरन	12 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर, 142 साउथ एवेन्यू	7381.59
88.	श्री ए० आर० बी० नारायण	6 साउथ एवेन्यू	298.76
89.	श्री सिंगली थाना	1, मीना बाग	429.35
90.	श्री लम्बोधर बलियार	111, तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 127 साउथ एवेन्यू	19.64
91.	श्री मौलाना इसाक सम्भाली	160 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 37 साउथ एवेन्यू	520.01
92.	श्री तरूण गोगाई	93, साउथ एवेन्यू	340.48
93.	श्री वी० के० चन्द्रापन	87,—वही—	83.00
94.	श्री पोपट लाल एम० जोशी	26, तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 2,—वही—	238.84
95.	श्री आर० एन० कुशवाहा	95,—वही—	405.92
96.	श्री श्रीबच्चा डिंगल	67, तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 4, —वही—	89.97
97.	श्री आर० एल० सुमन	139, —वही—	31.58
98.	श्री आर० डी० जगपत अवरगोंकर	25, —वही—	39.96
99.	श्री ओंकार लाल बेरवा	190, तथा गैराज 105—वही—	171.46
100.	श्री एस० सी० अहुजा	154, साउथ एवेन्यू	232 32
101.	श्री अब्दुल शफी	107 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 144 —वही—	266.86
102.	श्री प्रकाश महरोत्रा	98,—वही—	46.53

1	2	3	4
103.	श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी	76,—वही—	21.03
104.	श्री अवधेश चुन्द्रर सिंह	102 तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 103, गैरज 140, साउथ एवेन्यू	726.68
105.	श्री बलबीर सिंह चौधरी	112, साउथ एवेन्यू	491.91
106.	श्री जी० आर० मैसेकर	41,—वही—	233.67
107.	श्री एम० एस० मलिक	64,—वही —	616.38
108.	श्री जी० डी० रिचर्जा	139,—वही—	480.65
109.	श्री युवराज	143-145,—वही—	78.65
110.	श्री लालू वोरान	184,—वही—	343.90
111.	श्री एस० एस० सिसौदिया	78—वही—	858.94
112.	श्री एम० एस० नारायणराव	52—वही—	124.66
113.	श्री यू० आर० कृष्णनन	74—वही—	4055.86
114.	श्री एल० महापात्रा	9—वही—	392.46
115.	श्रीमती गायत्री देवी	1-3—वही—	1122.76
116.	श्रीमती इन्दिरा कुमारी	6—वही—	536.04
117.	श्री के० भूषण	13—वही—	1582.79
118.	श्री शंकर राव पाटिल	16-18—वही—	794.15
119.	श्री ए० एस० रठवा	14—वही—	668.80
120.	श्री निहाल सिंह	22—वही—	714.75
121.	श्री गुरूदेव गुप्ता	24—वही—	208.64
122.	श्री विलास मुत्तमवर	23—वही—	280.25
123.	श्री के० मैल्लन्ना	43-45—वही—	4272.71
124.	श्री फूलचन्द वर्मा	48-50—वही—	2660.21 292.38
125.	श्री कल्याण राय	63—वही—	952.79

1	2	3	4
126.	श्री अमृत पटेल	64 साउथ एवेन्यू	7205.14
127.	श्री स्वामी इन्द्रवेश	69—वही—	818.83
128.	श्री कल्पनाथ सोनकर	76—वही—	5935.20
129.	श्री शान्तु भाई पटेल	77—वही—	2189.40
130.	श्री ओसकर फर्नांडिज	82—वही—	757 10
131.	श्री मंगल राम प्रेमी	86—वही—	9845.56
132.	(श्री) डा० प्रताप वाग	108—वही—	591.96
133.	श्री अजीत कुमार मेहता	124—वही—	686.70
134.	श्री सूरज भान	125—वही—	951.16
135.	श्री पीताम्बर सिंह	136—वही—	684.27
136.	श्री के० ए० स्वामी	137 —साउथ एवेन्यू	651.50
137.	श्री कुआजी सलीम	139 —वही—	733.30
138.	श्री रणजीत सिंह	143 —145—वही—	8746.36
139.	श्री के० पी० चौधरी	158 —वही—	3861.15
140.	श्री राम सिंह शाक्य	160 —वही—	8317.37
141.	श्री के० ओबुल रेड्डी	189 —वही—	1547.45
142.	श्री सत्यनारायण राव	2 सानथ एवेन्यू लेन तथा सर्वेंट क्वार्टर	897.45
143.	श्री मनीराम बागड़ी	6 तीनमूर्ति लेन	2027.82
144.	श्री धर्मवीर सिन्हा	12, तीनमूर्ति लेन	7926.03
145.	श्री वाई० वी० चाव्हाण	1, रेसकोर्स रोड	2761.91
146.	श्री जे० के० पी० एन० सिंह	5, सफदरजंग लेन	1774.54
147.	श्री बीजू पटनायक	9, —वही—	1770.32
148.	श्री भीष्म नारायण सिंह	1, तीनमूर्ति मार्ग	2540.90

1	2	3	4
149.	श्री मगनभाई बरौत	9, त्यागराज मार्ग	14776.15
150.	श्री आसकर फार्न्डिज	सर्वेन्ट क्वार्टर 11 साउथ एवेन्यू	333.90
151.	श्री मंगल राम प्रेमी	—वही— 16 —वही—	479.95
152.	श्री शिवचन्द्र झा	—वही— 27 —वही—	740.78
153.	श्री आर० पी० सिंह	—वही— 52 —वही—	786.47
154.	श्री अमृत पटेल	—वही— 59 —वही—	528.74
155.	श्री काजी सलीम	—वही— 75 —वही—	470.02
156.	श्री रणजीत सिंह	—वही— 119 —वही—	404.00
157.	डा० प्रताप बाग	—वही— 83 —वही—	492.54
158.	श्री राम सिंह शाक्य	—वही— एस-6 —वही—	722.50
159.	श्री पी० कानन	23, फिरोजशाह रोड	267.58
160.	श्री श्रीमान प्रफुल्ला गोस्वामी	14 ए, —वही—	52.77
161.	श्री मुन्शी प्रिया राजनदास	9 —वही—	124.95
162.	श्री पी० एन० बिष्ट	16-सी, —वही—	288.01
163.	श्री मणीराम गोदरा	12-बी —वही—	231.48
164.	श्री एस० एन० सक्सेना	18,—वही—	120.60
165.	श्री राजा विश्वेश्वरराव	60, अशोका रोड	766.52
166.	श्री ए० सईद	23, —वही—	948.18
167.	श्री गुणानन्द ठाकुर	13-बी, फिरोजशाह रोड	811.64
168.	श्री राम प्रकाश	14-बी, —वही—	833.54
169.	श्री लालू प्रसाद	14-बी —वही —	1018.93
170.	श्री आनन्द नारायण मुल्ला	29, —वही—	449.72
171.	श्री कासिम अली	21, —वही—	2284.50
172.	श्री वैलयर रवी	19, —वही—	154.20

1	2	3	4
173.	श्री (प्रो०) शिब्बनलाल सक्सेना	14 ई, —वही—	424.57
174.	श्री शंकर दयाल सिंह	18, वही—	288.75
175.	श्री जगदीश जोशी	7, रकाबगंज रोड	610.46
176.	श्री आशादत्त शर्मा	3, —वही—	498.88
177.	श्री धन्ना सिंह गुलशन	4, —वही—	735.66
178.	श्री राज नारायण	9, रेसकोर्स रोड	3461.83 2195.73
179.	श्री पी० कुंजाचेन	12, बी०, फिरोजशाह रोड	2195.73
180.	श्री एस० एन० गुवादा	12 डी, —वही—	278.36
181.	श्री पी० चटर्जी	सर्वेंट क्वार्टर 16 बी फिरोजशाह रोड	81.70
182.	श्री के० रघुरमैया	14, अशोका रोड	2581.99
183.	श्री खेमचन्द भाई चवेदा	2, फिरोजशाह रोड	767.02
184.	श्री ज्ञानचन्द टोटू	8, —वही—	7465.27
185.	श्री ओ० पी० त्यागी	1, —वही—	559.12
186.	श्री आर० वी० स्वामीनाथन	13, —वही—	689.09
187.	श्री किशोरी लाल	25, अशोका रोड	681.69
188.	श्री एस० वी० चाव्हाण	40 —वही—	1074.76
189.	श्री ए० आर० जायसवाल	2, रकाबगंज रोड	733.68
190.	श्री जगदीश जोशी	7, —वही—	607.49
191.	श्री महीलाल	16, —वही—	459.05
192.	श्री अंसर हरवानी	16 डी, फिरोजशाह रोड	211-35
193.	श्री जोहिन्द्र सिंह	1, इल्किट्रिक लेन	290.75
194.	(श्री) डा० गोविन्द दास	सर्वेंट क्वार्टर 19 फिरोजशाह रोड	132.08

1	2	3	4
195.	श्री कासिम अली	21, फिरोजशाह रोड	244.50
196.	श्री प्रेम मनोहर	16 सी, —वही—	341.20
197.	श्री सेठ पृथ्वी नाथ	16 बी, —वही—	1907.88
198.	श्रीमती जिहानआरा जयपाल सिंह	6, अशोक रोड	1215.76
199.	श्री छुट्टन लाल	16 ए, फिरोजशाह रोड	160.52
200.	श्रीमती ललिता राजमोपासन	11 —वही—	166.91
201.	श्री ए० बेग	11 —वही—	176.16
202.	श्री गुरुमुख सिंह	21 —वही—तथा सर्वेंट क्वार्टर	85.36
203.	श्री बीरभद्र सिंह	23 —वही— —वही—	277.72
204.	श्री के० वी० एस० मणि	12 ए, फिरोजशाह रोड	267.05
205.	श्री मकसूद अली खां	16 ई, —वही —	1712.67
206.	—वही—	सर्वेंट क्वार्टर 28 —वही—	788.30
207.	श्री एस० कुमारन	13 डी, फिरोजशाह रोड	71.41
208.	स्व० श्री भगवती चरण वर्मा	29 —वही—	6330.72
209.	—वही—	सर्वेंट क्वार्टर 44,25 फिरोजशाह रोड के पीछे	250.82
210.	श्री एच० एन० मुखर्जी	21, रकाब गंज रोड	196.13
211.	श्री सुरेन्द्र मोहिन्ती	13 बी, फिरोजशाह रोड तथा सर्वेंट क्वार्टर	2616.04
212.	श्री सी० बी० मणि तिवारी	14 डी, —वही—	5178.82
213.	श्री रामेश्वर सिंह	19, गुरुद्वारा रोड	11610.89
214.	श्री एफ० एच० मोहिसिन	13, अशोका रोड	7076.01
215.	श्री ए० के० ए० अब्दुल समद	9, फिरोजशाह रोड तथा सर्वेन्ट क्वार्टर	10396.50
216.	श्री एम० एस० के० साची एन्वरम	14 बी, — वही—	216.48

1	2	3	4
217.	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी —वही—	7, अशोका रोड 17, गुरुद्वारा रोड	6335.59 4505.75
218.	श्री धर्मदास शास्त्री	सर्वेन्ट क्वार्टर 18 अशोक रोड	981.92
219.	श्री चन्द्रपाल सिंह	9, इलक्ट्रिक लेन	10792.82
220.	श्री तैयब हुसैन	12 ए, फिरोजशाह रोड के पीछे सर्वेन्ट क्वार्टर 3	394.89
221.	श्री कृष्ण चन्द पाण्डेय	1, इलक्ट्रिक लेन	7933.74
222.	स्व० श्री के० राजा मल्लु	8, रकाबगंज रोड	505.58
223.	श्री नागेश्वर प्रसाद	19 —वही—	577.89
224.	स्व० श्री वी० एन० तिवारी	29, फिरोजशाह रोड	293.19
225.	(श्रीमती) डा० सक्षीयावानी मुथ्थू	10, रकाबगंज रोड तथा सर्वेन्ट क्वा०	4143.19
226.	श्री एम० अनकी निडू	7, फिरोजशाह रोड	9183.41
227.	—वही—	सर्वेंट क्वा० 9, इलैक्ट्रिक लेन	222.45
228.	श्री समर मुखर्जी	4, अशोका रोड तथा सवन्ट क्वा०	453.33
229.	श्री बिन्देश्वरी दूबे	16, रकाबगंज रोड तथा सर्वेन्ट क्वा०	3022.27
230.	श्री बालेश्वर राम	9, अशोका रोड	17403.44
231.	श्री गुरुदेव गुप्ता	12-ई, फिरोजशाह रोड	264.77
232.	श्री भूपेश गुप्ता	5, —वही—	355·76
233.	श्री प्रभु सिंह	13-सी, —वही—	569.34
234.	श्री गुरुदेव गुप्ता	12-ई, फिरोजशाह रोड से संलग्न सर्वेन्ट क्वा०	44.94
235.	श्री जे० के० राव	सर्वेन्ट क्वा० एन० 23, नार्थ एवेन्यू	200.98
236.	श्री बाबू लाल सोलंकी	एन० 27, सर्वेन्ट क्वा० —वही—	127.93
237.	श्री कलराज मिश्रा	एन 8, —वही— —वही—	200.15

1	2	3	4
238.	श्री जी० वाई० कृष्णन	एन15, सर्वेंट क्वा० नार्थ एवेन्यू	434.79
239.	श्री भगवान दीन	एन 3, —वही— —वही—	639.59
240.	श्री नागेश्वर राव	एन24, — वही— —वही—	596.25
241.	श्री सतीश प्रसाद सिंह	10, अकबर रोड	13076.59
242.	स्व० श्री आर० वी० स्वामीनाथन	14, अकबर रोड	10725.41
243.	श्री एच० बहादुर	23, मीना बाग	446.91
244.	श्री डी० एम० पुटैटे स्वादा	30, —वही—	13.60
245.	श्री इरा अबरासू	7, —वही—	1158.63
246.	श्री अन्तथाराम उल्लू	28, —वही—	1395.05
247.	—वही —	27, —वही—	3423.59
248.	स्व० श्री के० पी० कौशल राम	11, —वही—	1328.19
249.	श्री राम प्रसाद अहिरवार	38, —वही—	2385.33
250.	श्री सत्यनारायण	37, —वही—	378.49
251.	श्री सच्चिदानन्द	42, —वही—	418.17
252.	श्री दलपत सिंह	सर्वेन्ट क्वार्टर एन० 21, नार्थ एवेन्यू	159.47
253.	श्री बेद व्रत बरुआ	7, त्याग राज मार्ग	540.45
254.	श्री ए० सी० जार्ज	34, पृथ्वी राज रोड	1326.51
255.	श्री एम० पी० सिन्हा	10, अकबर रोड	1788.12
256.	श्री डी० एन० द्विवेदी	18, मीना बाग	374.03
257.	श्री वी० किशोर चन्द्र देव	19, —वही—	403.35
258.	श्री कुसुम कृष्णा मूर्ति	सर्वेन्ट क्वा० 111 नार्थ एवेन्यू	13.38
259.	श्री एन० कुट्टन थाई रामालिंगम	—वही— 14 —वही—	50.12
260.	(श्री) डा० एम० एम० मेहता	—वही— 23 —वही—	70.10

1	2	3	4
261.	श्री सूर्य नारायण सिंह	सर्वेंट क्वा० 22 नार्थ एवेन्यू	31.25
262.	श्री उत्तम भाई एच० पटेल	—वही— 3 —वही—	352.60
263.	श्री मणि लाल	—वही— 115 —वही—	18.38
264.	श्री टी० दमोदर रेड्डी	—वही— 13 —वही—	116.62
265.	श्री डी० पट्टू स्वामी	—वही— 119 —वही—	70.00
266.	श्री टी० नागारत्नम	—वही— 106 —वही—	151.37
267.	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	—वही— 158 —वही—	429.06
268.	श्री के० एस० नारायण	—वही— 147 —वही—	459.06
269.	श्री विद्या चिन्नापति	—वही— 67 —वही—	61.84
270.	श्री के० सी० शर्मा	—वही— 17 —वही—	269.59
271.	श्री सूरज भान	—वही— 117, —वही—	13.98
272.	श्री कामाकशेहा	—वही— 8, —वही —	115.35
273.	श्री ए० नीलालो हिथादासन	—वही— 107, —वही—	184.04
274.	श्री छोटे सिंह यादव	—वही— 43, —वही—	158.45
275.	श्री सी० चिन्ना स्वामी	—वही— 25, —वही —	115.35
276.	श्री बलराम दास	—वही— 62, —वही—	74.30
277.	श्री बी० के० नैयर	—वही— 126, —वही—	16.29
278.	श्री एन० सेलभराजू	—वही— 14, —वही—	232.51
279.	श्री राम नरथ दूबे	—वही— 29. —वही—	387.33
280.	श्री एम० मुजफ्फर हुसैन	—वही— 104, —वही—	600.16
281.	श्री लाल साविया	—वही— 114, —वही—	123.96
282.	श्री विजेन्द्र पाल सिंह	—वही— 136, —वही—	99.66
283.	श्री एम० कंडास्वामी	—वही— 144, —वही—	436.65
284.	श्री उगर सिंह	—वही— 149, —वही—	102.64

1	2	3	4
285.	श्री कित्तूरी सुब्बाराव चौधरी	सर्वेंट क्वा० 159, नार्थ एवेन्यू	103.60
286.	श्री के० अर्जुनन	—वही— 162, —वही—	241.55
287.	श्री रोबिन ककोति	—वही— 49, —वही—	24.11
288.	श्री पी० अन्बाला गांव	—वही— 134, —वही—	64.08
289.	श्री एस० एल० धुवे	—वही— 49, —वही—	56.80
290.	श्री राज सेखर कोलर	—वही— 53, —वहा—	146.25
291.	श्री जमना लाल बरुआ	—वही— 27, —वही—	261.92
292.	श्री आर० के० खिरमा	—वही— 129, —वही—	176.51
293.	श्री रघुवीर सिंह चौधरी	—वही— 136, —वही—	60.40
294.	श्री हर गोबिंद वर्मा	—वही— 12, —वही—	55.50
295.	श्री कृष्ण बरिया	—वही— 29, —वही—	44.24
296.	श्री मुकंद मंडल	—वही— 40, —वही—	66.05
297.	श्रीमती गंगा देवी	—वही— 48, —वही—	62.18
298.	श्री भंवर बी०	—वही— 56, —वही—	98.80
299.	श्री नाना साहिब बोंडे	—वही— 67, —वही—	105.70
300.	श्री आर० एल० कुरील	—वही— 68, —वही—	83.70
301.	श्री एस० एस० लाल	—वही— 113, —वही—	52.81
302.	श्री एस० बी० पटेल	—वही— 43, —वही—	87.13
303.	श्री रणवीर प्रताप सिंह	—वही— 115, —वही—	19.75
304.	श्री डी० अमत	—वही— 118, —वही—	49.50
305.	श्री एस० रामा स्वामी	—वही— 119, —वही—	41.90
306.	श्री एस० एस० काकडे	—वही— 120, —वही—	56.60
307.	श्री सुखेन्द्रा सिंह	—वही— 123, —वही—	213.20
308.	श्री परमज लाल	—वही— 142, —वही—	95.80

1	2	3	4
309.	श्री हरी राम गोडरा	सर्वेंट क्वा० 143, नार्थ एवेन्यू	206.60
310.	श्री लक्ष्मी कान्तमा	—वही— 152, —वही—	289.42
311.	श्री बी० बी० तिवारी	—वही— 162, —वही—	301.75
312.	श्री बी० सी० कम्बले	—वही— 166, —वही—	188.52
313.	श्री बी० डी० राठौर	—वही— 167, —वही—	165.92
314.	श्री आर० एन० कुशवाहा	—वही— 59, साउथ एवेन्यू	65.10
315.	श्री जी० आर० रेड्डी	—वही— 132, —वही—	87.20
316.	श्री जी० आर० मिरि	—वही— 135, —वही—	213.10
317.	श्री मोहिदर नारायण सरदार	—वही— 138, —वही—	88.73
318.	श्री आर० आर० पटेल	—वही— 133, —वही—	194.00
319.	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	—वही— 18, —वही—	38.60
320.	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	39, नार्थ एवेन्यू	6610.99
321.	श्री विद्याधर वाजपेयी	1, —वही—	1843.77
322.	श्री एस० डी० प्रसाद	4, अकबर रोड	1151.85
323.	श्री के० एन० धूलप	117, नार्थ एवेन्यू	145.06
324.	श्री भगवान दीन	33, —वही— 11, केनिंग लेन	4040.37
325.	श्री राम कृपाल सिन्हा	10, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	1215.78
326.	श्री श्री श्याम लाल धुर्वे	149, नार्थ एवेन्यू	1452.71
327.	श्री जमना लाल बरुवा	39, —वही—	884.74
328.	श्री एस० के० घोशाल	85, —वही—	526.86
329.	श्री राम सागर	188,—वही—	30.88
330	श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा	82,—वही—	76.19
331.	श्री हरी सिंह	सर्वेन्ट क्वा० 108, —वही—	6.46
332.	श्री राज देव सिंह	124-126, —वही—	84.06

1	2	3	4
333.	श्री वेंकट राव श्री के० वी० आर० एस० बाबा सुब्बाराव	4, ताल कटोरा रोड	4037.56
334.	श्री वी० बी० सिंह	224, नार्थ एवेन्यू	154.49
335.	श्री एन० आर० चौधरी	223,—वही—	65.87
336.	श्री चिरंजीव झा	199,—वही—	159.64
337.	श्री राम जी राम	24-26,— वही—	394.84
338.	श्री के० के० सुन्दरम	112,—वही—	235.45
339.	श्री बी० सी० कम्बले	183,—वही—	159.88
340.	श्री जी० लक्षमण	173,—वही—	1437.97
341.	श्री सम्भू नाथ	143,—वही—	90.80
342.	श्री केहॉ	166,—वही—	123.24
343.	श्री वी० एस० इलंचेजियन	46,—वही—	823.47
344.	श्री नागेश्वर द्विवेदी	72,—वही—	99.48
345.	स्व० श्री सी० एम० एल० चौधरी	75,—वही—तथा सर्वेन्ट क्वार्टर 8	4058.59
346.	श्री धनदायुथुपाणि वी	40, नार्थ एवेन्यू	883.23
347.	श्री ब्रह्मदेव राम शास्त्री	222,—वही—	234.30
348.	स्व० श्री हरगोविन्द वर्मा	31,—वही—	138.74
349.	श्री एच० एल० डांडा	52-54—वही—	498.44
350.	श्री मिसरयार खान	31,—वही—	1935.95
351.	श्री नत्थू सिंह	198,—वही—	126.21
352.	श्री एम० बी० देव	207,—वही—	123.05
353.	श्री बी० डी० राठौर	150,—वही—	717.86
354.	श्री पी० वी० परियास्वामी	80-82,—वही—	2388.79

1	2	3	4
355.	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	116, नार्थ एवेन्यू	548.50
356.	श्री ब्रिजभूषण तिवारी	96,—वही—	313.33
357.	श्री एस० बी० पटेल	84,—वही—	434.55
358.	श्री पी० एस० रामालिंगम	102,—वही—	111.52
359.	श्री एन० पी० चौधरी	136-138,—वही—	607.10
360.	श्रीमती सहोदरा बाई राय	123-125,—वही—	1436.73
361.	श्री खेमो लोथा	133,—वही—	646.15
362.	श्री डी० अमत	208,—वही—	247.60
363.	श्री ए० एस० ठाकुर	49,—वही—	89.26
364.	श्री रामचन्द्रन	221,—वही—	100.00
365.	श्री वी० वी० स्वामीनाथन	212,—वही—	381.61
366.	श्री किशन लाल	216,—वही—	1542.35
367.	श्री एम० एस० हाशिम	सर्वेन्ट क्वार्टर, एन० 20—वही—	377.62
368.	श्री एन० पी० साही	211, नार्थ एवेन्यू	126.03
369.	श्री हरिराम मकासर गोडरा	213,—वही—	88.23
370.	श्री नत्थी सिंह	228 तथा सर्वेन्ट क्वा० एन०-2 —वही—	534.76
371.	श्री नटवर लाल बी० परमार	174, नार्थ एवेन्यू	385.01
372.	श्री डी० एन० सिंह	12, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	549.60
373.	श्री राम अवदेश सिंह	18,—वही—	831.36
374.	श्री टी० बाला कृष्णनैया	11, नार्थ एवेन्यू	156.64
375.	श्री बी० भंवर	214,—वही—	951.88
376.	श्री के० सी० पाण्डेय	7-9,—वही—	943.65
377.	श्री जे० एम० गोडर	119,—वही—	771.82

1	2	3	4
378.	श्री एस० एन० बैनर्जी	113, नार्थ एवेन्यू	227.70
379.	श्री राम लाल कुरील	54,—वही—	989.48
380.	श्री बलराम दास	120,—वही—	210.00
381.	श्री दलपत सिंह परासाते	218,—वही—	253.12
382.	श्री परमई लाल	139,—वही—	2410.16
383.	श्री एस० जगन्नाथन	67,—वही—	2135.98
384.	श्री ए० मुथ्रेसन	72,—वही—	368.57
385.	श्री एस० रामा स्वामी	65,—वही—	4.54
386.	श्री एराअन्नावरासू	13,—वही—	171.28
387.	श्री अब्दुल रहमान शेख	14, ए० बी० पण्डारा रोड	6494.85
388.	श्री एरामोहन	116, नार्थ एवेन्यू	50.35
389.	श्री अल्लूरी सुभाषचन्द्र बोस	119,—वही—	624.51
390.	श्रीमती चेन्नूपट्टी विद्या	72, नार्थ एवेन्यू	236.39
391.	श्री जयपाल सिंह कश्यप	199,—वही—	6720.80
392.	श्री रामैना राय	7, पं० पन्त मार्ग	1155179.61
393.	श्री के० मायाथेवर	26, गुरूद्वारा रोड	393.61
394.	स्व० श्री मोहम्मद युसूफ	14, ताल कटोरा रोड	12244.77
395.	श्री चान्द राम	12,—वही—	212.20
396.	श्री डी० फुलया	28, गुरूद्वारा रोड	7306.68
397.	श्री खुम्बाराम आर्या	11-ए, पं० पन्त मार्ग	363.15
398.	श्री पी० पार्थासार्थी	1, जन्तर मन्तर रोड	774.90
399.	श्री जयवन्त धोते	4,—वही—	8724.30
400.	प्रो० सत्यदेव सिन्हा	7, रायसीना रोड	1217.62

1	2	3	4
401.	श्री लक्कप्पा के०	1, डा० बिशम्बर दास मार्ग	7394.08
402.	श्री सी० टी० उण्डापाणी	12,—वही—	1542.56
403.	श्री कमल नाथ झा	22, गुरुद्वारा रोड	2801.97
404.	श्री भीका भाई	9. डा० बिसम्बर दास मार्ग	9098.55
405.	श्री मनी लाल	111, नार्थ एवेन्यू	4868.50
406.	श्री चक्रधारी सिंह	139,—वही—	5923.33
407.	श्री के० अर्जुनन	140,—वही— "	946.66
408.	श्री के० एस० नारायणा	148,—वही—	741.96
409.	श्री मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन	155-157—वही— "	6917.10
410.	श्री टी० नागारत्नम	160,—वही—	1520.25
411.	श्री छोटेलाल विक्के	161,—वही—	4546.52
412.	श्री वी० एन० स्वामीनाथन	183,—वही—	4459.65
413.	श्री छोटेसिंह यादव	204,—वही—	3430.87
414.	श्री लाल साविया	217,—वही—	2287.92
415.	श्री एन० के० रामा लिंगम	225,—वही—	1262.61
416.	श्री डुंगर सिंह	227,—वही—	1105.51
417.	श्री डी० एन० बासू श्री विजेन्द्र पाल सिंह	7-9, वही—	11656.90
418.	श्री टी० दामोदर रेड्डी	21,—वही—	963.52
419.	श्री पी० एन० रेड्डी श्री पी० राजगोपाल नायडू	35-37,—वही—	1389.40
420.	श्री एन० सेलवराजू	44,—वही—	1265.45
421.	श्री राजेश कुमार सिंह	46,—वही—	2852.31
422.	श्री जगपाल सिंह	56-58,—वही—	9017.81

1	2	3	4
423.	श्री सी० प्लानी अप्पन	67, नार्थ एवेन्यू	6620.48
424.	श्री विद्याचेणुपट्टी	72,—वही—	761.39
425.	श्री एस० एन० प्रसन्नाकुमार	86,—वही—	8603.70
426.	श्री शमीनुद्दीन	88,—वही—	1394.68
427.	श्री सज्जन कुमार	48, बी० हैवलेक स्वेवयर	56.19
428.	श्री० जी० एम० शेख	63, नार्थ एवेन्यू	610.72
429.	श्री जी० एम० खान	177,—वही—	468.92
430.	श्रीमती बी० राधाबाई आनन्दराय	80-82,—वही—	1067.18
431.	श्री ए० वारजरी	191,—वही—	1160.88
432.	श्री ए० के० कोटरा शेट्टी	179,—वही—	4794.46
433.	श्री मनमोहन टूड्डू	14, महादेव रोड	9027.80
दिल्ली नगर निगम			
434.	श्री भीखूराम जैन	49, राजपुर रोड	2671.90

विवरण II

प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्य के विरुद्ध मकान किराये की बकाया राशि का दर्शाने वाला विवरण (28-2-1986 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	नाम	रिहायश	मकान किराये की देय राशि
1	2	3	4
1.	श्री एन० के० शेवलवलकर	6, फिरोजशाह रोड	2,633.60
2.	श्री एम० एंकी नीदू	7, फिरोजशाह रोड	9,819.40
3.	श्री ए० के० ए० अब्दुल समद	9, फिरोजशाह रोड	1,003.05
4.	श्री के० बी० एस० मणि	12-ए०, फिरोजशाह रोड	3,908.80

1	2	3	4
5.	श्री एस० आर० ए० एस० अप्पला नायडू	13, ई०, फिरोजशाह रोड	277.80
6.	श्री एम० एस० के० साथियेन्दराम	14, बी०, फिरोजशाह रोड	1,054.70
7.	श्री सी० बी० एम० तिवारी	14-बी०, फिरोजशाहपुर रोड	7,054.50
8.	श्री गुलेर अहमद	7, लोधी एस्टेट	5,862.90
9.	श्री पी० वेंकटा रेड्डी	12-ए, लोधी गार्डन	3,861.40
10.	श्री एफ० एच० हाहसिन	13, अशोक रोड	2,395.10
11.	श्री घियूर अली खान	34, अशोक रोड	5,599.75
12.	श्री चन्द्र पाल सिंह	9, इलक्ट्रिक लेन	4,518.35
13.	श्री चन्द्रजीत यादव	सी०, 1/21, हुमायूं रोड	5,181.65
14.	श्री गुलाम रसूल कोचक	सी०, 1/51, शाहजहान रोड	851.90
15.	श्री फराक अब्दुल्ला	90, शाहजहान रोड	65,514.25
16.	श्री बी० राजगोपलन राव	सी० 1/19, पण्डारा पार्क	5,838.30
17.	श्री रविन्द्र वर्मा	ए० 8-3, पुराना किला रोड	5,976.10
18.	श्री सुब्रामण्यम स्वामी	ए०8-5, पुराना किला रोड	11,112,25
19.	श्री पी० पार्थासार्थी	1-जन्तर मन्तर रोड	3,862.35
20.	श्री के० ए० राजन	4-विण्डसर प्लेस	2,975.60
21.	श्री त्रिलोक चन्द	17, विण्डसर प्लेस	991.15
22.	श्री राम जेठमलानी	7-बी, जनपथ	8,255.00
23.	श्री राजदा रतन सिंह	10, जनपथ	7,045.55
24.	श्री बालकृष्ण वास्निक	22, जनपथ	6,857.50
25.	श्री रामविलास पासवान	12, डा० आर० पी० रोड	6,553,15
26.	श्री बिजय पादम	20, डा० आर० पी० रोड	871.15
27.	श्री चन्द्र पाल शैलानी	22, डा० आर० पी० रोड	1,934.45

1	2	3	4
28.	श्री बसन्त नारायण सिंह	3, केनिंग लेन	2,298.05
29.	श्री एन० गाजागिन	7, केनिंग लेन	2,993.15
30.	श्री वी० के पंडित	17, केनिंग लेन	6,167.60
31.	श्री रामगोपाल तिवारी	29, केनिंग लेन	5,988.90
32.	श्री मलिक एम० एम० ए० खान	31, केनिंग लेन	4,688 90
33.	श्री तयाब हुसैन	1, बलवन्त राव महता लेन	17,750.30
34.	श्री आर० आर० भोला	17, जनपथ	448.10
35.	श्री डी० एस० ए० सिवा प्रकाशन	1, मीना बाग	560.70
36.	श्री अशफाक हुसैन	9, मीना बाग	4,605.00
37.	श्री पी० वी० जी० राजू	8, तुगलक रोड	852.10
38.	श्री कमालुद्दीन अहमद	19, मीना बाग	1,19.05
39.	श्री हरिकेश बहादुर	23, मीना बाग	33,871.05
40.	श्री एस० टी० बयादरी	24, मीना बाग	5,493.10
41.	श्री आर० पी० अहिरवार	38, मीना बाग	393.35
42.	श्री एन० ई० होरा	2, महादेव रोड	2,500.35
43.	श्री टी० एम० करुणानिधि	डी० 1/35, राजिन्द्र नगर	2,319.35
44.	श्री आर० रोथामा	11, महादेव रोड	650.00
45.	श्री मन मोहन तूदू	14, महादेव रोड	6,587.40
46.	श्री जयराम वर्मा	18, महादेव रोड	2,718.40
47.	श्री धर्मवीर सिन्हा	12, तीन मूर्ति लेन	3,337.75
48.	श्री जार्ज फर्नान्डिस	26, तुगलक क्रीसेन्ट	11,142.20
49.	स्वर्गीय श्री वाई० बी० चव्हाण	1, रेस कोर्सरोड	5,398.60
50.	श्रीमती शालिनी वी० पाटिल	24, विलिग्डन क्रीसेन्ट 172, साऊथ एवेन्यू	12,867.90

1	2	3	4
51.	श्री भोगेन्द्र झा	34, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	19,891.75
52.	श्री के० लक्कप्पा	10, डा० बी० डी० मार्ग	13,296.70
53.	श्री भीखा भाई	9, डा० बी० डी० मार्ग	2,528.00
54.	श्री सी० टी० भण्डापानी	12, डा० बी० डी० मार्ग	2,988.05
55.	श्री दिगम्बर सिंह चौधरी	2, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	1,567.15
56.	श्री के० मायाथावर	26, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	
		524, बिट्ठलभाई पटेल हाऊस	3,729.40
57.	श्री डी० पुल्लायह	28, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	4,509.05
58.	श्री रामायण राय	7, पं० पन्त मार्ग	4,073.65
59.	श्री कुम्भा राम आर्य	11-ए, पं० पन्त मार्ग	721.65
60.	श्री टी० एस० नेगी	8; तालकटोरा रोड	6,097.40
61.	श्री भीकू राम जैन	9, तालकटोरा रोड	5,598.40
62.	श्री मोहम्मद युसुफ	14, तालकटोरा रोड	30,444.20
63.	श्री एम० सत्यनारायण राव	2, साऊथ एवेन्यू	4,023.20
64.	श्री मणि राम बागड़ी	6, तीन मूर्ति लेन	13,050.90
65.	श्रीमती गायत्री देवी	1-3, साऊथ एवेन्यू	1,898.35
66.	श्रीमती इन्द्रा कुमारी	6. साऊथ एवेन्यू	3,380.00
67.	श्री सकरियाह थामस	10, साऊथ एवेन्यू	3,823.75
68.	श्री मोहर सिंह राठौर	13, साऊथ एवेन्यू	1,235.35
69.	श्री निहाल सिंह	22, साऊथ एवेन्यू	991.85
70.	श्री एच० के० मंगवार	36, साऊथ एवेन्यू	62.05
71.	श्री के० मलाना	43-45, साऊथ एवन्यू	4,526.10

1	2	3	4
72.	श्री राम लाल राही	47-49, साऊथ एवेन्यू	4,486.50
73.	श्री फूलचन्द्र वर्मा	48-50, साऊथ एवेन्यू	4,426.95
74.	श्री अमृत पटेल	64, साऊथ एवेन्यू	1,625,15
75.	श्री आर० पी० सारंगी	65, साऊथ एवेन्यू	1,517.00
76.	श्री स्वामी इन्द्रवेश	69, साऊथ एवेन्यू	2,449,45
77.	श्री के० एन० सांकर	76, साउथ एवेन्यू	2,017.60
78.	श्री एस० बी० पटेल	77, साऊथ एवेन्यू	2,729.80
79.	श्री नारायण साहु	88, साऊथ एवेन्यू	3,318.05
80.	श्री 86, एम० आर०प्रेम	86साऊथ एवेन्यू	3,516.00
81.	श्री जी० पी० अनुरागी	92, साऊथ एवेन्यू	3,258.55
82.	श्री अमरेन्द्र सिंह	96, साऊथ एवेन्यू	8,909.80
83.	श्री राम अवध	105, साऊथ एवेन्यू	4,002.75
84.	श्री प्रताप बग	108, साऊथ एवेन्यू	3,125.75
85.	श्री साबंग तायंग	109, साऊथ एवेन्यू	2,771.60
86.	श्री बी० आर० खारलूखी	114, साऊथ एवेन्यू	4,562.35
87.	श्री एस० एन० जाठिया	115-117, साऊथ एवेन्यू	2,713.40
88.	श्री गुफागं आडम	116-118, साऊथ एवेन्यू	7,070.95
89.	श्री वी० एम० शर्मा	122, साऊथ एवेन्यू	4,790.85
90.	श्री ए० के० मेहता	124, साऊथ एवेन्यू	8,035.00
91.	श्री सिब्बू सोरन	127-129, साऊथ एवेन्यू	1,826.40
92.	श्री चांगुर राम	133, साऊथ एवेन्यू	2,616.20
93.	श्री पीताम्बर सिंह	136, साऊथ एवेन्यू	873.25
94.	श्री के० ए० स्वामी	137, साऊथ एवेन्यू	2,451.00
95.	श्री रणजीत सिंह	143-145, साऊथ एवेन्यू	6,779.40

1	2	3	4
96.	श्री चौधरी मुल्तान सिंह	147-149, साऊथ एवेन्यू	5,329.55
97.	श्री आर० एल० पी० वर्मा	148-150, साऊथ एवेन्यू	4,830.30
98.	श्री के० ब्रमानन्द रेड्डी	सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 47, विट्ठल भाई पटेल हाऊस	379.55
99.	श्री के० वी० चौधरी	158, साऊथ एवेन्यू	8,210.75
100.	श्री आर० एस० शाक्य	160, साऊथ एवेन्यू	3,201.40
101.	श्री आर० एन० त्रिपाठी	161, साऊथ एवेन्यू	1;316.10
102.	श्री मनोहर लाल	163, साऊथ एवेन्यू	2,530.80
103.	श्री ए० यू० आजमी	167, साऊथ एवेन्यू	1,687.45
104.	श्री बी० आर० फुलवारिया	170, साऊथ एवेन्यू	2,845.70
105.	श्री गिरधारी लाल	171, साऊथ एवेन्यू	400.60
106.	श्री अनवर अहमद	178, साऊथ एवेन्यू	3,795.35
107.	श्री आर० बी० मावणी	185, साऊथ एवेन्यू	161.95
108.	श्री ए० एन० वलू	187, साऊथ एवेन्यू	2,723.70
109.	श्री के० आबुल रेड्डी	189, साऊथ एवेन्यू	2,065.75
110.	श्री जे० सी० बारव	157, साऊथ एवेन्यू	546.25
111.	श्री कर्ण सिंह	3-5, नार्थ एवेन्यू	808.35
112.	श्री वी० पी० सिंह	7-9, नार्थ एवेन्यू	6,667.30
113.	स्वर्गीय श्री जामिलुर रहमान	3-5, नार्थ एवेन्यू	5,376.15
114.	श्री झारखण्डे राय	8-10, नार्थ एवेन्यू	4,368.95
115.	श्री टी० एम० सावन्त	11, नार्थ एवेन्यू	1,505.00
116.	श्री के० एम० मधुकर	16, नार्थ एवेन्यू	3,504.20
117.	श्री कालीचरण शर्मा	20, नार्थ एवेन्यू	5,401.15
118.	श्री टी० डी० रेड्डी	21, नार्थ एवेन्यू	385.80

1	2	3	4
119.	श्री आर० पी० यादव	24-25, नार्थ एवेन्यू	351.95
120.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	35-37, नार्थ एवेन्यू	3,177.60
121.	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	39, नार्थ एवेन्यू	3,186.95
122.	श्री एन० सत्यराजू	44, नार्थ एवेन्यू	1,698.55
123.	श्री आर० के० सिंह	46, नार्थ एवेन्यू	1,188.55
124.	श्री एन० एन० नादर	50, नार्थ एवेन्यू 32, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	12,398.30
125.	श्री एम० एम० मेहता	51-53, नार्थ एवेन्यू	3,863.85
126.	श्री जगपाल सिंह	56-58, नार्थ एवेन्यू	6,942.40
127.	श्री विष्णु प्रसाद	61, नार्थ एवेन्यू	1,613.45
128.	श्री चतुर्भुज	64, नार्थ एवेन्यू	2,394.30
129.	श्री पलानियापन	67, नार्थ एवेन्यू	4,246.15
130.	श्री एम० नागेश्वर राव	69, नार्थ एवेन्यू	1,395.05
131.	श्रीमती च० विद्या	72, नार्थ एवेन्यू	3,135.65
132.	श्री सी० चिन्नास्वामी	83, नार्थ एवेन्यू	3,825.50
133.	श्री तरुण गोगोई	76, नार्थ एवेन्यू	3,915.30
134.	श्री एस० एन० प्रसन्ना कुमार	86, नार्थ एवेन्यू	4,575.10
135.	श्री सामीनुद्दीन	88, नार्थ एवेन्यू	3,487.90
136.	श्री नन्दी यालिहा	94, नार्थ एवेन्यू	2,860.00
137.	श्री ए० के० बालन	107-109, नार्थ एवेन्यू	4,495.35
138.	श्री जी० वाई० कृष्णन	108-110 नार्थ एवेन्यू	3,937.25
139.	श्री मणी लाल	111, नार्थ एवेन्यू	2,382.25
140.	श्री हाकम सिंह	115, नार्थ एवेन्यू	4,034.70
141.	श्री चक्रधारी सिंह	139, नार्थ एवेन्यू	517.70

1	2	3	4
142.	श्री चित्तबसु	128, नार्थ एवेन्यू	3,627.40
143.	श्री के० अर्जुनन	140, नार्थ एवेन्यू	2,117.20
144.	श्री के० एस० नारायण	148, नार्थ एवेन्यू	2,658.90
145.	श्री आर० एस० वर्मा	152-154, नार्थ एवेन्यू	1,976.55
146.	श्री एम० एम० हुसैन	155-157, नार्थ एवेन्यू	8,564.95
147.	श्री टी० नागरथानम	160, नार्थ एवेन्यू	4,120.10
148.	श्री सी० एल० यूके	161, नार्थ एवेन्यू	1,675.65
149.	श्री फतह भानु सिंह	164, नार्थ एवेन्यू	543.25
150.	श्री पी० वायपा रेड्डी	167-169, नार्थ एवेन्यू	1,602.25
151.	श्री वी० कुलन्दियावेलु	172, नार्थ एवेन्यू	15,996.60
152.	श्री जी० एम० खान	177, नार्थ एवेन्यू	1,194.00
153.	श्री सूरज भान	178, नार्थ एवेन्यू	4,305.50
154.	श्री वी० एन० स्वामीनाथन	183, नार्थ एवेन्यू	1,485.20
155.	श्री आर० एन० राकेश	197, नार्थ एवेन्यू	2,899.90
156.	श्री जयपाल सिंह कश्यप	199, नार्थ एवेन्यू	7,949.20
157.	श्री सी० एस० यादव	204, नार्थ एवेन्यू	1,111.95
158.	श्री जी० एन० रेड्डी	207, नार्थ एवेन्यू	394.50
159.	श्री एस० एस० वर्मा	208, नार्थ एवेन्यू	2,083.10
160.	श्री के० के० मूर्ति	210, नार्थ एवेन्यू	12,024.55
161.	श्री एन० के० रामालिंगम	225, नार्थ एवेन्यू	96.50
162.	श्री डूंगर सिंह	227, नार्थ एवेन्यू	2,389.20
163.	श्री शिव कुमार सिंह	215, नार्थ एवेन्यू	18,257.65
164.	श्री बाबू लाल सोलंकी	218, नार्थ एवेन्यू	5,696.20
165.	श्री डी० कामक्ष्या	सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 8 तथा गराज नं० 23, नार्थ एवेन्यू	568.95

1	2	3	4
166.	श्री नूरुल इस्लाम	40, नार्थ एवेन्यू	1,722.50
167.	श्री एस० डी० सिंह	7, रायसीना रोड	18,300.45
168.	श्री एस० पी० सिंह	10, अकबर रोड	10,925.95
169.	श्री आर० वाई० घोरपड़े	14, तुगलक रोड	21,255.30
170.	श्री सोमनाथ चटर्जी	6, अशोक रोड	5,788.50
171.	श्री रामकिंकर	19, कृष्णा मेनन मार्ग	4,288.60
172.	श्री समर मुखर्जी	4, अशोक रोड	10,385.15
173.	श्री एम० गोपाल रेड्डी	17, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	2,157.90
174.	श्री मंगल भाई बारात	9, प्यागराज मार्ग	14,498.10
175.	श्री के० सी० पाण्डेय	1, इलेक्ट्रिक लेन ई०-810, कर्जन रोड होस्टल	14,869.49
176.	श्री ए० आर० मालु	24, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	5,611.30
177.	श्री के० पी० तिवारी	4, टेलीग्राफ लेन	4,908.40
178.	श्री रशीद मशूद	5, डा० भगवान दास मार्ग	30,653.75
179.	श्री चरणजीत सिंह	18, अशोक रोड का आधा भाग	15,590.95
180.	श्री डी० डी० शास्त्री	18, अशोक रोड का आधा भाग तथा 54, वैस्टर्न कोर्ट होस्टल	17,863.10
181.	श्री जे० बी० धोते	4, जंतर मंतर रोड तथा सर्वेंट क्वार्टर	25,205.85
182.	स्वर्गीय श्री वी० आर० नहाटा	सी० 1/14, लोधी गार्डन 12, विलिंग्डन क्रीसंट का आधा भाग	94,179.07
183.	स्वर्गीय श्री सी० एम० स्टीफन	9, कृष्णा मेनन मार्ग	10,166.60
184.	श्री एम० एच० खान	20, विन्डसर प्लेस	16,922.10

1	2	3	4
185.	श्री आर० वी० स्वामीनाथन	54-55 वैस्टर्न कोर्ट होस्टल	11,653,45
186.	श्री सज्जन कुमार	16, जनपथ	1,521.60
187.	श्री सरदिस राय	4, अशोक रोड तथा 422, विट्ठल भाई पटेल हाऊस	1,016.80
188.	श्री वी० सी० महाजन	सूट् सं० 10, 517, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	5,043.05
189.	श्री निर्मल सिन्हा	220, 510, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	2,547.60
190.	श्रीमती प्रमिला दण्डवते	323, विट्ठल भाई पटेल हाऊस	557.80
191.	प्रो० रूपचन्द पाल	405, तथा 407, विट्ठल भाई पटेल हाऊस	400.75
192.	श्री एम० नायक	403, 516, 303 तथा 522 विट्ठल भाई पटेल हाऊस	9,194.05
193.	श्री ए० के० राय	512, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	392.90
194.	श्री दयाराम शाक्य	एराज सं० 20, —वही—	254.55
195.	श्री पी० के० गौडियन	312-313, —वही—	4,391.05
196.	श्री क्रिस्टोफर इक्का	416-417, —वही—	1,659.70
197.	श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा	15, फिरोजशाह रोड	8,380.40
198.	श्रीमती गुरविन्दर कौर बरार	64, लोधी इस्टेट	4,109.15
199.	श्री गुरुचरण सिंह निहाल वाला	7, इलैक्ट्रिक लेन	7,110.65
200.	श्री एल० एस० तुर	13, विण्डसर प्लेस	7,329.05
201.	श्री आर० मुथु कुमारन	5,6,19, वैस्टर्न कोर्ट होस्टल	2,772.40
202.	श्री डी० के० बरुआ	23, तुगलक रोड	20,636.35
203.	श्री ख्वाजा मुबारक शाह	सी०-117, हुमायूं रोड	7,880.46
204.	श्री डी० एन० बासु	7 बी०-9 ए०, नार्थ एवेन्यू	2,752.57
205.	श्री शरद यादव	28 सी०, नार्थ एवेन्यू	1,620.36

1	2	3	4
206.	श्री सी० एन० विश्वानाथन	29 ए०, नार्थ एवेन्यू	4,945.70
207.	श्री हरगोबिन्द वर्मा	31 ए०, नार्थ एवेन्यू 504, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	2,279.40
208.	श्री नानाजी देशमुख	43, नार्थ एवेन्यू	329.74
209.	श्री के० एच० जैन	45, नार्थ एवेन्यू	3,072.84
210.	श्री बी० एस० इलान्चेजियज	46, नार्थ एवेन्यू	886.46
211.	श्री आर० एल० कुरील	52-ए०, 54-सी० नार्थ एवेन्यू	8,675.80
212.	श्री एन० एम० हाशिम	73, नार्थ एवेन्यू	2,393.14
213.	श्री एस० जगन्नाथ	67, नार्थ एवेन्यू	1,238.46
214.	स्वर्गीय श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी	75, नार्थ एवेन्यू	3,972.80
215.	श्री ए० मुर्गेशन	72, नार्थ एवेन्यू	2,819.61
216.	श्री डा० पी० वी० पैरीस्वामी	80-82, नार्थ एवेन्यू	3,805.15
217.	श्री एस० बी० परसिल	84, नार्थ एवेन्यू	695.60
218.	श्री एस० के० घोशाल	8,5, नार्थ एवेन्यू	1,247.07
219.	श्री बृज भूषण तिवारी	96, नार्थ एवेन्यू 504, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	5,420,25
220.	श्री पी० एस० रामालिंगम	102, नार्थ एवेन्यू	1,830.93
221.	श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	116, नार्थ एवेन्यू	2,829.55
222.	श्री शक्ति कुमार सरकार	123,-125, नार्थ एवेन्यू	160.00
223.	श्री श्याम लाल ध्रव	149, नार्थ एवेन्यू	1,411.05
224.	श्री भगवान दास राठौर	150, नार्थ एवेन्यू	567.45
225.	श्री सी० आर० अरगल	161, नार्थ एवेन्यू	1,692·98
226.	श्री पी० ध्यागराजन	180-182, नार्थ एवेन्यू	5,166.89
227.	श्री बी० सी० कामल	183, नार्थ एवेन्यू	1,066.27
228.	श्री राम सागर	188, नार्थ एवेन्यू	2,256.73

1	2	3	4
229.	श्री श्री भगीरथ भंवर	214, नार्थ एवेन्यू	3,245.19
230.	श्री डी० एस० परास्ते	218, नार्थ एवेन्यू	978.52
231.	श्री रामचन्द्रन	221, नार्थ एवेन्यू	251.45
232.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	226, नार्थ एवेन्यू	1,862.55
233.	श्री शिव नारायण सरसोनिया	18, फिरोजशाह रोड	1,497.53
234.	श्री आर० पी० देशमुख	25, फिरोजशाह रोड	260.00
235.	स्वर्गीय श्री एम० बी० कृष्णाप्पा	15, विण्डसर प्लेस	369.57
236.	श्री ओंकार सिंह	14 बी०, फिरोजशाह रोड	4,084.41
237.	श्री लालू प्रसाद	14, डी०, —वही—	3,549.26
238.	श्री सिब्बन लाल सक्सेना	14 ई, —वही—	2,684.66
239.	श्री हुकमचन्द कछवाय	19, विण्डसर प्लेस	3,323.77
240.	श्री बी० पी० मण्डल	21, जनपथ	7,067.61
241.	श्री रामदेव सिंह	30 ए०, अतुल ग्रोव रोड	2,284.94
242.	श्री श्रीकृष्ण सिंह	21, कर्निंग लेन, 517, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	6.428 26
243.	श्री श्याम सुन्द्र गुप्ता	33, केर्निंग लेन	7,318.55
244.	श्री डी० एन० सिंह	12, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	2,734.26
245.	श्री प्रभु सिंह	13 सी०, फिरोजशाह रोड	335.65
246.	श्री राम अवधेश सिंह	18, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	11,550.27
247.	श्री रामधारी शास्त्री	9, इलक्ट्रिक लेन	2,126.58
248.	श्री श्याम सुन्दर लाल	15, बी० आर० मेहता लेन	5,368.89
249.	स्वर्गीय ठाकुर श्री जी० एन० सिंह	6, डा० भगवान दास मार्ग	8, 189.20
250.	श्री बैरागी जीना	1, मीना बाग	596.50
251.	स्वर्गीय श्री मिसरियारखान	31, नार्थ एवेन्यू	5,476.91

1	2	3	4
252.	श्रीमती पारवती देवी	27, मीना बाग	1,046.57
253.	श्री एम० ए० हाननअल्लाज	25, मीना बाग	2,576.30
254.	श्री पी० एन० सिन्हा	33, मीना बाग	49,361.20
255.	स्वर्गीय श्री शफीकुला अंसारी	8, डी० आई० जेड० एरिया	3,214.52
256.	श्री जी० एन० प्रधान	7, साऊथ एवेन्यू	495.05
257.	श्री एल० के० डाल	7, 115, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	6,514.95
258.	श्री एस० एल० सिंघ	506, 508, —वही—	8,463.63
259.	श्री जी० पी० यादव	201, 308, 402—वही—	6,191.96
260.	श्री आर० के० डान	315, 322, —वही—	552 42
261.	श्री बतेश्वर हेमब्राम	407, —वही—	5,772.28
262.	श्री अमृत कासिर	519, 520, —वही—	1,886.46
263.	श्री सी० वेंकटराव	4, तालकटोरा रोड	1,884.69
264.	श्री एस० एस० सामानी	201, 208, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	5,977.16
265.	श्री नाथू सिंह	198, नार्थ एवेन्यू	2,049.36
266.	श्री लालजी भाई	28-30, साऊथ एवेन्यू	849.74
267.	श्री सुरेन्द्र जे० सुमन	81,—वही—	332.13
268.	श्री पी० के० बाल	38, —वही—	3,378.28
269.	श्री जे० पी० कुरील	40, —वही—	622.65
270.	श्री एल० आर० मन्कार	42, —वही—	365.75
271.	श्री एस० दिगाल	67,—वही—	2,548.61
272.	श्री सी० बी० छत्री	83, साऊथ एवेन्यू	872.24
273.	श्री एन० पी० राय	85,—वही—	2,176.69
274.	श्री गवाई दालत गुणाजी	86,—वही—	410.19
275.	श्री महादीपक सिंह	160, —वही—	8,42.87

1	2	3	4
276.	श्री एस० सी० आहूजा	154, साऊथ एवेन्यू	1,892.95
277.	श्री आर० एस० हजारी	169,—वही—	1,843.02
278.	श्री एन० पी० केशरवानी	171, —वही—	1,448.10
279.	श्री महेन्द्र नारायण सरकार	178, —वही—	1,601.01
280.	श्री एल० आरान	184, —वही—	732.81
281.	श्री मनोहर लाल	185, —वही—	665.23
282.	श्री सी० एच० शुक्ला	162, —नार्थ एवेन्यू	674.13
283.	श्री कैंहो	166, — वही—	961.51
284.	श्रीमती रानो शहेजा	2 तीन मूर्ति लेन	4,530.67
285.	श्री ठाकुर रामपति सिंह	14, विण्डसर प्लेस	1,526.35
286.	श्री रामानन्द तिवारी	24, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	5,294.51
287.	श्री देवी लाल	11, तीनमूर्ति लेन	7,272·38
288.	श्री डी० पी० शाह	28, जनपथ	4,72.78
289.	श्री ए० आर० जयसवाल	2, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	2,919.84
290.	श्री महि लाल	16, —वही—	746.86
291.	श्रीमती चन्द्रावती	11 ए०, पं० पन्त मार्ग	892.25
292.	श्री नाथुनी राम	22, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	4,251.39
293.	के० बी० देव वर्मन	12, तीन मूर्ति लेन	14,582.83
294.	श्री राजनारायण	195, साऊथ एवेन्यू 8, रेस कोर्स रोड	13,052.57
295.	श्री शिव सम्पति राम	10, पं पन्त मार्ग	5,298.25
296.	श्रीमती रेणुका देवी बरकतकी	ए० बी० 19, मथुरा रोड	805.25
297.	श्री बी० बी बरुआ	ए० बी० 13, मथुरा रोड	8,320.55
298.	श्री आर० एल सुमन	139, साऊथ एवेन्यू	3,537.36

1	2	3	4
299.	श्री बी० एस० चव्हाण	30, जनपथ	2,970.47
300.	श्री बी० के० दास चौधरी	46, साऊथ एवेन्यू	1,790.20
301.	श्री टी० एच० गावित	33, —वही—	1,224.37
302.	श्री शम्भुनाथ	143, नार्थ एवेन्यू	1,887 42
303.	श्री एस० के० राय	7, मीना बाग	1,182.42
304.	श्री स्वर्गीय अजीज इमाम	20, विंडसर प्लेस	4,172.17
305.	श्री एस० सी० बेसरा	6, डा० भगवान दास मार्ग	2,600.00
306.	श्री राजदेव सिंह	124, 126, नार्थ एवेन्यू	2,485.98
307.	श्री स्वर्ण सिंह साही	6, मीनाबाग	4,0 0.00
308.	श्री अरविन्द कुमार मोहन लाल पटेल	188, साऊथ एवेन्यू	249.77
309.	श्री राम हदव	204, नार्थ एवेन्यू	530.37
310.	श्री एन० आर० अहिरवार	192, —वही—	2,127.59
311.	श्री बी० डी० वाजपेयी	1, नार्थ एवेन्यू	800.00
312.	श्री स्वर्गीय शिवाजी राव एस० देशमुख	152-154, नार्थ एवेन्यू	2,064.68
313.	श्री स्वर्गीय श्री चिती बाबु	28, —वही—	274.65
314.	श्रीमती एम० गोडफ	60-61, वेस्टर्न कार्ट होस्टल	5,956.00
315.	श्री एन० पी० यादव	6, विंडसर प्लेस	4, 570.63
316.	श्री जी० एस० बादल	24, मीना बाग	2,227.96
317.	श्री आर० बालाकृष्णन पिलई	95, शाहजहां रोड	1,184.75
318.	श्री मनीराम गाडरा	12, डी, फिरोजशाह रोड	2,771.47
319.	श्री टी० ए० पाटिल	128, साऊथ एवेन्यू	2,515.42
320.	श्री टी० एस० सक्ष्मणन	49, नार्थ एवेन्यू	3,118.30

1	2	3	4
321.	श्री अब्दुल शफी	107, साऊथ एवेन्यू	1,157.33
322.	श्री आर० एस० पाण्डेय	14, तालकटोरा रोड	492.59
323.	श्री रसिक लाल पारिख	3, फिरोजशाह रोड	3, 833.11
324.	श्री पी० एम० जोशी	26, साऊथ एवेन्यू	577.17
325.	श्री आर० पी० उलांगम्बी	85, नार्थ एवेन्यू	1,473.14
326.	श्री भाला मांझी	43, —वही—	951.84
327.	श्री बी० वी० नायक	32, वेस्टर्न कोर्ट	1,159.40
328.	श्री एस० राधाकृष्णन	93, नार्थ एवेन्यू	716.48
329.	श्री बाबुनाथ सिंह	23-25, नार्थ एवेन्यू	2,282.11
330.	श्री लम्बोदर बलियार	111, साऊथ एवेन्यू	917.71
331.	स्वर्गीय श्री मोहम्मद खुदाबक्श	25, मीना बाग	2,600.00
332.	श्री जी० विश्वनाथन	9, एल० बाई रोड	4,536.15
333.	श्री तुलमोहन राम	34, गुरूद्वारा रकाब गंज रोड	6,970.01
334.	श्री रघुबीर सिंह मचण्ड	322, विट्ठलभाई पटेल रोड	2,057.85
335.	श्री पी० ए० स्वामीनाथन	44, नार्थ एवेन्यू	962.92
336.	श्री एम० ए० रहमान	136, साऊथ एवेन्यू	2,806.92
337.	श्री राज रणजीत सिंह	160,—वही—	1,225.62
338.	श्री के० जगन्नाथ	38, साऊथ एवेन्यू	1,047.34
339.	श्री राम सेवक यादव	179, साऊथ एवेन्यू	1,357.20
340.	श्री राजेन्द्र सिंह	94, साऊथ एवेन्यू	4,095.21
341.	श्रीमती गिरजा कुमारी	16-18, साऊथ एवेन्यू	2,399.28
342.	श्री एन० अम्बुचशियन	91, नार्थ एवेन्यू	566.72
343.	श्री स्वर्गीय यू० एम० थेवर	45, नार्थ एवेन्यू	1,502.14
344.	श्री नरदेव सनातक	157, नार्थ एवेन्यू	1,357.16

1	2	3	4
345.	श्री ओ० एल० बोहरा	156, नार्थ एवेन्यू	415.69
346.	श्री आर० सी० वीरप्पा	172, नार्थ एवेन्यू	509.52
347.	श्री जी० कुचलर	27, नार्थ एवेन्यू	637.98
348.	श्री बहादुर सिंह	84, नार्थ एवेन्यू	364.57
349.	श्री शशि रंजन	13, फिरोजशाह रोड	4,061.71
350.	श्री अब्दुल घनी दर	12-डी फिरोजशाह रोड	300.00
351.	श्री जे० एम० इमाम	11, विण्डसर प्लेस	405.67
352.	श्री एस० के० सामाबन्धन	14-ई०, फिरोजशाह रोड	569.94
353.	श्री स्वर्गीय मालीमस्याप्पा	2, फिरोजशाह रोड	446.63
354.	श्री सैयद नजीर हुस्न	9, तालकटोरा रोड	854.34
355.	श्री ए० सी० जोशी	16, विण्डसर प्लेस	459.55
356.	श्री शंकर देव	13, विण्डसर प्लेस	2,300.00
357.	श्री डा० सत्यनारायण सिन्हा	2, कॉलिंग लेन	716.67
358.	श्री जे० एच० पाटिल	सी०-1/35 पण्डारा रोड	2,414.74
359.	श्रीमती निर्लेप कौर	9, तीनमूर्ति मार्ग	1,653.48
360.	श्री सुरेश चन्द्र	11, विण्डसर प्लेस	268·79
361.	श्री ए० पी० चक्रवर्ती	216, नार्थ एवेन्यू तथा 45, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	688.15
362.	श्री स्वर्गीय श्री ललित माकन	ए० बी०-15, तिलक मार्ग	398.55
363.	श्री बिन्देश्वरी दूबे	16, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड	5,389.30
364.	श्री रतन लाल जैन	186, नार्थ एवेन्यू	922.26
365.	स्वर्गीय श्री ए० एम० तारिक	19, गुरूद्वारा रकाब गंज रोड 5, लोधी इस्टेट	18,105.73
366.	श्री वी० वी० सर्वते	22, डा० आर० पी० रोड	818.13
367.	श्री जी० एन० रेड्डी	13, कॉलिंग लेन	6,049.19

1	2	3	4
368.	श्री पृथ्वी नाथ	16-बी, फिरोजशाह रोड	3,095.68
369.	स्वर्गीय श्री एस० के० डी० पालीवाल	8, विण्डसर प्लेस	530.17
370.	श्री आनन्द चन्द	1, पं० पन्त मार्ग	24,542.45
371.	श्री एन० पी० चौधरी	122, नार्थ एवेन्यू 136, 138, नार्थ एवेन्यू	5,265.23
372.	श्री जे० एल० बैरवा	34, नार्थ एवेन्यू	5,811.03
373.	श्री ए० के० रंफाई	4, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	3,592.35
374.	श्री एम० आनन्दम	23, केनिंग लेन	3,747.87
375.	श्री काशीम अली आबिद	14, सी फिरोजशाह रोड	12,201.65
376.	श्री हिम्मत सिंह	102, साउथ एवेन्यू	2,057.40
377.	श्री बी० सत्यनारायणना	37, मीना बाग	987.42
378.	श्री बी० आर० शास्त्री	222, नार्थ एवेन्यू	5,912 98
379.	श्री शिवनन्दन सिंह	140, साउथ एवेन्यू 22, बी० पी० हाउस	4,373.62
380.	स्व० श्री भगवती चरण वर्मा	29, फिरोजशाह रोड	6,669 35
381.	श्री डी० एन० द्विवेदी	13, केनिंग लेन	5,826.46
382.	श्री आर० एल० पी० गुप्ता	13, मीना बाग	178.55
383.	श्री पी० राज शेखरन	142, साउथ एवेन्यू	711.90
384.	श्रीमती हामिदा अबीबुल्ला	79-81, नार्थ एवेन्यू	13,715.48
385.	श्री भगवान दीन	11, केनिंग लेन	17,361.10
386.	श्री रफीक जकार्या	11, डा० बी० डी० मार्ग	3,518.10
387.	श्री यू० आर० कृष्णन	74, साउथ एवेन्यू	8,401.15
388.	श्री पाटीटपब्बन प्रधान	21, मीना बाग	9,149.05
389.	श्री आर० एम० देसाई	192, साउथ एवेन्यू	401.50

1	2	3	4
390.	श्री सुरेन्द्र मोहन्ती	13 बी, फिरोजशाह रोड	1,462.03
391.	श्री शिवराम बाल्मीकी	58, साउथ एवेन्यू	1,425.00
392.	श्री पी० रामामूर्ति	15, तालकटोरा रोड	369.20
393.	श्री रतन तामा	135, साउथ एवेन्यू	390.85
394.	श्री चन्दन के० बागची	168, साउथ एवेन्यू	2,012.10
395.	श्री सच्चिदानन्द	190, साउथ एवेन्यू	883.90
396.	श्री बलराम दास	सर्वेन्ट, क्वा० नं० 62 तथा गैराज नं० 2, नार्थ एवेन्यू	811.40
397.	श्री सुजान सिंह	12, तालकटोरा रोड	928.30
398.	श्री बी० डी० यादव	204, बी० पी० हाउस	126.70
399.	श्री वी० वेंकटा	187, नार्थ एवेन्यू	1,269.83
400.	श्री जी० एम० शेख	63, नार्थ एवेन्यू	2,400.15
401.	श्री सैयद अब्दुल मलिक	183, नार्थ एवेन्यू	4,179.80
402.	श्री लक्ष्मण महापौत्राय	9, साउथ एवेन्यू	438.54
403.	श्री पी० अनबालागन	141, नार्थ एवेन्यू	785.68
404.	श्री गुरूदेव गुप्ता	15, जनपथ	1,838.80
405.	श्री के० वी० आर० एस० बाला सुब्बाराव	4, तालकटोरा रोड	2,570.95
406.	स्व० श्री के० राजामल्लू	8, गुरूद्वारा रकाब गंज रोड	4,847.80
407.	श्री सी० मास्टर	12, सी फिरोजशाह रोड	967.20
408.	श्री मकसूद अली खान	16, ई फिरोजशाह रोड, के साथ का सर्वेन्ट क्वार्टर	1,485.15
409.	श्री मन्नू भाई पटेल	सर्वेन्ट क्वा० नं० 57/35 फिरोजशाह रोड तथा गैराज नं० 2, टेलीग्राफ लेन	3,662.15

1	2	3	4
410.	श्री जी० सी० भट्टाचार्य	92, शाहजहां रोड	35,301.85
411.	श्री अब्दुल रहमान शेख	ए० बी०-14, पण्डारा रोड	34,545.85
412.	श्रीमती मोहिन्दर कौर	ए० बी०-11, तिलक मार्ग	16,718.26
413.	श्री प्यारे लाल कुरील	18, विण्डर प्लेस	8,847.60
414.	श्री बी० सी० पटनायक	1, केनिंग लेन	110.70
415.	डा० महावीर प्रसाद	40, मीना बाग	1,715.85
416.	श्री एम० एम० एस० सिद्धू	7, तालकटोरा रोड	2,563.95
417.	श्री रामेश्वर सिंह	19, जी० आर० जी० रोड	33,590.90
418.	श्री चान्दराम	12, तालकटोरा रोड	12,547.65
419.	श्री मामा बालेश्वर दयाल	3, डा० बी० डी० मार्ग	11,973.00
420.	श्री भाई महावीर	12, पं० पन्त मार्ग	5,641.10
421.	श्रीमती फातिमा इस्माइल	35, साउथ एवेन्यू	2,518.60
422.	श्री अजीत कुमार शर्मा	53, साउथ एवेन्यू	18,727.70
423.	श्री लाडली मोहन निगम	7, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	477.00
424.	श्री के० सी० सबिस्टियन	62, साउथ एवेन्यू	732.65
425.	श्री कल्याण राव	63, साउथ एवेन्यू	973.60
426.	श्री शरीफुद्दीन शरीक	81, साउथ एवेन्यू	1,880.00
427.	श्री सैयद सवितारजी	110, साउथ एवेन्यू	4,618.50
428.	श्री शिवचन्द झा	134, साउथ एवेन्यू	20,067.45
429.	श्री एच० एस० वी० महिदा	138, एवेन्यू	3125.15
430.	श्री नरेन्द्र सिंह	141, साउथ एवेन्यू 12, सफदरजंग रोड	12361.70
431.	श्री लाल सर्वया	217, नार्थ एवेन्यू	296772.70
432.	श्री एन० जी० तोमपक सिंह	181, साउथ एवेन्यू	1210.25

1	2	3	4
433.	श्री राघवेन्द्रा राव	97, साउथ एवेन्यू	378.90
434.	श्री ए० राठी	119, —वही—	484.85
335.	श्री एस० ताम्बी	29,—वही—	809.39
436.	श्री धर्मप्रकाश	114,—वही—	850.00
437.	स्व० श्री सूरजमल शाह	121,—वही—	461.74
438.	श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह	6, अशोक रोड	44394.90
439.	श्री एस० एस० भण्डारी	11,—वही—	31016.29
440.	श्री मोहम्मद युनुस सलीम	5, तुगलक लेन	15988.30
441.	श्री वी० पी० दत्त	17, कर्जन लेन के साथ संलग्न 2 सर्वेन्ट क्वार्टर	293.50
442.	श्री सुरेन्द्र मोहन	15, तीन मूर्ति लेन	1098.90
443.	श्री जे० के० पी० एन० सिंह	5, सफदरजंग लेन	35759.50
434.	श्री एन० पी० सी० नायड़	1, तीन मूर्ति लेन	80.25
445.	स्व० श्री बी० डी० खोबरागड़ी	59, लोधी स्टेट	4792.98
446,	श्री एच० के० मलिक	25, अशोक रोड	26421.00
447.	श्री डी० एन० शाही	3, कुशक रोड	20807.55
448.	श्री बी० पी० मौर्या	5, डुप्लैक्स रोड	65488.50
449.	श्री एम० आर० कृष्णा	4, कुशक रोड	2000.00
450.	श्री ओम महता	30, पृथ्वी राज रोड	17459.80
451.	श्री के० बी० स्थाना	7, तीनमूर्ति मार्ग	2773.63
452.	श्री कामेश्वर सिंह	12, तालकटोरा रोड	44180·89
453.	श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी	141, नार्थ एवेन्यू	482.72

विवरण-III

प्रत्येक भूतपूर्व मन्त्री पर बकाया मकान किराए, पानी तथा बिजली प्रभारों की बकाया राशि प्रदर्शित करने वाला विवरण (28-2-86 की स्थिति)

क्र० सं०	नाम	रिहायश	देय राशि	
			मकान किराया	विद्युत तथा जल प्रभार
1	2	3	4	5
			(रुपये)	
1.	श्री बालेश्वर राम	9, अशोक रोड	28431.67	6231.48
2.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	9, कृष्ण मेनन मार्ग	56483.27	2732.01
3.	स्वर्गीय श्री केदार पाण्डेय	5, सफदरजंग रोड	7534.15	—
4.	श्री आर० मलिकार्जन	3, सर्कुलर रोड	5822.60	—
5.	श्री पी० वेंकट सुब्बैया	12, सफदरजंग रोड	4080.00	—
6.	स्वर्गीय श्री कार्तिक ओराउन	5, तुगलक रोड	10627.90	—
7.	प्रो० शेर सिंह	3, कृष्णा मेनन मार्ग	3600.00	—
8.	कुमारी कुमुदबेन जोशी	9, तीन मूर्ति लेन	830.70	—
9.	श्री ब्रह्म प्रकाश	8, तुगलक लेन	2459.35	—
10.	श्री जानेश्वर मिश्र	15, अशोक रोड तथा 223, विट्ठलभाई पटेल हाऊस	7470.68	—
11.	श्री के० एन० सिंह	16, अशोक रोड	11593.26	—
12.	श्री ए० ए० रहीम	7, तुगलक लेन	11635.00	491.55
13.	स्वर्गीय श्री धर्मवीर	ए० बी०-2, पण्डारा रोड	5580.67	1789.60
14.	श्री एस० एस० पी० पी० रामाराव	5, बलवन्त राय मेहता लेन	1047.55	—
15.	श्री एस० एम० कृष्णा	95, शाहजहां रोड	5049.85	—
16.	श्री एस० एस० सिसोदिया	11, तालकटोरा रोड	8637.30	—

1	2	3	4	5
17.	श्री आर० सी० रथ	8, तीनमूर्ति मार्ग तथा 54, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	32393.75	—
18.	श्री भीष्म नारायण सिंह	एफ०-412 का एफ०-115 कर्जन रोड होस्टल	11078.50	—
19.	श्री बृज मोहन्ती	एफ०-416, कर्जन रोड होस्टल	9549.50	—
20.	श्री वीर भद्र सिंह	एफ०-411, कर्जन रोड होस्टल	7003.50	—

[अनुवाद]

देश में मत्स्य पालन पत्तन

3898. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मत्स्य पालन पत्तन हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या देश में और मत्स्य पालन पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो देश में विशेषकर गुजरात तट पर मत्स्य पालन के लिये उपयुक्त स्थानों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार द्वारा 36 मत्स्यन पत्तन मंजूर किये गये हैं, जिनमें से कुछ पूरे हो गये हैं और शेष निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। उनके स्थानों के बारे में राज्यवार सूचना निम्नवत् है :—

गुजरात :	1. पोरबन्दर
	2. मंगलौर
	3. वेरावल
	4. जफराबाद
महाराष्ट्र :	5. सासून गोदी
	6. मिकीरवाड़ा

कर्नाटक :	7.	कारवार
	8.	तद्री
	9.	होनावर
	10.	माल्पे,
	11.	मंगलौर
केरल :	12.	बलियापत्तनम
	13.	कन्नानोर
	14.	बेपोर
	15.	पोन्नानी
	16.	कोचीन
	17.	नींवाकारा
	18.	विझिजम
तमिलनाडु :	19.	चिन्नामुत्तम
	20.	तूतीकोरियन
	21.	वलिनोक्कम
	22.	पाल्क की खाड़ी (मनडापम)
	23.	नागपत्तनम
	24.	पम्बयार
	25.	कुड्डालोर
	26.	मद्रास
आन्ध्र प्रदेश :	27.	निजामपत्तनम
	28.	काकीनाडा
	29.	विशाखापत्तनम
	30.	भावनापाडु

उड़ीसा :	31.	असतरंग
	32.	धामरा
पश्चिम बंगाल :	33.	दिघा
	34.	रायचोक
संघ राज्य क्षेत्र :	35.	पांडिचेरी
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह :	36.	फोनिक्स की खाड़ी

(ख) जी, हां, परन्तु यह धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(ग) देश में मत्स्यन पत्तनों की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है : (1) मत्स्यन संसाधन क्षमता, (2) यांत्रिकृत मत्स्यन नौकाओं का इस्तेमाल करने का कार्यक्रम, (3) स्थानों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण, (4) केन्द्र तथा राज्य सरकारों में धनराशि की उपलब्धता।

देश में मछली बीज फार्म

3899. श्री चिन्तामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछली बीज फार्मों की संख्या कितनी है और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन फार्मों की स्थापना के लिये कोई विदेशी सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फार्मों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मछली बीज का उत्पादन होता है; और

(घ) क्या देश में मछली बीज पालन के विकास के लिये अधिक मछली फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी संख्या में मछली बीज फार्म स्थापित किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय मत्स्य बीज विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मत्स्य परियोजना के अन्तर्गत देश में 42 वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्म। उत्पत्तिशालायें खोलने की योजना है।

वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्मों/उत्पत्तिशालाओं की राज्यवार संख्या इस प्रकार है : —

आन्ध्र प्रदेश 2, असम 3, बिहार 3, गुजरात 2, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 1, जम्मू तथा कश्मीर 1, कर्नाटक 1, केरल 3, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 2, उड़ीसा 4, पंजाब 2, राजस्थान 2, तमिलनाडु 2, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 5 और पश्चिम बंगाल 3।

(ख) अन्तर्देशीय मत्स्य परियोजना के अन्तर्गत 14 वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्म/उत्पत्ति-शालाओं के निर्माण के लिये विश्व बैंक की सहायता ली जा रही है।

इन वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्मों/उत्पत्तिशालाओं का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

बिहार 2, मध्य प्रदेश 2, उड़ीसा 4, उत्तर प्रदेश 3, और पश्चिम बंगाल 3

(ग) 1985-86 के दौरान आंशिक रूप से चल रहे सात वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्मों में 89.41 लाख मत्स्य बीजों का उत्पादन किया।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ऐसे और अधिक मत्स्य बीज फार्मों की स्थापना करने के कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है।

निजामाबाद दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

3900. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजामाबाद में स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्र में कार्यक्रम केवल लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं;

(ख) क्या इस केन्द्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) निजामा-बाद के ट्रांसमीटर सहित, अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटरों की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है। तथापि, सेवा क्षेत्र की बाहरी सीमा में सिग्नल की शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होने की उम्मीद है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जरूरत से अधिक व्यय किया जाना

3901. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1981 में कम्पूचिया को धान के बीजों के नौभरण पर जरूरत से अधिक व्यय किये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) क्या इस वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदारी नियत की गई है और अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार को 1981 में कम्पूचिया को धान के बीजों के नौभरण पर जरूरत से अधिक व्यय किये जाने के संबंध में राष्ट्रीय बीज निगम के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों की जानकारी है। राष्ट्रीय बीज निगम सम्बद्ध रिकार्ड प्राप्त होते ही इस मामले की जांच करना चाहता है। ये रिकार्ड इस समय सरकार के लेखा परीक्षकों के पास हैं, जो इनकी जांच कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं होता।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

3902. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अब तक राज्य-वार कितनी एजेन्सियां और उत्पादक समितियां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या बागवानी उद्योग के उचित विकास के लिये किसानों को एक निश्चित मूल्य देकर सब्जियों का विक्रय भी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्देश्य होगा; और

(ग) क्या बोर्ड का उड़ीसा में अधिकतम उत्पादन के लिये सब्जी उगाना और पर्यावरण की सुरक्षा करने का काम शुरू करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादक समितियों और इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना तथा रख-रखाव के लिये सहायता प्रदान करता है। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकारों से प्राथमिक स्तर की बागवानी सहकारी समितियां स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड किसानों तथा उत्पादकों की सहायता करने के लिये सभी समुचित उपाय करता है जिससे उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सकें।

(ग) बोर्ड द्वारा स्वयं सब्जी उगाने का कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बोर्ड ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मिनिकिटों का वितरण करके सब्जियों की गहन खेती की एक मार्गदर्शी परियोजना मंजूर की है। इस मार्गदर्शी परियोजना के तहत 1985-86 में उड़ीसा के लिये 3.05 लाख रुपये की रकम निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं

3903. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में 30 जून, 1977 के बाद बनी अनधिकृत कालोनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकार की नीति के अनुसार इन्हें नियमित करने और इनमें बिजली, पानी, नालियों, सड़कों आदि की सार्वजनिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये इनके निवासियों द्वारा बार-बार की गई मांग को नामंजूर कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति में संशोधन करने और इन कालोनियों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उपरोक्त सभी कालोनियों को गिराया जायेगा यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार, दिल्ली में क्रमश: 30-6-77 तथा 16-2-77 तक निर्मित रिहायशी एवं वाणिज्यिक अधसंरचनाओं वाली अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित अन्तक तिथि में बनी हैं, का 1977-78 में एक सर्वेक्षण किया था। उन अनधिकृत कालोनियों जो कि सरकार द्वारा निर्धारित अन्तक तारीख के बाद बनी हैं, के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ये कालोनियां नियमितीकरण के लिये शर्तें भी पूरी नहीं करती हैं।

(ग) और (घ) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिये नीति में संशोधन करने तथा सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित की गई नियत तारीख को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि ऐसी वृद्धि से मुख्यत: अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ङ) सरकार की नीति के अनुसार जो अनधिकृत निर्माण नियमितीकरण की शर्तें पूरी नहीं

करते हैं उन पर यथा समय, गिराये जाने की कार्यवाही सहित, कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

[अनुवाद]

बडम्बा उड़ीसा में सहकारी चीनी मिल

3904. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में बडम्बा में एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत उड़ीसा सरकार की बारम्बा में एक सहकारी चीनी मिल की शेयर पूंजी में भागीदारी के लिये 69.07 लाख रुपये की ऋण सहायता मंजूर कर चुका है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, जिसे दीर्घावधि ऋण प्रदान करने होते हैं, दीर्घावधि ऋण की स्वीकृति के लिये परियोजना का मूल्यांकन किये जाने से पूर्व सहकारी समितियों को सदस्यों से अपेक्षित शेयर पूंजी एकत्र करनी होती है।

तम्बाकू की फसल को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना

3905. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तम्बाकू की फसल को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस समय तम्बाकू को बृहत्त फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

फसलों के लिए दीर्घावधि मूल्य नीति

3906. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ परामर्श करके महत्वपूर्ण

फसलों के सम्बन्ध में एक दीर्घावधि मूल्य नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त दीर्घावधि मूल्य नीति के सदन में कब तक रखे जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दीर्घावधि कृषि मूल्य नीति तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) अस्पताल का विकास

3907. श्री एस० पलाकोंड्रायुडु : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) अस्पतालों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दो अस्पतालों का (पचास पलंगों वाला एक अस्पताल राजामुन्द्री में और 68 पलंगों वाला दूसरा अस्पताल पाट्टनचेरू में) निर्माण पहले से ही चल रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हैदराबाद में 200 पलंगों वाला एक और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण करने का फैसला भी किया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करे।

सेवा निवृत्ति के पश्चात सरकारी आवास का खाली किया जाना

3908. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात या तो चिकित्सा

प्रमाणपत्र अथवा न्यायालय से स्थगन आदेश प्रस्तुत करके वर्षों तक सरकारी आवास को खाली नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्ति के छह महीने के भीतर सरकारी आवास को खाली कराने के लिए कोई नई नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों के आयात पर उसमें विदेशी मुद्रा का अंश

3909. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के आयात पर किये जाने वाले खर्च और उसमें विदेशी मुद्रा के अंश में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आर्गेनिक खाद जो रासायनिक खादों से अनेक मामलों में लाभदायक है जैसे किसी स्वदेशी विकल्प पर सरकार विचार कर रही है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नटवर सिंह) : (क) जी हां, विदेशी मुद्रा के रूप में आयातों की मात्रा तथा मूल्य, दोनों में वृद्धि हो रही है।

(ख) आयातों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से देश में अनेक नये उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं, और्बनिक खाद तथा बायो-उर्वरकों के प्रयोग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तथापि, रसायन उर्वरकों का आयात फिर भी आवश्यक होगा।

[हिन्दी]

"हुडको" द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को वित्तीय सहायता

3910. श्री जगदीश अवस्थी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने दिल्ली और अन्य महानगरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता किन शर्तों पर दी जाती है;

(ग) क्या हुडको ने किसी योजना की रूपरेखा तैयार की है जिसके अन्तर्गत जिन मकानों का निर्माण अभी शुरू किया जाना है उनका निर्माण हुडको द्वारा स्वयं किया जाएगा और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों ने जिनका निर्माण शुरू कर दिया है उनका निर्माण उसके द्वारा पूरा किया जाएगा और सोसाइटी के सदस्यों को मकान आवंटित किये जायेंगे बशर्ते कि कोई सोसाइटी इस प्रकार की सहायता की इच्छुक हो; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हुडको की धन देने की वर्तमान पद्धति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न आवास योजनाओं के लिये धन देने के हुडको के संशोधित मानदण्ड

श्रेणी	अधिकतम लागत सीमा		धन देने की सीमा		कुल ब्याज दर		वापिसी अदायगी की अवधि	
	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 700 रु० से कम है (विद्यमान 350 रु० प्रति माह)								
(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-1 (स्वल तथा सेवाएं)								
(i) स्वल तथा सेवाएं (बंजर भूमि को छोड़कर)	5000	6000	5000	6000	4 प्रतिशत	5 प्रतिशत	20 वर्ष	22 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ii) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आवास योजनाएं (नई योजना)	—	6000	—	पूर्ण	—	5 प्रतिशत	—	22 वर्ष
(ख) ई० डब्ल्यू० एस०-II (शहरी)								
बने बनाये आवास एकक	12000	15000	संवर्गित अनुपात	90 प्रतिशत	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत	20 वर्ष	22 वर्ष
(ग) मलिन बस्ती उन्नयन								
पर्यावरणीय सुधार / शहरी के भीतरी भाग में मलिन बस्ती उन्नयन तथा आवास के लिए भी ऋण	2000	2000 3000	1000	1000 पूर्ण	ऽ प्रतिशत	6 प्रतिशत 6 प्रतिशत	10 वर्ष	20 वर्ष 20 वर्ष
II निम्न आय वर्ग (एल० आई० जी०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 701 रु० से 1500 रु० तक है।								
निम्न आय वर्ग-I		20000		8.5 प्रतिशत		85 प्रतिशत		15 वर्ष
निम्न आय वर्ग-II	20000	30000	संवर्गित अनुपात	85 प्रतिशत	8 प्रतिशत	9.0 प्रतिशत	15 वर्ष	15 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. मध्यम आय वर्ग (एम० आई० जी०) जिनकी पारिवारिक-मासिक आय 1501 रु० से 2500 रु० तक है।								
मध्यम आय वर्ग-I	30,000	60,000	संवर्गित अनुपात	75 प्रतिशत	10.5 प्रतिशत	11 प्रतिशत	12 वर्ष	15 वर्ष
मध्यम आय वर्ग-II	50,000	1,00,000	—वही—	75 प्रतिशत	11.5 प्रतिशत	12½ प्रतिशत	12 वर्ष	15 वर्ष
IV. उच्च आय वर्ग (एच० आई० जी०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 2500 रु० से ऊपर है।								
उच्च आय वग-मकान/ फ्लट	125000	250000	संवर्गित अनुपात या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो।	60 प्रतिशत	12.5 प्रतिशत	13.5 प्रतिशत	10 वर्ष	15 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. मूलभूत स्वच्छता (स्वच्छ घर) सामुदायिक सभी श्रेणियां			50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	ई० डब्लू० एस०/ एल० आई० जी० 5 प्रतिशत (— अन्य 10 प्रतिशत	6 प्रतिशत	12 वर्ष	12 वर्ष
VI. ग्रामीण आवास								
(क) भूमिहीन श्रमिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग -- I (ग्रामीण)	600	600	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत	10 वर्ष	11 वर्ष
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-II (ग्रामीण)	600	10,000	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	7 प्रतिशत	10 वर्ष	11 वर्ष
(ख) अन्य वर्ग उसी प्रकार के जैसे विभिन्न आय ग्रुपों के लिए शहरी आवास के लिए	·····शहरी आवास के अनुसार·····							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	उपयोगिता तथा सामाजिक अधसंरचना उपयोगिता, अधसंरचना अर्थात् जलपति नालियां मल निकास, सैप्टिक, शौचालय आदि, सड़क गलियों में प्रकाश तथा क्षेत्र विकास आदि।		50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत	12 वर्ष	12 वर्ष
	सामाजिक अधसंरचना अर्थात समाज सदन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चिल्डर्न पार्क, कामकाजी, महिला होस्टल, क्रेचिज के लिए दैनिक देखभाल एकक, संरक्षण आदि							
VIII.	अन्य कार्यक्रम							
(क)	किराये के आवास	1.25 लाख	2.50 लाख	70 प्रतिशत या प्रति एकक 60,000 रुपये जो भी कम हो	70 प्रतिशत	13 प्रतिशत	15 प्रतिशत	7 वर्ष 10 वर्ष
(ख)	वाणिज्यिक योजना	—	—	100 प्रतिशत तक पूर्ण		15 प्रतिशत	13 प्रतिशत	8 वर्ष 10 वर्ष

(ग) भूमि अधिग्रहण — हुडको 50 प्रतिशत की सीमा तक धन दे जो कि 12 प्रतिशत की दर के ब्याज (कुल) पर 6 वर्षों में देय होगा। 15 प्रतिशत यदि राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो।

(घ) निर्माण ऋण — निर्माण ऋण प्रत्येक आय वर्ग के लिये लागू मानदण्डों के अनुसार आवास अभिकरण, सहकारी समिति नियोक्ता के माध्यम से दिया जाये।

(ङ) मरम्मत तथा नवीकरण योजना — प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार।

(च) भवन निर्माण सामग्रियां — हुडको उद्यमियों को भूमि प्राप्त करने में सहायता करेगा और कम लागत अनुमोदित भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिये एककों के गठन हेतु और फैक्टरी में बने बनाए घटकों के लिए वित्त तथा तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराएगा। हुडको द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज 13.5 प्रतिशत की दर से होगा।

टिप्पणी :

(i) ऊपर बतायी गई अधिकतम लागत सीमा में पहाड़ी क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के लिए बंजर भूमि की लागत शामिल नहीं होगी।

(ii) (क) जिस मामले में वास्तविक लागत संशोधित अधिकतम लागत सीमा के भीतर है उसमें ऊपर दिए गए वर्गीकरण के आरम्भ होने की तारीख से पहले स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में (ख) जिन मामलों में वास्तविक लागत अधिकतम लागत सीमा से 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तराल के भीतर है और योजनाओं को संशोधित पद्धति के अन्तर्गत अभी भी स्वीकृत किया जाना है, के मामलों में कोई पुनः वर्गीकरण नहीं किया जायेगा।

(iii) यदि भवन निर्माण सामग्रियों की लागत में पर्याप्त वृद्धि है तो हुडको के निदेशकों का बोर्ड शहरी विकास मंत्रालय को सूचित करते हुए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अधिकतम लागत सीमा में अन्तरिम वृद्धि कर सकता है जोकि 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।

मण्डावली फाजलपुर और विनोद नगर कालोनियों में अनधिकृत निर्माण

3911. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना पार क्षेत्र की अन्य कालोनियों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रशासन ने अभी तक नियमित नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने विनोद नगर और मण्डावली फाजलपुर कालोनियों को जहां प्रतिदिन नये मकान बनाये जा रहे हैं, स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो ये कालोनियां कब स्वीकृत की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उन ब्लाकों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित नहीं किया है परन्तु वहां प्रतिदिन नये मकान बनाये जा रहे हैं जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है; और

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारी समय से पहले ऐसे निर्माणों पर रोक नहीं लगाते परन्तु बाद में जब मकान बन जाते हैं तो निवासियों को परेशान करते हैं।

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा संकलित अनधिकृत कालोनियों की सूची में से दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र की निम्नलिखित अनधिकृत कालोनियों को नियमित नहीं किया गया है :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत

(i) छज्जूपुर सकदारपुर (ii) कबीर नगर (iii) शक्करपुर वीर सावरकर ब्लाक तथा (iv) आर्य नगर

(ख) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत

(i) चांदबाग (ii) करावल नगर (iii) गोकलपुर तथा (iv) तुखमीरपुर एक्सटेंशन

(ख) से (घ) मण्डावली फाजलपुर एक्सटेंशन तथा विनोद नगर (कुमायूं स्कवेयर) जो कि जून, 1977 से पहले की बनी हैं, को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्रमश: दिनांक 30-7-83 के संकल्प सं० 125 और दिनांक 29-10-84 के संकल्प सं० 195 द्वारा अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विनोद नगर तथा मण्डावली फाजलपुर मे हाल ही मे निर्मित अनधिकृत निर्माणों के संबंध में निर्माताओं/मालिकों को पहले ही दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं तथा उचित अवसर देने के बाद, संबंधित व्यक्तियों को इनके गिराये जाने के नोटिस भी दे दिये गये हैं। कुछ मामलों में मुकदमें

भी चलायें गये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1981 से 1984 के बीच इन कालोनियों में अनधिकृत निर्माणों को गिराने का काम भी आरम्भ किया था, जो इस प्रकार है :—

	वर्ष	गिराया गया अनधिकृत निर्माण
1.	1981	83 कमरे तथा 36 चाहरदिवारियां
2.	1982	30 कमरे, एक रसोई तथा 15 चाहरदिवारियां
3.	1983	131 कमरे
4.	1984	130 कमरे

[अनुवाद]

बिहार में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी लागू करना

3912. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बिहार में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी लागू करने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनको इस बात की जानकारी है कि राज्य के बहुत से क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की गई है;

(घ) क्या उन्होंने इसे लागू न किये जाने के कारणों का भी पता लगाया है;

(ङ) क्या कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को अच्छा वेतन देने के लिये पर्याप्त हैं; और

(च) यदि हां, तो न्यूनतम मजदूरी लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (च) श्रम ब्यूरो, शिमला ने बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने के बारे में सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रचलित मजदूरी दरें सामान्यतः वर्ष 1975 में निर्धारित की गई 4/-रु० से 5/-रुपये तक की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के आस-पास थीं और अपने में ये दरें वर्ष 1982 में निर्धारित की गई 8.50 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी-दरों से बहुत कम थीं। फसल काटने के कार्यों के दौरान श्रमिकों की आमदनी पर्याप्त रूप से अधिक थीं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार, केन्द्रीय फार्मों/मिलीटरी फार्मों को छोड़कर, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित

सरकार है, कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण और उन्हें लागू करने के लिये अपनी-अपनी राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं। वर्ष 1975 में प्रतिदिन 4 से 5 रुपये की न्यूनतम मजदूरी में वर्ष 1982 में प्रतिदिन 8.50 रुपये तक की वृद्धि, सभी राज्यों में एक समान न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, चाहे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के विकास का स्तर कुछ भी हो, प्रवर्त्तन स्टाफ की व्यापक कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवर्त्तन स्टाफ की सुरक्षा ऐसे कुछ कारण बताये गये जिनकी वजह से राज्य में न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू नहीं किया जा सका।

कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग

3913. डा० जी० विजयरामा राव
श्री कमला प्रसाद सिंह } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि नकली कीटनाशक दवाइयों तथा अनाज के भण्डारण में प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों सहित कीटनाशक दवाइयों के गलत तथा अनियंत्रित प्रयोग से देश में किसानों की मृत्यु हुई है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस कारण से कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरी दुनिया के देशों में कीटनाशक दवाइयों के जहर से प्रति वर्ष 10,000 व्यक्ति मर जाते हैं और यदि हां, तो इस सूची में भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) इस खतरे के निवारण के लिये विशेष रूप से प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां और प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय फार्म प्रवर्त्तन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण के रूप में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को कीटनाशक दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कारण देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी किसान के मरने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, 1982-83 के दौरान, राजस्थान स्थित उदयपुर में तथा इसके आसपास अनाज के भण्डारण में प्रयोग किये जाने वाले एक कीटनाशक एल्यूमिनियम फासफाइड द्वारा आत्मशासी विषाक्तता के कारण 35 मौतें हुई थीं।

(ख) ऐसे किसी तथ्य की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) भारत में, केवल उन्हीं कीटनाशक दवाइयों को आयातित/विनिर्मित तथा प्रयोग करने की अनुमति है, जिन्हें कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित पंजीकरण समिति ने कीटनाशक प्रभावोत्पादकता और दवाइयों की प्रभावोत्पादकता और मनुष्यों और पशुओं के प्रति उससे सुरक्षा के बारे में आने आपको संतुष्ट करने के बाद पंजीकृत किया है।

खतरे से बचने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित एहतियाती तथा शैक्षणिक कदम उठाये गये हैं :—

1. कृमिनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों के अधीन, कीटनाशी दवाइयों के विनिर्माताओं के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित सुरक्षा के उपाय विषाक्तता के लक्षण, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार आदि करने के बारे में निर्देश संधारित करने वाले लेबलों और इश्तहारों की व्यवस्था करें। इन्हें हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में एक से अधिक भाषा में भी छपवाया जाता है, ताकि किसान उन अनुदेशों को समझ सकें। इश्तहारों में सिफारिश की गई मात्रा और इसे इस्तेमाल करने के तरीके दिये जाते हैं ताकि कीटनाशी दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कारण सम्भाव्य स्वास्थ्य के किसी जोखिम से बचा जा सके।

2. उक्त नियमों के अधीन यह भी प्रावधान है कि कीटनाशी दवाइयों के विनिर्माण, सूत्रीकरण, ढुलाई वितरण अथवा अनुप्रयोग करने के दौरान उन्हें संभालने वाले व्यक्तियों को श्वास प्रक्रिया के उपकरणों सहित बचाव के उपयुक्त कपड़ों से पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा।

3. उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, लेबलों पर विभिन्न रंगों यथा लाल, पीले, पीले और हरे रंग में विषाक्तता की श्रेणी दर्शाने के लिये एक सुस्पष्ट त्रिकोण के रूप में संकेत भी विशिष्ट रूप से दिया जाता है। इससे अशिक्षित किसानों को भी किसी विशेष कीटनाशक दवा के संभाव्य जोखिमों के बारे में और इस संबंध में उसके द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में पता चल जाता है।

4. हैदराबाद स्थित केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, पौध संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसके बाद ये प्रशिक्षणार्थी, किसानों को यह जानकारी देते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षा पूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया जाता है।

5. कृषि विमानों के चालकों को कीटनाशी दवाइयों की सुरक्षापूर्ण ढंग से सम्भाल करने, मनुष्यों, ढोरों और पर्यावरण आदि पर उनके जोखिम के बारे में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

6. केन्द्रीय विस्तार निदेशालय, अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षापूर्ण ढंग से सम्भाल करने के बारे में शिक्षित करता है।

7. राज्यों के कृषि विभाग प्रत्येक मुख्य फसल उगाने वाले मौसम से पहले कृषि मेलों और शिविरों का आयोजन करते हैं। कीटनाशी दवाइयों का सुरक्षापूर्ण उपयोग इनका एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके अलावा कुछ राज्य किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

8. समेकित कीट प्रबंध की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए, वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय के केन्द्रीय निगरानी केन्द्रों ने देश के विभिन्न भागों में स्थित बहुत से गांवों को अपना लिया है। इस कार्यक्रम के अधीन किसानों को विशेष रूप से कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षापूर्ण और कारगर उपयोग के बारे में अवगत कराया जाता है।

9. यही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान आदि जैसी अन्य संस्थाएं भी किसानों और विनिर्माण कर्ताओं को कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षापूर्ण उपयोग के लिये प्रशिक्षण दे रही है।

टिन कायल्स की सप्लाई बन्द करना

3914. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिन कायल्स का उत्पादन करने वाले देश के तीन यूनिटों द्वारा इसकी सप्लाई लगभग बन्द कर दिये जाने से लगभग 3000 छोटे तथा 150 मध्यम और बड़े दर्जे के धातु के कंटेनरों के निर्माता काम बन्द करने की स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार लघु क्षेत्र के इन यूनिटों को सहायता और राहत देने के बारे में विचार कर रही है?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) टिन प्लेट का देशीय उत्पादन मुख्य रूप से शुल्क-मुक्त आयातित टिन मिल ब्लैक प्लेटों पर निर्भर करता है। शुल्क में छूट की अवधि बढ़ाने में हुए कुछ विलम्ब के कारण उत्पादन में रुकावट हो गई थी। परन्तु इस समय सभी तीन उत्पादकों के पास इसका काफी स्टाक है और वे ग्राहकों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।

कारखाना अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

3915. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा अंधेरे, छोटे और कम हवादार शेडों/कारखानों में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिये कारखाना अधिनियम आदि में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है और ये संशोधन कब तक किये जाएंगे?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रस्तावित संशोधनों के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कार्यकरण और सामान्य परिस्थितियों के संरक्षण के पहलू भी आ जायेंगे। इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

शुष्क भूमि खेती के लिए "प्रयोगशाला से खेतों तक" कार्यक्रम

3916. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और खेती में नयी प्रौद्योगिकी का समावेश करने के लिये "प्रयोगशाला से खेतों तक" योजना चला रही है;

(ख) यह योजना शुष्क खेती के संबंध में कहां तक सफल हुई है;

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) अनुसंधान "प्रयोगशालाओं से खेती तक" कितनी नयी प्रौद्योगिकी पहुंची है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने तथा छोटे और सीमान्त कृषकों—विशेषतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कृषकों के खेतों पर नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिये "प्रयोगशाला से खेत तक" योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस योजना के उन्नत बारानी कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

(ग) इस योजना पर कुल 13,80,93,852 (13 करोड़ 80 लाख 93 हजार 8 सौ बावन रुपये) खर्च किये गये हैं।

(घ) नई प्रौद्योगिकियों में उपयुक्त फसल प्रणालियां, बागान तथा बागवानी फसलें, पशु पालन, मुर्गी पालन, मात्स्यिकी, भेड़ तथा खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन आदि शामिल हैं।

उड़ीसा में बाढ़ से हानि

3917. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983, 1984 और 1985 के दौरान महानदी ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों में विनाशकारी बाढ़ के कारण उड़ीसा में कितना नुकसान हुआ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच की गई है; और

(घ) क्या कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1982 से 1985 तक के दौरान उड़ीसा में बाढ़/समुद्री तूफान से हुए नुक्सान की मात्रा संलग्न विवरण-एक में दी गई है। इस संबंध में अलग-अलग नदियों द्वारा नुक्सान की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) 1982-83 से 1985-86 तक के दौरान समुद्री तूफान/बाढ़ संबंधी राहत कार्यों के लिए उड़ीसा सरकार को मंजूर की गई तथा निर्मुक्त की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

(घ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1982-83 में समुद्री तूफान से प्रभावित मुद्रा के लिए चूना सामग्री के परिवहन पर राजसहायता के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत निधि के एक हिस्से का दुरुपयोग किया गया है। राज्य सतर्कता संगठन इस मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही दुरुपयोग की गई सही रकम का पता लग सकता है।

विवरण-एक

1982 से 1985 तक के दौरान उड़ीसा में बाढ़ों/समुद्री तूफान के कारण हुए नुक्सान की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	मद	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6
1.	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	115.00	2.20	6.05	10.47
2.	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	127.18	10.85	39.12	114.77
3.	फसलों को हुआ नुक्सान	12.84	0.88	4.19	8.43
4.	क्षतिग्रस्त घर	1619000	5581	23499	122834

1	2	3	4	5	6
5.	मरे पशु (संख्या)	51160	438	465	6354
6.	मृतक मानव (संख्या)	376	16	28	69
7.	सार्वजनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को हुआ नुकसान (लाख रुपए)	40049.60	798.00	12883.00	14976.27
8.	हानि, फसलों, घरों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं को हुआ कुल नुकसान (लाख रुपए में)	40049.60	1147.00	16159.24	14984.70

विवरण दो

1982-83 से 1985-86 तक के दौरान बाढ़/समुद्री तूफान राहत कार्य के लिए उड़ीसा सरकार को मंजूर की गई तथा निर्मुक्त की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1982-83	170.52	129.20
	22.98*	14.85
1983-84	*	—
1984-85	23.43	11.11
1985-86	32.62	13.12

*1983-84 के लिए आगे लाया गया।

छोटे किसानों को ऋण देना

3918. श्री आर० एम० भोये : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने छोटे किसानों को कम ब्याज दरों पर अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, जनवरी, 1985 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत सरकार के समक्ष उस राज्य में छोटे किसानों के लिये ब्याज की दर पर 6 प्रतिशत तक की राज-सहायता देने की एक योजना शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार के साथ परामर्श करने तथा सभी महत्वपूर्ण और संगत पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ब्याज की दरों से संबंधित तंत्र को अन्तिम रूप देता है। सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को राज सहायता दी जाती है। ब्याज दर तंत्र में भी छोटे और सीमान्त किसानों के लिये पहले ही अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, ब्याज दर तंत्र में कोई भी संशोधन करने पर अखिल भारतीय आधार पर ही विचार किया जाना था, जिसमें सभी संबंधित पहलुओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना था और केवल महाराष्ट्र के मामले में ही ब्याज दर तंत्र में कोई परिवर्तन करना वांछित नहीं समझा गया। साथ ही, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू ब्याज दर तंत्र समान है ताकि उनके कार्य निष्पादन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया।

दिल्ली में प्राधिकरणों की अधिकता सम्बन्धी गोष्ठी

3919. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में "दिल्ली में प्राधिकरणों की अधिकता और इसके नागरिक जीवन पर प्रभाव" तथा योजनाबद्ध विकास संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकले और इसमें कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गईं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। "दिल्ली में

प्राधिकरणों की बहुलता और नागरिकों के जीवन तथा सुनियोजित विकास पर इसका प्रभाव" पर 17 तथा 18 फरवरी, 1986 को दिल्ली प्रशासन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा यथा प्रेषित इस सेमिनार में दी गई मुख्य मदों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने अभी तक इन सिफारिशों के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा 17, 18 फरवरी, 1986 को आयोजित "दिल्ली में प्राधिकरणों की बहुलता—नागरिकों के जीवन तथा सुनियोजित विकास पर इसका प्रभाव" पर सेमिनार द्वारा दी गई मुख्य-मुख्य सिफारिशों की सूची

(1) दिल्ली में निश्चित रूप से अभिकरणों की बहुलता है। प्रशासनिक ढांचे को पुनः गठित करने की आवश्यकता है जिससे कि विभिन्न अभिकरणों के कार्यकलापों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके और त्रुटियों से बचा जा सके। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली दुग्ध योजना, सुपर बाजार इत्यादि जैसे सभी अभिकरण जो दिल्ली के नागरिकों को आवश्यक सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, को एक ही प्राधिकरण अर्थात दिल्ली प्रशासन के अधीन होना चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार को दिल्ली प्रशासन को और अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान करने चाहिए ताकि यह प्रभावी ढंग से एक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सके। वे केन्द्रीय मंत्रालय जिनका विभिन्न अभिकरणों के ऊपर नियंत्रण है, को वे सभी कार्य दिल्ली प्रशासन के ऊपर छोड़ देने चाहिए जो एक राज्य सरकार करती है।

(3) क्रियात्मक स्तर पर दिल्ली को और अधिक जिलों में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को पांच जिलों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक जिले के लिये एक अलग उपायुक्त होना चाहिए। अन्य विभागों/संगठनों को अपने इन पांच जिलों में मिलने के लिये अपने मंडल बनाने चाहिए। यह उपायुक्त विभिन्न कार्यकलापों के लिये मुख्य समन्वयक होना चाहिए और इसे जिला प्रशासन के लिये मुख्य अधिकारी होना चाहिए।

(4) जिले को आगे एस० डी० एम० के अधीन क्षेत्रीय स्तर पर उप विभाजित किया जाना चाहिए जो इसी प्रकार विभिन्न कार्यकलापों के उप-मंडल में समन्वयक होगा।

(5) कई स्थानीय निकायों का सृजन करके दिल्ली नगर निगम के कार्यकलापों को विकेन्द्रित किया जाना चाहिए। ये निकाय अपने-अपने क्षेत्रों को देखेंगे। इस स्तर पर यहां पूरा स्थानीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(6) दिल्ली प्रशासन के अधीन एक महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाना

चाहिए जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, रेलवे, दिल्ली नगर निगम और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए।

(7) दिल्ली में एक समान स्वास्थ्य देखरेख की व्यवस्था की आवश्यकता है। उप राज्यपाल के अधीन एक दिल्ली अस्पताल प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। अस्पतालों की उचित रेफरल प्रणाली के साथ स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्रीयकरण की प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

(8) निदेशक, उद्योग को औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का आवंटन करने के लिये एक शीर्षस्थ प्राधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को औद्योगिक लाइसेंस को जारी करने से पूर्व कार्य करने वाले जिन प्राधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता होती है उनको एक भवन या स्थान पर स्थापित करके सरल बनाई जानी चाहिए। दिल्ली में वाणिज्यिक स्थापनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये व्यवसाय तथा व्यापार के लिये एक अलग विभाग होना चाहिए।

(9) वर्तमान औद्योगिक नीति के कारण हम अल्प प्रौद्योगिकी उद्यमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में बाहर से अकुशल श्रमिक आ रहे हैं और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नोएडा जैसे स्थानों पर स्थानांतरित किये जा रहे हैं। औद्योगिक नीति को पुनः बनाया जाना चाहिए ताकि दिल्ली के शिक्षित तथा कुशल बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिये दिल्ली के लिये एक निगम होना चाहिए।

(10) एक एकीकृत वनरोपण अभिकरण की आवश्यकता है जो कि वृक्षारोपण का कार्य करेगी जिसे इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा विकास विभागों जैसे विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

(11) जनता से निपटने वाले कार्यालयों में एक "एकल खिड़की प्रणाली" होनी चाहिए ताकि लोगों को एक विभाग से दूसरे विभाग में न भागना पड़े। लोगों द्वारा करों के भुगतान में सुविधा देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों या एक बैंक की शाखाओं अथवा डाकघरों को विभिन्न करों के भुगतान को स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(12) इस शहर पर आबादी के दबाव को घटाने के लिये दिल्ली को खुला बनाना आवश्यक है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब रिंग शहरों का विकास करके दिल्ली से सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों को स्थानांतरित कर दिया जाये।

(13) दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली के लिये वृहत योजना तैयार करने तथा अन्य अभिकरणों द्वारा योजना विकास के कार्यान्वयन को देखने के लिये एक माडल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिये गठित किया गया था। कई वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई कार्य अपने हाथ में लिये हैं जिनके लिये यह पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से मकानों का निर्माण हटा देना चाहिए और दिल्ली के लिये आवास बोर्ड जैसे एक पृथक अभिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण को केवल एक शीर्षस्थ निकाय तथा भूमि विकास अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए।

(14) इस समय विभिन्न अभिकरणों नामत: दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली नगर निगम के मध्य सड़कों के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में भ्रान्ति है। इन संगठनों को अपने आप में यह निर्णय लेना चाहिए कि उसके द्वारा क्या छोड़ा जाना चाहिए और दूसरे के द्वारा क्या लिया जाना चाहिए ताकि अधिकार क्षेत्र की अति व्याप्ति के कारण भ्रान्ति को दूर किया जा सके।

(15) कुछ वक्ताओं ने दिल्ली में एक प्राधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया जो कि लोगों की आवश्यकताओं और मांगों के प्रति उत्तरदायी होगा और जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस संदर्भ में दिल्ली के लिये एक सभा (एसेम्बली) की सिफारिश की गई थी। समन्वित आयोजना और उप-राज्यपाल या मुख्य कार्यकारी पार्षद के अधीन योजना के कार्यान्वियन की देखभाल करने के लिये उप-राज्यपाल या मुख्य कार्यकारी पार्षद के अधीन एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड की भी सिफारिश की गई थी।

(16) लाइसेंस या भवन नक्शों इत्यादि की स्वीकृति लेने वाले लोगों के लिये सम्पर्क स्थलों में कमी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस संदर्भ में कई वक्ताओं ने "एक खिड़की सेवा" का समर्थन किया।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को आवंटन

3920. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1986-87 में उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये मध्य प्रदेश को कितनी राशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि बजट दस्तावेज में दर्शाया गया है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के दौरान 633.65 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यों को निधियों का आबंटन करते समय 50% बल राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में कृषि मजदूरों, सीमांत मजदूरों तथा सीमांत किसानों की संख्या पर दिया जायेगा तथा 50% बल प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी के प्रभाव को दिया जायेगा। राज्यों के लिये निधियों के आबंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रत्याशा है कि कुल

प्रावधान में मध्य प्रदेश का अंश 8.33% होगा।

[हिन्दी]

चने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ की मांग

3921. **श्री विष्णु मोदी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ सरकार से चने का समर्थन मूल्य 260 रुपये प्रति क्विंटल जैसा कि सरकार द्वारा 18 फरवरी, 1986 को घोषित किया गया था से बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या चने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार चने का समर्थन मूल्य कम से कम 330 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने कृषि मन्त्री को 22 फरवरी, 1986 को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने 1986-87 के विपणन मौसम के लिए चने का समर्थन मूल्य 260/- रुपये से बढ़ाकर 330/-रुपये प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) सरकार ने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 260/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। सरकार द्वारा पहले घोषित किये गये समर्थन मूल्य में कोई संशोधन करने का विचार नहीं है। किसानों को अपने उत्पादन खुले बाजार मूल्य पर जो 1986-87 विपणन मौसम के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अधिक है, बेचने की पूरी छूट है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान बनाने के लिए दिए गए ठेके

3922. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985 में मकान बनाने के लिये निविदायें

आमंत्रित किये बिना बड़े पैमाने पर ठेके दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने ठेके दिये गये थे और उनका कुल मूल्य कितना था;

(ग) क्या उक्त सभी ठेके युक्तिसंगत दरों से ऊंची दरों पर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे ठेकों के लिये युक्तिसंगत दरों से अधिक पर देने के कारण कुल कितनी राशि अधिक देनी पड़ी है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हलधीर सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही अवार्ड किये गये निर्माण कार्यों (केवल पांच) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुवल में विनिर्दिष्ट 5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर निर्माण सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरों पर ये कार्य अवार्ड किये गये थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

अनुलग्नक—क

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	औचित्य	जिस दर पर कार्य अवार्ड किया गया	औचित्य से अधिक प्रतिशतता	अनुमेय प्रतिशतता	निविदित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बदरपुर के समीप मथुरा रोड पर 704 ई० डब्ल्यू० एस/जनता मकान	6279416	59.11%	62.80%	2.30%	5%	10222890 रुपये
2.	लाडो सराय गांव के समीप एम० बी० रोड पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मकानों का निर्माण, उपकार्य : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 176 मकान ग्रुप-1	1401158	59.30%	62.80%	2.19%	5%	2281085 रुपये
3.	खिड़की गांव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 624 मकानों का निर्माण, उपकार्य : खिड़की गांव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 240 मकान	2152290	59.30%	62.80%	2.19%	5%	3503928 रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सरिता विहार केक्टर-1 पाकेट-एम० एण्ड एन० में भूमि के आन्तरिक विकास सहित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 856 मकानों का निर्माण, उपकार्य : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 232 मकानों का निर्माण	2080547	59.30%	62.80%	2.19%	5%	3387130 रुपये
5.	कालकाजी में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 270 रिहायशी एकक (90 रिहायशी एकक श्रेणी-II) श्रेणी-III के 180 तथा 180 कार गैराजों का निर्माण, उपकार्य : 120 रिहायशी एकक (श्रेणी-II 40 तथा श्रेणी-III, 80) उपकार्य : मदाकनि एन्कलेव पाकेट-ए में सामुदायिक केन्द्र के पश्चिम में 24 मकान (श्रेणी-II के 8 तथा श्रेणी-III के 16)	2319800	63.67%	63.69%	इससे कम		3750885 रुपये

लक्षद्वीप द्वारा मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद

3923. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के मत्स्य विभाग का मछली पकड़ने वाली नौकाएं खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एक नौका की अनुमानित लागत कितनी है और कितनी नौकाएं खरीदी जानी हैं;

(ग) मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद कब की जायेगी और वे कब से अपना कार्य करना आरम्भ कर देंगी; और

(घ) क्या लक्षद्वीप में कार्यकुशलता में सुधार करने तथा मत्स्य पालन की वर्तमान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान "मदर फिशिंग वैसल आपरेशन शुरू करने" की योजना के अन्तर्गत लक्षद्वीप प्रशासन ने एक "मदर फिशिंग वैसल" प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव किया है। सरकार द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन के प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने के बाद ही इस वैसल की लगभग कीमत और खरीद की तारीख का पता चल सकेगा।

(घ) लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा सातवीं योजना में 520 लाख रुपये की कुल लागत से अनेक मत्स्यन विकास योजनायें कार्यान्वित करने, जैसे आर्थिक सहायता से मशीनी नौकाओं और हायर-पर्चेज पर इनबोर्ड इंजिनों की सप्लाई, जलयानों के रख-रखाव की सुविधाओं के लिए वर्कशाप की व्यवस्था आदि के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित कर रही है :—

(1) सक्रिय मछुआरों के लिये समूह दुर्घटना बीमा।

(2) मछुआरा सोसायटियों के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि।

(3) मिनिकाय तथा अगात्ती में मत्स्यन नौकाओं के लिए अवतरण और लंगर डालने से संबंधी सुविधाएं।

असंगठित श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

3924. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय अस्थाई समिति ने कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित

एक प्रारूप विधेयक तैयार किया है और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय स्थाई समिति ने जनवरी, 1979 में हुई अपनी बैठक में तीन उप-समितियों को गठित करने की सिफारिश की, जिनमें से एक उप समिति कृषि श्रमिकों के लिए विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित की गई थी। इस उप-समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए केवल कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 के समरूप विधान का अन्तरिम प्रारूप प्रस्तुत किया। उक्त अन्तरिम प्रारुप को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। उसके बाद इस मामले पर अगस्त, 1981 में श्रम मन्त्री सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया, लेकिन एक राज्य के दूसरे राज्य में, और यहां तक कि एक ही राज्य में भी, विद्यमान दशाओं की भिन्नता के कारण, एक समान विधान को लागू करने में व्यक्त की गई विभिन्न कठिनाईयों की वजह से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इस सम्मेलन ने उक्त प्रस्ताव का गहन अध्ययन करने हेतु एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करने की सिफारिश की। इस कार्यकारी दल में, जिसमें राज्य श्रम/कृषि सचिव थे, कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान की आवश्यकता के बारे में कोई सर्व सम्मति नहीं हो सकी, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि परिस्थितियों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विधान यदि बना भी दिया जाय तो इसे राज्यों द्वारा एक समान रूप से अपनाया नहीं जा सकेगा, उसे लागू करने की बात तो अलग रही।

इसे ध्यान में रखते हुए, राज्यों को परामर्श दिया गया कि वे उप-समिति द्वारा तैयार किए गए अनन्तिम प्रारूप बिधेयक को ध्यान में रखते हुए, कृषि श्रमिकों के लिए उपयुक्त विधान बनाएं।

कर्नाटक में क्रोमियम मण्डारों का सर्वेक्षण

3925. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक को क्रोमियम भण्डारों की भारी उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या कर्नाटक में क्रोमियम पर आधारित कोई औद्योगिक एकक न होने के कारण खानों से निकाले गए अयस्क की समूची मात्रा का निर्यात कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बिचार कर्नाटक में क्रोमियम पर आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना करने का है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों ने कर्नाटक में क्रोमाइट निक्षेपों के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण किया है। इन

सवक्षणों के फलस्वरूप, हसन तथा मैसूर जिलों में कुल मिलाकर 2.897 मिलियन टन क्रोमाइट (0.982 मि० टन रिफ्रेक्टरी ग्रेड सहित) का आकलन किया गया है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरीदाबाद की पत्थर खानों में बंधुआ तथा प्रवासी श्रमिकों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित न करना

3926. प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद की पत्थर खानों में बंधुआ तथा प्रवासी श्रमिकों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हरियाणा राज्य सरकार की गम्भीर त्रुटियों के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार, हरियाणा सरकार और नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित करके इन निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर मानीटर और पुनरीक्षण किया जा रहा है और सम्बन्धित प्राधिकारियों को पाई गई कमियों, यदि कोई है, को दूर करने के अनुदेश दिये जाते हैं। हरियाणा सरकार को निदेशों के अनुपालन का मानीटर करने के लिए जिला स्तर पर एक समन्वय-समिति गठित करने का परामर्श दिया गया है जिसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित अधिकारी, नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे।

दूरदर्शन को विज्ञापनों के माध्यम से होने वाली आय

3927. श्री के० एस० राव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन को विज्ञापन के माध्यम से कुल कितनी वार्षिक आय हुई ;

(ख) दूरदर्शन पर विज्ञापन देने वाले सबसे बड़े दस विज्ञापनदाताओं के नाम क्या है तथा 1983-84 और 1984-85 के दौरान उनमें से प्रत्येक ने विज्ञापन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की ;

(ग) क्या दूरदर्शन पर विज्ञापन के लिए उपलब्ध अधिकांश महत्वपूर्ण समय पर कपड़े धोने के साबुन और वस्त्रों के कुछ निर्माताओं ने एकाधिकार जमा रखा है ; और

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितने घंटे की अवधि के विज्ञापन दिये गये तथा उक्त समय में विज्ञापन देने वाली पांच शीर्ष कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कौन-कौन से प्रमुख उत्पादों के विज्ञापन दिये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन विज्ञापन सेवा द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कुल सकल राजस्व इस प्रकार है :

1982-83	—	15,88,74,060 रुपये
1983-84	—	19,70,99,238 रुपये
1984-85	—	31,43,45,326 रुपये

(ख) दूरदर्शन पर विज्ञापन समय के सबसे बड़े ग्राहकों और वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1983-84

	ग्राहक का नाम	आंकड़े रुपयों में (लाख)
1.	हिन्दुस्तान लीवर लि०	1,69.4
2.	कोलगेट	87.2
3.	रिचर्डसन	47.5
4.	हिन्दुस्तान कोकोआ (प्रा० लि०)	45.2
5.	निरमा	35.0
6.	जानसन एण्ड जानसन (प्रा० लिमिटेड	31.1
7.	ग्लैक्सो	28.3
8.	एस० कुमार	25.4
9.	वीको	25.3
10.	पार्ले	20.4

1984-85

	ग्राहक का नाम	आंकड़े रुपयों में (लाख)
1.	हिन्दुस्तान लीवर लि०	1,33.3
2.	कोलगेट	90.7
3.	हिन्दुस्तान कोकोआ (प्रा० लि०	63.3
4.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	54.8
5.	निरमा	53.7
6.	प्योर ड्रिंक्स	51.2
7.	जानसन एण्ड जानसन (प्रा० लिमिटेड	47.1
8.	एस० कुमार	42.9
9.	फूड स्पेशियलिटीज लि०	42.7
10.	ग्लैक्सो	42.1

(ग) जी, नहीं। डिटरजेंट साबुन और कपड़े के विज्ञापनदाताओं ने दूरदर्शन पर उपलब्ध विज्ञापन समय का केवल 1/5 ही बुक किया था।

(घ) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान संजाल पर बुक किये गये घण्टों के रूप में, कुल विज्ञापन समय और इस समय को खरीदने वाली पांच बड़ी एजेंसियों के नामों तथा उनके प्रमुख उत्पादकों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1984 में बुक किया गया : 15 घण्टे

कुल विज्ञापन समय :

1985 में बुक किया कुल

विज्ञापन समय 24 घण्टे

1984 (जनवरी-दिसम्बर)		1985 (जनवरी-दिसम्बर)	
एजेंसी	मुख्य उत्पाद	एजेंसी	मुख्य उत्पाद
1	2	3	4
एच० टी० ए०	बूस्ट, होर्लिक्स, एफ० एस० एल० उत्पाद, बम्बई डाइंग	ओ० बी० एम०	केडबरी उत्पाद, जानसन एण्ड जानसन उत्पाद।

1	2	3	4
लिटास	हिंदुस्तान लीवर उत्पाद, जानसन एण्ड जानसन उत्पाद	एच० टी० ए०	ब्रूस्ट, होलिक्स, एफ० एस० एल० उत्पाद।
ओ० बी० एम०	केडबरी उत्पाद, जानसन एण्ड जानसन उत्पाद।	लिटास	हिन्दुस्तान लीवर उत्पाद, जानसन एण्ड जानसन उत्पाद
क्लेरियन	आर० एच० एल० उत्पाद, जाफरी, मैनर्स उत्पाद, टाटा तेल उत्पाद ग्लैक्सो उत्पाद।	क्लेरियन	आर० एच० एल० उत्पाद जाफरी मैनर्स उत्पाद टाटा तेल उत्पाद
चैत्रा	प्योर ड्रिंक्स, गोदरेज उत्पाद।	रेडिफ्यूजन	ग्लेक्सो उत्पाद कोलगेट, बी० एस० ए० साइकिल, गार्डन सिल्क।

कृषि के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

3928. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकसित हो जाने के कारण भारत कृषि संबंधी समस्याओं का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण करने में समर्थ हो गया है;

(ख) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा किए गए सर्वेक्षण से किस सीमा तक समस्याओं का पता चला है तथा समस्याओं का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

(ग) क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) रिमोट सेन्सिंग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है जिसे भूमि उपयोग, भूमि के नक्शों, लवणीय और क्षारीय मृदा, ऊबड़-खाबड़ भूमि की श्रेणी आदि चित्रित करने वाले नक्शों सहित कृषि प्रणाली के संबंधित सभी समस्याओं में उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, भूमि सिंचित करने की क्षमता, पानी इकट्ठा होने वाले क्षेत्रों पर नक्शे भी तैयार किये जा सकते हैं और फसल चिन्हित करने तथा क्षेत्रफल का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण भी आयोजित किये जा सकते

हैं। इनमें से बहुतों के उपयोग से कृषि आयोजना की समस्याओं को चिन्हित करने और उपचारात्मक कदम उठाने में मदद करने के लिये आवश्यक जानकारी मिलेगी। बहरहाल, सेटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीकों को अभी पूर्णतया प्रचालनात्मक बनाया जाना है और प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए प्रायोगिक तथा अनुसंधान अध्ययनों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से कृषि विकास में मदद नहीं करती। तथापि सेटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी द्वारा तत्काल समय पर और विश्वसनीय सूचना मिलने से कृषि आयोजना और कृषि विकास संबंधी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की विधि में शीघ्रता होने की संभावना है।

पंजाब और हरियाणा की "रि-रोलिंग" मिलों को बिलेट्स की सप्लाई

3929. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा की कुछ "रि-रोलिंग" मिलों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और "टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" (टिस्को) से "बिलेट्स" की अपनी पूरी आवश्यकता की सप्लाई प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, उनकी मांग की पूर्ति हेतु क्या-क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पुनर्वेलकों की पुनर्वेलन योग्य सामग्री की आवश्यकता के मात्र एक भाग की पूर्ति "सेल" तथा "इस्को" से की जाती है। छड़ों तथा गोल छड़ों के भारी मात्रा में उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष "सेल" और "इस्को" के बिलेट के उत्पादन में कमी हुई है। इसके साथ-साथ मुख्य उत्पादकों की परिवर्तन योजना से पंजाब तथा हरियाणा सहित सामान्य पुनर्वेलकों की बिलेट की उपलब्धता में कमी हुई है। परन्तु पुनर्वेलक लघु इस्पात कारखानों से बिलेट तथा जहाज तोड़ने वाली इकाइयों और पुनर्वेलन योग्य सामग्री से मिलने वाले स्क्रैप से अन्य पुनर्वेलन योग्य सामग्री ले सकते हैं।

प्रायोजकों द्वारा दूरदर्शन को प्रभार का भुगतान

3930. **श्री शांताराम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 से अब तक विभिन्न श्रेणियों के प्रायोजित कार्यक्रमों से दूरदर्शन को कुल कितना वाणिज्यिक राजस्व प्राप्त हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : 1981-82 से 1985-86 तक (28-2-1986 तक) विभिन्न श्रेणियों के प्रायोजित कार्यक्रमों से दूरदर्शन का प्राप्त

कुल वाणिज्यिक राजस्व इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1981-82	8,40,000.00
1982-83	2,16,000.00
1983-84	15,05,000.00
1984-85	70,33,000.00
1985-86	15,08,15000.00

(28-2.86 तक)

दूध के उत्पादन मूल्य के बारे में सिफारिश

3931. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने दूध के उत्पादक मूल्य के बारे में सिफारिशें की हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से "आपरेशन फ्लड-दो" के अन्तर्गत बड़े परिवर्तन लागू करना सम्भव नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग से अनुरोध किया गया है कि दूध के मूल्य निर्धारण करने के लिए जांच की जाए तथा मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए जाएं। इस समय यह मामला उनके विचाराधीन है।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड-2 जो एक समेकित डेरी विकास परियोजना है, परियोजना के दुग्ध क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी आदानों की व्यवस्था करता है। आपरेशन फ्लड-2 सहित कई योजनाओं के कार्यान्वयन से देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है।

दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर पर दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति

3932. **श्री सैफुद्दीन सोज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर, काश्मीर पर दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समाज के सभी वर्गों से प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति लिए जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्र के पास रचनात्मक कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाले प्रतिष्ठित लोगों की एक व्यापक सूची भी है; और

(ग) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1986 को समाप्त होने वाले चार महीनों की अवधि के दौरान केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। तथापि कार्यक्रम विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं। तथापि दूरदर्शन माध्यम पर संभावित समाचारों के लिए विभिन्न विषयों पर उन विशेषज्ञों, जिन्होंने सृजनात्मक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है, की सूची रखी जाती है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के विभिन्न कार्यक्रमों में 1-10-1985 से 31-1-1986 तक भाग लिया

कवि

1. श्री मिर्जा गुलाम हसन बेग आरिफ
2. श्री इफ्तिखार इमाम सिद्दीक
3. अलगामा बेबल
4. श्रीमती सुल्ताना अख्तर
5. श्री बलराज कोमल
6. श्रीमती शकीला तन्हा

नाटक लेखक

1. श्री एच० के० भारती
2. श्री एच० के० कौल

3. श्री मोहम्मद सुभान भगत

4. श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री

संगीत

1. श्री कलिश मेहरा

2. श्री गुलाम मोहम्मद कलिम्वैत,

चित्रकार

श्री बंसी पारिभू

साहित्यिक विभूतियां :

1. श्री एम० वाई० तैंग

2. प्रो० रहमान राही

3. श्री मोहम्मद जमन जुर्दा

4. श्री अली मोहम्मद जोन

5. डा० अयूब प्रेमी

6. श्री मीर गुलाम रसूल नजमी

7. प्रो० अली अहमद सरूर

8. डा० हमीदी कश्मीरी

9. डा० मरगूब बानिहाली

10. काशीनाथ पंडित

11. श्री केसर कलंदर

12. डा० आर० अर्जुमन दुरानी

13. डा० आगा अशरफ अली

14. श्री रियाज पंजाबी

15. श्री लतीफ अहमद कुरैशी

16. श्री गुलाम नबी खां

17. श्री बदरुद्दीन तैयबजी

केरल में उर्वरकों की सप्लाई के लिए राज सहायता

3933. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान केरल को उर्वरकों की सप्लाई के लिए कितनी राज सहायता दी गई ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : उर्वरक निर्माताओं को उनके उत्पादन और प्रेषणों के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है और राज्यवार आबंटित नहीं की जाती। केरल स्थित एकमात्र उर्वरक उत्पादक एकक, फैक्ट ने 1 अप्रैल, 1985 से 28 फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 121.7 करोड़ रुपये प्राप्त किये।

टेलीविजन पर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दिया जाने वाला समय

3934. श्री रेणुपद दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टेलीविजन कक्षा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्या सरकार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका यथासंभव उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष से टेलीविजन पर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए एक सप्ताह में वास्तविक रूप से कितना समय दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) 6 इन्सैट राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम 45 मिनट प्रति दिन के लिए सप्ताह में 6 दिन इन्सैट के माध्यम से टेलीकास्ट किये जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों के ट्रांसमीटरों द्वारा इन्सैट के माध्यम से शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम दिल्ली से भी रिले किये जाते हैं। उच्च शिक्षा पर कार्यक्रम भी जो इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये जा रहे हैं, सभी कालेज दिवसों को अपरान्ह 12.45 बजे से अपरान्ह 1.45 बजे के बीच टेलीकास्ट किये जाते हैं तथा उन्हें अपरान्ह 4.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक दुबारा दोहराया जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम आधारित स्कूल टी०वी० कार्यक्रम भी दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा श्रीनगर से 13 घंटे 20 मिनट की कुल साप्ताहिक अवधि के लिए स्कूल कार्य दिवसों को टेलीकास्ट किये जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रमों का जनता को लाभ

3935. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के अंत तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत जनता को दूरदर्शन रिले सेवा का लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(ख) मन्त्रालय द्वारा उन जिलों में जहां इस समय कम प्रसारण होता है, बाकी जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने की सातवीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर दूरदर्शन सेवा द्वारा राज्य के सभी 56 जिलों के पूर्णत: अथवा अंशत: कवर हो जाने की उम्मीद है। जबकि उस समय दूरदर्शन सेवा राज्य की कुल 92% जनसंख्या को उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है किन्तु इन अवस्था पर यह कहना सम्भव नहीं है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जनसंख्या की कितनी सही प्रतिशत कवर होगी।

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला 1 दूरदर्शन ट्रांसमीटर, अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 8 दूरदर्शन ट्रांसमीटर और बहुत ही कम शक्ति (2 × 10 वाट) वाले 7 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गयी हैं। उम्मीद है कि इन ट्रांसमीटरों से उन जिलों में अधिक दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाएगी जिनमें यह सेवा इस समय कम है। दूरदर्शन सेवा का और विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केवल चरणों में ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र में मान्यता-प्राप्त संघ

3936. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र में कोई मान्यता-प्राप्त संघ है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ की मान्यता को चुनौती दी गई है; और

(ग) सरकार ने प्रतिनिधित्व स्वरूप निश्चित करने के लिए संघ की शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। सेलम इस्पात राष्ट्रीय

कामगार संघ (इन्टक) सेलम इस्पात कारखाने की मान्यता-प्राप्त यूनियन है।

(ख) इस्पात संयंत्र कामगार संघ (सीटू) ने इस बात का दावा किया है कि सेलम इस्पात कारखाने के कामगारों में उसकी सदस्यता अधिक है और उसने प्रबंधकों से यूनियन को मान्यता प्रदान करने की मांग की है।

(ग) मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने के मानक मई, 1958 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने 16वें सत्र में बनाई गई उद्योग आचार संहिता में दिए गए हैं। किसी भी मजदूर संघ को मान्यता उपयुक्त सरकार के श्रम विभाग द्वारा सदस्यता की जांच करके प्रदान की जाती है। सेलम इस्पात कारखाने के संबंध में तमिलनाडु की सरकार उपयुक्त सरकार है।

[हिन्दी]

दिल्ली दूरदर्शन से कार्यक्रमों का प्रसारण

3937. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन के अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कितना-कितना औसत समय दिया जाता है; और

(ख) यदि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अधिक समय दिया जाता है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने का औसत समय इस प्रकार है :—

भाषा	जनवरी-दिसम्बर, 1985 प्रतिशतता
अंग्रजी	34
हिन्दी	51
उर्दू	2
अन्य भारतीय भाषाएं	3
नृत्य तथा वाद्य संगीत	6
विविध	4
कुल :	100

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात उपभोक्ता परिषद्

3938. श्री वी० तुलसी राम
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद् का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के प्रस्तावित कृत्य क्या हैं और उसमें किस-किस के प्रतिनिधि होंगे;

(ग) उक्त परिषद् का इस्पात के बढ़ते हुए मूल्यों और उसके उचित वितरण पर किस हद तक नियंत्रण होगा; और

(घ) क्या इस परिषद् के कुछ कार्यालय आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये जायेंगे; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद् का गठन किया गया है, जिसमें सरकार, लोहा तथा इस्पात के उत्पादकों और उपभोक्ताओं तथा सम्बन्धित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह परिषद् केन्द्र सरकार को लोहा तथा इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, क्वालिटी तथा बाजार के रुख से संबंधित मामलों में सहायता करती है तथा परामर्श देती है।

(ग) इस्पात के मूल्यों अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण लगाने का कार्य इसका नहीं है।

(घ) जी, नहीं। कहीं भी इस्पात उपभोक्ता परिषद् का कोई कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

मछली का निर्यात और खपत

3939. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है;

(ख) भारत से कितनी मात्रा में मछली और अन्य प्रकार के समुद्री खाद्य का निर्यात किया जाता है;

(ग) देश में मछली और समुद्री खाद्यान्नों की खपत कितनी है;

(घ) मछली-पालन के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए क्या आधुनिक तरीके अपनाये जाते हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में देश में मछली का कुल उत्पादन और भारत से किए गये समुद्री उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे निम्नवत हैं :

वर्ष	मछली का उत्पादन (लाख टनों में)	सामुद्री उत्पातों का निर्यात (टनों में)
1980	24.42	74542
1981	24.44	75375
1982	23.67	75136
1983	25.06	86169
1984	28.59	89912

(अनन्तिम)

(ग) शेष मछली तथा सामुद्री खाद्य उत्पादन का उपयोग मुख्यतया मनुष्यों द्वारा खपत के लिये किया जाता है। थोड़ी-सी मात्रा का मछलियों का भोजन बनाया जाता है।

(घ) मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए उठाये जा रहे कुछेक कदम इस प्रकार हैं :

(1) तटवर्ती जल में झींगा मछली पालना।

(2) खारे पानी के मछली फार्मों तथा मछली और झींगा-मछली उत्पत्तिशालाओं का विकास।

(3) मछली पालक विकास एजेन्सियों के जरिए मत्स्य बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था द्वारा जलाशयों तथा तालाबों आदि में वैज्ञानिक मछली पालन शुरू करना।

(4) अच्छी क्वालिटी के डिम्पोना का उत्पादन और वितरण के लिये वाणिज्यिक डिम्पोना उत्पत्तिशालाओं की स्थापना।

(5) ताजे पानी में जलकृषि तथा समुद्र में मछली पालने की नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान संबंधी सहायता देना।

(ङ) तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मत्स्यन की आधुनिक विधियों में अधिक महत्वपूर्ण हैं— निचले तथा मध्य क्षेत्र के पानी में ट्रालर द्वारा मछली पकड़ना, पर्स-सीनिंग, स्विवड जिगिंग, लांग-लाइनिंग, पोल एवं लाइन फिशिंग।

थाल उर्वरक परियोजना द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण

3940. **श्री डी० वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड की थाल उर्वरक परियोजना की गैस की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ख) क्या थाल की गैस की सप्लाई बन्द कर दिये जाने के समय से ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोयला उतारते समय तथा उसे ईंधन के रूप में कोयला जलाते समय कोयले के बहुत छोटे-छोटे कण वायु में उड़ते हैं जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होता है;

(घ) क्या कारखाने के आसपास तथा अलीबेग के क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा उस क्षेत्र में पेड़ों, फसलों और सब्जियों की फसल पर इसके कुप्रभावों का पता लगाने और उसकी जांच के लिए कोई स्वतंत्र एजेन्सी नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कोल का भी प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा कोक को उतारते समय कोल हैण्डलिंग क्षेत्र में प्रदूषण को न्यूनतम करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाती है। इसके अलावा वायु में जाने वाले कणों को रोकने

और उन्हें अनुमेय सीमा के अन्दर रखने के लिए वायलरों को इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स से सुसज्जित किया जाता है।

(घ) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित एजेन्सी है। आर० सी० एफ० के पास थाल फैक्टरी क्षेत्र में स्थित एक मानिटरिंग स्टेशन है जो चौबीसों घंटे बाद में कणों के जमाव को नियंत्रित रूप से मानिटर करता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पत्तन के निर्माण हेतु धनराशि

3941. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भावनापादु में मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) इस परियोजना के लिए संशोधित प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पत्तन समय पर पूरा हो जाएगा; और

(घ) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कोई कारण हैं; तो वे क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश के आवनापादु में मत्स्यन बन्दरगाह के लिए भारत सरकार ने 17-10-78 को 131.84 लाख रुपये की मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना में भारत सरकार का हिस्सा उपर्युक्त राशि के 50 प्रतिशत के बराबर है।

(ख) इस परियोजना के लिए कोई संशोधित अनुमान नहीं मिला है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस परियोजना के पूरी होने में विलम्ब के कारण हैं : —

(1) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1978 में मंजूरी जारी कर दिये जाने के लगभग दो वर्ष बाद ही राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी जारी की, (2) राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के साथ परामर्श करते हुए "ट्रेनिंग-वाल्ज" के संगठन एवं डिजाईन को अन्तिम रूप देने में समय लगा दिया और (3) जलमार्ग का ड्रेजिंग में विलम्ब।

लो पावर ट्रांसमीटरों के स्थान पर हाइपावर ट्रांसमीटर लगाना

3942 **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में कितने लो पावर ट्रांसमीटरों के स्थान पर हाई पावर ट्रांसमीटर लगाए जायेंगे;

(ख) क्या इस वर्ष पालाघाट लो पावर ट्रांसमीटर के स्थान पर हाईपावर ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1986-87 के दौरान अगरतला, विशाखापत्तनम, डिब्रूगढ़, कोहिमा और इम्फाल के अल्प शक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर लगाये जाने की उम्मीद है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों के उत्पादन में कमी

3943. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी रही;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान उर्वरकों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) सातवीं योजना में कितनी कमी रहने का अनुमान है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में योजना के अंत अर्थात् 1984-85 तक नाइट्रोजन और पी 2 ओ 5 का उत्पादन क्रमशः 42 लाख टन और 14 लाख टन होने की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1984-85 के दौरान उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन 39.17 लाख टन नाइट्रोजन और 12.64 लाख टन पी 2 ओ 5 था।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि— (80-81 से 84-85) के दौरान आयातित उर्वरकों का कुल सी० एण्ड एफ० मूल्य लगभग 3780 करोड़ रुपये है।

(ग) उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन 7वीं योजनावधि के दौरान मांग से कम पड़ने की आशा है। तथापि सातवीं योजना के अंत तक उर्वरकों की मांग और उत्पादन के बीच अंतर की सही मात्रा

का पता लगाना कठिन है।

(घ) 7वीं योजनावधि के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बृहत कार्यक्रम चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के एक अंश के रूप में पहले से ही संचलिन स्थापनाधीन उर्वरक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए अनेक नये उर्वरक संयंत्र आरम्भ किये गये हैं। इन उपायों से उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तथापि योजना में स्वीकार किया गया है कि उर्वरकों की मांग और उत्पादन में फिर भी अंतर रहेगा जिसे विगत की भांति आयातों द्वारा ही पूरा किया जाना पड़ेगा।

सरकारी जनशक्ति निगम

3944. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों द्वारा गठित जनशक्ति निगमों के एक संघ की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कर्नाटक द्वारा खर्च की गई राशि

3945. **श्री ओकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्र द्वारा आबंटित राशि में से कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उपर्युक्त वर्ष के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन कर्नाटक के कितने गरीब परिवारों को लाया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में कर्नाटक हेतु केन्द्रीय आबंटन 863.274 लाख रुपए है। अब तक कुल 1440.281 लाख रुपये के व्यय होने की सूचना मिली है जिसमें राज्य अंश भी शामिल है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में अब तक 103063 परिवारों को सहायता दी गई। इनमें से, 24495 परिवार

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए अनुदान

3946. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए निर्मित मकानों की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए अनुदान देने की कोई योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में नीति संबंधी निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग-निर्देशनों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं एवं योजना प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक आवास योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं :—

(i) शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों को मकान निर्मित करने के लिए रियायती ब्याज दर पर 5000 रुपये के ऋण सहित लागत मूल्य पर स्थल एवं सेवाएं मुहैया की जाती हैं; तथा

(ii) भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत आवास स्थल निशुल्क आबंटित किए जाते हैं तथा 2000 रुपये की राशि प्रति परिवार निर्माण सहायता के रूप में दी जाती है।

इसलिए सहायता का घटक दोनों ही योजनाओं में निहित है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अधिकारियों के लिए होस्टलों का निर्माण

3947. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर जो दूरस्थ राज्यों से आए

हैं, के समक्ष आने वाली आवास की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रेणियों के ऐसे सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों जिनके पास दिल्ली में न तो अपने मकान हैं और न ही सरकारी आवास हैं, के लिये अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपलब्ध "अधिकारी होस्टलों" के समान आधार पर होस्टलों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आबंटन करने हेतु, "सामान्य पूल" वास की अत्यधिक कमी है।

(ख) और (ग) दिल्ली में होस्टलों के निर्माण के प्रस्ताव हैं। पुष्प विहार में एक ट्रांजिट होस्टल निर्माणाधीन है। पटौदी हाउस और आर० के० पुरम, नई दिल्ली में दो होस्टलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। तथापि, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आबंटन के लिए कोई होस्टल उद्दिष्ट या निर्मित नहीं किया गया है परन्तु आबंटन नियमों के अनुसार केवल आरक्षण किया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए वास के आबंटन हेतु पदावधि पूल है।

केरल में काली मिर्च की खेती

3948. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत केरल के आदिवासी क्षेत्रों में काली मिर्च की खेती शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केरल में कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत काली मिर्च के अधीन पहले ही लगभग 400 हजार हेक्टेयर क्षेत्रलाया जा चुका है। इस क्षेत्र को सातवीं योजना में बनाए रखा जाएगा।

यमुना पार क्षेत्र में कार्यालयों के लिये भवनों का निर्माण

3949. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री सोमनाथ रथ } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर कला आयोग ने सुझाव दिया है कि दक्षिण दिल्ली में कार्यालय के लिए

और अधिक भवनों का निर्माण न किया जाये और उसके स्थान पर इस प्रयोजन के लिए यमुना पार क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए यमुना पार के किन्हीं क्षेत्रों को चुना गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली पर अध्ययन

3950. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की देश में विभिन्न प्रयोगशालायें समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की जांच करने वाली समिति की पांच वर्षीय रिपोर्ट में समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली के विषय में जानकारी और सूचना का अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहा है।

(ख) केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान की उपलब्धि जांच समिति ने सूचित किया है कि बहु-प्रजाति मत्स्य पालन युक्त विभिन्न संसाधनों के सामूहिक मूल्यांकन हेतु अधिक त्रुटि-रहित आकलन प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श विस्तार बढ़ाना चाहिये।

(ग) कृषि विभाग तथा महासागर विभाग प्राप्त सुविधाओं को लेते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अन्तर संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणाली

को सुदृढ़ कर रही हैं जिनमें अनुसंधान/मछली पकड़ने के लिये जलयान तथा अनुसंधान के अपने निजी संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए जलयान सम्मिलित है।

संसाधनों की टोह लेने के लिये मछलीपालन तथा महासागर विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों में सुदूर अनुभूति (रिमोट सेंसिंग) को एक उदाहरण के रूप में भी प्रयोग में लाया जा रहा है।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र के लिये उद्यान योजनायें

3951. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि उड़ीसा में आदिवासी जनसंख्या का बहुत अधिक प्रतिशत भूमिया खेती पर जीविका निर्वाह करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का "उद्यान" के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र कार्य योजनाओं के अधीन प्रावधान बढ़ाने का विचार है क्योंकि राज्य को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में इसकी सफलता की भारी सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो उद्यान के अधीन केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का स्वरूप क्या है जिनका उड़ीसा में आदिवासी जनसंख्या के लाभ के लिये वर्ष 1986-87 के दौरान वित्तपोषण किया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत में झूम खेती सम्बन्धी कृतक बल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.41 लाख परिवार, जिनमें अधिसंख्य आदिवासी हैं, उड़ीसा में 5.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में झूम खेती करते हैं।

(ख) और (ग) बागवानी सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत झूम खेती के इलाकों में बागवानी विकास सम्बन्धी कोई पृथक कार्यक्रम नहीं है।

स्टील स्ट्रिप्स की आयात नीति

3952. श्री सरफराज अहमद : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए "हाट रोल्ड हाई कार्बन स्टील स्ट्रिप्स" "फोल्ड रोल्ड हाई कार्बन स्टील स्ट्रिप्स" और "हार्डेन्ड टेम्पर्ड हाई कार्बन स्टील स्ट्रिप्स" की वर्तमान आयात नीति क्या है; और

(ख) देश में उपर्युक्त प्रत्येक उत्पादों के पृथक-पृथक कुल कितने निर्माता हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वास्तविक उपयोक्ताओं की वर्ष 1985-88 की आयात नीति में, (जो अब लागू है) निम्नलिखित बातों को छोड़कर, माध्यम अभिकरण की मार्फत हाई कार्बन (0.6 प्रतिशत से अधिक कार्बन) इस्पात की पत्तियों के आयात की व्यवस्था है :

(i) अकठोरीकृत (अनहार्डेड) और अमृदुकृत (अनटेमपर्ड) कोल्ड रोल्ड हाई कार्बन इस्पात की पत्तियाँ सीमित स्वीकार्य मदों की सूची में हैं तथा अनुपूरक लाइसेंस प्रक्रिया के अन्तर्गत विशिष्ट आयात लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् इनका आयात किया जा सकता है ।

(ii) आरे/काटने के औजारों के लिए कठोरीकृत और/अथवा मृदुकृत हाई कार्बन इस्पात की पत्तियां भी सीमित स्वीकार्य मदों की सूची में हैं तथा अनुपूरक लाइसेंस प्रक्रिया के अन्तर्गत इनका भी आयात किया जा सकता है । अन्य अन्त: उपयोक्ता केवल वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा दिए गए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें वास्तविक उपयोक्ताओं की शर्तें मान्य हों ।

(ख) सामान्य विविधिकरण योजना के अंतर्गत वे इकाइयां, जिनके पास गर्म बेलित इस्पात की पत्तियों तथा ठंडी बेलित इस्पात की पत्तियों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस हैं, हाई कार्बन इस्पात सहित किसी भी ग्रेड के इस्पात के अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए स्वतंत्र हैं । अत: देश में निर्माताओं की संख्या का उत्पादन-वार ब्यौरा देना सम्भव नहीं होगा ।

केरल में खारे पानी में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन विकास

3953. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय मत्स्य पालन से सबसे अधिक मात्रा में मछली उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है;

(ख) क्या केरल राज्य में खारा पानी के क्षेत्र हैं;

(ग) क्या खारे पानी में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए सहायता देने हेतु कोई निकाय गठित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल में ऐसे निकायों/एजेन्सियों के कितने एकक काम कर रहे हैं; और

(ङ) क्या केरल में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन की अधिक सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए वहां ऐसे निकायों/एजेन्सियों की संख्या में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पश्चिम बंगाल ।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मत्स्य पालन का विकास

3954. **श्री चिन्ता मणि जेना**
श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश में मत्स्य पालन विकास के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में मत्स्य पालन के कितने प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) क्या देश में मत्स्य पालन के लिए एक पूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में मात्स्यकी का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार अन्तर्देशीय और सामुद्री मात्स्यकी क्षेत्रों में अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। अन्तर्देशीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण योजनाओं में, मछली पालक विकास एजेन्सियों के जरिए गांवों के तालाबों में गहन मछली पालन डिम्पोना उत्पत्तिशालाओं का निर्माण जलाशय मछली पालन का विकास, खारे पानी में मछली पालन आदि शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं : मत्स्यन बन्दरगाहों तथा लैंडिंग सेन्टरों के निर्माण द्वारा मत्स्यन नौकाओं के लिए तट पर लगने और वहां पर रुकने की सुविधाओं की व्यवस्था, परम्परागत मत्स्यन जलयानों का मशीनीकरण, बीच लैंडिंग नौकाओं तथा गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने के जलयानों सहित यांत्रिक नौकाएं चलाना शुरू करना, मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना और मछुआरा सोसायटियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि जैसी कल्याण योजनाएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत मात्स्यकी संस्थानों के जरिए मात्स्यकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि

3955. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र के लिए विकास भू क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया था जिसके छोटे से क्षेत्र पर वर्तमान संयंत्र है;

(ख) क्या अप्रयुक्त कृषि योग्य भूमि न तो किसानों को फसल उगाने के लिए दी जाती है और न ही संयंत्र के अधिकारियों द्वारा उसका कोई उपयोग किया जा रहा है।

(ग) क्या सांतवीं पंचवर्षीय योजनावधि में एक और सेन्डजीमर रोलिंग मिल अथवा इन्टिग्रेटेड इस्पात संयंत्र स्थापित कर वर्तमान संयंत्र का विस्तार कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो संयंत्र का विस्तार न करने अथवा कृषि योग्य अच्छी भूमि का समुचित उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं। सेलम इस्पात संयंत्र ने 1603.68 हेक्टेयर गैर-सरकारी तथा सरकारी भूमि अधिगृहीत की थी जिसमें से 1037.64 हेक्टेयर भूमि (65 प्रतिशत) का इस्तेमाल हो रहा है।

(ख) इस परियोजना के लिए अधिगृहीत की गयी भूमि में से कोई भूमि खेती के लिए दिए जाने का इरादा नहीं है।

(ग) और (घ) इस परियोजना में ठंडे बेलित इस्पात की क्वायलों और चादरों का वार्षिक उत्पादन 32,000 टन से बढ़ाकर 65,000 टन करने तथा खरीदे गए गर्म बेलित क्वायलों से 5,000 टन "हाट रोल्ड-अनील्ड" और पिकल्ड फिनिश्ड स्टेनलेस स्टील" को प्रोसेस करने के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से दूसरी सेण्डजमीर मिल और सम्बद्ध सुविधाएं लगाने की परिकल्पना है। फिर भी संसाधनों की कमी की स्थिति तथा योजनागत आबंटन में आपसी प्राथमिकताओं को देखते हुए सातवीं योजना में दूसरी सेन्डजमीर मिल स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सेलम में सर्वतोमुखी इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्त को देखते हुए सेलम इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए अधिगृहीत भूमि को फिलहाल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए नियमित वेतनमान लागू करना

3956. **श्री आनन्द सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों सहित नियमित वेतनमान और विस्तृत सेवा शर्तें लागू कर दी हैं

परन्तु एक विशिष्ट तारीख से पूर्व सेवा निवृत्त हुए स्टाफ आर्टिस्ट अब भी पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो किस श्रेणी के आर्टिस्ट अब भी उक्त लाभों से वंचित है और उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्टाफ आर्टिस्टों को भी, विशेषकर जो 20 वर्षों की सेवा करने के बाद सेवा-निवृत्त हुए है, उक्त लाभ देने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं। इस प्रकार के कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं हैं। तथापि, अपनी संविदा की शर्तों के अनुसार, वे वृद्धि-शुल्कमानों और ग्रेडों में भी हैं तथा अंशदायी भविष्यनिधि, ग्रेच्यूटी, आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं।

2. 1982 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिन स्टाफ आर्टिस्टों ने 28.2.1982 को अधिवार्षिकी आयु अर्थात 58 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उन सभी को उनके विकल्प तथा स्क्रीनिंग के आधार पर पेंशन दी जाए। अत: पेंशन की स्कीम उन स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू नहीं है जो 28.2.1982 से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं। तथापि उन्हें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी, आदि जैसे सेवा निवृत्ति लाभ दिए गए हैं।

संचार और प्रचार माध्यमों के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान

3957. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार और प्रचार माध्यमों के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारतीय जनसंचार संस्थान, पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अन्य देशों, विशेषकर विकासशील देशों के साथ संचार और माध्यम के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करता है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय जन संचार संस्थान :

1. यह संस्थान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (टी० ई० सी०), कोलम्बो योजना, विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना (एस० सी० ए० ए० पी०) आदि जैसी विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अन्तर्गत प्रायोजित विदेशी पत्रकारों के लिए निम्नलिखित दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम/आयोजित करता है :—

(क) विकासशील देशों के लिए पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

वर्ष 1969-70 के दौरान पत्रकारिता में 9 महीने का एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। यह सितम्बर में आरम्भ होता है और अप्रैल में समाप्त होता है। अब 17 वां पाठ्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में अब तक 36 देशों के 798 विदेशी पत्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के लिए समाचार एजेन्सी पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के रूप में समाचार एजेन्सी पत्रकारिता पाठ्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था। वर्ष 1978 में इस प्रकार का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला दि इन्स्टीटयूट (इंडिया) पांच गुट-निरपेक्ष देशों में से पहला था। यह पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष सितम्बर से अप्रैल तक 8 महीनों तक चलता है। इस पाठ्यक्रम में अब तक 44 देशों के विदेशी समाचार एजेन्सी के 139 पत्रकारों और भारतीय समाचार एजेन्सी के 21 पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2. संस्थान ने पिछले वर्ष विकासशील देशों के समाचार एजेन्सी पत्रकारों के लिए समाचार एजेन्सी पत्रकारिता में 6 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम, यूनेस्को के अनुरोध पर आयोजित किया गया था। भारत के 1 व्यक्ति सहित 14 व्यक्तियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस प्रकार का 6 हफ्ते का दूसरा पाठ्यक्रम जुलाई-अगस्त, 1986 में होगा।

3. संस्थान में 16.11.85 से 6.12.85 तक समाचारों तथा सामाजिक मामलों (रेडियो) पर तीन हफ्ते की एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह आकाशवाणी भारतीय जनसंचार संस्थान और एशिया पेसिफिक इन्स्टीट्यूट फार ब्राडकास्टिंग डेवलपमेंट (ए०आई.बी.डी०) मलयेशिया के बीच एक सहयोगी प्रयास था। इस कार्यशाला में 14 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इनमें वियतनाम के 3, बांगलादेश के 2, पाकिस्तान के 2, नेपाल और श्रीलंका का एक-एक और भारत के 5 व्यक्ति शामिल थे।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय :

पत्र सूचना कार्यालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और प्रोटोकालों के अंतर्गत अन्य देशों के साथ पत्रकारों के प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के आदान-प्रदान से एक देश के पत्रकारों को दूसरे देश के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और प्रोटोकालों के अन्तर्गत इस समय 29 देशों के साथ पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रावधान मौजूद हैं।

(ग) आकाशवाणी :

हार्डवेयर

1. सूचना संदर्भ प्रणाली :

विकासशील देशों के मध्य तकनीकी सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र ने दो अथवा अधिक देशों के बीच उनके वैयक्तिक अथवा परस्पर विकास के लिए तकनीकी संसाधनों, कौशल और क्षमताओं का आदान-प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर एक सूचना संदर्भ प्रणाली विकसित की है। आकाशवाणी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की है :

—शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम,

—अनुसंधान और विकास

—परामर्श और विशेषज्ञ सेवाएं

2. ए० बी० यू० के माध्यम से विशेषज्ञता का आदान-प्रदान :

एशिया प्रशांत प्रसारण संघ (ए० बी० यू०) ने आकाशवाणी को वी०एच०एफ०/यू० एच० एफ० रेंज में एफ० एस० प्रिडिकशन कर्वों की अधिक यथार्थता के लिए उष्ण देशों में क्षेत्र शक्ति का मापन आरम्भ करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। बाद में ये कर्वे बी० एच० एफ० योजना उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाएंगी। आकाशवाणी ने इन मापनों के लिए वर्ष 1984 में मलयेशिया और इण्डोनेशिया ने अपने विशेषज्ञ भेजे थे। आकाशवाणी 1986 में सऊदी अरब के लिए भी इसी प्रकार की विशेषज्ञता उपलब्ध करेगी। आकाशवाणी ने उच्च फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी प्रेषण केन्द्रों की आयोजना के क्षेत्र में पपुआ न्यू गुहनिया को विशेषज्ञता उपलब्ध करने के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण संघ को भी पेशकश की थी।

साफ्टवेयर :

कार्यक्रम आदान-प्रदान

आकाशवाणी 44 देशों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करता है। प्राप्त विशेषज्ञता का

आदान-प्रदान करने तथा प्रसारण माध्यम के क्षेत में हो रहे विकासों से बराबर सम्पर्क रखने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिनिधि मंडलों और कार्मिकों का आदान-प्रदान किया जाता है। कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) और कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) में प्रशिक्षण के लिए इन देशों से प्राप्त किसी भी अनुरोध को आमतौर से स्वीकार कर लिया जाता है।

(घ) दूरदर्शन :

दूरदर्शन के इंजीनियरों और कार्यक्रम अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न विकासशील और विकसित देशों में बाह्य कार्यों के लिए भेजा गया है, भारत एशिया प्रसारण संघ (ए०बी०यू०) का सदस्य है और ए० बी० यू०/ए० आई० बी० डी० के तत्वावधान में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाता है समय-समय पर, विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करारों के अंतर्गत दोनों देशों के हित के लिए विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाता है।

'जीन सैंकटयूअरि' खोलना

3958. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक ने 'जीन सैंकटयूअरि' खोलने का सुझाव दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'जीन सैंकटयूअरि' खोलने के प्रस्ताव की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा काफी समय से जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किए गए अनुसंधान कार्य के परिणाम का बाहर पता लग जाने के कोई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 को शिलांग में हुई अपनी बैठक में मेघालय में साइट्रस जेन सैंकच्यूअरी की स्थापना पर विचार किया था। उसका संगठन और प्रबन्ध मेघालय सरकार द्वारा किया जाएगा और भा० कृ० अ० प० की ओर से इसे तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने के लिए मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग की अध्यक्षता में मई, 1980 में एक टास्क फोर्स का गठन किया

गया था। इस टास्क फोर्स ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है क्योंकि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस कार्य के लिए मेघालय सरकार संभवत: कोई क्षेत्र नियत नहीं कर पाई है, क्योंकि भूमि निजी स्वामित्व और जिला परिषद के प्रबन्ध के अन्तर्गत है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध के अन्तर्गत योजनाएं

3959. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ प्रवण योजना के अन्तर्गत कोलाब, इन्द्रावती और सुवर्णरेखा नदियों और ब्राह्मणी, अपरकोलाब और इन्द्रावती के जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल करने और क्रमश: "नदी घाटी परियोजना के जल-ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण" और "गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बाढ़-प्रवण नदी सुवर्णरेखा के जलग्रहण क्षेत्र को समेकित पनधारा प्रबन्ध में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और यदि हां, तो प्रत्येक योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित नए जल स्रवण क्षेत्रों को मिलाकर "नदी घाटी परियोजनाओं के जल स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और गंगा की थाली की जिन नदियों में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है उनके जल स्रवण क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्धन" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को लाने की जांच, योजना आयोग के साथ परामर्श करते हुए की गई। लेकिन, जैसा कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है, नए जल स्रवण क्षेत्रों को मिलाने के प्रश्न पर साधनों सम्बन्धी स्थिति बेहतर हो जाने पर ही विचार किया जा सकता है। उड़ीसा सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

विक्री योग्य उत्पादों की निर्माण संबंधी सुविधाएं

3960. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के भिलाई, राउरकेला, बोकारो तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में ट्यूबों, पाइपों, ए० पी० आई० शीटों आदि जैसे आसानी से बिक सकने वाले उत्पादों की निर्माण-संबंधी सुविधाओं, जैसी कि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में हैं, में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पहले से ही इन उत्पादों अर्थात् पाइपों, जिसमें राउरकेला में ए० पी० आई० पाइप और राउरकेला तथा बोकारो में ए० पी० आई० चादरें शामिल हैं, के निर्माण के लिए सुविधाएं हैं। भिलाई इस्पात कारखाने की 40 लाख टन विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई प्लेट मिल में भी ए० पी० आई० किस्म की प्लेटों का उत्पादन होगा।

दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1972

3961. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 में काफी कमियां हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में सम्पत्ति की बिक्री और अन्तरण के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व की भारी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है अथवा उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ अनैतिक व्यक्ति मालिक से सम्बन्धित भूमि के रहेन, देख-भाल तथा बिक्री करने के लिए मुखतार प्राधिकृत करते हुए मुखतारनामा निष्पादित करके दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन का अनूठा तरीका अपनाते हैं। अर्जित भूमि या जिस भूमि के सम्बन्ध में अर्जन की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है के ऐसे सौदों को विनियमित करने के लिए ऐसे मुखतारनामे के पंजीकरण की व्यवस्था तथा निष्पादन से पहले सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति हेतु दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 में उचित रूप से संशोधन किया जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान किसानों की स्थिति में सुधार करना

3962. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे और सीमान्त किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सातवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं शुरू की थी ।

(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ।

(3) छिड़काव यंत्रों / ड्रिप सिस्टम, सोएं पंपों, पवन चक्कियों, हाईड्रेमों, वाटर-टरबाइनों, सिंचाई के लिए मानव एवं पशुओं द्वारा चलाए जानें वाले पम्पों के इस्तेमाल का बढ़ावा देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(4) उन्नत कृषि उपकरणों और हाथ के औजारों को भाड़े पर देने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(5) प्रयोगशाला-से-खेत कार्यक्रम

इसके अलावा, विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए भी छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ।

(ख) उपरोक्त योजनाओं और सातवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

देश के सभी खंडों में कार्यान्वियन के लिए इस योजना को 1983-84 में शुरू किया गया था । इस योजना को 500 करोड़ रुपए के केन्द्र के हिस्से के परिव्यय से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है । संघ शासित क्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत हैं । 500 लाख रुपए प्रति खंड का वार्षिक परिव्यय निश्चित है जिसमें 3.50 लाख रुपए लघु सिंचाई के लिए 0.50 लाख रुपए तिलहनों, दालों और मोटे अनाजों के बीजों के मिनिकिटों के वितरण हेतु और 1.00 लाख रुपए स्टाफ सम्बन्धी खर्च सहित भूमि विकास के लिए है । इस योजना के अंतर्गत

राज सहायता एकीकृत ग्रामीण विकास के स्वरूप (पैटर्न) के अनुसार देय है। सातवीं योजना अवधि के दौरान एक करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

2. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था और इसे सातवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा को नीचे के सभी परिवारों को, जिनमें छोटे किसान, सीमांत किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कामगार शामिल हैं, अपना आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति बनाने के लिए सहायता दी जाती है। राजसहायता की दर छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण कामगारों के लिए 33-1/3 प्रतिशत और आदिवासी लाभार्थियों के लिए 50 प्रतिशत है। राजसहायता की सीमा सामान्य क्षेत्रों में 3,000 रुपए जिन क्षेत्रों में सूखे का खतरा बना रहता है उनमें रेगिस्तान विकास क्षेत्रों में 4,000 रुपए और आदिवासी लाभार्थियों के लिए 5,000 रुपए है। लघु सिंचाई परियोजनाओं पर राजसहायता संबंधी कोई सीमा नहीं है। सातवीं योजना के दौरान 2 करोड़ परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

3. छिड़काव यंत्रों/ड्रिप सिस्टम, सौएं पंपों, वायु मिलों, हाइड्रेमों, वाटर टरबाइनों और सिंचाई के लिए मनुष्यों और पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले पंपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

यह योजना जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1982-83 में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और लक्षद्वीप में शुरू की गई थी। सातवीं योजना अवधि के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को एकीकृत ग्रामीण विकास के स्वरूप पर राजसहायता दी जाती है। अन्य किसानों के लिए राजसहायता की दर 20 प्रतिशत है। छोटे और सीमांत किसानों की सहकारी सामुदायिक योजनाएं यंत्रों की लागत के 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता पाने की पात्र है। राजसहायता की राशि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी। सातवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया है।

4. उन्नत कृषि उपकरणों और हाथ के औजारों को भाड़े पर देने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए, विशेषकर शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों के लिए, दिसम्बर 1983 में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (केवल पूर्वी जिलों में) नामक नौ राज्यों में शुरू की गई थी। यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10.94 करोड़ रुपए के परिव्यय से जारी रखी जा रहा है। यह परिव्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, राजस्थान और पश्चिम बंगाल नामक दो और राज्यों को भी शामिल किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना (1986-87 से 1989-90) के दौरान ।

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किए जाने वाले भौतिक लक्ष्य इस प्रकार हैं—

(1) मौजूदा कृषक कृषि सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ करना	1,200
(2) नए केन्द्रों की स्थापना	1,000
(3) आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनों की संख्या	48,000
(4) उपकरणों, हाथ के औजारों का वितरण	3,85,000

(5) **भूमि-से-खेत कार्यक्रम**

उन्नत कम लागत वाली कृषि तकनीकों को अपनाकर छोटे एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की बेहतर बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् यह कार्यक्रम 1979 में शुरू किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, महत्वपूर्ण आदानों के रूप में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 500 रुपए की राजसहायता दी जाती है । इस कार्यक्रम को वर्तमान वर्ष के दौरान जारी रखा जा रहा है ।

इस्पात की उत्पादन लागत में कटौती करने के उपाय

3963. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी क्षेत्र द्वारा "टिस्को" द्वारा की जा रही बचत की तरह इस्पात की उत्पादन लागत में कटौती करने की बहुमुखी नीति तैयार की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जी, हाँ ।

अधिक उत्पादन और उत्पादिता, क्षमताओं के बेहतर उपयोग, बेहतर प्रौद्योगिकीय मानदण्डों, ऊर्जा के इस्तेमाल में बचत से और श्रम-लागतों पर काबू पाकर उत्पादन की लागत में कमी किए जाने की संभावना है ।

"सेल" द्वारा उत्पादन की लागतों पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय (जिनमें से कुछ उपाय निरन्तर चलने वाले हैं) किए गए हैं :—

(1) उत्पादन की लागत पर निगम और संयंत्र स्तर पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है । लागत में विभिन्नताओं को प्रबन्धकों के ध्यान में लाया जाता है और उपचारात्मक कार्यवाही के लिए उन पर विचार-विमर्श किया जाता है ।

(2) निगम के प्रबन्धकों ने संगठन में ही उपलब्ध स्रोतों के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता पर जोर देकर उत्पादन की लागत में कमी करने की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया है।

(3) मुद्रा सम्बन्धी कड़ी सीमाओं द्वारा समयोपरि भत्ते; विलम्ब-शुल्क जैसी लागतों पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

(4) "सेल" ने ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम तैयार किए हैं। इन्हें कार्यान्वित करने के लिए निदेशक मण्डल के स्तर पर इन पर विचार किया गया है।

ये प्रयास सभी स्तरों के अधिकारियों तथा श्रमिकों में लागत के बारे में पूरी तरह से जागरूकता लाने की दिशा में हैं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से सरकारी क्षेत्र में चल रहे उर्वरक संयंत्र

3964. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहायता से कितने उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं और उनमें किन-किन गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या इन संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए व्यवस्था क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में 16 उर्वरक संयंत्र संचालन में हैं जिनको विदेशी वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इनमें से चार संयंत्र अर्थात एक आसाम में तथा तीन महाराष्ट्र में फीडस्टाक के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक संयंत्र में एक सुरक्षा विभाग होता है जिसका संचालन योग्यता प्राप्त कार्मिक करते हैं तथा जिसमें संयंत्र कार्मिकों तथा निकटतम क्षेत्र की जनसंख्या को सुरक्षा सुनिश्चितम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होते हैं। सुरक्षा कार्मिक नियमित रूप से विद्यमान व्यवस्था की प्रामाणोत्पादकता की जांच करते हैं तथा दुर्घटनाओं से बचने के लि जहां भी आवश्यक हो सुधार की संभावनाओं की जांच करते हैं।

राजस्थान के मरूस्थलों को हरियाली में बदलना

3965. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राजस्थान मे मरूस्थलों को हरियाली में बदलने के प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेगिस्तान को हरियाली में बदलने की योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने क्षेत्रों को हरियाली में बदला गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने मरूस्थल क्षेत्र को हरियाली में बदलने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूखा संभावित क्षेत्रों में समन्वित तरीके से पारिस्थितिक संतुलत को बनाए रखने और भूमि जल तथा पशुधन संसाधनों का विकास करने के लिए वर्ष 1973 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। वर्ष 1974-75 से यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बन गया था और 1981-82 तक इसे राजस्थान के 9 मरूस्थली जिलों में कार्यान्वित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर मरूभूमि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल देने के लिए 1977-78 में मरूभूमि विकास कार्यक्रम को एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आरम्भ किया गया था और 1979-80 से यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चल रहा है। यह राजस्थान के 11 मरूस्थली जिलों में चल रहा है तथा वहाँ 1982-83 से पुनरावृत्ति वाले सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था। मरूभूमि विकास कार्यक्रम को अधिक महत्व देने के लिए सातवीं योजना के दौरान इसे केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित किया जाएगा।

भूमि तथा नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, भूमिगत जल का उपयोग, वनरोपण, चरागाह तथा चारे का विकास तथा शुष्क भूमि पर खेती के अलावा मरूस्थलीकरण को रोकने के उपाय जैसे रेत के टीले जमाना तथा वायुरोधी पौधरोपण आदि इस कार्यक्रम के अनिवार्य घटक हैं तथा इनका उद्देश्य मरूस्थलों में हरियाली बढ़ाना तथा उनमें वनस्पति उगाना है। मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान के मरूभूमि क्षेत्रों में योजनावार व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। सांतवीं योजना में भी राजस्थान के 11 मरूभूमि जिलों में काफी अधिक परिव्ययों के साथ यही उपाय जारी रहेंगे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना थार रेगिस्तान में आरम्भ की गई एक अन्य मुख्य परियोजना है। इस परियोजरा का समन्वित कमांड क्षेत्र विकास 1974 में आरम्भ किया गया था तथा पहले भाग के कार्य के प्रथम दौर में 2.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया जो कि 139 करोड़ की अनुमानित लागत से जून, 1983 में पूरा हुआ। चल रहे कमांड क्षेत्र विकास कार्य के पहले भाग का दूसरा दौर 1980 में आरम्भ हुआ जिसमें 93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया था। अब तक 5.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है जिसमें से 4.15 लाख हैक्टेयर का उपयोग किया गया है। 7000 आर० के० एम० नहर तथा सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण लगभग 60000 हेक्टेयर चरागाह तथा 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ईधन की लकड़ी के पेड़ लगाए गए हैं। 908 कि०मी० नहर तथा 2.9 लाख हेक्टेयर से

अधिक जल वाहिकाओं से संबंधित कार्य किया गया है। 342 कि०मी० मुख्य जिला सड़कों तथा 431 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।

राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1985, तक मुख्य इन्दिरा गांधी नहर के बांए किनारे के क्षेत्र में सिंचित वृक्षारोपण के अन्तर्गत 644 हेक्टेयर भूमि तथा चरागाह विकास के अंतर्गत 1950 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है तथा जंगली चरागाह वृक्षारोपण की लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि के विकास का प्रस्ताव है जिसमें से लगभग 15000 हेक्टेयर सिंचित वन रोपण तथा 35,000 हेक्टेयर भूमि पर बारहमासी घास वाले बरानी चरागाह होंगे।

विवरण

सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के 11 जिलों में योजनावार व्यय तथा भौतिक उपलब्धियां

(लाख रुपए में)

वर्ग	पांचवी योजना 1974-75 से 1979-80 सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम	छठी योजना 1980-81 1982-83 से 1984-85	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम* मरुभूमि विकास कार्यक्रम	7 वीं योजना (अनंतिम) 1985-86 मरुभूमि विकास कार्यक्रम फरवरी 86 (अनन्तिम)	कुल
	1	2	3	4	
(व्यय लाख रुपए)					
1. कृषि	411.95	602.21	75.79	1089.95	
2. सिंचाई	875.78	120.86	164.63	2261.27	
3. वानिकी तथा चरागाह	679.84	2205.92	534.38	3420.14	
4. पशुपालन	1357.38	1161.43	157.08	2775.89	
5. परियोजना प्रशासन	187.78	358.24	90.81	636.83	
6. अन्य	1946.06	1583.03	27.10	3556.19	
कुल	5458.79	7331.69	1149.79	13740.27	

	1	2	3	4
भौतिक उपलब्धियां				दिसम्बर, 1985 (अनन्तिम)
1. भूमि संरक्षण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर)	31,808	28,920	1,124	61,852
2. सृजित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	19.769	13,003	870	33,642
3. वानिकी, पौधरोपण तथा चरागाह (हेक्टेयर)	11.722	32.491	16444	66,657
4. रेत की टीले जमाना (हेक्टेयर)	6,961	6,516	उपलब्ध नहीं	13,477
5. वायु रोधी पौधरोपण शेल्टर बैल्ट (कि०मी०)	1,000	9,239	उपलब्ध नहीं	10,239

राजस्थान में मरुस्थलों को कृषि योग्य बनाना

3966. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण कार्यक्रम सम्बन्धी संयुक्त राज्य समिति द्वारा राजस्थान में मरुस्थलों को कृषि योग्य बनाने के बारे में अब तक क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ख) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिए गए विभिन्न सुझाव आमतौर पर राजस्थान सहित सभी मरूभूमि क्षेत्रों पर लागू होते हैं। दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं :

(1) सरकार को मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करनी चाहिएं

तथा उनका समर्थन करना चाहिए जिनमें (1) शुष्क भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने तथा इन क्षेत्रों में जनता की खुशहाली तथा उनके जीवन की आधार प्रणालियों को अग्रता दी जाए; (2) जनता की पूर्ण भागीदारी तथा सहयोग को सुनिश्चित किया जाए। शुष्क भूमि पर ग्रामीण जनसंख्या और जीविकोपार्जन पद्धतियों की बढ़ती हुई सीमा को रोकने तथा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के दीर्घकालिक तथा उत्पादक प्रयोग की पद्धतियां लागू करने के उपाय करने हेतु कार्यक्रमों की स्थापना को अग्रता दी जानी चाहिए।

(2) सरकारों को मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संसाधनों के उपयोग पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की स्थापना को अग्रता देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। साथ ही इस प्रयोजन के लिए सरकारी निवेशों को समन्वित करने हेतु उपयुक्त राष्ट्रीय मशीनरी की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए और शामिल लोगों की विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिक स्थिति के अनुरूप इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के कार्यात्मक कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु उनकी राष्ट्रीय योजनाओं का अभिन्न अंग हों।

(3) सरकार को मरुस्थलीकरण को रोकने में परियोजनाओं को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए चल रही तथा आयोजित विकास परियोजनाओं की जांच करनी चाहिए। मरुस्थलीकरण के राष्ट्रीय मूल्यांकन को पूरा किया जाना चाहिए तथा इसके स्तर और रुख की निगरानी करने हेतु प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को मरुस्थलीकरण का सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के उपायों में रुकावट डालने अथवा उन्हें हतोत्साहित करने वाली पद्धतियों तथा नीतियों की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा उनमें तदनुसार संशोधन करना चाहिए।

(ख) शुष्क भूमि पर खेती करने हेतु निरंतर बल तथा अग्रता दी जा रही है। विभिन्न एजेंसियां मरुस्थलीकरण की मानिटरिंग कर रही हैं, अध्ययन आयोजित कर रही है। तथा मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कार्यवाई कर रही हैं। वर्ष 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल मरुभूमि क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को नियन्त्रित करना तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है तथा इन क्षेत्रों के लोगो के लिए उत्पादन, आय एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना है। इस बात पर अधिक बल देने के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को पूर्णतया केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना बना दिया गया है तथा इसके लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करके

कार्य-योजनाएं तैयार की जाती हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली किन्हीं भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक उपलब्धियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सहायता

3967. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने अनुसूचित जातियों के परिवारों को डेरी खोलने, मुर्गीपालन तथा भेड़-बकरियां पालने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान फरवरी, 86 के अन्त तक, 6.6 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों (अनन्तिम) को सहायता दी गई है। डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ तथा बकरियां पालन यूनिटों के लिए सहायता दत्त परिवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना, स्थायी स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 प्रतिशत निधियां केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित की जाती है। मकानों का निर्माण भूमि विकास, लघु सिंचाई कार्यों, पेयजल कुंआं, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, हरिजन चौपालों का निर्माण स्वच्छता तथा सामाजिक वानिकी कार्यों जैसी योजनाओं को आरम्भ करने की अनुमति दी गई है। छठी योजना के दौरान 155.78 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी तथा इसके मुकाबले 241.53 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किए जाने की सूचना मिली है। सातवीं योजना अवधि हेतु 2487.47 करोड़ रुपए के परिव्यय 1250.81 करोड़ रुपए केन्द्रीय परिव्यय के रूप में तथा 1236.66 करोड़ रुपए राज्यों के अंश के रूप में) की परिकल्पना की गई है। इसमें से 248.75 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, सातवीं योजना में 20 मिलियन

परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है जिसमें छठी योजना में सहायता प्राप्त वे परिवार भी शामिल हैं जो कि उन कारणों से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत माइक्रो स्तर पर कम से कम 30 प्रतिशत सहायता प्राप्त परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए और राज सहायता तथा ऋण के रूप में 30 निवेशों का भीप्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु सातवीं योजना में केन्द्रीय तथा राज्य अंश सहित कुल परिव्यय 2358.81 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

भण्डारण और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण मछलियों की हानि और उनका खराब होना

3968. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और केरल में समुचित और पर्याप्त भण्डारण तथा परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण मछलियों का नुकसान हुआ है, मछलियां सड़ गई हैं। फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि हुई, पोषक तत्वों का ह्रास हुआ मछुआरों को कम लाभ हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पंजाब और अरूणाचल प्रदेश में किए गए परीक्षण के अनुसार किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के लिए किसानों और सहकारी समितियों को आंगुलिकों और अन्य आदानों की सप्लाई के माध्यम से मात्स्यकी को बढ़ावा देने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां। बीज रूप में छोटी मछलियों (आंगुलिकों), अन्य आदानों की सप्लाई करने तथा मछली का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए तमिलनाडु तथा केरल में क्रमश: 11 तथा 3 मछुवारा विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं।

बाढ़ और समुद्री तूफान राहत कार्यों के लिए उड़ीसा सरकार को सहायता

3969. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने जहां कि अगस्त-अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान बाढ़ और समुद्री तूफान लगातार आते रहे हैं, केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है

जिसमें बाढ़ और समुद्री तूफान से होने वाली व्यापक क्षति को पूरा करने के लिए 191 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान की मांग की गई है;

(ख) क्या एक केन्द्रीय दल ने नवम्बर, 1985 में राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, और यदि हां, तो उसके तत्संबंधी निष्कर्ष क्या थे; और

(ग) सहायता, अनुदान को शीघ्र जारी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि राज्य सरकार, राहत और मरम्मत के विभिन्त कार्यों को शीघ्र आरम्भ कर सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 25 अक्तूबर, 1985 को उड़ीसा सरकार से चक्रवात/बाढ़ों से सम्बन्धित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें 105.19 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने 2 से 5 नवम्बर, 1985 तक दौरा करने वाले केन्द्रीय दल के सदस्यों को एक पूरक ज्ञापन दिया, जिसमें 191.00 करोड़ रुपए की वर्धित केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी।

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा सरकार को चक्रवात/बाढ़ राहत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें अधिकतम 3262.40 लाख रुपए की केन्द्रीय मंजूरी दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को धनराशि की निर्मुक्ति उनके द्वारा सप्लाई किए गए व्यय के आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

भूमि सुधार अधिनियम को नवीं अनुसूची में रखने का उड़ीसा का प्रस्ताव

3970. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भूमि के गैर कानूनी हस्तांतरण को रोकने और विनियमित करने हेतु उड़ीसा सरकार ने 1956 के विनियम 2 को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में रखने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की छानबीन की जा रही है।

सऊदी अरब से भारतीयों की वापसी

3971. **श्री सुभाष यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 1986 के पंजाब केसरी (हिन्दी) में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सऊदी अरब में कार्य कर रहे 1,50,000 भारतीयों को अपनी वर्तमान सेवा करार के पूरा होने पर भारत लौटना होगा;

(ख) भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार से इस बारे में बातचीत की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी, हां। ठेका पूरा होने पर वापिस आने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हाल ही में, सऊदी सरकार ने डाक्टरों, इंजीनियरों, फार्मेसिएटों आदि जैसे व्यवसायों को छोड़कर, सभी वर्गों के प्रवासी कर्मकारों के लिए प्रतिभूत्व अंतरित करने पर पाबंदी की घोषणा की है। उन्हें अपने रोजगार संविदा समाप्त होने पर सऊदी अरब छोड़ना होगा। यह सभी प्रवासी कर्मकारों पर लागू होता है। अत: सऊदी सरकार के साथ यह मामला उठाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दिल्ली के लिए द्रुत परिवहन प्रणाली

3972. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए द्रुत परिवहन प्रणाली तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अन्य कौन सी वैकल्पिक परिवहन योजना बनाई गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली के लिए द्रुत परिवहन पद्धति अथवा कोई अन्य परिवहन पद्धति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिवहन पद्धति के लिए विकल्प नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए परिवहन पद्धति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली क्षेत्रीय योजना का अंग होगी।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के पुराने नांगल यूनिट का आधुनिकीकरण

3973. **श्री माणिक राव होडल्या गावित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के 25 वर्ष पुराने नांगल यूनिट का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे किस सीमा तक उत्पादन में वृद्धि होगी और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने 28.65 करोड़ रु० की पूंजी लागत पर नांगल आधुनिकीकरण योजना (वर्तमान इलेक्ट्रोलिसिस संयंत्र को नेफथा पर आधारित रिफारमेशन संयंत्र से प्रतिस्थापित करना अनुमोदित कर दिया है। इस योजना को 30 महीनों की अवधि के अन्दर पूरा हो जाना अपेक्षित है तथा इससे उत्पादन का वर्तमान स्तर पावर की काफी घटी खपत पर बना रहेगा।

शहरी क्षेत्रों में हरियाली क्षेत्र

3974. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में हरियाली क्षेत्रों के संरक्षण पर कौन सा प्राधिकरण निगरानी रखता है;

(ख) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सभी शहरी निगमों के लिए हरियाली क्षेत्रों को वास्तविक रूप में बनाए रखना अनिवार्य है; और

(ग) भीड़-भाड़ वाले नगरों में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टियों के प्रबोधन एवं संरक्षण का दायित्व सम्बन्धित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का है।

(ख) नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन द्वारा एक आदर्श क्षेत्रीय तथा नगर आयोजना तथा विकास कानून बनाया गया है तथा मार्गनिर्देशन के लिए इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

(ग) पारिस्थितिकी सन्तुलन के अनुरक्षण पर बल देते हुए शहरों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रकाशन

3975. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा देश में और विदेशों में प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लोकप्रिय पैम्फ्लेटों, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन, बिक्री और वितरण का कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च किया गया और उक्त अवधि के दौरान इनकी बिक्री से प्रति वर्ष प्राप्त हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा शेष कितनी कीमत के पैम्फलेट, पुस्तकें और पत्रिका; उपयोग में नहीं आयीं; और

(ग) वर्ष 1985-86 में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं और पैम्फलेटों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा उनका प्रकाशन किस-किस भाषा में किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग बिक्री के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पत्रिकाएं और पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय देश के अन्दर निःशुल्क वितरण के लिए लोकप्रिय पैम्फलेट प्रकाशित करता है।

(ख) (1) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा छापे और बेचे गए एम्पलायमेंट न्यूजसहित पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि तथा उन पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

(रुपए लाखों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
1. प्रकाशन लागत	198.15	238.07	237.45
2. बिक्री से प्राप्त धनराशि	226.51	259.03	264.00

स्टाक में मौजूद सभी प्रकाशनों की बिक्री होती रहती है तथा अभी भी बिक्री हो रही है।

2. गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा मुद्रित प्रचार सामग्री पर किया गया कुल वर्ष-वार इस प्रकार है :

1982-83 : 102.35 लाख रुपए

1983-84 : 58.03 लाख रुपए

1984-85 : 93.15 लाख रुपए

(ग) (1) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशित करने पर कुल लगभग 297.00 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(2) 1.4.85 से 29.2.86 तक की अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 126 पैम्फ्लेट प्रकाशित करने पर कुल 28.81 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से 126 पैम्फ्लेट अंग्रेजी और हिन्दी में थे तथा 20 पैम्फ्लेट अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी थे।

विवरण

अंग्रेजी	(क) पुस्तकें	कुल व्यय
1. फोक टेल्ज आफ राजस्थान		30533.00
2. इंडिया ए रेफ्रेंस एनुअल-1984		303720.00
3. चेलेंज आफ दि सीटिज		5431.00
4. एन० एस० हार्डीकर		27341.00
5. मास मीडिया इन इंडिया-1984		21679.00
6. फोट्र्स आफ इंडिया		51000.00
7. वन्स अपोन व टाइम-फोक टेल्ज आफ पंजाब		23805.00
8. इंडिया सिन्स इंडेपेंडेंस		25074.00
9. अवर फोररेस्ट्स		32973.00
10. कम्युनिकेशन मीडिया यसटरडे, टुडे एंड टुमारो		22088.00
11. विजय नगर पेंटिग्ज		201226.00

	कुल व्यय
12. इंडियन स्पेस फ्लाइट्स	51403.00
13. सलेक्टिड स्पीचिज एंड राइटिंग्ज आफ श्रीमती इंदिरा गांधी खड-4	152209.00
14. फोक टेल्ज आफ तमिलनाडु	21755.00
15. इन्वायरनमेंट नर्सरी आफ लाइफ	33914.00
16. स्टोरी आफ आई० एन० ए०	45038.00
17. इंडियन क्वीसिने (संशोधित)	10106.00
18. पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया	17900.00
19. रफी अहमद किदवई (बी० एम० आई०)	34846.00
20. एनुअल रिपोर्ट आफ मिनिस्ट्री आफ आई० एंड बी० 1984-85	32889.00
21. परफोरमेंस बजट आफ मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी 1985-86	14512.00
22. सी० डब्ल्यू० एम० जी० खंड-3 (पुनर्मुद्रण)	45189.00
23. सी० डब्ल्यू० एम० जी० खंड-10 (पुनर्मुद्रण)	47232.00
24. सी० डब्ल्यू० एम० जी० खंड-1 (पुनर्मुद्रण)	35452.00
हिन्दी	
25. एम० विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के निर्माता	10500.00
26. दूरदर्शन के लिए भारतीय व्यक्तित्व खंड-1	55314.00
27. दूरदर्शन के लिए भारतीय व्यक्तित्व खंड-2	—
28. रासलीला	29078.00
29. भारत-1984	89528.00
30. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय खंड-5 (पुनर्मुद्रण)	24697.00
31. बाल महाभारत—लक्षाग्रह	26048.00
32. आधुनिक पंजाबी कहानियां	16267.00
33. भारत छोड़ो आन्दोलन	28073.00

	कुल व्यय
34. उपनिषद प्राचीन कथाएं (पुनर्मुद्रण)	39240.00
35. विज्ञान में महानता की ओर (पुनर्मुद्रण)	56880.00
36. गांधी स्टोरी (पुनर्मुद्रण)	275310.00
37. गणेश शंकर विद्यार्थी (पुनर्मुद्रण)	194370.00
38. अमर मुस्कान (पुनर्मुद्रण)	63360.00
39. आत पात नगर की कहानियां	23970.00
40. भारत की वीरांगनाएं	16054.00
41. सदभावना कविता संग्रह भाग-1	19161.00
42. कौन जीता कौन हारा (पुनर्मुद्रण)	148770 00
43. भारत के गौरव भाग-1 (पुनर्मुद्रण)	82950.00
44. भारत के गौरव भाग-2 (पुनर्मुद्रण)	100170.00
45. भारत के गौरव भाग-7 (पुनर्मुद्रण)	103110.00
46. भारत के गौरव भाग-9 (पुनर्मुद्रण)	141960.00
47. अनजाने में हुए आविष्कार (पुनर्मुद्रण)	30720·00
48. वार्षिक रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1984-85	10954.00
49. निष्पादन बजट 1985-86 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	9700.00
50. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय खंड-4 (पुनर्मुद्रण)	35000.00
51. ये गाथा वीर जवाहर की (पुनर्मुद्रण)	190380.00
52. भारत के गौरव भाग-6 (पुनर्मुद्रण)	130620.00
53. भारत के गौरव भाग-6 (पुनर्मुद्रण)	123060.00
54. नये दशक की महिलाओं का स्थान	3988.00
55. आदर्श विद्यार्थी बापू (पुनर्मुद्रण)	54150.00
56. भारत के गौरव भाग-4 (पुनर्मुद्रण)	126630.00
57. भारत के गौरव भाग-8 (पुनर्मुद्रण)	99750.00
58. खेल खिलाड़ी (पुनर्मुद्रण)	38400.00
59. राम गंगा का शेर (पुनर्मुद्रण)	30240.00

	कुल व्यय
60. नमक आन्दोलन (पुनर्मुद्रण)	102030.00
61. बिहार की लोक कथाएं (पुनर्मुद्रण)	134520.00
62. भारत के गौरव भाग-3 पुनर्मुद्रण)	91980.00
63. हमारा राष्ट्र चिन्ह (पुनर्मुद्रण)	34200.00
64. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	7543.00
65. पौणाणिक बाल कथाएं (पुनर्मुद्रण)	148200.00
66. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	13008.00
67. ग्रामीण जीवन में विज्ञान (पुनर्मुद्रण)	51720.00
68. देश भक्ति की कविताएं	20579.00
69. जवाहर लाल नेहरू सचित्र जीवनी	37028.00
70. भारतीय भाषाएं	7665.00
71. राष्ट्रीय एकता और धर्म	6041.00
72. सच्ची जासूसी कहानियां भाग-3	23869.00
73. सूरचित्रावली	53102.00
74. श्री अरविंदो-आधुनिक भारत के निर्माता	36070.00
75. बाल महाभारत भाग-4—महारथी कर्ण	11361.00
76. क्रान्ति ज्योति सावित्री बाई फुले	8442.00
77. कस्तूरी रंगा अय्यगर-आधुनिक भारत के निर्माता	24185.00
78. तेज बहादुर सपु-आधुनिक भारत के निर्माता	20864.00
क्षेत्रीय भाषाएं	
79. पौणाणिक बाल कथाएं-असमिया	5710.00
80. चिल्डर्न्स महाभारत-बंगला	12811.00
81. रोमेन रोलेन्ड एंड गांधी कोसंपोंडेंस-बंगला	34534.00

	कुल व्यय
82. तिल कन्या-गुजराती	12900.00
83. पौणाणिक कथाएं-कन्नड़	21388.00
84. लोगुब्बारे-मलयालम	6787.00
85. अबुल कलाम आजाद आधुनिक भारत के निर्माता मलयालम	16025.00
86. जलियांवाला बाग-मलयालम	5787.00
87. सी सुब्रमण्यम भारती-मलयालम	8599.00
88. बिखरे मोती मलयालम	10967.00
89. डा० बी० आर० अम्बेडकर-आधुनिक भारत के निर्माता-मराठी	19409.00
90. विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं-पंजाबी	18454.00
91. कर्नाटक के महान संत कनकदास-कन्नड़	12498.00
92. पोराणिक बाल कथाएं-कन्नड़	13742.00
93. जातक कथाएं भाग-1 पंजाबी	35302.00
94. सरी सुरिप की कहानी-पंजाबी	10912.00
95. सदभावना-पंजाबी	8750.00
96. फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आफ पंजाब-पंजाबी	19726.00
97. लाइफ एंड वर्क्स आफ प्रेम चन्द तमिल	26755.00
98. जातक कथाएं-तमिल	47753.00
99. आर० एन० टेगौर-आधुनिक भारत के निर्माता-तेलुगु	29097.00
100. विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं-तेलुगु	9985.00
101. गांधी स्टोरी-उर्दू	10000.00
102. धनुआ राजा-उर्दू	11164.00
कुल योग :	4957239.00

खं-पत्रिकाएं

वर्ष 1985-86 अर्थात 1-4-1985 से 14-3-1986 तक की अवधि के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिकाओं की सूची।

पत्रिका का नाम	आवधिकता	व्यय 1985-86 (आंकड़े लाख रुपए में)
1. आजकल-हिन्दी	मासिक	3.60 रुपए
2. आजकल-उर्दू	"	4.25 रुपए
3. बाल भारती-हिन्दी	"	14.30 रुपए
4. आई एंड एफ आर अंग्रेजी	पाक्षिक	36.00 रुपए
5. कुरुक्षेत्र-हिन्दी	मासिक	3.00 रुपए
6. कुरुक्षेत्र-अंग्रेजी	मासिक	4.70 रुपए
7. योजना-अंग्रेजी	पाक्षिक	9.00 "
8. योजना-हिन्दी	"	8.50 "
9. योजना-असमिया	"	0.72 "
10. योजना-बंगला	"	1.00 "
11. योजना-गुजराती	"	1.00 "
12. योजना-मराठी	"	1.20 "
13. योजना-मलयालम	"	0.80 "
14. योजना-तमिल	"	3.00 "
15. योजना-तेलुगु	"	0.90 "
16. योजना-उर्दू	"	0.90 "
17. योजना-पंजाबी	मासिक	0.48 "
18. योजना-कन्नड़	"	0.65 "
19—21 रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू	साप्ताहिक	153.75 "
	कुल	247.75 रुपए

[अनुवाद]

उर्वरकों का इस्तेमाल

3976. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन होने के बारे में अप्रसन्नता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है; और

(ग) उर्वरकों का इस्तेमाल किए जाने में भारी अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) किसी भी राज्य ने राज्यों के बीच उर्वरक के उपयोग में असमानता के बारे में अप्रसन्नता जाहिर नहीं की है। फिर भी, एक राज्य से दूसरे राज्य में उर्वरकों के उपयोग में असमानता है। प्रत्येक राज्य में प्रति हैक्टेयर प्रयुक्त उर्वरक की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उर्वरक उपयोग में अंत: राज्य अन्तर के कारण मृदा किस्मों, सिंचित क्षेत्र, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र, वर्षा की मात्रा/पैटर्न और भिन्न-भिन्न फसल पैटर्न में विभिन्नता है।

विवरण

राज्य का नाम	पोषक तत्वों की खपत (एन+पी$_2$ ओ$_5$+के$_2$ ओ) किलोग्राम/हैक्टेयर में (1984-85)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	75.14
2. केरल	43.94
3. कर्नाटक	52.61
4. तमिलनाडु	99.94
5. गुजरात	46.28
6. मध्य प्रदेश	17.13
7. महाराष्ट्र	28.51
8. राजस्थान	11.11

1	2
9. हरियाणा	57.78
10. पंजाब	151.19
11. उत्तर प्रदेश	65.11
12. हिमाचल प्रदेश	22.92
13. जम्मू और कश्मीर	29.72
14. असम	4.01
15. बिहार	35.90
16. पश्चिम बंगाल	54.81
17. मणिपुर	15.66
18. मेघालय	14.30
19. नागालैंड	1.76
20. त्रिपुरा	8.15
21. उड़ीसा	13.04
22. सिक्किम	13.00
अखिल भारतीय औसत	46.38

आदिवासी भू-स्वामित्व प्रणाली संबंधी अध्ययन दल

3977. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी भू-स्वामित्व प्रणाली संबंधी अध्ययन दल ने अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कृषि मंत्रालय ने देश में आदिवासी भू-स्वामित्व प्रणाली पर कोई अध्ययन दल गठित नहीं किया है। तथापि, योजना आयोग ने नवम्बर, 1985 में आदिवासी क्षेत्रों में भूमि जोतों की प्रणाली संबंधी एक अध्ययन दल का गठन किया है। इस अध्ययन दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गंगटोक में उच्च शक्ति का टावर स्थापित करना

3978. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गंगटोक में शक्तिशाली दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) गंगटोक स्थित वर्तमान दूरदर्शन रिले केन्द्र का कार्यक्रम कितने क्षेत्र में देखा जा सकता है और क्या यह सम्पूर्ण सिक्किम और उसके आस-पास के क्षेत्र में देखा जा सकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान सिक्किम में दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार करने का केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। सातवीं योजना अवधि के दौरान, गंगटोक के अल्पशक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा टी०वी० ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर से बदलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सिक्किम में तीन अन्य स्थानों पर अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) वाले टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें भी दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं।

(ख) गंगटोक का मौजूदा टी०वी० ट्रांसमीटर गंगटोक नगर तथा कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करता है।

(ग) जी, हां। गंगटोक में सीमित कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के लिए प्रावधान दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में मत्स्यपालन के विकास की योजना

3979. श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप-समूह में मत्स्यपालन के विकास की कोई योजना केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है क्योंकि यह इस द्वीपसमूह के वासियों का एक मुख्य धंधा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मत्स्य पालन के विकास के उद्देश्य में इस द्वीपसमूह में एक निगम स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :—

1. द्वीपों के आसपास मछली के साधनों का सर्वेक्षण।
2. सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा।
3. मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि।
4. मिनिकाय एवं अगस्ती में मत्स्यन जलयानों को तट पर उतरने और वहां रुकने की सुविधाएं।

इसके अतिरिक्त, लक्षद्वीप प्रशासन सातवीं योजना में मत्स्य विकास के लिए 520.00 लाख रुपए के लिए कुल परिव्यय से अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मत्स्य निगम की स्थापना के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए इस द्वीप में एक मात्स्यकी विकास निगम की स्थापना करने के लक्षद्वीप प्रशासन के एक प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।

[हिन्दी]

"टेलीटेक्स", सेवा की शुरुआत

3980. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टेलीटेक्स" सेवा को जो दिल्ली में आरम्भ की गई है, देश के अन्य भागों में भी प्रारम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो दिल्ली में यह सेवा प्रारम्भ करने पर कितना धन व्यय हुआ है और देश के अन्य भागों में यह सेवा प्रारम्भ करने पर कितना धन व्यय होने की संभावना है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किए गए टी० वी० सैट और "डिकोडर" देश में ही निर्मित हैं अथवा आयात किये गये हैं; और

(ग) क्या यह "टेलीटेक्स" सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी अथवा केवल दूरदर्शन प्रसारण समय के दौरान ही उपलब्ध होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य केन्द्र पर टेलीटेक्स्ट सेवा चालू करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। दिल्ली में टेलीटेक्स्ट सेवा चालू करने की अनुमानित लागत 1.60 लाख रुपये है।

(ख) टेलीटेक्स्ट सेवा उपलब्ध स्वदेशी दूरदर्शन सैटों पर प्राप्त की जा सकती है, इस समय उपलब्ध डिकोडर सेवा शुरू करने के लिए आयात किए गए थे। उद्योग ने डिकोडरों का देश में निर्माण करने के लिए कदम उठाये हैं।

(ग) टेलीटेक्स्ट सेवा में प्रात: 9.00 बजे से दोपहर 2.45 बजे तक तथा अपरान्ह 4.00 बजे से रात 11.00 बजे तक उपलब्ध है। इस सेवा की अवधि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों को देय धनराशि के भुगतान में देरी करने के लिए प्रबंधकों को दण्ड देने के लिए विधान

3981. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों को देय धनराशि आदि के भुगतान में जो प्रबंधक तत्परता नहीं दिखाते, उन्हें दण्ड देने के लिए उचित विधान लाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का विधान कब लाया जाएगा और कार्यान्वित किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में उन नियोजकों को दण्ड देने के लिए उचित उपबंध पहले से ही है जो भविष्य निधि/उपदान से सम्बन्धित श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते। तथापि, सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन वर्तमान दांडिक उपबंधों को और कड़े करने तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियोजक दायित्व के अनिवार्य बीमे की व्यवस्था करने/ट्रस्ट निधि की स्थापना करने के कतिपय प्रस्तावों पर विचार कर रही है ताकि श्रमिकों की बकाया राशि के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके।

नागपुर में हाई पावर ट्रांसमीटर स्थापित करना

3982. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर में एक हाई पावर टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त हाई पावर टी०वी० ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) नागपुर में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) के टी०वी० ट्रांसमीटर को 110 मीटर ऊंचे आर०सी०सी० टावर का निर्माण होने तक, 1 किलोवाट की कम शक्ति पर अगस्त, 1982 में चालू किया गया था। टावर के मुकम्मल हो जाने पर, ट्रांसमीटर की शक्ति अक्तूबर, 1985 में बढ़ाकर 10 किलोवाट कर दी गई थी।

डेरी सहयोग पर भारत-सोवियत संघ प्रोटोकोल

3983. श्री के० वी० शंकर गौड़
श्री एन० डेनिस } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने अपनी आर्थिक और तकनीकी सहयोग योजनाओं में आने वाले वर्षों में डेरी के क्षेत्र में सह उत्पादन करने का फैसला किया है;

(ख) क्या इस संबंध में मास्को से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया था;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हुआ है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भारत और सोवियत संघ की आर्थिक और तकनीकी सहयोग योजनाओं में डेरी के क्षेत्र में सह-उत्पादन निर्धारण की कोई प्रणाली नहीं है।

तथापि, सोवियत संघ सरकार के निमन्त्रण पर डेरी उद्योग और अनुसंधान कार्य में लगे भारतीय सहकारी कार्यकर्ताओं के एक दल ने नवम्बर, 1979 में सोवियत संघ का दौरा किया था। मांस और डेरी उद्योग के सोवियत मंत्री के नेतृत्व में एक सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने तत्कालीन कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मन्त्री के निमन्त्रण पर भारत का दौरा किया तथा मांस और डेरी उद्योग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में दो देशों के बीच भावी सहयोग के सैम्भाव्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 16 मई और 21 मई, 1981 को नई दिल्ली में विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श के अनुसरण में मांस और डेरी उद्योग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के लिए 21 मई, 1981 को नई दिल्ली में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। इस

प्रोटोकोल में दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने के बाद अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग की नई मदों का पता लगाकर उन्हें अमल में लाने की व्यवस्था थी। यह माना गया कि ऐसा सहयोग वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, मांस और दुग्ध प्रौद्योगिकी के ब्यौरों के लेन-देन, वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के आदान-प्रदान वैज्ञानिक उपस्करों के आयात / निर्यात और वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करके किया जाएगा। इन क्षेत्रों में सहयोग को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

3984. श्री बुद्धि चन्द्र जैन
श्री मुरलीधर माने } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या देश के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाएगा क्योंकि वहां रेडियो पर कार्यक्रम ठीक से नहीं सुने जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्र के सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

विवरण

700 करोड़ रुपए की सातवीं योजना (1985-90) में प्रस्तावित नये रेडियो स्टेशनों की सूची

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) कोट्टागुडम (2) तिरुपति (3) वारंगल (4) कुर्नूल (5) निजामाबाद (6) मकापुरम (7) अन्नतपुर।
2.	असम	(8) तेजपुर (9) कोकराझाड़ (10) जोरहाट (11) नौगोंव (12) हफ्लोंग (13) धुब्री
3.	बिहार	(14) डाल्टनगंज (15) हजारीबाग (16) पूर्णिया (17) सिंहभूम (18) सासाराम
4.	गुजरात	(19) आहवा (20) सूरत (21) गोधरा
5.	हरियाणा	(22) कुरूक्षेत्र (23) हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश	(24) किन्नौर (25) लाहुलस्पिति (26) धर्मशाला (27) कुल्लू (28) हमीरपुर
7.	जम्मू व कश्मीर	(29) कारगिल (30) भद्रवाह (31) पुंछ (32) कठुआ

1	2	3
8.	कर्नाटक	(33) मरकारा (34) हसन (35) करवाड़ (36) होस्पेट (37) बिजापुर (38) चित्रदुर्ग (39) रायचूर
9.	केरल	(40) कन्नानौर (41) इदुक्की (42) कोचीन
10.	मध्य प्रदेश	(43) शहडोल (44) शिवपुरी (45) छिंदवाड़ा (46) सागर (47) गुना (48) बिलासपुर (49) बालघाट (50) राएगढ़ (51) खंडवा (52) बेतुल
11.	महाराष्ट्र	(53) कोल्हापुर (54) नासिक (55) अहमदनगर (56) बिड़ (57) धुले (58) चंद्रपुर (59) नांदेड़ (60) अकोला (61) ओस्मानाबाद (62) सतारा (63) यवतमाल।
12.	मणिपुर	(64) चांदपुर
13.	मेघालय	(65) जोवाई
14.	नागालैंड	(66) मोकोक चुंग
15.	उड़ीसा	(67) भवानीपटना (68) राऊरकेला (69) बाड़ीपाडा (70) बहरामपुर (71) बोलनंगीर
16.	पंजाब	(72) भटिंडा (73) पटियाला
17.	राजस्थान	(74) बाड़मेर (75) जैसलमेर (76) चुरू (77) माऊंट आबु (78) बांसवाड़ा (79) अलवर (80) झालावाड़ (81) चित्तौड़गढ़ (82) सवाई माधोपुर (83) नागौर
18.	सिक्किम	———
19.	तमिलनाडु	(84) तूतीकोरिन (85) ऊटाकमंड (86) कोडैकनाल।

1	2	3
20.	त्रिपुरा	(87) कैलाशहर (88) बेलोबिया (उप मंडल)
21.	उत्तर प्रदेश	(89) चमौली (90) पिथौरागढ़ (91) उत्तरकाशी (92) पौड़ी/श्रीनगर (93) ओबरा (94) झांसी (95) बरेली (96) अलीगढ़ (97) फैजाबाद
22.	पश्चिम बंगाल	(98) आसनसोल (99) मुर्शिदाबाद।
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	(100) कारनिकोबार
2.	अरूणाचल प्रदेश	(101) जीरो
3.	चण्डीगढ़	———
4.	दादरा; नागर और हवेली	———
5.	दिल्ली	———
6.	गोवा, दमन और दीव	(102) दमन
7.	लक्षद्वीप और मिनीकाय	(103) कवारती
8.	मिजोरम	(104) लुंगलेह
9.	पांडिचेरी	(105) करकल

नोट : विविध भारती/विज्ञापन सेवाओं के लिए कसौली और मंसूरी में भी दो एफ०एम० ट्रांसमीटरों का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

महेन्द्रगढ़, हरियाणा में भूमिगत खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण

3985. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में खनिज सम्पदा भण्डारों का पता लगाने के लिए सवक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खनिजों का सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है तथा यह कार्य हरियाणा के जिला महेन्द्रगढ़ में भी भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा हरियाणा राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा किया गया है। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप निम्नलिखित खनिज पाए गए हैं :—

खनिज	मात्रा मि०टन व क्षेत्र
ताम्बा अयस्क	28 मि०टन निम्न ग्रेड अयस्क, खोदना, तीजांवाली हिल, गोलवा, गंगूतना एरिया।
स्लेट	8.78 मि०टन स्लेट अच्छी कोटि का, कुण्ड में।
लौह अयस्क	4 मि०टन लौह अयस्क (50 से 63% लौह युक्त) धनोटा, धन्धोली तथा अंत्री-बिहारीपुर इलाके।
चूनापत्थर व मार्बल	10.45 मि०टन चूनापत्थर तथा 20.75 मि०टन मार्बल अंत्री-बिहारीपुर, नारनौल के चारों ओर, दोचाना, मसनोटा, धनोटा, गंगूतना, सदकीधानी आदि।

महेन्द्रगढ़ जिले में एस्बेस्टस, बेरिल, कैल्साइट, फेल्सपार, फ्रायेबल सैन्डस्टोन, गारनेट, कायनाइट, मस्कोवाइट आदि के भी छुट-पुट भंडार होने की सूचना है, किन्तु ये मामूली आर्थिक महत्व के हैं।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधायें

3986. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को वर्तमान वित्तीय

संस्थानों का सर्वोत्तम सम्भव उपयोग करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने हेतु तुरन्त एक कृतिक बल तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने उक्त कार्यक्रम तैयार करके केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र इस सम्बन्ध में इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान करेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना को मजबूत बनाने के लिये राज्य सरकारों को एक कार्यात्मक योजना तैयार करने के लिए निम्न सुझाव दिये गये हैं :—

(1) उन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की शाखाओं का समामेलन या समापन जो सक्षम नहीं समझी गई और जिनके आगामी पांच वर्षों में सक्षम होने की सम्भावना नहीं है।

(2) योजनायें तैयार करने के लिए बैंक कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना।

(3) अन्य यूनिटों के लिये एक कार्यक्रम तैयार करना।

(4) ऋण देने की मौजूदा नीतियों और प्रक्रियाओं को तेज करना।

(5) बैंकों के संगठन और प्रबन्ध को मजबूत बनाना।

(6) बैंकों के संसाधनों को मजबूत बनाना।

(7) पुनर्गठन के तहत यूनिटों के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

(8) राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के स्तर पर एक पुनर्वास कक्ष की स्थापना करना।

(9) पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आवधिक निरीक्षण करने के लिये जिला स्तर पर पुनर्वास संवीक्षा समितियों का गठन करना; और

(10) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं की पुनर्वास योजना की प्रगति की संवीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय पुनर्वास संवीक्षा समिति का गठन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पुनर्वास योजना की कुछ मदों के व्यय को पूरा

करने के लिये वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करने की पेशकश की है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी से जापान को लौह अयस्क पिंडों का निर्यात

3987. श्री बी० वी० देसाई : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कुद्रेमुख आयरन-ओर कम्पनी" को जापान से वर्ष 1986-87 के लिये 25 लाख टन लौह अयस्क पिंड का निर्यात आर्डर प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या जापानी प्राधिकारियों ने यह भी कहा है कि वे कुद्रेमुख कम्पनी से लौह अयस्क पिंड की नियमित आधार पर खरीद करेंगे;

(ग) यदि हां, तो इस आर्डर से कुद्रेमुख की 70 लाख मीटरी टन की निर्धारित क्षमता के लगभग 60 प्रतिशत के खनन कार्य में सहायता मिलेगी; और

(घ) इस निर्यात आर्डर से कुद्रेमुख को हो रही हानि किस सीमा तक कम हो जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 1986-87 के दौरान जापान से 25 लाख टन लौह अयस्क सांद्रण के निर्यात के लिये आर्डर प्राप्त हुआ है।

(ख) जापान की इस्पात मिलें कुछ शर्तों के अन्तर्गत दीर्घावधि आधार पर कुद्रेमुख सांद्रण खरीदने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई हैं।

(ग) इस आर्डर के अनुसार जापान को निर्यात करने से कुद्रेमुख परियोजना की क्षमता के उपयोग में काफी सुधार होने की सम्भावना है।

(घ) इस आर्डर से, कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना में वर्ष 1985-86 के दौरान हुई हानि की तुलना में वर्ष 1986-87 के दौरान हानि के घटकर लगभग 6 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है।

समेकित औद्योगिक संबंध विधेयक

3988. श्री शांता राम नायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की सभी अनिवार्य केन्द्रीय औद्योगिक विधानों को समेकित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय ऐसा कदम उठाने पर विचार करेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विद्यमान पृथक-पृथक कानूनों के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों, मजदूर संघों, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, कार्य-दशाओं, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आदि के महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। समय-समय पर यथा आवश्यक समझे गये परिवर्तनों पर विचार किया जाता है ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा व्यवसाय संघ अधिनियम सहित इन कानूनों में अपेक्षित संशोधन किये जा सकें।

महिला श्रमिकों के लिए उद्योगों का आरक्षण

3989. **शांताराम नायक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल महिला श्रमिकों के लिये कुछ उद्योग आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ उद्योगों को केवल महिला श्रमिकों के लिये आरक्षित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मत्स्य उद्योग का विकास

3990. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य उद्योग के विकास के लिये वर्ष 1985-86 में विभिन्न राज्यों को कितनी धन-राशि मंजूर की गई है;

(ख) देश में मत्स्य उद्योग के विकास के लिये वर्ष 1986-87 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) वर्ष 1986-87 में मत्स्य उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा और अन्य राज्यों को

कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उड़ीसा में वर्ष 1986-87 में मत्स्य उद्योग के विकास के लिये क्या मुख्य कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उड़ीसा में 1986-87 के दौरान मात्स्यिकी विकास के लिये किये जाने वाले प्रस्तावित मुख्य उपाय निम्नवत् हैं : —

अवस्थानात्मक विकास अर्थात् : —

(1) एसंतरंग तथा गोपालपुर में मत्स्यन पत्तन का निर्माण;

(2) कासफल में परम्परागत मात्स्यिकी का विकास;

(3) मत्स्यन ग्रामों के लिये सम्पर्क सड़क;

(4) डिम्पोना हेचरियों तक सम्पर्क सड़क का पूरा किया जाना;

(5) बीज फार्मों का सुधार;

(6) जलाशय मात्स्यिकी का विकास;

(7) मछुआरा विकास एजेंसियों के माध्यम से अन्तर्देशीय मात्स्यिकी का विकास;

(8) खारा जल विकास एजेंसियों के माध्यम से खारे जल का विकास।

2. यंत्रीकरण कार्यक्रम तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम।

3. उत्पादन तथा रोजगार संबंधी कार्यक्रम, जिसमें मछुवारा विकास एजेंसियों तथा खारा जल विकास एजेंसियों के तहत सहायता शामिल है।

4. मछुवारा कल्याण संबंधी कार्यक्रम जिसमें ये शामिल हैं :—

(1) मछुवारों को बीमा के तहत लाना, (2) मछुवारा ग्रामों में पेय जल की सुविधाएं, (3) छोटे मछुवारों के हित की रक्षा करने के लिये उड़ीसा समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1982 के अलावा मछुवारों को वृद्धावस्था पेंशन।

विवरण

मत्स्य उद्योग के विकास के लिये वर्ष 1985-86 और 1986-87 में आवंटित की गई राशि

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 परिव्यय	1986-87 परिव्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	442	651
2.	असम	217	296
3.	बिहार	185	230
4.	गुजरात	475	500
5.	हरियाणा	168	168
6.	हिमाचल प्रदेश	59	55
7.	जम्मू व कश्मीर	85	100
8.	कर्नाटक	359	280
9.	केरल	534	600
10.	मध्य प्रदेश	157	184
11.	महाराष्ट्र	300	450
12.	मणिपुर	77	100
13.	मेघालय	40	41
14.	नागालैंड	35	51
15.	उड़ीसा	290	500
16.	पंजाब	80	90
17.	राजस्थान	31	45
18.	सिक्किम	20	20

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	209	430
20.	त्रिपुरा	126	200
21.	उत्तर प्रदेश	185	278
22.	पश्चिम बंगाल	1000	810
23.	अन्दमान	60	50
24.	अरूणाचल प्रदेश	39.20	42.75
25.	चण्डीगढ़	4.54	4.94
26.	दिल्ली	18	14.20
27.	गोवा	100	100
28.	लक्षद्वीप	110	81.00
29.	मिजोरम	27	29.75
30.	पांडिचेरी	110	163.00
31.	दादर तथा नगर हवेली	0.75	1.25
	योग (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	5534.49	6565.89
2.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना संबंधी परिव्यय सहित केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय	3100.00	3100.00
	कुल योग :	8634.40	9695.89

[हिन्दी]

पान के पत्ते का निर्यात

3991. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पान के पत्ते का उत्पादन होता है;

(ख) क्या पान के पत्तों के निर्यात से उसके उत्पादकों की दशा में सुधार होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पान के पत्तों का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के विभिन्न भागों में पान के पत्ते तथा सुपारी दोनों का ही उत्पादन होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पान के पत्ते तथा सुपारी दोनों का कम मात्रा में निर्यात किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वर्ष 1985 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर से प्रसारित फिल्में

3992. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर कश्मीर (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से वर्ष 1985 के दौरान कौन-कौन सी फिल्में प्रसारित की गईं;

(ख) संबंधित फिल्म प्रोड्यूसरों को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) क्या किए गए भुगतानों की राशि अधिक थी अथवा सामान्य थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मामले

3993. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) कितने नगरों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) नगर भूमि का स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथ में केन्द्रित होने को रोकने पर उक्त

अधिनियम के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 2,16,725 मामले।

(ख) यह अधिनियम, 64 नगर संतुलनों में प्रवृत्त है। अब तक 7964.20 एकड़ रिक्त भूमि विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कब्जे के अधीन आ चुकी है। इसके अतिरिक्त, अब तक राज्य सरकारों ने 8510 एकड़ भूमि पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए 2,80,322 रिहायशी एककों के निर्माण पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत 2028 योजनाएं अनुमोदित की हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन को अपेक्षाकृत अधिक सहेतुक बनाने के लिए इसे संशोधित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं। तथापि, इस स्तर पर इसके लिए ब्यौरे उजागर करना लोक हित में नहीं है।

चित्रमाला में उड़िया गीतों का प्रसारण

3994. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष के दौरान टेलीविजन पर चित्रमाला कार्यक्रम में कितने उड़िया फिल्मी गीतों का प्रसारण किया गया;

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम में प्रसारित किये गये फिल्मी गीतों की भाषावार सूची क्या है;

(ग) क्या उन भाषाओं के फिल्मी गीतों का भी प्रसारण किया जाता है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं; और

(घ) क्या क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन पर कभी मणिपुरी नेपाली और आदिवासी भाषाओं में गीतों का प्रसारण किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 1985-86 के दौरान चित्रमाला कार्यक्रम में 5 उड़िया गीतों को टेलीकास्ट किया गया था :—

फिल्मों का नाम	टेलीकास्ट करने की तारीख
का	20-5-85
नुआ बाऊ	18-3-85
स्त्री	17-6-85
राम रहीम	27-1-86
घर संसार	10-2-86

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष के दौरान दो बोलियों भोजपुरी (3) और हरियाणवी (2) से गीत टेलीकास्ट किए गए हैं।

(घ) दूरदर्शन मणिपुरी भाषा में गीतों को टेलीकास्ट करता है। फरवरी, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान केवल दो गीत टेलीकास्ट किए गए थे। तथापि, चित्रमाला कार्यक्रम में कोई नेपाली गीत शामिल नहीं किया गया था।

विवरण

फरवरी, 1985 से फरवरी, 1986 तक के दौरान चित्रमाला में टेलीकास्ट किए गए गीतों का ब्यौरा

क्रम संख्या	भाषा	गीतों की संख्या
1	2	3
1.	तमिल	14
2.	तेलुगु	15
3.	मलयालम	9
4.	कन्नड़	10
5.	मराठी	8
6.	गुजराती	10
7.	मणिपुरी	2
8.	बंगाली	14

1	2	3
9.	असमी	9
10.	पंजाबी	7
11.	भोजपुरी (बोली)	3
12.	हिन्दी	4
13.	हरियाणवी (बोली)	2
14.	उड़िया	5

केरल की "ओवरसीज, डिवलपमेंट प्रोमोशन कंसल्टेंट" और लीबिया के बीच जनशक्ति निर्यात करार

3995. **श्री टी० बशीर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की एक सरकारी क्षेत्र की फर्म "ओवरसीज डिवलपमेंट प्रोमोशन कन्सल्टेंट" ने लीबिया के साथ जन शक्ति निर्यात के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में दोनों क्षेत्रों के बीच हुए करार की शर्तें क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में मत्स्य पालन पत्तन

3996. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से केरल के समुद्री तट के साथ किन्ही मत्स्य पालन पत्तनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कहां-कहां किया जा रहा है, और प्रत्येक पत्तन का निर्माण कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या और अधिक मत्स्यपालन पत्तनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये लम्बित पड़ा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) निर्माणाधीन मत्स्य पत्तन ये हैं :—(1) नीन्दकारा जिसके 1986 में पूरा होने की सम्भावना है, और (2) विजिंगम (दूसरा और तीसरा) जिसके 1989 में तैयार होने की सम्भावना है।

(ग) और अधिक मत्स्यन पत्तन स्थापित करने की मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्ताव ये हैं : (1) मुनाम्बम, जिस पर 460 लाख रुपये की लागत आएगी और (2) पुथियप्पा, जिस पर 507 लाख रुपये लागत आएगी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन प्रस्तावों पर उपयुक्त ढंग से विचार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा (उ० प्र०) में कृषि विज्ञान केन्द्र

3997. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय और विवेकानन्द अनुसंधानशाला (अनुसंधान केन्द्र) ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जा रही सहायता का ब्योरा क्या है और इन केन्द्रों के वहां पर कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रस्ताव की जांच के उद्देश्य के लिए गठित एक दौरा समिति की सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जगह के चयन पर विचार किया जाएगा।

(ग) इस अवस्था में सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। नये कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए निधियों की अनुपलब्धता के कारण इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई समय की बाध्यता का भी उल्लेख नहीं किया जा सकता।

शीतोष्ण फलों सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के लिए धनराशि

3998. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 में शीतोष्ण फलों के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी धनराशि क्या है;

(ग) क्या शीतोष्ण बागवानी के लिए केन्द्रीय संस्थान के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में रानीखेत में इस संस्थान को स्थापित करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1986-87 के दौरान शीतोष्ण फलों के लिए नया अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, चालू योजना के दौरान एक केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) इस कार्य के लिये शीघ्र ही गठित किये जाने वाले टास्क फोर्स की सिफारिश पर संस्थान के लिये स्थान का चयन किया जाएगा।

[अनुवाद]

गन्ना गेहूं, मक्का और चावल का उत्पादन

3999. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ना, मक्का, गेहूं और चावल का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) प्रति हेक्टेयर कितने क्विंटल उत्पादन हुआ;

(ग) क्या कुछ राज्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पिछड़े हुए हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रति हेक्टेयर समान रूप से अधिकतम उत्पादन हो; और

(ङ) कौन-कौन से राज्यों में राष्ट्रीय स्तर से कम उत्पादन हो रहा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1983-84 तथा 1984-85 के कृषि वर्षों के दौरान मुख्य राज्यों में गन्ना, मक्का, गेहूं तथा चावल का कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर उपज प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा मुख्य उत्पादक राज्यों में उपज अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम है। इसी प्रकार मक्का के सम्बन्ध में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात तथा बिहार राज्यों में कम है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, राजस्थान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, और बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज कम है। चावल की उत्पादकता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, बिहार तथा महाराष्ट्र राज्यों में आमतौर पर कम है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक सम्पदाओं तथा कृषि जलवायु की परिस्थितियों में काफी अधिक विभिन्नता होने की वजह से भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कुछ विषमता होना स्वाभाविक है। फिर भी देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को अधिकतम स्तर तक सुनिश्चित करने के लिये सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित नीति अपनाई गई है :

(1) सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को अधिकतम स्तर तक पहुंचाना,

(2) प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक उपस्कर, पौध संरक्षण रसायन ऋण आदि जैसे कृषि आदानों की ठीक समय पर आसानी तथा पर्याप्त आपूर्ति करना,

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के तहत, क्षेत्र में वृद्धि करना,

(4) पनधारा प्रबन्ध, बीज व उर्वरक-ड्रिल का उपयोग, उर्वरक ड्रिल का अधिक उपयोग, उर्वरक तथा अल्पकालीन किस्मों के बीजों का अधिक इस्तेमाल, और मोटे अनाजों, तिलहनों तथा दलहनों की खेती।

(5) विभिन्न वर्गों के अर्थात प्रजनक बीज, अधारी बीज, तथा प्रमाणिकृत बीज के बीजों का पर्याप्त उत्पादन ताकि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के तहत लक्षित क्षेत्र को लाया जा सके।

(6) विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमता वाले जिलों में क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना,

(7) पौध संरक्षण उपाय अपनाना,

(8) दोहदी, बहु-फसली पद्धति के माध्यम से फसल की गहनता को बढ़ाना और अंत: फसली फसलें अपनाना,

(9) किसानों के लिये विभिन्न फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, और

(10) अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को बढ़ाना ताकि नई प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिक किसानों, सस्य प्रणालियों और क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके।

(ङ) इस भाग का उत्तर उपरोक्त (ग) में पहले ही कवर हो चुका है।

विवरण

1983-84 तथा 1984-85 के लिए चावल, गेहूं, मक्का तथा गन्ने का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादिकता

अ– उत्पादन लाख मीटरी टन में

ब—उपज—प्रति हैक्टेयर

राज्य		1983-84				1984-85			
		चावल	गेहूं	मक्का	गन्ना	चावल	गेहूं	मक्का	गन्ना
1		2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	अ	87.9	0.1	5 2	97.4	69.8	0.1	4.4	96.2
	ब	21.1	7.1	15.3	688.5	20.0	6.6	14.7	693.1
असम	अ	25.1	1.3	0.1	21.6	24.2	1.3	0.1	21.6
	ब	10.9	12.9	6.0	438.8	10.4	12.9	6.1	438.8
बिहार	अ	49.7	29.4	8.8	38.8	53.2	31.0	8.3	37.8
	ब	10.1	15.5	11.3	304.4	10.3	16.2	12.1	338.0
गुजरात	अ	7.5	16.3	4.8	77.5	8.4	13.3	3.8	74.3
	ब	14.0	22.0	14.9	755.0	14.8	20.9	12.4	735.6

1		2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	अ	13.3	44.6	0.7	59.3	13.6	44.2	0.8	51.9
	ब	24.9	25.0	11.9	442.5	24.5	25.9	13.0	418.5
हिमाचल	अ	1.1	2.9	5.9	0.6	1.2	2.3	5.7	0.4
प्रदेश	ब	12.0	8.1	19.9	156.2	12.4	6.9	19.0	117.3
जम्मू व	अ	5.9	1.8	2.9	0.2	5.7	1.8	4.6	0.2
कश्मीर	ब	21.5	8.4	10.3	325.7	20.7	8.4	16.2	344.3
कर्नाटक	अ	22.9	2.0	4.5	128.2	23.7	1.9	4.1	143.9
	ब	19.2	6.2	27.2	742.3	20.5	5.8	25.0	767.9
केरल	अ	12.1	—	—	8.7	12.3	—	—	8.6
	ब	16.3	—	—	1074.8	16.8	—	—	1071.6
मध्य प्रदेश	अ	48.0	43.7	11.6	14.8	36.7	37.3	11.1	17.4
	ब	9.7	11.6	13.9	331.1	7.6	10.5	13.7	324.8
महाराष्ट्र	अ	24.6	11.4	1.5	265.5	19.4	8.6	1.2	263.7
	ब	1.2	9.6	15.0	903.0	12.7	8.7	13.7	901.1
उड़ीसा	अ	51.2	1.5	2.0	28.6	45.3	1.5	2.0	37.0
	ब	1.8	19.1	10.2	676.6	10.4	19.5	10.3	649.1
पंजाब	अ	45.4	94.2	5.4	55.3	50.6	101.8	5.8	49.8
	ब	30.6	30.2	18.3	658.3	30.7	32.9	19.0	622.5
राजस्थान	अ	2.2	34.4	12.3	14.9	2.1	27.9	11.2	13.7
	ब	13.6	15.9	13.8	442.1	12.5	16.3	12.3	444.5
तमिलनाडु	अ	44.7	—	0.6	132.6	53.9	—	0.5	199.8
	ब	19.9	—	23.3	874.0	21.4	—	22.3	1042.8
उत्तर	अ	67.8	161.2	11.1	782.4	71.8	159.7	17.7	706.4
प्रदेश	ब	12.7	18.9	10.0	463.5	13.9	18.7	15.0	459.8

1		2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम	अ	78.4	8.5	0.8	10.2	80.9	8.1	0.9	7.7
बंगाल	ब	14.8	26.0	13.2	503.7	10.6	24.2	16.4	574.6
अखिल	अ	601.0	454.8	79.2	1740.8	585.4	442.3	83.6	1735.7
भारत	ब	14.6	18.4	13.5	560.0	14.3	18.7	14.4	580.1

मखनियां दुग्ध चूर्ण सप्लाई करने के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए पूल का सृजन

4000. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम ने मखनियां दुग्ध चूर्ण और सफेद मक्खन की सप्लाई करने हेतु सहकारी क्षेत्र के लिए कोई पूल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इस पूल में भाग लेने का मौका देने का है ताकि वे भी पूल में भाग ले सकें ?

कृषि और सहकारिता विभाग मे राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड परियोजना में की गई व्यवस्था के अनुसार भारतीय डेरी निगम संरक्षित डेरी जिसों के एक पूल का संचालन करती है। पूल में परियोजना के तहत उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों और आपरेशन फ्लड परियोजना में शामिल होने वाली सहकारी डेरियों द्वारा विनिर्मित जिस शामिल हैं।

(ग) इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में खण्डवा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

4001. **श्री सुभाष यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खण्डवा में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस केन्द्र में काम कब से शुरू हो जायेगा; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) आकाशवाणी ने अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में खण्डवा में 175.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 2 × 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो, स्टाफ क्वार्टरों

आदि के साथ रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। उम्मीद है कि यह केन्द्र चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू हो जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तिलहनों और दलहनों के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य

4002. **श्री राजकुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों के कृषि विश्वविद्यालय तिलहनों और दलहनों की नई-नई किस्मों का विकास करने में लगे हुए हैं और यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां पहले से ही यह अनुसंधान कार्य किया जा रहा है अथवा जहां यह कार्य शुरू करने का विचार है; और

(ख) इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों और दलहनों की अधिक उपज वाली कितनी किस्में जारी की गई हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। दालों तथा तिलहनों की नई किस्मों के विकास में लगे केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों की सूची (विवरण I तथा II) में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई दालों तथा तिलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की सूची संलग्न (विवरण III तथा IV) है।

विवरण-I

समन्वित दाल अनुसंधान में लगे कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1. पन्तनगर कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
   पन्तनगर (उ० प्र०)

2. चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
   कानपुर (उ० प्र०)

3. बनारस कृषि विश्वविद्यालय,
   वाराणसी (उ० प्र०)

4. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
   हैदराबाद (आ० प्र०)

5. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म० प्र०)

6. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,
अकोला (महाराष्ट्र)

7. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार

8. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना

9. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय,
परभणी (महाराष्ट्र)

10. कृषि विज्ञान विश्व विद्यालय
बंगलौर (कर्नाटक)

11. उड़ीसा कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

12. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
पटना (बिहार)

13. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,
शिमला (हि० प्र०)

14. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद (गुजरात)

15. सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राजस्थान)

16. केरल कृषि विश्वविद्यालय,
तिरूपति (केरल)

17. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय;
कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

18. असम कृषि विश्वविद्यालय,
जोरहाट (असम)

19. महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय,
राहुड़ी (महाराष्ट्र)

20. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, श्रीनगर (कश्मीर)

21. बाल अनुसंधान निदेशालय,
कानपुर (उ० प्र०)

विवरण-II

स्थान सहित तिलहन अनुसंधान केन्द्रों की सूची

क. प्रायोजना निदेशालय तथा समन्वित एकक के स्थान तथा पता :

1. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030
(आन्ध्र प्रदेश)

2. प्रायोजना समन्वयक (मूंगफली), पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,
अकोला (महाराष्ट्र)

3. प्रायोजना समन्वयक (तोरिया-सरसों), हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार (हरियाणा)

4. प्रायोजना समन्वयक (तिल तथा रामतिल), जवाहर लाल नेहरू
कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

5. प्रायोजना समन्वयक (सूरजमुखी), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
बंगलौर (कर्नाटक)

6. प्रायोजना समन्वयक (कुसुम) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,
शोलापुर (महाराष्ट्र)

7. प्रायोजना समन्वयक (अलसी), चन्द्रशेखर आजाद
कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कानपुर (उ० प्र०)

8. प्रायोजना समन्वयक (अण्डी), तिलहन अनुसंधान निदेशालय,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

ख. केन्द्रों के स्थान :

I. मूंगफली

1. कादरी (आन्ध्र प्रदेश)
2. जग-तिअल (आन्ध्र प्रदेश)
3. राजेन्द्र नगर (आन्ध्र प्रदेश)
4. लुधियाना (पंजाब)
5. मैनपुरी (उ० प्र०)
6. खडगांव (मध्य प्रदेश)
7. जूनागढ़ (गुजरात)
8. जलगांव (महाराष्ट्र)
9. लटूर (महाराष्ट्र)
10. चिपालिमा (उड़ीसा)
11. धारवाड़ (कर्नाटक)
12. रायचूर (कर्नाटक)
13. चिन्तामणि (तमिलनाडु)
14. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
15. आलीयारनगर (तमिलनाडु)
16. वृद्धाचलम (तमिलनाडु)
17. नवगांव (राजस्थान)

II. तिल

1. जगतियल (आन्ध्र प्रदेश)
2. येलमाचली (आंध्र प्रदेश)
3. मन्दौर (राजस्थान)
4. अमरेली (गुजरात)
5. जलगांव (महाराष्ट्र)
6. टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
7. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
8. वृद्धाचलम (तमिलनाडु)
9. झांसी (उत्तर प्रदेश)

III. तोरिया तथा सरसों

1. शिल्लोनगनी (असम)
2. पन्तनगर (उत्तर प्रदेश)
3. ढोली (बिहार)
4. हिसार (हरियाणा)
5. बावल (हरियाणा)
6. ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
7. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
8. पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)
9. कुदवानी (जम्मू व कश्मीर)
10. नवगांव (राजस्थान)
11. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
12. बरहमपुर (पश्चिम बंगाल)
13. (राज्य कृषि विभाग)

IV. सूरजमुखी

1. अकोला (महाराष्ट्र)
2. बंगलौर (कर्नाटक)
3. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

V. कुसुम

1. राजेन्द्रनगर (आंध्र प्रदेश)
2. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
3. जलगांव (महाराष्ट्र)
4. अन्नीगिरि (कर्नाटक)
5. कोबिल पट्टी (तमिलनाडु)
6. पहलटन (महाराष्ट्र)
7. शोलापुर (महाराष्ट्र)

VI.. रामतिल

1. रांची (बिहार)
2. छिंदवाडा (मध्य प्रदेश)
3. धुले (महाराष्ट्र)
4. सेमलीगुडा (उड़ीसा)
5. रायचूर (कर्नाटक)

VII. अलसी

1. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
2. मौरनीपुर (उत्तर प्रदेश)
3. रायपुर (मध्य प्रदेश)
4. कांको (बिहार)
5. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
6. अकोला (महाराष्ट्र)
7. नवगांव (राजस्थान)

VIII. अण्डी

1. पलेम (आंध्र प्रदेश)
2. दान्तीवाड़ा (गुजरात)
3. रायचूर (कर्नाटक)
4. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. ढोली (बिहार)
6. त्रिवेन्द्रम (सलेम) (तमिलनाडु)
7. अण्डी का जीव विज्ञान संबंधी नियन्त्रण, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

IX. बारीक तिलहन फसलें

1. जबलपुर (मध्य प्रदेश)
2. भुवनेश्वर (उड़ीसा)

X. अन्य एकक

1. कोयम्बटूर (तमिलनाडु) शरीर विज्ञान तथा विषाणु)
2. ऑफ सीजन नर्सरी, अलियानगर (तमिलनाडु)
3. ऑफ सीजन नर्सरी, स्पीति (हिमाचल प्रदेश)

XI. अनिलद्रव्य एकक

1. शोलापुर (महाराष्ट्र) कुसुम
2. बंगलौर (कर्नाटक)- सूरजमुखी
3. जबलपुर (मध्य प्रदेश)- तिल-और रामतिल
4. कानपुर (उत्तर प्रदेश)- अलसी
5. हिसार (हरियाणा)- तोरिया-सरसों

अन्य प्रायोजनाओं के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

I. सूरजमुखी अनुसंधान तथा बीज उत्पादन प्रायोजना के केन्द्र

1. बंगलौर (कर्नाटक)
2. अकोला (महाराष्ट्र)
3. भवानी सागर (तमिलनाडु)
4. राजेन्द्रनगर (आन्ध्र प्रदेश)
5. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

II. आई० डी० आर० सी० से सहायता प्राप्त तिलहन प्रायोजना के केन्द्र

1. हिसार (हरियाणा)-सरसों
2. पन्तनगर (उत्तर प्रदेश)-तोरिया
3. इन्दौर (मध्य प्रदेश)-कुसुम
4. वृद्धाचल (तमिलनाडु)-तिल

III. डी० एस० टी० से सहायता प्राप्त तोरिया-सरसों प्रायोजना के केन्द्र

1. लुधियाना (पंजाब)
2. जोबनेर (राजस्थान)
3. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
4. कल्याणी (पश्चिम बंगाल)
5. शिल्लोगनी (असम)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्र

समन्वित एकक — गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर

अनुसंधान केन्द्र

1. नई दिल्ली
2. परभणी (महाराष्ट्र)

3. बंगलौर (कर्नाटक)
4. पन्तनगर (उ० प्र०)
5. जबलपुर (म० प्र०)
6. पालमपुर (हि० प्र०)
7. रांची (बिहार)
8. कल्याणी (पश्चिम बंगाल)
9. धारवाड़ (कर्नाटक)
10. कोरापुट (उड़ीसा)
11. जोरहाट (असम)
12. लुधियाना (पंजाब)
13. जूनागढ़ (गुजरात)
14. अमरावती (महाराष्ट्र)
15. पूना (महाराष्ट्र)
16. मझेरा (उ० प्र०)
17. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
18. श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई दालों की नई किस्में

चना : जी० जी० 558, गौरव, जी० एन० जी० 146, बी० जी० एम० 408, आर० एस० जी० 2, बी० जी० 261, आई० सी० पी० एल० 32, बी० जी० 240, बी० जी० एम० 413, फुले जी० 5, बी० जी० 256, बी० जी० एम० 417, जे० जी० 315, आर० एस० जी० 44, आई० सी० सी० सी० 32

अरहर : मानिक, सागर, टी० टी० 5, आई० जी० पी० एल० 151, पूसा 33, एम० एल० 131

मूंगबीन : पूसा 105, एम० एल० 267, एम० एल० 337, पन्त मूंग 3, पन्त मूंग 2, पी० डी० एम० II

उड़द : यू० जी० 218

मटर : रचना, डी० एम० आर० II, आर० पी० 3, पन्त पी० 5,

मसूर : लेन्स 4076, पी० एल० 77-2, के० 75, के० 65, टी० टी० 6, आई० सी० पी० एल० 87

मोठबीन : ज्वाला

राजमाश : पी० डी० आर० 14, एच० यू० आर० 15

लोबिया : आर० सी० 19, वी० 240

विवरण-IV

रिलीज की गई तिलहनों की सुधरी किस्में

1. मूंगफली

क्रम संख्या	किस्म का नाम	जिस क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई
1.	चित्रा	उत्तर प्रदेश
2.	यू० एफ० 70-103	महाराष्ट्र
3.	किसान	उड़ीसा
4.	जवान	
5.	जी० जी-II	गुजरात
6.	जी० जी-2	
7.	को-2	तमिलनाडु
8.	बी० जी०-3	बिहार
9.	कौशल	सभी मूंगफली उगाने वाले राज्य
10.	कादिरी-3	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
11.	आई० सी० जा० एस०-II	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
12.	एम० ए० 10	उत्तरी क्षेत्र

13	सी० 335	उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र
14.	आर० एस० 138	उत्तरी क्षेत्र

II. तोरिया-सरसों :

1.	राया आर० एल० एम-619	सभी क्षेत्रों के लिए
2.	मस्टर्ड वरदान (आर० के०-1467	
3.	मस्टर्ड वैभव (आर० के०-1418	
4.	तोरिया पी० टी० 303	
5.	क्रांति (पन्त राय 15)	
6.	कृष्णा (पन्त राय 18)	
7.	आर० डब्ल्यू० 351	पूर्वी क्षेत्र
8.	आर० डब्ल्यू 30	
9.	आर० एच० 781	
10.	आर० एच० 785	
11.	आर० डब्ल्यू 85-59	
12.	आर० एल० एम० 105	मध्य क्षेत्र
13.	आर० एच० 7361	उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र

III. तिल

1.	सोना (ए० सी० वी०-1)	केरल
2.	सूर्य (ए० सी० वी०-2)	
3.	को-1	तमिलनाडु

IV. रामतिल

1.	जी० ए०-1	उड़ीसा
2.	जी० ए०-2	

V. सूरजमुखी

1. को 1 (एस० यू० एफ०-2)	तमिलनाडु
2. सूर्य (पी० के० वी० एस० यू० एफ० 72-37)	महाराष्ट्र

VI. अलसी

1.	हिमालिनी	सभी अलसी उगाये जाने वाले क्षेत्रों के लिए
2.	पूसा-2	
3.	पूसा-3	
4.	जवाहर	
5.	गरिमा	
6.	श्वेता	
7.	सुभद्रा	

VII. अण्डी

1.	गुजरात अण्डी संकर-2	गुजरात
2.	टी० एम० बी-5	तमिलनाडु

VIII. सोयाबीन

1.	पी० के०-416	उत्तरी मैदानी क्षेत्र
2.	डी० एस० 76-1-37-1	
3.	पी० के०-472	मध्य क्षेत्र
4.	के० एच० एस० बी०-2	दक्षिणी क्षेत्र

[अनुवाद]

भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें और उनकी क्रियान्विति

4003. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय बैठकों के निर्णयों और सिफारिशों को तेजी से लागू करने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर परिचालित किया जाएगा और सार्थक लोक चर्चा के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन का इसके प्रचार के लिये उपयोग किया गया है।

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन में हुई सर्वसम्मति को कर्मकारों और नियोजकों के संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है। इस पर केन्द्र/राज्य सरकारों

और नियोजकों एवं कर्मकारों के संगठनों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। स्थायी श्रम समिति और सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आंतरिक स्रोतों को गतिशील बनाने संबंधी त्रिपक्षीय दल का गठन किया जा चुका है और सर्वसम्मति की अन्य मदों के संबंध में प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

(ख) भारतीय श्रम सम्मेलन जन प्रचार के साधनों के लिए खुला था और सम्मेलन में हुई सर्व सम्मति का व्यापक प्रचार किया गया।

उर्वरकों पर राजसहायता

4004. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 में उर्वरकों पर 1700 करोड़ रुपए की राज-सहायता दिए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश को कितनी राज-सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या 1985-86 और 1986-87 के दौरान उर्वरकों की खपत में वृद्धि होगी, यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1986-87 के दौरान स्वदेशी और आयातित उर्वरकों पर 1950 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) आर्थिक सहायता उर्वरक उत्पादकों को दी जाती है तथा राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान, कुल उर्वरक खपत 9.1 से 9.2 मिलियन टन न्यूट्रिएन्ट्स तक होने की सम्भावना है जबकि 1984-85 के दौरान 8.2 मिलियन टन थी। वर्ष 1985-86 के लिए राज्यवार खपत आंकड़े केवल खरीफ फसल के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं; खरीफ 1985 के लिए उर्वरकों की खपत राज्यवार आंकड़े तथा खरीफ 1984 के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वर्ष 1986-87 के दौरान, देश में उर्वरकों की कुल खपत लगभग 10 मिलियन टन उर्वरक न्यूट्रिएन्ट होने की सम्भावना है। राज्यवार आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

खरीफ 1984 की तुलना में खरीफ 1985 में उर्वरक खपत के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन न्यूट्रिएन्ट्स में)

क्रमांक	राज्य का नाम	एन०पी०के० खरीफ, 1984	एन०पी०के (खरीफ, 85) अनुमानित
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.68	5·11
2.	केरल	0.74	0.82
3.	कर्नाटक	3.64	3.51
4.	तमिलनाडु	3.33	2.67
5.	गुजरात	2.49	2.24
6.	मध्य प्रदेश	1.83	2.21
7.	महाराष्ट्रा	3.66	4.72
8.	राजस्थान	0.69	0.71
9.	हरियाणा	1.19	1.40
10.	पंजाब	4.04	4.26
11.	उत्तर प्रदेश	5.53	7.73
12.	हिमाचल प्रदेश	0.10	0.11
13.	जम्मू और कश्मीर	0.18	0.`0
14.	आसाम	0.06	0.11
15	बिहार	1.53	2.12
16.	उड़ीसा	0.59	0.72
17.	वेस्ट बंगाल	1.52	1.53
18.	अन्य	1.04	0.40
	योग	37.84	40.97

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए बकाया धनराशि

4005. श्री सी० अंगा रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण, निगम द्वारा लीबिया में शुरू की गई परियोजनाओं की लागत कितनी है तथा उसमें से निगम को अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) क्या ठेके की शर्तों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने सम्बन्धी कोई उपबंध था और यदि हां, तो अभी तक धनराशि बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में आरम्भ की गई परियोजनाओं की लागत 418.96 करोड़ रुपये है। ठेके की शर्तों के अनुसार वसूलियों के बाद इस निगम द्वारा किये गये कुल कार्य के प्रति 31 जनवरी, 1986 तक ग्राहकों ने 249.93 करोड़ रुपये रिलीज किये हैं और 38.48 करोड़ रुपये शेष रह गये हैं।

(ख) अपेक्षित उपबंध हैं परन्तु ग्राहकों द्वारा महसूस की गई वित्तीय कठिनाइयों (अभावों) के कारण भुगतान में विलम्ब हो जाता है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश के रामपुर ब्लाक में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया सर्वेक्षण

4006. डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के रामपुर ब्लाक में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण से धोखाधड़ियों का पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या अन्यत्र किए गए ऐसे सर्वेक्षण से इसी प्रकार की धोखाधड़ियों का पता चला है; और

(ग) क्या गत 3 वर्षों के दौरान वनरोपण कार्यक्रम सहित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय के बारे में ऐसे सर्वेक्षण किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश के रामपुर खण्ड सहित सभी खण्डों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों का एक सर्वेक्षण किया गया है। रामपुर खंड में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों से यह पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए 1225 परिवारों में से 318 परिवारों के पास परिसम्पत्तियां नहीं थीं। इनमें से 228 परिवारों को पशुपालन के क्षेत्र में सहायता दी गई है तथा उन्हें दिए गए पशुओं की मृत्यु हो गई है। पशुपालन परिसम्पत्तियों के 94 प्रतिशत से अधिक का बीमा किया गया था और अधिकांश मामलों में बीमे के दावे निपटा दिए गए हैं अथवा निपटाए जा रहे हैं। अतः सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से 90 परिवार अर्थात् 7.35 प्रतिशत परिवारों के पास परिसम्पत्तियां नहीं थीं। राज्य-सरकार द्वारा क्षेत्र एजेन्सियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वर्तमान मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सातवीं योजना नीति के भाग के रूप में, यह प्रस्ताव है कि छठी योजनावधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त सभी परिवारों जिनमें वानिकी के क्षेत्र में सहायता प्राप्त परिवार भी शामिल हैं, का सर्वेक्षण किया जाए और उन परिवारों को फिर से सहायता दी जाए जो अपनी गलती न होने पर भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। इस प्रक्रिया के सातवीं योजना के तीसरे वर्ष तक पूरी हो जाने की आशा है।

सिक्किम के सांस्कृतिक जीवन पर पुस्तक का प्रकाशन

4007. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने सिक्किम के सांस्कृतिक जीवन पर कोई पुस्तक प्रकाशित की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। प्रकाशन विभाग ने "स्टेट्स आफ अवर यूनियन" शृंखला के अन्तर्गत सिक्किम पर एक पुस्तक प्रकाशित की है।

पेयजल के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

4008. श्री डी० बी० पाटिल : क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने गांवों में पेयजल का अभाव है;

(ख) ऐसे गांवों को वर्ष 1985-86 में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ने केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को जनवरी, 1986 तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह): (क) छठी योजना के आरम्भ में सम्पूर्ण देश के लिए 2.31 लाख गांवों का चयन समस्याग्रस्त गांवों के रूप में किया गया था। इनमें से 1.92 लाख समस्याग्रस्त गांवों को छठी योजना अवधि के दौरान शामिल किया गया था तथा शेष 0.39 लाख समस्याग्रस्त गांवों को 7वीं योजना के लिए छोड़ दिया गया था। राज्य भी समस्याग्रस्त गांवों के चयन हेतु नये सर्वेक्षण कर रहे हैं।

(ख) और (ग) पेय जल की आपूर्ति करना राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उनकी मदद करती है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 1986 तक मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सूखे से प्रभावित राज्यों को उनसे प्राप्त अनुरोध के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985-86 के दौरान जनवरी तक विभिन्न राज्यों को सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल कार्यक्रम हेतु 146.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1985-86 के दौरान 31 जनवरी, 1986 तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का बंटन

(लाख रुपये में)

1.	आन्ध्र प्रदेश	765.00
2.	असम	757.00
3.	बिहार	736.00

4.	गुजरात	540.00
5.	हरियाणा	455.00
6.	हिमाचल प्रदेश	440.00
7.	जम्मू और कश्मीर	900.00
8.	कर्नाटक	1079.33
9.	केरल	707.00
10.	मध्य प्रदेश	1414.00
11.	महाराष्ट्र	893.00
12.	मणिपुर	216.00
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	422.18
15.	उड़ीसा	630.00
16.	पंजाब	333.00
17.	राजस्थान	2732.00
18.	सिक्किम	147.00
19.	तमिलनाडु	939.00
20.	त्रिपुरा	245.00
21.	उत्तर प्रदेश	2757.00
22.	पश्चिम बंगाल	461.00
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	—
26.	दिल्ली	—

27.	दादर और नगर हवेली	—
28.	गोवा, दमन और दीव	18.00
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	6.00
31.	पांडिचेरी	9.00
		17628.51

विवरण-2

वर्ष 1985-86 के दौरान जनवरी तक पेय जल प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की सीमा

	राज्य	(करोड़ रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	18.59
2.	हरियाणा	2.70
3.	हिमाचल प्रदेश	2.15
4.	गुजरात	17.88
5.	जम्मू और कश्मीर	2.00
6.	कर्नाटक	14.96
7.	महाराष्ट्र	27.37
8.	मध्य प्रदेश	14.45
9.	पंजाब	1.35
10.	राजस्थान	36.23
11.	उत्तर प्रदेश	8.88
	योग	146.56

बम्बई खनिज निगम संयंत्र से क्लोराइड गैस का रिसाव

4009. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई खनिज निगम संयंत्र से क्लोराइड गैस रिसी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने लोग प्रभावित हुए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

दक्षिण एशियाई शहरी अनुभव के बारे में सम्मेलन

4010. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी एशियाई शहरी अनुभव पर प्रथम क्षेत्रीय संगोष्ठी फरवरी के अन्तिम सप्ताह में राजधानी में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) इसमें किस प्रकार विचार-विमर्श किया गया; और

(घ) संगोष्ठी में क्या निर्णय किए गए ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। यह विचार गोष्ठी राजधानी में 20 से 22 फरवरी, 1986 तक हुई थी।

(ख) श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा, पी०डी०आर० यमन, आस्ट्रेलिया और साऊदी अरेबिया ने इसमें भाग लिया।

(ग) शहरीकरण की आविर्भूत प्रवृत्तियों, शहरी अधसंरचना, पर्यावरण और नगरभूमि नीति को देखते हुए एक शहरीकरण की कार्यनीति बनाने के संबंध में विचार-विमर्श हुए।

(घ) निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :—

(i) क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ से दक्षिण एशियाई शहरीकरण

पर दो सदस्यों की समन्वय समिति का गठन किया गया था। इसके संयोजक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफैसर आर० सी० शर्मा हैं। यह समिति शहरीकरण से संबंधित भावी अध्ययन, बैठकें तथा सम्मेलनों का आयोजन करेगी।

(ii) यह संकल्प किया गया था कि अगली बैठक/सम्मेलन मार्च, 1987 में कोलम्बो (श्रीलंका) में होगा।

(iii) नगर भूमि नीति तथा धन देने पर नई दिल्ली में नवम्बर, 1986 में एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजन का निर्णय लिया गया था।

लघु खनिज भण्डारों से तेजी से खनिज निकालने के लिए किये गये उपाय

4011. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु खनिज भण्डारों से तेजी से खनिज निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश भेजे गए हैं; और

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कर्नाटक में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने छोटे खनिज निक्षेपों के विदोहन के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ख) और (ग) छोटे खनिज निक्षेपों के विदोहन से संबंधित कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारों से राय मांगी गई है। इस बारे में कर्नाटक सरकार की राय अभी प्राप्त होनी है।

एफ० ए० सी० टी०, उद्योगमण्डल और कोचीन डिवीजन का आधुनिकीकरण

4012. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योगमण्डल और कोचीन डिवीजन के आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ख) क्या एफ०ए०सी०टी०, कोचीन डिवीजन में मजदूरों को उत्पादन में उनके अच्छे कार्य-निष्पादनता के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा; और

(ग) एफ०ए०सी०टी० में केप्रोलेक्टम संयंत्र कब तक चालू किया जाएगा ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) दि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) का संलग्न विवरण में दर्शाये गये अनुसार अपने उद्योगमण्डल और कोचीन प्रभागों में आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार द्वारा योजनाएं शुरू करने का विचार है।

(ख) फैक्ट के कोचीन प्रभाग में कर्मचारियों के लिए निष्पादन पर आधारित उत्पादन प्रोत्साहन योजना 1-4-83 से पहले ही लागू है।

(ग) अमोनियम सल्फेट केप्रोलैक्टम परियोजना जुलाई, 1988 तक चालू होनी निर्धारित है। तथापि, इसके अप्रैल-मई 1988 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार योजनाएं

कोचीन प्रभाग

1. प्रोसेस एअर कम्प्रेसर का प्रतिस्थापन
2. यूरिया संयंत्र का आधुनिकीकरण
3. विद्यमान मिश्रित उर्वरक संयंत्रों को पाइप रियेक्टर सिस्टम से रिट्रोफिट करना।
4. सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करना।

उद्योग मंडल प्रभाग

1. टोनोक्स संयंत्र का पुनरोद्धार
2. जल और विद्युत सिस्टमों में सुधार।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों की विकास योजना का कार्यान्वयन

4013. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों की विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक जिले में लक्ष्य पूरे किये गये हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1985-86 के दौरान तैयार किये जाने वाले लक्षित ग्रुपों की संख्या तथा वास्तव में तैयार किये गये ग्रुपों की संख्या

(जिलावार) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/जिले का नाम	वर्ष 1985-86 के दौरान तैयार किये जाने वाले लक्षित ग्रुपों की संख्या	वर्ष 1985-86 के दौरान तैयार किये गये ग्रुपों की संख्या	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
	(i) आदिलाबाद	100	7	सितम्बर, 85 तक
	(ii) श्रीकाकुलम	125	330	फरवरी, 86 तक
	(iii) कुडप्पा	125	69	दिसम्बर, 85 तक
2.	असम			
	(i) कर्बी आंगलोंग	100	42	दिसम्बर, 85 तक
	(ii) धुबरी	80	25	दिसम्बर, 85 तक
3.	बिहार			
	(i) हजारीबाग	100	87	जनवरी, 86 तक
	(ii) मधुबनी	100	91	दिसम्बर, 85 तक
	(iii) गोपालगंज	100	117	फरवरी, 86 तक
	(iv) समस्तीपुर	100	110	जनवरी, 86 तक
4.	गुजरात			
	(i) अहमदाबाद	100	25	दिसम्बर, 85 तक
	(ii) जूनागढ़	100	37	दिसम्बर, 85 तक
5.	हरियाणा			
	(i) महेन्द्रगढ़	100	70	फरवरी, 86 तक
	(ii) सिरसा	100	15	दिसम्बर, 85 तक

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश			
	(i) कांगड़ा	125	173	जनवरी, 86 तक
7.	जम्मू व कश्मीर			
	(i) डोडा	75	65	अगस्त, 85 तक
8.	कर्नाटक			
	(i) बीजापुर	125	92	जनवरी, 86 तक
	(ii) चिकमंगलूर	125	72	जनवरी, 86 तक
9.	केरल			
	(i) वायनाड	100	31	जनवरी, 86 तक
	(ii) पालघाट	100	30	दिसम्बर, 85 तक
10.	मध्य प्रदेश			
	(i) शहडोल	100	75	फरवरी, 86 तक
	(ii) छिन्दवाड़ा	100	79	दिसम्बर, 85 तक
	(iii) गुना	100	90	फरवरी, 86 तक
	(iv) रायपुर	100	50	नवम्बर, 85 तक
11.	महाराष्ट्र			
	(i) उस्मानाबाद	80	60	जनवरी, 86 तक
	(ii) भंडारा	100	225	फरवरी, 86 तक
12.	मणिपुर			
	(i) केन्द्रीय जिला	90	45	दिसम्बर, 85 तक
13.	मेघालय			
	(i) पश्चिमी खासी हिल्स	30	असूचित	—
	(ii) पूर्वी गारो हिल्स	30	असूचित	—

1	2	3	4	5
14.	नागालैण्ड			
	(i) कोहिमा	60	40	फरवरी, 86 तक
15.	उड़ीसा			
	(i) कालाहांडी	100	237	दिसम्बर, 85 तक
	(ii) बोलनगीर	100	11	जनवरी, 86 तक
	(iii) धानकनाल	100	201	दिसम्बर, 85 तक
	(iv) सम्बलपुर	100	171	जनवरी, 86 तक
16.	पंजाब			
	(i) गुरदासपुर	100	22	नवम्बर, 85 तक
	(ii) भटिंडा	100	64	जनवरी, 86 तक
17.	राजस्थान			
	(i) बांसवाड़ा	90	13	जनवरी, 86 तक
	(ii) पाली	100	असूचित	—
	(iii) भीलवाड़ा	100	24	जनवरी, 86 तक
	(iv) अलवर	100	45	फरवरी, 86 तक
18.	सिक्किम			
	(i) पश्चिमी जिला	70	9	अक्तूबर, 85 तक
19.	तमिलनाडु			
	(i) धर्मपुरी	100	230	जनवरी, 86 तक
	(ii) पेरीयार	100	220	फरवरी, 86 तक
20.	त्रिपुरा			
	(i) पश्चिमी जिला	100	100	सितम्बर, 85 तक

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश			
	(i) बस्ती	120	120	फरवरी, 86 तक
	(ii) बांदा	120	60	—यथोपरि—
	(iii) सुल्तानपुर	120	130	—यथोपरि—
	(iv) इटावा	120	78	जनवरी, 86 तक
	(v) देवरिया	120	120	फरवरी, 86 तक
22.	पश्चिम बंगाल			
	(i) पुरलिया	100	98	फरवरी, 86 तक
	(ii) बांकुरा	100	73	सितम्बर, 85 तक

टिप्पणी :—दिसम्बर, 1985 में प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के एक जिले में कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। उनके लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

सामान्य पूल के मकानों को अन्य पूलों को दिया जाना

4014. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य पूल के मकानों को विशेष आधारों पर दिल्ली प्रशासन पूल, डाक-तार विभाग पूल आदि जैसे अन्य पूलों को हस्तांतरित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, चालू वर्ष में आज की तारीख सहित, श्रेणीवार कितने मकान (टाइप 'ए' से 'डी') दिल्ली प्रशासन पूल, डाक-तार विभाग पूल आदि को हस्तांतरित किये गये हैं और ऐसा किस आधार पर किया गया है;

(ग) इनमें से कितने मकान (टाइप 'ए' से 'डी') 1 जनवरी, 1986 को दिल्ली प्रशासन पूल, डाक-तार विभाग पूल को देय थे;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सामान्य पूल के मकानों को दिल्ली प्रशासन और डाक-तार विभाग से वापस लेने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्र के लिए भूमि का आबंटन

4015. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में कोई भी सामुदायिक केन्द्र नहीं है;

(ख) क्या सामुदायिक केन्द्र के लिए मूलत: आबंटित भूमि खंड को शापिंग काम्प्लेक्स में परिवर्तित कर दिया गया और इसका आबंटन वाणिज्यिक आधार पर किया गया है; और

(ग) क्या सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए कोई वैकल्पिक केन्द्र योजना है और यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए भूमि का आबंटन कब किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। जनकपुरी, नई दिल्ली में दो सामुदायिक केन्द्र हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, दोनों ही सामुदाज्यिक केन्द्रों में अन्य सामुदायिक सुविधाओं के साथ-साथ वाणिज्यिक घटक भी हैं।

(ग) किसी दूसरे सामुदायिक केन्द्र की कोई योजना नहीं है।

अखबारी कागज की आबंटन नीति

4016. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अखबारी कागज के आयात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी अखबारी कागज की उपलब्धता में कोई वृद्धि हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का आयात इस प्रकार है :—

1982-83	—	2.01 लाख मीट्रिक टन	
1983-84	—	2.04 लाख मीट्रिक टन	
1984-85	—	2.12 लाख मीट्रिक टन	(पीछे का बकाया कोटा देने के लिए 1५,000 मीट्रिक टन और चुनाव कोटे के 12,000 मीट्रिक टन सहित)।

(ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी अखबारी कागज का उत्पादन इस प्रकार है :—

1982-83	—	1.02 मीट्रिक टन
1983-84	—	1.70 मीट्रिक टन
1984-85	—	1.93 मीट्रिक टन

रोजगार के लिए श्रमिकों का वर्गीकरण

4017. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने/उपलब्ध करने के लिए देश में श्रमिकों का प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित के रूप में वर्गीकरण करती है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्गीकरण के क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई नई नीति अपनाई है या अपनाने का विचार किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) रोजगार तथा जनशक्ति प्रयोजनों के लिए मैट्रिकुलेटों और इसके ऊपर श्रमिकों का शिक्षित वर्ग के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।

(ग) इस समय किसी नई नीति के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

4019. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का है, जो भारत के संविधान में समाविष्ट राज्य नीति के निदेशक तत्वों में से एक है;

(ख) क्या गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आवश्यक कानून संसद में कब पेश किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विभिन्न संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया गया है। तथापि, पशु संरक्षण का विषय एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य के विधान मण्डलों को कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। तदनुसार विभिन्न राज्य सरकारों में गौ तथा उसकी संतति के बध को रोकने से सम्बन्धित उपयुक्त कानून मौजूद हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गौ तथा उसकी संतति के बध को रोकने से सम्बन्धित कानून मौजूद है। सरकार सांविधानिक संशोधन करने की अपेक्षा मौजूदा राज्य कानूनों को कड़ाई से लागू करने को तरजीह देगी, क्योंकि यह राज्य का विषय है।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

4020. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न व्यवसायों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) देश में कुल 1447 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध हैं।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की वार्षिक स्वीकृत सीटों की क्षमता इस प्रकार है :—

1985	—	2,64,341
1984	—	2,39,499
1983	—	2,26,578

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या (31-7-85 की स्थिति के अनुसार) दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से स्थायी/अस्थायी रूप से सम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	208
2.	असम	9
3.	बिहार	36
4.	गुजरात	119
5.	हरियाणा	91
6.	हिमाचल प्रदेश	33
7.	जम्मू व कश्मीर	19
8.	कर्नाटक	71
9.	केरल	215
10.	मध्य प्रदेश	37
11.	महाराष्ट्र	131
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	3
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	18
16.	पंजाब	113
17.	राजस्थान	31

1	2	3
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	98
20.	त्रिपुरा	3
21.	उत्तर प्रदेश	91
22.	पश्चिम बंगाल	26
23.	अरूणाचल प्रदेश	1
24.	चण्डीगढ़	2
25.	दादर व नागर हवेली	1
26.	दिल्ली	34
27.	गोवा दमन व द्वीव	19
28.	मिजोरम	1
29.	पाण्डिचेरी	3
	जोड़ :	1,447

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन और सुविधाएं

4021. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए प्रोत्साहन और सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना द्वारा वित्त पोषित/सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा सहित राज्य सरकारों को 1985-86 के दौरान विभिन्न संघटकों के लिए दिए गए प्रोत्साहन तथा सुविधाएं हैं : उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, बीज और उर्वरक के मिनिकिटों का वितरण और बीज, उर्वरक, राइजोवियम कल्चर, पौध संरक्षण, सिंचाई

प्रभार और फार्म उपस्कर आदि पर किसानों को आर्थिक सहायता।

(ख) उड़ीसा उन राज्यों में से एक है जहां खाद्य तेलों के पुनर्निर्माण और तिलहन उत्पादन तथा विपणन की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता प्राप्त परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। राज्य स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी संघ और ग्राम स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां प्रायोजित की गई हैं। इन समितियों को उत्पादन में वृद्धि करने और तिलहनों की अधिप्राप्ति का काम सौंपा गया है। राज्य स्तर पर, संघ द्वारा तिलहनों के विपणन तथा संसाधन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकलापों का विविधीकरण

4022. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, उड़ीसा में अपने द्वारा वित्त पोषित/सहायता प्राप्त सहकारी समितियों से मूंगफली/सरसों की खली खरीदता है;

(ख) क्या इस व्यवस्था का विविधीकरण करने और सहकारी समितियों को "गिफ्ट आयल" की बिक्री से और अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा राज्य में खोले जाने वाले तिलहन बैंकों, प्रशिक्षण केन्द्रों और परीक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मूंगफली/सरसों की खली की खरीद न किए जाने के कारण, इस व्यवस्था को बदलने का प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, उपहार में प्राप्त तेल की बिक्री से प्राप्त होने वाली निधि परियोजना क्षेत्र में तिलहनों के विकास के लिए उड़ीसा राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को दी जा रही है।

(ग) तिलहन उत्पादक सहकारी संघ उड़ीसा राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मई, 1982, में गठित किया गया था। उत्पादक सदस्यों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए, परियोजना क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कृषि केन्द्र और एक जिला फार्म स्थापित करने का विचार है। आधुनिक उत्पादन प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय कर्मचारियों और तिलहन उत्पादकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा। 30 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता का एक संसाधन संयंत्र पहले ही चल रहा है। 200 मीटरी टन प्रतिदिन की पिराई की क्षमता 150 मीटरी टन प्रतिदिन की विलायक निष्कासन क्षमता और 50 मीटरी टन प्रतिदिन की परिष्कृत करने की क्षमता वाला एक केन्द्रीय परिसंस्करण संयंत्र भी लगाया जा रहा है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले खेतिहर मजदूरों को पेंशन

4023. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के आयु वर्गों का उनकी आय के सन्दर्भ में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना पर विचार किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना, में मुख्य मजदूरों की श्रेणी में खेतीहर मजदूरों का आयुवार तथा लिंगवार ब्यौरा एकत्र किया गया था और वह संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है। उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार खेतिहर मजदूरों की औसतन दैनिक आय संलग्न विवरण-2 में दर्शायी गई है।

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का समय-समय पर अनुमान लगाया जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, (1983-84 का सर्वेक्षण) गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत (खेतीहर मजदूरों सहित) 37.4 प्रतिशत आंका गया है।

(घ) और (ङ) इस समय राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायक अनुदान देने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है। आंध्र प्रदेश तथा केरल की राज्य सरकारों के पास खेतीहर मजदूरों की पेंशन योजना है। इसके अलावा, प्रायः सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन योजनायें हैं जिनके माध्यम से खेतिहर मजदूरों सहित प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 30 रुपये से 60 रुपये तक पेंशन दी जाती है।

विवरण-1

खेतिहर मजदूरों का आयुवार तथा लिंगवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

कुल ग्रामीण शहरी	आयु वर्ग	खेतिहर मजदूर	
		पुरुष	महिलायें
1	2	3	4
कुल	कुल	34,731,845	20,767,857
	0-14	2,783,209	1,990,821
	15-19	5,113,017	2,772,478
	20-24	4,646,936	2,667,928
	25-29	4,295,604	2,518,064
	30-34	3,606,221	2,292,611
	35-39	3,326,953	2,225,829
	40-49	5,439,526	3,476,524
	50-59	3,296,372	1,879,393
	60*	2,214,998	938,443
		9,009	5,767
	ए० एन० एस०		
ग्रामीण	कुल	32,834,741	19,878,280
	0-14	2,694,417	1,935,215
	15-19	4,877,901	2,670,733
	20-24	4,392,664	2,563,793
	25-29	4,055,247	2,415,361
	30-34	3,403,084	2,189,256
	35-39	3,128,155	2,118,873
	40-49	5,114,602	3,308,960

1	2	3	4
	50-59	3,086,827	1,784,209
	60*	2,073,401	886,508
	ए० एन० एस०	8,443	5,371
शहरी	कुल	1,897.104	889,578
	0-14	88,793	55,606
	15-19	235,116	101,744
	20-24	254,272	104,135
	25-29	240,358	102,702
	30-34	203,137	103,354
	35-39	198,797	106,957
	40-49	324,923	167;565
	50-59	209,545	95,184
	60*	141,597	51,935
	ए० एन० एस०	566	396

*असम के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

खेतिहर मजदूरों की औसतन दैनिक आय को दर्शाने वाला विवरण

रुपये

क्र० सं०	कार्य	खेतिहर मजदूर 1964-65	परिवार 1974-75
1	2	3	4
1.	सभी कृषि कार्य:		
	1. पुरुष	1.43	3.34
	2. महिलायें	0.95	2.27
	3. बच्चे	0.72	1.82

1	2	3	4
2.	गैर कृषि कार्य :		
	1. पुरुष	1.54	3.27
	2. महिलायें	0.92	2.12
	3. बच्चे	0.74	1.85

स्रोत: भारतीय श्रमिक वर्ष पुस्तक—1983

दूध के मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण और न्यायाधिकरण

4024. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमित अवधि के बाद पूरे वर्ष दूध के मूल्य निर्धारित करने के लिए दुग्ध विपणन और मूल्य प्राधिकरण और न्यायाधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है:

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायतार्थ योजनाओं की यादृच्छिक जांच

4025. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहायतार्थ योजनाओं की यादृच्छिक जांच करने का है,

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा कार्यक्रमों के अन्तर्गत सही लाभार्थियों को ही सहायता प्राप्त हो, किन-किन ब्लाकों को चुना गया है या चुनने का विचार है; और

(ग) आंध्र प्रदेश से ऐसे कितने ब्लाक चुने गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हाल में इस मन्त्रालय में प्राकृतिक आपदाओं के लिए मन्जूर की गई केन्द्रीय सहायता के प्रबोधन के लिए एक प्रबोधन कक्ष की स्थापना की गई है। प्रबोधन आदि की कार्य-प्रणाली तैयार की जा रही है।

कीटनाशकों के लिये पृथक विभाग की स्थापना

4026. डा० चिन्ता मोहन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों से उत्पन्न खतरों पर निगरानी रखने और मध्यवर्ती सुधारों के लिए एक पृथक कीटनाशक विभाग स्थापित करने का है; और

(ख) क्या दूध, सब्जियों, फलों, मुर्गी और पशु मांस आदि में कीटनाशकों के स्तर की संक्षिप्त जानकारी देने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय निर्धारित सीमा में है और यदि नहीं, तो इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने/नीति बनाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पृथक रूप से कीटनाशक विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कीटनाशक औषधियों के विवेकपूर्ण उपयोग और कम स्तर पर इस्तेमाल करने से, जैसाकि भारत में इस्तेमाल होता है, पर्यावरण को कोई विशेष नुकसान नहीं हो सकता। तथापि, पर्यावरण में कीटनाशक औषधियों के अवशिष्ट भागों पर सरकार बारीकी से निगरानी रख रही है।

(ख) खाद्य पदार्थों में कीटनाशक औषधियों के अवशिष्ट भागों की सीमा के बारे में खाद्य एवं कृषि संगठन परियोजना के अधीन भारत में अध्ययन किये गए थे। अध्ययनों के परिणामों के अनुसार, खाद्य पदार्थों में पाये गए कीटनाशक औषधियों के अवशिष्ट भाग की मात्रा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर है।

सरकारी आवास की लाइसेंस फीस

4027. श्री विजय कुमार यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के बाद दो महीनों तक सरकारी आवास (टाइप-एक से टाइप-चार तक) की उससे वसूल की जाने वाली निर्धारित लाइसेंस फीस की राशि कितनी है;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दिए जाने पर दो महीने के बाद से आठ महीनों तक सरकारी आवास (टाइप-एक से टाइप-चार तक) अपने पास रखने पर सेवानिवृत्त अधिकारी से वसूल की जाने वाली निर्धारित लाइसेंस फीस की राशि कितनी है; और

(ग) आठ महीनों के बाद सरकारी आवास (टाइप-एक से टाइप-4 तक) के अनाअधिकृत कब्जे के लिए बाजार किराये की राशि कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सेवा निवृत्ति से पूर्व की लाइसेंस फीस की दर का ही भुगतान किया जा रहा है।

(ख) एफ०आर० 45-ए के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस का दुगना या एफ०आर० 45-ए के अन्तर्गत पूलित मानक लाइसेंस फीस का दुगना दोनों में से जो भी अधिक हो, लेकिन परिलब्धियों के 30 प्रतिशत से अधिक न हो (जैसा कि एफ०आर० 45-ग में बताया गया है) या किसी अधिकारी द्वारा अदा की जा रही लाइसेंस फीस का दुगना, जो भी अधिक हो।

(ग) टाइप-I के मकानों के मामले में एफ०आर० 45-बी के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस का दुगना एवं एकल विभागीय प्रभार I टाइप-II तथा टाइप-IV मकानों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई पूलित एकल दर के अनुसार निकाली गई पूलित मार्किट लाइसेंस फीस या विभागीय प्रभारों सहित एफ०आर० 45-बी के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस या किसी अधिकारी द्वारा अदा की जा रही लाइसेंस फीस का दुगना, जो भी अधिक हो। तथापि, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत जारी किए गए बेदखली के आदेश मिलने की तारीख से 15 दिन समाप्त होने के पश्चात् लाइसेंस फीस की मार्किट दर की तिगुनी क्षति देय होती है।

पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान

4028. **श्री हुसैन दलवई** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को विशेष अनुदान दिए जाते हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को इस प्रकार का कितना अनुदान आबंटित किया गया;

(ग) क्या राज्यों को ऐसे अनुदान खर्च करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए थे;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा अनुदान की राशि खर्च नहीं की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन पर "न्यूज लाइन" कार्यक्रम का दिखाया जाना

4029. **श्री नारायण चौबे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1986 को दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला न्यूज लाइन कार्यक्रम

अन्तिम समय में रद्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1986 को टेलीकास्ट करने के लिए निर्धारित "न्यूज लाइन" कार्यक्रम को निर्माता के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि कार्यक्रम तैयार नहीं था। इसे 8 जनवरी, 1986 को टेलीकास्ट किया गया था।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए प्रचार सेवाओं का प्रयोग

4030. श्री मानिक रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक पूर्ति विभाग के उपरोक्त संरक्षण एकक ने औद्योगिक प्रदूषण, खतरनाक औषधों पर प्रतिबंध, परिवहन के जोखिम और खाद्य स्तर में मिलावट के सम्बन्ध में 20-21 जनवरी, 1986 को दिल्ली में एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचारगोष्ठी में क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप विचारगोष्ठी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित अपने प्रचार माध्यमों का उपयोग करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) नागरिक आपूर्ति विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एकक) ने 20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण पर एक अखिल भारतीय सेमीनार का आयोजन किया था जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था :—

1. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर माडल कानून का मसौदा अपनाया जाना।
2. उपभोक्ता संरक्षण कानूनों अर्थात् खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, मानक और तौल और माप अधिनियम, आदि में संशोधन।
3. स्वैच्छिक संगठनों को सीमित शक्तियां देना।
4. विशेषकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में लोगों की भागेदारी।
5. इकाई मूल्य प्रणाली।

6. देश में उपभोक्ता आंदोलन के विकास और मोनिटरिंग के लिए विशिष्ट प्रशासनिक, कानूनी, वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्था।

7. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के अखिल भारतीय संघ की स्थापना।

(ख) नीति के रूप में, आकाशवाणी, और दूरदर्शन जैसे सरकारी जन माध्यम उपभोक्ताओं के हितों पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस बारे में किसी भी संगठन से प्राप्त विशिष्ट सुझावों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

हमारे समुद्री क्षेत्र में विदेशी मछली पकड़ने की नौकाएं

4031. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र में विदेशी किराए की मछली पकड़ने की नौकाओं द्वारा मछलियां पकड़ी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 में पकड़ी गई विदेशी मछली पकड़ने की नौकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे मछुआरों के हितों की सुरक्षा और अपने समुद्री क्षेत्र से विदेशी मछली पकड़ने की नौकाओं को दूर रखने के लिए हमारे तटरक्षकों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चार्टर किए गए विदेशी मत्स्यन ट्रालरों को पश्चिमी तट पर कुछ और प्रतिबंधों सहित सामान्य नियम के अनुसार तट से 24 नाविक मील दूर और पूर्वी तट पर कुछ और प्रतिबंधों सहित सामान्य नियम के अनुसार तट से 12 नाविक मील दूर मछली पकड़ने की अनुमति है। चार्टर की शर्तों का उल्लंघन करने वाले ट्रालरों को पकड़ लिया जाता है और दण्डनीय कार्यवाही की जाती है।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान चार्टर किया गया कोई विदेशी ट्रालर पकड़ा नहीं गया।

(ग) हमारे राष्ट्रीय समुद्री जोन के उन क्षेत्रों की जहां मत्स्यन संसाधन काफी अधिक मात्रा में हैं, कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट द्वारा निगरानी की जाती है और कोस्ट गार्ड जहाजों द्वारा गश्त लगाई जाती है, ताकि विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा अनधिकृत ढंग से मछली पकड़ने को रोका जा सके।

बिहार से आये हुए प्रवासी श्रमिक

4032. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से बड़ी संख्या में आये हुए प्रवासी श्रमिक अपने रोजगार के स्थानों में दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके कल्याण के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य से रोजगार के लिए अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए सरकार का कोई तन्त्र है और क्या यह तन्त्र इन प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई कल्याण कार्यक्रम चला रहा है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार में कितने ठेकेदारों ने बिहार से बाहर प्रवासी श्रमिक भेजने के लिए विद्यमान विधियों की अपेक्षा के अनुसार अपने नाम पंजीकृत कराये हैं; और

(ङ) विधि की अपेक्षा के अनुसार अपना नाम पंजीकृत कराये बिना ऐसे श्रमिकों को बिहार राज्य से बाहर भेजने के लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जब कभी प्रवासी श्रमिकों के शोषण से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो समुचित प्राधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ख) अन्तरराज्यिक प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण के लिए अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 को विशेषरूप से बनाया गया है। इन श्रमिकों को कई अन्य श्रम कानूनों का संरक्षण भी प्राप्त है।

(ग) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के अधीन वह श्रमिक आता है, जो किसी राज्य में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से किसी अन्य राज्य में स्थित किसी प्रतिष्ठान में रोजगार के लिए करार या अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत भर्ती किया जाता है। उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में ठेकेदारों और प्रधान नियोक्ताओं के लिए लाजमी किया गया है कि वे समय-समय पर विवरणियां भेजे जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ नियोजित प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना दी गई हो।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 में श्रमिकों के लिए कुछ कल्याण सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। इस अधिनियम को केन्द्र और राज्य सरकारें अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करती हैं।

(घ) और (ङ) ठेकेदारों को पंजीकृत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 में ठेकेदारों को लाइसेंस देने के लिए उपबंध है। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सम्मुख आ रही समस्याएं और अनियमितताएं

4033. **श्री रेणुपद दास** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को किन समस्याओं और अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या समस्याओं का समुचित रूप से पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे मुख्यतया है नियमित निदेशक, रजिस्ट्रार, प्रशासनिक अधिकारी का न होना और शिक्षण संकाय में कुछ अन्य रिक्तियों का होना। इसके अलावा कतिपय वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। निदेशक के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने के लिए प्रयास जारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी के खाली पद को भरने के लिए अधिकारी का चयन करने की कार्रवाई की जा रही है। रजिस्ट्रार के पद के लिए अधिकारी का चयन पहले ही किया जा चुका है और पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर देने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। शिक्षण संकाय में रिक्तियों की जो स्थिति है उससे संस्थान की शासी परिषद पहले ही सजग है और उसने हाल ही की अपनी बैठक में संस्थान से मंत्रालय के कार्य अध्ययन एकक की रिपोर्ट के अनुसार रिक्तियों को नियमित तथा नैमित्तिक आधार पर भरने के लिए कहने का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्य लेखा अधिकारी अपने पद पर है और अब वित्तीय अनुशासन को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

वर्ष 1985-86 में केरल को बागवानी के लिए धनराशि का आवंटन

4034. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में बागवानी विकास कार्यक्रम के लिए केरल को मदवार, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था; और

(ख) उक्त राज्य ने वास्तव में अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1985-86 के दौरान बागवानी विकास कार्यक्रम के लिए केरल को 379.386 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें रोपण फसलों के लिए 375.350 लाख रुपए और सब्जियों के लिए 4.036 लाख रुपए शामिल हैं।

(ख) राज्य सरकार ने अब तक 255.557 लाख रुपए की धनराशि खर्च की है।

नेहरू पर फिल्में

4035. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू पर फीचर फिल्म बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म का नाम क्या होगा; और

(ग) इस फिल्म का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करता है। "नेहरू" पर फीचर फिल्म के लिए वित्त देने का फिलहाल इसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"एफ० आर० जी० फर्म वान्ट्स टू रन विश्वेश्वरय्या स्टील प्लांट" शीर्षक से समाचार

4036. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम जर्मनी की एक फर्म विश्वेश्वरय्या आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, जो रुग्ण हो गई है, के प्रबंध का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है जैसाकि दिनांक 7 मार्च, 1986 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : सरकार को पश्चिम जर्मनी की फर्म के ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

कुडप्पा आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

4037. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडप्पा आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। केन्द्र में 100 किलोवाट मीडियम वेव का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर पहले ही है जिसे अक्तूबर, 1983 में चालू किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू के उत्पादन में कमी और सामाजिक वानिकी को अपनाना

4038. श्री अमर सिंह राठवा
डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तम्बाकू के निर्यात में गिरावट को देखते हुए तम्बाकू के उत्पादन के स्थान पर सामाजिक वानिकी को अपनाया है;

(घ) क्या उद्योग की समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान और विकास कार्य न होने के कारण तम्बाकू के उत्पादन और निर्यात को काफी हानि उठानी पड़ी है; और

(ङ) तम्बाकू की घरेलू मांग को पूरा करने तथा इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान 510,000 मीटरी टन के वार्षिक औसत उत्पादन की तुलना में तम्बाकू का उत्पादन 1983-84 में 493,000 मीटरी टन और 1984-85 में 473,000 मीटरी टन था, जो औसत उत्पादन से क्रमश: केवल 3.3% और 7.2% कम था।

(ख) मुख्यत: क्षेत्र में मामूली कमी होने की वजह से उत्पादन में सीमान्त कमी हुई।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तार एजेन्सियों के जरिए नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार और उन्नत किस्मों के शुद्ध बीज और पौध के वितरण पर बल दिया जा रहा है।

काजू की खेती के अधीन क्षेत्र

4039. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को काजू उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय अनुदान मिल रहा है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र पर काजू की खेती की गई है;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितना क्षेत्र काजू की खेती के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) काजू विकास के लिए पैकेज प्रोग्राम पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) काजू ऐसी फसल है, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए काजू के अधीन राज्य-वार क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। फिर भी, काजू के राज-सहायता प्राप्त प्लांटेशन स्थापित करने के कार्यक्रम के अधीन छठी योजना अवधि में 72,521 हैक्टेयर क्षेत्र लिया गया है। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	19923
2.	गोवा	6036
3.	कर्नाटक	11065
4.	केरल	8729
5.	उड़ीसा	26209
6.	त्रिपुरा	280
7.	पश्चिम बंगाल	279

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर काजू पैदावार के अधीन क्षेत्र का राज्य-वार लक्ष्य नियत नहीं है।

(घ) काजू विकास के लिए पैकेज प्रोग्राम पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सातवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रखी जा रही है। इस स्कीम के अधीन नई पौद और रखरखाव के लिए उत्पादकों को 900 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से और राज्य निगमों को 500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से राज-सहायता दी जाती है। रयोता जोतों में 0.4 हैक्टेयर आकार के प्रति प्लाट पर 400 रुपए की दर से निदर्शन विन्यास के लिए भी राज-सहायता दी जाती है। सातवीं योजना में केन्द्रीय शेयर के रूप में 5 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई है।

इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त ऊर्जा

4040. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात के उत्पादन में ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग होता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या लागत को कम और ऊर्जा की बचत करने हेतु इस स्थिति में आमूल परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित देशों के सम्बन्ध में मोटे तौर पर परिचायक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	गेरा केलरी/प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात
फ्रांस	5.7
संघीय गणतंत्र जर्मनी	5.2
इटली	4.0
नीदरलैण्ड	4.6
अमरीका	6.0
जापान	6.5
भारत	9.6

(विभिन्न देशों के बारे में परिकलन का आधार ज्ञात नहीं है और यह प्रत्येक देश के मामले में भिन्न-भिन्न हो सकता है)

(ख) आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के कई उपायों की योजना बनाई जा रही

है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

— वर्तमान सिन्टर संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा नये सिन्टर संयंत्र लगाना;

— घमन भट्टियों का तीव्रीकरण करना;

— ऑक्सीजन से इस्पात बनाने के कंवर्टरों के स्थान पर खुले मुंह की भट्टियां लगाना;

— निरन्तर ढलाई की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर अपनाना;

— बेलन-मिलों का आधुनिकीकरण करना;

— सभी कर्मशालाओं में संगणक नियंत्रण प्रणाली लागू करना;

— व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोक की ड्राई-क्वेंचिंग, सिन्टर संयंत्र में ताप की प्राप्ति की प्रणाली, भट्टियों का पुनः तापन; घमन भट्टियों के ऊपर के गैस-दबाव का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन;

— आवेशित कोयले की स्टैम्प चार्जिंग करना;

— आवेशित कोयले का आंशिक रूप से ब्रिकेटीकरण करना।

औद्योगिक कामगारों की उत्पादन क्षमता पर तापमान, नमी आदि का प्रभाव

4041. **श्रीमती डी० के० मण्डारी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक मजदूरों की उत्पादन क्षमता पर तापमान, नमी, दिन और रात की पारियों (शिफ्टों), प्रबंधक-श्रमिक संबंधों और कार्य करने की परिस्थितियों के प्रभावों का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बम्बई में केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र और कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में क्षेत्रीय श्रम संस्थान अपने परामर्शी और अनुसंधान क्रियाकलापों के रूप में अलग-अलग औद्योगिक यूनिटों में तापमान, नमी, कार्य करने की परिस्थितियों और पारी (शिफ्ट) कार्य का समय-समय पर अध्ययन करते हैं। उसकी मुख्य बातें और सिफारिशें अध्ययन की गई यूनिटों के प्रबंधतंत्र को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिए जाते हैं।

वर्ष 1985 के दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन और निर्यात

4042. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1985 के दौरान चावल और गेहूं का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चावल और गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाले पांच राज्यों के क्रमशः नाम क्या हैं और उनका क्रमशः उत्पादन कितना है; और

(ग) तीसरे विश्व के उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1985 के दौरान भारत ने निशुल्क चावल/गेहूं भेजा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) फसल वर्ष 1985-86 (जुलाई से जून) के दौरान चावल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान सभी राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि गेहूं के लिए ये देय भी नहीं हुए हैं। देश में तथा उत्पादन करने वाले पांच प्रमुख राज्यों में फसल वर्ष 1984-85 के दौरान चावल तथा गेहूं का उत्पादन प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1985 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूडान, सोमालिया, इथोपिया, केनिया तथा तंजानिया के सूखा ग्रस्त अफ्रीकी देशों को 1 लाख मीटरी टन गेहूं भेजा गया। लगभग 7,000 मीटरी टन गेहूं का आटा उपहार के रूप में मारिशस को भी भेजा गया। उपहार अथवा दान के रूप में कोई चावल नहीं भेजा गया।

विवरण

1984-85 के दौरान चावल तथा गेहूं का उत्पादन

(दस लाख मीटरी टन)

चावल		गेहूं	
राज्य	उत्पादन	राज्य	उत्पादन
पश्चिम बंगाल	8.1	उत्तर प्रदेश	16.0
उत्तर प्रदेश	7.2	पंजाब	10.1
आन्ध्र प्रदेश	7.0	हरियाणा	4.4
तमिलनाडु	5.4	मध्य प्रदेश	3.7
बिहार	5.3	बिहार	3.1
समस्त भारत	58.6	समस्त भारत	44.2

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

4043. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का वर्तमान तरीका, उत्पादकों के लिए हानिकर है क्योंकि हाल ही के वर्षों में उत्पादन लागत में हुई वृद्धि तथा उन तत्वों को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ने की आशंका रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने और कपास का लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर कपास की न्यूनतम समर्थन कीमत नियत की जाती है। उत्पादन की लागत में वृद्धियों को ध्यान में रखा जाता है और बढ़े हुए फार्म पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य में समुचित गुंजायश दी जाती है। इस प्रकार नियत की गई कीमतें लाभकारी होती है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट पब्लिक एजेंसी के मार्फत पर्याप्त विपणन समर्थन कार्य शुरू किये जाते हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमतें मिलती हैं।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या रक्षा मंत्री हमें भारतीय वायु सेना के उस विमान के बारे में बताएंगे जो लापता हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह यहां नहीं हैं। हम उनको पता लगाने के लिए कहेंगे। हम उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मंत्री जी भारतीय वायुसेना के लापता विमान के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (काट्टायम) : महोदय, यूनियन कार्बाइड···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, यूनियन कार्बाइड के साथ ससझौते के सम्बन्ध में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, स्थगन प्रस्ताव के लिए आप जोर नहीं डाल सकते। आप मुझे लिखित में कुछ दे सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैंने एक नोटिस दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह न्यायालय के बाहर यूनियन कार्बाइड के साथ समझौता नहीं करेगी···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर आप शांति से काम लें···

[अनुवाद]

अगर आप में कुछ धैर्य हो तो—

[हिन्दी]

यही एक मुसीबत आपके साथ है। आप जल्दी तेज हो जाते हैं मैं यह कह रहा हूं कि मुझको पता तो कर लेने दीजिए कि असलियत क्या है।

[अनुवाद]

बिना सूचना के मैं कैसे कर सकता हूं ? मुझे पता कर लेने दीजिए और उसके बाद हम चर्चा के लिए उनके साथ बात करेंगे।

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह एक गम्भीर मामला है। भारत सरकार को नजर-अन्दाज किया गया है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन्तजार करिए। आपकी बारी भी आएगी।

[हिन्दी]

गड़बड़ी में आपकी बात नहीं सुनी जा सकेगी।

[अनुवाद]

पहले हमें पता लगाना चाहिए। उसके बाद हम विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुद्दा यह है कि भारत सरकार को नजर-अन्दाज किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समझौता कम्पनी और अमरीकी वकीलों के बीच हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम । हमें पता लगाना होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक गंभीर मामला है । ये लोग अमरीकी अदालतों में जाने के लिए जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी ऐसा करते हैं, मुझे फाइंड आउट तो करने दो ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री स्वैल को अनुमति दे दी है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर वही गलत बात करते हो, आपको मैंने बता दिया है कि मुझे देख लेने दो, आप फिर वही बात कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

हम पता लगाएंगे । मैं अपने आप ही कुछ कैसे कह सकता हूं ?

[हिन्दी]

पता करके ही तो बता सकूंगा, नहीं तो ऐसे थोड़े ही मुझे पता है ।

[अनुवाद]

चौधरी जी मुझे पता लगाना होगा । मैं अपने आप कुछ कैसे कह सकता हूं । मैं पता लगा कर आपको बताऊंगा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बहुत विचलित करने वाली रिपोर्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात ।

[हिन्दी]

फिर वही बात, एक दफा, दस दफा, सौ दफा कर दिया, फायदा क्या है टाइम जाया करने का ।

[अनुवाद]

मैं पता लगाकर आपको बताऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है। हम विवेकशील लोग हैं। जैसे ही समस्या सामने आएगी हम उसका समाधान कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री जी का वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह मुझे तथ्य बतायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोगों की मृत्यु हो गई है, वे अपंग हो गए हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी चीज के लिए नहीं कह सकता। मैं जानकारी और तथ्य देने के लिए कह सकता हूं और उसके बाद ही मैं निर्णय ले सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात आप करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समय मत बरबाद करिए। अब कुरूप जी।

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : हमें चिन्ता है···

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मुझे खेद है कि आप चिन्तित हैं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री जी०जी० स्वैल : इसीलिए मैं यह बात आपके और सदन के ध्यान में लाया हूं क्योंकि हमें बहुत चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

श्री जी०जी० स्वैल : हम जानना चाहते हैं कि नागालैण्ड में क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगा रहा हूं।

श्री जी०जी० स्वैल : यह राज्य का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में पता लगाऊंगा। आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको यहां नहीं बता सकता।

श्री जी० जी० स्वैल : एक पक्षीय निर्णय···कृपया देखिए।

(व्यवधान)

मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दूंगा। जी नहीं, इस पर मैं दृढ़ हूं। कृपया आप दोनों बैठ जाइए। इसकी अनुमति नहीं है। मैं आपको ऐसा करने से मना करता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : श्री जयपाल रेड्डी जी गलत व्याख्या कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है। आपने मामला उठाया है और उन्होंने भी। यहां गलत व्याख्या करने का सवाल नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया कि मैंने सलाह नहीं किया है, आप गड़बड़ क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी। बस कुछ प्रश्न उठाते हैं और मैं अनुमति नहीं देता हूं। जब मैं तथ्यों के बारे में नहीं जानता तो मैं अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

अब आप उसको रैक-अप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मुझे नहीं मालूम कि आप ऐसा क्यों करेंगे।

[हिन्दी]

मैंने कह दिया, आप क्यों कर रहे हैं उसको, जब मैंने कह दिया है।

** कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तथ्य नहीं हैं और उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों के लिए कहूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा इसे ही क्यों दोहरा रहे हैं ? इसमें क्या मजा आ रहा है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आपसे निर्देश चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को निर्देश नहीं दे सकता । मैं तथ्यों के लिए कहूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप केवल मुझे निर्देश दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संबद्ध मुद्दे और संगत नियम के बारे में बता सकता हूं । ठीक है । कोई समस्या नहीं ।

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगें

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं वर्ष 1986-87 की इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—2313/86]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1986-87 के वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1986-87 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—2314/86]

पाराद्वीप फास्फेट् लिमिटेड भुवनेश्वर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पाराद्वीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—2315/86]

श्री पी० के० थुंगन : हम कुछ जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।

कम्पनी, अधिनियम 1956 तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन अधिसूचनाएं तथा नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया बम्बई के वर्ष 1883-84 और 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परिक्षित लेखाओं के विलम्ब से रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या 12/18/86-आई० जी० सी० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो सरकारी कम्पनियों को उक्त अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) में लागू होने से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2316/86]

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम० अरुणाचलम]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 344 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 1978 की अधिसूचना संख्या का०आ० 450 (अ) में प्रकाशित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (माल का वर्गीकरण) संशोधन नियम, 1978, जो हुए थे, रद्द किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2317/86]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 86 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 764 (अ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2318/86]

(4) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 और 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2319/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा आयल पाम इंडिया लिमिटेड कोट्टायम के वर्ष 1984-85 के तथा राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड, आणन्द तथा कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम लिमिटेड बंगलौर, आदि के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० 474 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उर्वरक समिति गठित की गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2320/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) आयल पॉम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल पॉम इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—2321/86]

(4) (एक) राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड, आणन्द के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड, आणन्द के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) के उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरक्षण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—2322/86]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—2323/86]

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

(ख) (एक) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—2324/86]

(ग) (एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—2325/86]

12.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का छठा और सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के छठे और सातवें प्रतिवेदनों से सम्बन्धित उसकी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

12.05½ म० प०

रेल अभिसमय समिति

की गई कार्यवाही सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : मैं रेलों की परिचालन लागत (सामग्री की लागत) के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति (1980) के 11वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इस समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.06 म० प०

सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में 19 मार्च, 1986 को सभा में की गई टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में एक वक्तव्य

[अनुवाद]

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं :

मैंने 10-3-1986 को "देश के विभिन्न भागों में सूखे और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति पर" हुए विचार-विमर्श का उत्तर दिया था। जब मैं उत्तर दे रहा था तो बीच में कई व्यवधान उत्पन्न हुए। मैंने आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत की थी और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के निजी सहायक के साथ हुई टेलीफोन पर हुई मेरी बात चीत सम्बन्धी घटना के बारे में बताया था। दुर्भाग्यवश, उसमें गलती से तमिलनाडु बोला गया।

बाद में 19 मार्च, 1986 को मैंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जिससे मेरा अभिप्राय सभा को यह बताना था कि केन्द्र में विभिन्न स्तरों पर कितनी जल्दी कार्यवाही की जाती है। जहां तक आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का सम्बन्ध हैं, मैंने उनके निजी सहायक से बातचीत की थी और उनके निजी सहायक मेरी मुख्य मंत्री से बात नहीं करा सके। मेरा किसी को बदनाम करने का अभिप्राय नहीं था।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि मैंने जानते हुए अथवा

समझबूझकर सभा में कोई गलत अथवा भ्रामक वक्तव्य दिया । फिर भी मैं असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूं ।

12.07 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(दो) लोक-लेखा समिति

[अनुवाद]

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई,1986 से आरम्भ होकर

30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

श्री राज मंगल पांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312(ख) के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1986 को आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312(ख) के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 1986 को आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई 1986 को आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1986 को आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छः) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के

नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धों समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धों समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यो के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.10 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

22 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 21 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.11 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एक टीन कारखाना स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को निदेश देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के बस्तर जिलों में 35-36 मील की लम्बाई तथा 20-25 मील चौड़ाई के सघन वन एरिया में टीन का फ़ैला हुआ खदान पाया जाता है। खोज के पेश्तर इसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं थी पर आज कुछ तस्कर लोग बड़े पैमाने में स्थानीय आदिवासियों को, ज्यादा पैसे का लालच देकर, देश की बहुमूल्य सम्पत्ति को, उनमें चोरी करने की प्रवृत्ति को दिन पर दिन बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें आदिवासी लालचवश राष्ट्रीय सम्पत्ति की भयंकर चोरी के गुनाह में शामिल हो रहे हैं। राज्य खनिज निगम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जिसमें स्थानीय लोगों से तस्कर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आदिवासियों की सरल और सादगी के जीवन को तस्करों के खिलवाड़ के लिए इस तरह छोड़ना ठीक नहीं है इसलिए इसी क्षेत्र में एक ऐसा कारखाना हो जिसमें कच्चे माल को गलाकर प्रथम स्टेज में अयस्क तैयार कर उसे अन्य जगह निर्यात किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों को चोरी की गुनाह से बचाया जा सकेगा तथा उन्हें मेहनत का सही दाम मिलेगा। इस तस्करी से टीन की चोरी लगातार होने से, इस क्षेत्र में कार्यरत वन विभाग और पुलिस विभाग को बड़े शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए केन्द्र शासन से अनुरोध है कि केन्द्रीय खनिज निगम को निर्देश देवें जिसमें राज्य खनिज निगम के साथ संयुक्त परियोजना द्वारा एक कारखाना डालें जिससे चोरी की वारदातों को समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठाया जा सके और 'जहां कच्चा माल वहीं कारखाना' स्थापित करने वाले सिद्धांत को लागू किया जाए।

[अनुवाद]

(दो) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूर संचार विभाग को अधिक धनराशि का आवंटन करने की आवश्यकता

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : महोदय, ऐसा लगता है कि संचार मंत्रालय को सातवीं पंचवर्षीय योजना के विभाग की आवश्यकता से बहुत कम धन राशि का आवंटन किया गया है। जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त दूरभाष तथा डाक सुविधाओं के बिना 21वीं सदी में प्रवेश करना हमारे लिए कैसे संभव है ? गत एक वर्ष से भरती पर प्रतिबन्ध है और अपर्याप्त धनराशि के आवंटन के कारण इसके अभी जारी रहने की संभावना है। वर्तमान मानदण्डों के अनुरूप दूर संचार विभाग और अधिक डाकघर खोल सकने की स्थिति में नहीं है तथा नये दूरभाष केन्द्रों तथा डाकघरों के लिए नये भवनों का निर्माण करने की उम्मीद बहुत कम है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर ग्रामीण जनता पर। मैं योजना मंत्रालय से देश में दूर संचार सुविधाओं के लिए अधिक धन राशि का आवंटन करने पर पुन: विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तीन) मध्य प्रदेश में सागर को वायु सेवा से जोड़ने की मांग

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में नियम 377 के अधीन सूचना इस प्रकार देता हूं :—

"सागर मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों में से हैं जहां कि प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहां रक्षा विभाग का बहुत बड़ा सेण्टर है। रक्षा विभाग वाले अक्सर हेलीकाप्टर से आते हैं। पुलिस ट्रेनिंग कालेज भी है। हवाई सेवा न होने से देश के इस सबसे पुराने कालेज में माननीय अतिथि लोग आने को मना कर देते हैं। सागर व्यापार का भी बहुत बड़ा सेन्टर है। वहां मध्य प्रदेश शासन की हवाई पट्टी भी बनी हुई है। यह भोपाल और जबलपुर के बीच में स्थित है और इंडियन एयरलाइंस की प्रतिदिन भोपाल जबलपुर सर्विस है। जहाज सागर के ऊपर से आता है। जिन यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करनी होती है। वे सागर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी तय करके भोपाल जाते हैं और वहां से जहाज पकड़ते हैं जो बहुत ही कष्टदायी है।

अत: सागर को हफ्ते में कम से कम 3 दिन वायुसेवा से अवश्य जोड़ा जाए।' धन्यवाद।

[अनुवाद]

(चार) दक्षिण कोरियाई पैकेज पेशकश को अन्तिम रूप देकर पारादीप पत्तन का विकास करने और जखपुरा-बांसपानी रेल लाईन को पूरा करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : देश का एक समय का सबसे गहरा पारादीप पत्तन आजकल बहुत खराब हालत में है। इस पत्तन को गहरा करना और जखपुरा बांसपानी रेल लाईन को पूरा करना विशेष रूप से इस पत्तन और सामान्य रूप से राज्य के हित में अत्यन्त आवश्यक है। यह निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है कि दक्षिण कोरिया की मैसर्स ह्युनड़ी कारपोरेशन ने पारादीप बन्दरगाह पर 2,000,00 डी०डब्ल्यू०टी० जहाजों के लिए वहां व्यवस्था करने का पैकेज प्रस्ताव किया है। जैसा कि मैंने जाना है, इस पैकेज प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति ने स्वीकृति दे दी है तथा यह वर्तमान में भारत सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन करना बहुत ही महत्त्व पूर्ण है क्योंकि इससे भार लादने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयातकों की जरूरत को पूरा करेगा क्योंकि भाड़ा कम होने की वजह से वे लौह अयस्क को यहां से आयात करना पसंद करेंगे। लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि होने से आदिवासी लोगों को विशेष रूप में खनन वाले क्षेत्रों में लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इस सन्दर्भ में दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव के बारे में शीघ्र अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए और जखपुरा-बांसपानी रेल लाईन को तीस वर्ष के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए, इसके अलावा पत्तन के लिए एक ड्रेजर खरीदा जाना चाहिए और ड्रेजर कोणर्क और ड्रेजर नं० एम०ओ०टी०-vii के मलबे को भारतीय नौसेना द्वारा हराया जाना अति आवश्यक है।

(पांच) कर्नाटक के कोलार जिले में लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

***डा० वी० वेंकटेश** (कोलार) : कर्नाटक राज्य में कोलार सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इस जिले के किसी भी तालुका में कोई भी उद्योग नहीं हैं सिवाय कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के। इस तथ्य के बावजूद भी इस जिले को 'उद्योगहीन जिला' घोषित नहीं किया गया है। इस जिले में एक भी नदी नहीं है। कृषि के लिए किसान पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। अभूतपूर्व सूखे की वजह से लोग संकट में हैं। इस जिले के इतिहास में वर्तमान सूखा बहुत ही गम्भीर है। बेरोजगारी बढ़ गई है। अतः इस जिले में छोटे तथा लघु उद्योग लगाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

बी० ई० एम० एल० इंजिनों के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना सिर्फ कोलार जिले में ही स्थापित की जानी चाहिए। इससे अतिरिक्त

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बी०ई०एम०एल० की सभी सहायक ईकाइयां भी यहीं पर लगायी जानी चाहिए। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहां लघु तथा मध्यम उद्योग लगाए जाएं तथा इस जिले के लोगों की भुखमरी एवं मृत्यु से बचाया जाए।

(छ:) राजस्थान के चुरू जिले में एक उच्चशक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

'राजस्थान का चुरू एक महत्त्वपूर्ण जिला है जिसकी आबादी पन्द्रह लाख से ऊपर है। जहां अस्सी प्रतिशत लोग काश्तकार, अनुसूचित जाति, खेतिहर मजदूर और पिछड़ा जाति के लोग हैं, यह जिला 'दूरदर्शन' सुविधाओं से वंचित है।

आज जब हमारा देश 21वीं शताब्दी में जाने की सभी क्षेत्रों में तैयारी कर रहा है और विकास के चरण तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस समय चुरू जिले के रहने वाले दूरदर्शन की सुविधा से वंचित होना नहीं चाहते हैं। कभी-कभी मौसम ठीक होने पर आसपास के दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रम कहीं-कहीं पर दिखाई देते हैं, जिसके कारण हजारों टेलीविजन बेकार पड़े हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि दूरदर्शन विभाग इस क्षेत्र का तुरन्त सर्वेक्षण कराए। केन्द्रीय सरकार ने दूरदर्शन केन्द्र के लिए जो आधार बनाए हैं उन आधारों पर चुरू जिले में दूरदर्शन की स्थापना आवश्यक ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के विकास के लिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए और मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जहां छोटी-छोटी जगहों पर दूरदर्शन लगा दिए हैं वहां चुरू जिले में भी अविलम्ब इसी वर्ष हाई-पावर ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र लगाने का निर्णय ले।"

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, चिरकाल से चले आ रहे सीमा विवाद···की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, परिवर्तन के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि प्रो० तिवारी जी से शून्यकाल के अतिरिक्त समय में कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गूंगे की भाषा गूंगे की मां ही समझ सकती है।

[अनुवाद]

प्रो० के०के० तिवारी : महोदय, सदन में जो शून्य हैं वही शून्यकाल में कही गई बात को समझते हैं।

(सात) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का कोई स्थायी हल निकालने की आवश्यकता

श्री के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चिरकाल से चले आ रहे सीमा विवाद पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विवाद में संबंधित राज्यों के बलिया तथा भोजपुर जिले अन्तर्गस्त हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों के कड़े प्रयासों की वजह से केन्द्र सरकार ने संसद के अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग की नियुक्ति की तथा आयोग ने सीमाओं के विस्तार से सीमांकन करने तथा काश्तकारी के बारे में अपना निर्णय दे दिया है। इसका कारण है गंगा के बहाव में निरन्तर बदलाव आना जोकि दोनों राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। आयोग के मार्गदर्शनों में नदी के रास्ते में परिवर्तन से प्रभावित किसानों के परस्पर विरोधी दावों में समायोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

दुर्भाग्य से परस्पर विरोधी काश्तकारी दावों को निपटाने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा वांछनीय प्रयास नहीं किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी एवं अनियंत्रित हिंसा की घटनाएं होती हैं।

भोजपुर के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि उनके काश्तकारी दावों को मान्य नहीं किया जा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश के किसानों को बाकायदा काश्तकारी दावों का अधिकार दे दिया गया है।

रबी की फसल की कटाई का समय नजदीक आता जा रहा है, सम्पूर्ण क्षेत्र में तनाव है तथा असंताष व्याप्त है।

मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस विषय में हस्तक्षेप करे तथा इस जटिल समस्या का कोई स्थाई हल निकालें।

(आठ) सिगनल और स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली तथा आधुनिकतम एंटीना प्रणाली का आयात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, पिछले कुछ समय से केन्द्रीय सरकार जानबूझ कर आयात पर जो देती रही है और इस प्रकार निहित स्वार्थ वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देती रही है जो देशी तकनीक के विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मार्ग में बाधा बनती है। मैं इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की कतिपय गतिविधियों के बारे में बताऊंगा।

ई०सी०आई०एल० ने कलकत्ता मैट्रो रेलवे के लिए सी०ए०बी० सिगनल तथा स्वचालित सुरक्षा प्रणाली को तैयार किया था। इसका सफलतापूर्ण निरीक्षण किए जाने के बाद कलकत्ता मैट्रो ने अचानक घोषणा की कि वह ऐसी प्रणाली का आयात करेगा इसके परिणामस्वरूप देश को ज्यादा

पैसा खर्च करना पड़ेगा तथा इस नयी प्रणाली को काम में लाने के लिए अधिक लागत उठानी पड़ेगी और वर्षों का समय लगेगा।

ई०सी०आई०एल० ने स्टोर की 30 संख्याओं तथा डाक व तार के 'फारवर्ड' तार तंत्र की आपूर्ति की थी जो उनकी अत्याधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप भी, अब डाक तार विभाग उनके आयात करने की सोच रहा है।

ई०सी०आई०एल० ने आधुनिक एंटीना बनाए हैं तथा देश के विभिन्न उपभोक्ताओं को उनकी आपूर्ति की है तथा अपने इस यंत्र का निर्यात सोवियत संघ को भी किया है तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 11 मीटर सैटेलाईट अर्थ स्टेशन एंटीना की आपूर्ति के लिए ई०सी०आई० एल० के साथ विस्तृत तथा संतोषजनक चर्चा की परन्तु अचानक उसने अपना निर्णय बदल दिया गया विश्व के कई देशों से निविदायें आमंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उसे स्वीकृति दे दी गई।

मुझे यह पता लगा है कि इस शताब्दी के अन्त तक उपरोक्त परियोजनाओं के पूरा होने का अर्थ होगा 2000 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उपरोक्त मसले पर सरकार फिर से जांच करे एवं अपने फैसले पर पुन: विचार करे तथा आयातित प्रौद्योगिकी के बजाय उपरोक्त कार्य ई०सी०आई०एल० को सौंपें।

[हिन्दी]

(नौ) बिहार के पूर्णिमा जिले में बनमंखी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर तथा खुशकी बाग रेल फाटक पर रेल पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरीसिंह (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र पूर्णिया में दो स्थान पर रेलवे पुल की अत्यन्त आवश्यकता है यह स्थान निम्न हैं :

1. खुशकी बाग रेलवे क्रासिंग पर पुल का होना अति आवश्यक है क्योंकि यह क्रासिंग नेशनल हाईवे 31 पर स्थित है, परिवहन का भारी दबाव इसपर हमेशा बना रहता है जिसके कारण किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है और होती है।

2. पूर्णिया बनमनखी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन पर एक पुल का होना अति आवश्यक है क्योंकि यहां पर एक जूट मिल भी है, जिस पर आने-जाने हेतु बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली का उपयोग किया जाता है जिससे यहां पर आए दिन दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। पुल बन

[श्रीमती माधुरी सिंह]

जाने पर यहां पर जूट मिल एवं दूसरी ओर की दूरी का अन्तर 4-5 किलोमीटर कम हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा।

अत: रेल मंत्री से आग्रह है कि अति शीघ्र कार्यवाही की जाए जिससे क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो सके एवं दुर्घटना टाली जा सके।

12.25 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

विदेश मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवेई वेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय सर्वोत्तम कार्य कर रहा है। महोदय, जहां तक अधिकांश देशों के साथ मैत्री सम्बन्धों का प्रश्न है, 1985 में जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि सभी देशों के साथ मैत्री संबंध भलीभांति चल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे प्रधान मंत्री अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अपनी माता स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। महोदय, 1983 में मित्र देशों का गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुआ था जिसमें कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। तदनुसार मित्र देशों के समक्ष तीन प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया था। उनमें से एक प्रस्ताव विश्व अर्थ व्यवस्था में संकट के बारे में था। आई०डी०ए० के बारे में भी 1983 में ही एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब, उन प्रस्तावों का क्या हुआ ? मुझे नहीं पता कि उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, अथवा नहीं। 1983 के सम्मेलन में जिन प्रस्तावों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके बारे में मैं विदेश मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। यहां तक कि अन्य देशों के बारे में हमें यह नहीं पता कि अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए हम लोग सुदृढ़ कदम उठा रहे हैं, अथवा नहीं। उसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिये।

इस समय हमारे प्रधान मंत्री गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सभापति हैं और वह सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के इच्छुक हैं।

अन्य देश यथा पाकिस्तान, हमारे माननीय प्रधान मंत्री के सिद्धान्तों अर्थात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मंत्रीपूर्ण संबंध का पालन नहीं कर रहे है। मैं माननीय विदेश मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के सम्बन्ध में हम कोई ठोस कदस उठा रहे हैं; अथवा नहीं और वास्तव में पाकिस्तान क्या कर रहा है ? पाकिस्तान इस समय एम दू भूमिका अदा कर रहा है। लंका के मामले में भी वह वही भूमिका अदा कर रहा है। श्री लंका में वे प्रतिदिन 12 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। केवल सैनिक प्रयोजनों के लिए वे हर रोज 1160 लाख रुपये व्यय कर रहे हैं।

इसका क्या तात्पर्य है ? एक दिन श्री जयवर्द्धने ने यह कहा था कि "मैं श्री लंका की जातीय समस्या का राजनैतिक समाधान निकालना चाहता हूं किन्तु उसने दूसरे दिन ही कहा कि इसका राजनैतिक समाधान नहीं होगा अपितु केवल सेना द्वारा ही समाधान किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीलंका की समस्या के बारे में भारत सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है। श्रीलंका में हाल ही में जो कठोर सैनिक कार्यवाही की गई है, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि श्रीलंका सरकार अस्त-शस्त्रों से लैस होकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। वह राजनैतिक समाधान नहीं अपितु सैनिक समाधान चाहती है। जब स्थिति ऐसी है ही अपने विदेश सचिव, श्री रमेश भंडारी को वहां भेजने का क्या लाभ है, जो इस महीने के अन्त में सेवा निवृत हो रहे हैं और शायद उनका कार्यकाल बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है—ध्यानाकर्षण के दौरान पिछले दिन भी मैंने उनसे अनुरोध किया था—कि इस मामले को वह अपने स्तर पर उठायें और इस समस्या को सुलझायें। भारत सरकार के एक अधिकारी, एक सचिव को भेजने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अन्ततोगत्वा एक अधिकारी, अधिकारी ही होता है। मामले में उसकी कोई राजनैतिक दृष्टि से रुचि नहीं होती किन्तु समस्या के समाधान के लिए तो मंत्री महोदय की ही राजनैतिक रुचि हो सकती है।

पंचायत चुनावों में तमिलनाडु में उन्हें धक्का लगा है। कांग्रेस (इ) और अन्नाद्रमुक में गठबन्धन है किन्तु पंचायत चुनावों में इस गठबन्धन को एक धक्का लगा क्यों ? उसका कारण श्रीलंका की जातीय समस्या थी जो बहुत समय से चली आ रही है तथा अभी तक सुलझ नहीं पाई है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक ने अपने स्तर पर उस समस्या को सुलझाने की चेष्टा की थी किन्तु अपने जीवन काल में इसे सुलझा नहीं पायीं। हमारे प्रधान मंत्री युवा, सक्रिय और शक्तिसम्पन्न व्यक्ति हैं और उनमें इस मामले को सुलझाने की क्षमता है। उन्होंने कितने ही मामलों को सुलझाया है, उन्होंने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए जो एक मैग्ना कार्य के समान था; उन्होंने असम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वह श्री लंका की समस्या क्यों नहीं सुलझा सकते हैं ?अन्ततोगत्वा यह ऐसी समस्या है, जिसे 12 घंटे में सुलझाया जा सकता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें दृढ़ और ठोस कदम उठाने होंगे।

हाल ही में श्रीलंका के साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के मैम्बर, डियु गुणशेखर साम्यवादी दल की कांग्रेस में पधारे थे और उन्होंने संवाददाताओं को बताया था कि श्रीलंका की स्थिति गंभीर है और वहां किसी भी समय गृह युद्ध हो सकता है। यहां तक कि नागरिक प्रशासन नाममात्र का रह गया है और वह कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मामले को यों ही चलने दें और तमिलों का विनाश होने दें ? क्या हमारा यही रवैया है ? गत एक वर्ष के दौरान 3000 से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं। वास्तव में इस माननीय सभा में हमारे विदेश मंत्री ने यह बात स्वीकार की है कि श्रीलंका में नर संहार हो रहा है। जब हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा तब जयवर्द्धने और अथुलाथ्मुकाली ने आवाज उठाई और कहा कि हमारे विदेश मंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। जबकि सारे देशों के सभी नेता यह कह

[श्री पी० कुलनदेई वेलू]

रहे हैं कि श्रीलंका में नर संहार हो रहा है; जयवर्द्धन और अबुलय्युदाली इस बात को बिलकुल स्वीकार नहीं करते और जातीय समस्या भयावह हो रही है, जो गत कई वर्ष से चल रही है। माननीय विदेश मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का यथाशीघ्र समाधान ढूंढा जाए। यदि आप मामले में देरी करेंगे तो कितने ही व्यक्ति मारे जाएंगे कितनी ही औरतों की हत्या कर दी जाएगी और कितने ही बच्चे विकलांग बना दिए जाएंगे। यह ऐसी समस्या है। वे भारत के विचार जानने की प्रतीक्षा में है। 'हिन्दू' में यह बात प्रकाशित हुई है कि "दिल्ली कोलम्बो के विचार जानने की प्रतीक्षा में है।" किन्तु ऐसी बात नहीं है। यदि इस मामले में देरी की गई, तो वास्तव में हम शत्रु की शक्ति ही बढ़ाएंगे। इसलिए माननीय विदेश मंत्री से मेरा अनुरोध है कि श्रीलंका में रह रहे बिचारे अकिंचन तमिलों की जीवन रक्षा के लिए तत्काल कोई ठोस कदम उठाया जाए।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय,मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्र के चारों ओर विकसित हो रही। स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता हूं।

महोदय, इस समय क्षेत्रीय समस्याओं को विश्व समस्याओं के साथ उलझने की प्रवृत्ति है। जो समस्याएं हमारे देश में तथा हमारे पड़ोस में छायी गई है; वे स्वाभाविक रूप से मूलत: विश्व की समस्याएं हैं। वास्तविकता तो यह है कि बड़ी ताकतों, विशेषकर प्रशान्त महासागर के घर की ताकतों ने, जो मूलत: साम्राज्यवादी ताकते हैं, हमारे लिए वास्तव में खतरनाक समस्याएं खड़ी कर दी है। हमारे देश में विद्रोह और हमारी सीमाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे समक्ष बहुत ही स्पष्ट समस्याएं हैं और वास्तविक समस्या तो विघटन की है जो हमारे समाज और यहां तक की हमारी स्वतन्त्रता और एकता के लिए खतरा बनी हुई है। संक्षेप में अपने देश और अपने पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति है।

मोटे तौर पर कहें तो विश्व की स्थिति भी अशांत है। दूसरों पर अपना प्रभुत्व और शासन बनाये रखना तथा दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांत का अंग बन गये गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोगों को भड़काया जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका के तत्त्वाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रस्ताव को वीटो द्वारा रद्द करने का जो प्रावधान रखा गया है, उससे केवल इस संस्था को जिसे विश्व समुदाय ने विश्व की सुरक्षा के लिए बनाया है, खतरा पैदा हो गया है, अपितु इससे राष्ट्रों की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और आजादी को भी खतरा पैदा हो गया है। महोदय, श्रीलंका अथवा दक्षिण अफ्रीका में नरसंहार का आंतक अथवा फिलस्तीन में जाइनिस्टों का बढ़ता हुआ आंतक साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थन से बढ़ रहा है। संक्षेप में सम्पूर्ण विश्व में आज की स्थिति यह है।

इस संदर्भ में और इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी विदेश नीति अपनी सुरक्षा करने में, और पारस्परिक सहानुभूति, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के आधार

पर विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने में कहा तक सफल रही है। इस संदर्भ में हमें अपनी स्थिति के बारे में गर्व है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से, जब भारत की विदेशी नीति और वास्तव में भारत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था, तब ऐसी स्थिति में हमारा सर्वस्व ही नष्ट हो गया था। ऐसी भयावह परिस्थिति में, भारत एक व्यक्ति के रूप में उभर कर आया और प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली। और महोदय, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लक्ष्य के साथ, अपने देश की विदेशनीति की परम्परा के अनुकूल और विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने में अपना योगदान देने के लिये श्री गाँधी ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में संभवत: इतनी अधिक विदेश यात्राएं की हैं जितनी कि शायद ही भारत के किसी प्रधानमंत्री ने की होगी। इस यात्रा का उद्देश्य विश्व में शान्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना था। किन्तु दुर्भाग्य-वश, हमारी सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो गया है और जो खतरा बढ़ता जा रहा है, वह कम नहीं हुआ है और हमें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमें इस बात का विश्लेषण करना होगा कि क्या हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हुआ है अथवा जाने या अनजाने में हमारी सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ गया हैं अर्थात् समग्र स्थिति में कोई अन्तर पड़ा है।

उपसभापति महोदय, इतने पर भी मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष...

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं कह चुका हूं उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान मैं पहले ही आकर्षित करा चुका हूं। इस समस्या की ओर मैं विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं इस विषय को उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको बता रहे हैं...

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : ठीक है, आपके माध्यम से मैं सुधार कर लेता हूं। मैं विदेश मंत्री का ध्यान उस वास्तविक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारे सामने है और हालांकि यह बात दोहराई जा रही है इसके बावजूद मैं ऐसा कर रहा हूं। खतरे के बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट आभास होना चाहिए। इसके बारे में हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिये। पड़ोसी देशों में शान्ति बनाये रखने के संबंध में अनेक वक्ता स्थिति के बारे में पहले ही बोल चुके, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता और नये सिरे से उन्हें दोहराने का कोई लाभ भी नहीं है। मैं पड़ोसी देशों में हो रही कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे दो संभावित खतरे हैं—एक पकिस्तान से और दूसरा श्रीलंका से। क्या ये मूल रूप से क्षेत्रीय हैं ? मेरी धारणा यह है कि वे क्षेत्रीय समस्यायें नहीं रह गयी हैं। इन्हें विश्वव्यापी रूप दे दिया गया हैं और इसमें विश्व शक्तियां—साम्राज्यवादी

[प्रो० के० के० तिवारी]

शक्तियां शामिल हैं। आजकल हमें साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद की प्रकृति को समझना चाहिये। यह रीगन प्रशासन के अन्तर्गत एक नव-फासिस्टवाद शक्ति बन गयी हैं। निकारागुआ में विध्वंसकारी कार्य, अंगोला में विध्वंसकारी कार्य, और दक्षिण-अफ्रीका के रंगभेद शासन को समर्थन, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहें हैं। मैंने उनका ध्यान अस्थिरता पैदा करने वाली उन ताकतों की तरफ दिलाया था जो विदेशों से आ रही हैं, अन्य चीजों के अलावा अर्थात् युद्ध मशीनरी हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को भेजी जा रही हैं। मैं उन्हें अपने उस उल्लेख की याद दिलाना चाहूंगा जिसमें अस्थिरता लाने के अमरीकी प्रयास का जिक्र था और यह कार्य अभी कल ही से अथवा श्री राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद ही शुरू नहीं हुआ, यह एक पुरानी बात है। परन्तु यह बहुत ही तेज हो गया जब भारत ने शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवेक को कायम रखने के लिये बहुत ही तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया और 'नाम' के अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से लड़ाई छेंड़ दी। श्रीमती गांधी की हत्या, इन शक्तियों का एक गुट होकर देश में अस्थिरता लाने भारतीय जनता की एकता एवं विश्वास को तोड़ने की कोशिश की चरम सीमा थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है?

अमरीकी सरकार को केन्द्रीय निधित पाकिस्तान को हथियार सप्लाई हो रहे है; निकारागुआ में विरोधियों को धन दिया जा रहा है; अंगोला में विध्वंसकारियों को धन दिया जा रहा है; दक्षिण-अफ्रीका के रंग भेद नीति वालों को तथा इजरायल के यहूदी मतानुयायियों को समर्थन देने पर धन खर्च किया जा रहा है। क्या वही धन उस विस्तृत अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था? जिसके अन्तर्गत यह पता लगाना था कि श्रीमती गांधी की हत्या हो जाने की स्थिति में भारत में क्या परिवर्तन होने की सम्भावना है। यह एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। मैं, सभा तथा राष्ट्र यह जानना चाहता है कि केवल यही रास्ता, केवल यही विकल्प अमरीकी प्रशासन ने क्यों सोचा?

दूसरे विकल्प का उदाहरण के लिये इस राजनैतिक विकल्प का अध्ययन करने की बातें नहीं सोची गई कि श्रीमती गांधी और कांग्रेस (आई) द्वारा चुनाव हार जाने पर क्या स्थिति हो सकती है ऐसा अध्ययन केन्द्रीय निधि से आर्थिक सहायता देकर शुरू करवाया गया था और हार्डग्रेव ने अमरीका के राज्य विभाग के आदेश पर यह अध्ययन किया। ऐसा कभी भी किसी सभ्य राष्ट्र और सभ्य अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में नहीं हुआ जिसमें राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की संभावना के बारे में अध्ययन किया गया हो और आखिर में, मैं उस अनोखी तस्वीर के विवरण में नहीं जाना चाहूंगा जो इस व्यक्ति हार्डग्रेव ने चित्रित की है। हमारे आग्रह करने के बावजूद भी उस अध्ययन को हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैं अपने निष्कर्ष निकालूंगा, स्वाभाविक ही के निरंकुश कल्पना या अंदाजों पर आधारित नहीं होंगे बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित होंगे। इंदिरा गांधी साम्राज्यवाद के रास्ते का कांटा बनी हुई थी। उन्हें समाप्त कर दिया गया।

महोदय, हमारा गणराज्य केला बागान बाहुल्य वाले गणराज्यों में से नहीं है। हम भारत-

वासियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया है। हमने विश्व की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत को हराया हैं। कैसी स्थिति है विदेश मंत्री जी, कि अब उन्हीं उग्रवादियों को संयुक्त राष्ट्र अमरीका ब्रिटेन और कनाड़ा में संरक्षण, शरण बढ़ावा दिया जा रहा है ? क्या यह आपका और भारत सरकार का फर्ज नहीं है कि भारतीय जनता को बताये कि क्या हो रहा है ? क्या होता अगर ब्रिटिश सरकार के प्रमुख, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री अथवा अमरीका के राष्ट्रपति को गोली मारकर हत्या कर दी जातीं, और इस प्रकार का ऐसा अध्ययन भारत सरकार अथवा विश्व की किसी अन्य सरकार द्वारा किया गया होता ?

महोदय, यह कहानी का अन्त नहीं है। यह षड़यंत्र का अन्त नहीं है। षड़यन्त्र अभी भी चल रहा है। प्रतिदिन षड़यंत्रों का पर्दाफाश किया जा रहा है, जिनका पता ब्रिटिश भूमि, अमरीकी भूमि पर चलता है, कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जायेगी। इस षड़यंत्र के पीछे कौन लोए हैं ? ऐसा क्यों किया जा रहा है ? (व्यवधान)

मैं ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये इस तर्क को समझना चाहता हूं कि ब्रिटेन का कानून इन ताकतों के खिलाफ ब्रिटिश अधिकारियों को सख्त कदम उठाने से रोकता है। मैं विदेश मंत्री से जानना चाहता हूं : क्या होगा अगर ये तत्व श्रीमती थैचर के खिलाफ षड़यंत्र रचें ? गत समय में जब श्रीमती थैचर उग्रवादियों के हमलों का लक्ष्य बनी थीं तो क्या कार्यवाही की गयी थी ?

क्या ये नियम और कानून उन उग्रवादियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पर रोक लगाते ह ?अमरीका में क्या होता है जब उग्रवादी मिलकर वहां के राष्ट्राध्यक्ष और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं ? वहां पर कौन सा कानून प्रयोग किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं । इस सुस्पष्ट साक्ष्य के बावजूद और अघोषित युद्ध के बावजूद, मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे दश की सुरक्षा, स्थिरता तथा एकता के लिए कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं, आपकी सरकार ने क्या रास्ता ढूंढा है जिससे उनको बताया जा सके कि इंदिरा गांधी का बलिदान देश की एकता तथा अखंडता को कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था, और ऐसे जघन्य अपराध को फिर से करने के किसी भी प्रयास का भारत की जनता को एकजुट शक्ति के साथ विरोध किया जायेगा ?

मैं सरकार से इन सरकारों की धूर्तता, धोखाधड़ी, पाखंड तथा कपट को सामने लाने के लिये और अधिक तेज प्रयास करने की आशा करता हूं। मैं विदेश मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं : अगर ब्रिटिश कानून उग्रवादियों को सजा देने से रोकता है, तो प्रतिकार के तौर पर आप आई० आर० ए० के स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक एवं भौतिक समर्थन क्यों नहीं दे सकते ? आयरिश रिपब्लिक आर्मी लड़ रही है, सही उद्देश्य के लिए लड़ रही है, अपनी आजादी के लिए लड़ रही है। जब ब्रिटिश प्रशासन उग्रवादियों, हत्यारों तथा अपराधियों को सभी सुविधायें दे रही है तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ?

[प्रो० के०के० तिवारी]

भारत सरकार प्यूरटो रिको को आजाद करने की माँग क्यों नहीं कर सकती जोकि अभी भी अमरीकी सरकार का एक उपनिवेश क्षेत्र है ?

विदेश मंत्री को इस सभा के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब मैं अपने देश के करीब की बात करता हूं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ? अचानक ही यह समस्या खड़ी नहीं हो गई है। आपके सभी प्रश्नों की सराहना तथा तारीफ की गई परन्तु उनका क्या परिणाम निकला ? क्या हुआ है ?

क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान का परमाणु बम लगभग तैयार है ?जैसा कि अमरीकी प्रशासन परमाणु हथियार के निर्माण, हथियारों के भण्डारण, इसरायल की यहूदी सरकार के बढ़ते हुये शस्त्रागार की अनदेखी कर रहा है। इसी प्रकार से, वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अमरीकी प्रशासन से पाकिस्तान के मामले में 'स्मीगटन' संशोधन को स्थगित क्यों कर दिया गया है, यह क्यों नहीं पूछती ? अमरीका के राष्ट्रपति ने प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जिसकी अमरीकी कांग्रेस को जरूरत थी क्योंकि वे पाकिस्तान शासन को बहुत मात्रा में धनराशि तथा सैनिक सहायता के रूप में देने के पक्ष में मतदान करती। ये सब बातें हो रही हैं। उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब सरकारी समाचार से पता चला है, और मुझे प्रसन्नता है कि आपने अंत में इसे स्वीकार कर लिया है और आखिर में इस मामले को सभा के नोटिस में लाया है क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि उनके बीच सांठगांठ हैं और एक तरफ तो साम्राज्यवादी शक्तियों के नेताओं और हमारे पड़ोसियों की चाल है जो मात्र हमारे देश में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान अब इन दोनों के बीच संधि है। एन्टरप्राईज कराची हार्बर की यात्रा और उसके बाद से पाकिस्तान सरकार के दो जलपोतों की श्रीलंका की यात्रा यह आपको अपनी आंखें खोलने के लिये और पाकिस्तान से बढ़ते हुए खतरे के बारे में कुछ करने के लिए और नागरिकों को, मासूम बेकसूर नागरिकों को **श्री जयवर्द्धन से बचाने के लिए पर्याप्त संकेत है।

अत: महोदय, देश का संपूर्ण भीतरी चित्र, यह बाहरी रूप से प्रेरित विध्वंस का परिणाम है हमें अमरीकी ताकतों से घेरने का प्रयास किया जा रहा है और यह खतरनाक है क्योंकि अब अमरीका की नेतागिरी तथा हस्तक्षेप उप-महाद्वीप के ऊपर और उप-महाद्वीप के अन्दर तथा आस-पास लादने का प्रयास हो रहा है और उनका प्रकट उद्देश्य है, पहला यह है कि वे इस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर अपनी गहरी पकड़ बनाये रखना चाहते हैं, दूसरा यह कि वे सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों को रोकनां रोकना चाहते हैं। अत: मैं समझता हूं कि हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं उन पर काबू पाने के लिए एक बेहतर वास्तविक प्रयास किया जायेगा।

प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गये कार्यों की सारे विश्व में सराहना की जा रही है अर्थात् दोनों मास्को और वाशिंगटन तथा अन्य बहुत से यूरोप और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के दौरों का वांछित प्रभाव हुआ है, उन्होंने मित्रता का वातावरण पैदा कर दिया है जिसे विश्व के सभी साम्राज्यवादी पसन्द नहीं करेंगे।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान घटित हो रही कतिपय बातों की तरफ भी दिलाना चाहूंगा—जो पूर्व समय में भी होती रहीं हैं—और शायद जब समस्या बननी शुरू होती है तो हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के भावी सम्बन्धों पर ध्यान नहीं देते हैं।

नेपाल में चुनाव होने वाले हैं। कुछ शक्तियां जो हमारे देश की विरोधी हैं वे नेपाल में क्या हो रहा है उसमें अनुचित रुचि ले रही हैं और कुछ लोग जो वहां की व्यवस्था के अथवा नेपाल की कतिपय ताकतों के अधिक निकट हैं हर प्रकार के भारत-विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं तथा नेपाल में भारत विरोधी वातावरण जोर पकड़ता जा रहा है।

मेरे ख्याल से भारत सरकार को स्थिति को हाथ से निकलने से पहले ही इस पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ शब्द अपने दूतावासों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सारे विश्व में हमारे राजदूत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वहां पर काम करने वाले हमारे लोगों की सेवा-शर्तें। परन्तु वहां कुछ ऐसी बात हो रही है जिसे देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। यह न तो देश के हित में है और न ही वहां काम करने वालों के हित में। अतः बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं अपने दूतावासों के लोगों के बारे में कुछ बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे दूतावास बहुत ही खस्ता स्थिति में हैं। वहां पर निष्ठा की कमी है। वहां पर टीम-कार्य की भावना नहीं है। वाशिंगटन में, उदाहरण के तौर पर, जहां पर हमें कार्य करना था और मैत्री-संबंधों का विकास करना था, अमरीकी प्रशासन के साथ, मैंने दूतावास को बहुत ही खस्ता हालत में पाया। एक व्यक्ति जो उप-राजदूत के पद पर नियुक्त था—मैं इसे लिखित में दूंगा, मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं – वह एक व्यक्ति जिसे वाशिंगटन में उप-राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया था, अब वह दिल्ली में है, वह है** मुझे दूतावास में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने बताया था कि वे दूतावास में केवल अंशकालीन तौर पर कार्य करते हैं और पूरे समय के लिए अमरीकी एजेंसियों और कम्पनियों के लिए कार्य करते हैं, और ऐसा ही ब्रिटेन में भी हो रहा है।

इन मामलों की उपेक्षा करना अपने को खतरे में डालना है। अतः मैं सेवा-शर्तों तथा सुविधाओं में उचित सुधार की मांग करता हूं। परन्तु साथ ही हमें इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो हमारे लिए अधिक मैत्रीपूर्ण, अधिक लाभदायक, हमारे अधिक पक्ष में नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं फिर मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और विदेश मंत्री से आशा करता हूं कि जो मैंने कुछ प्रश्न उनके सामने रखे हैं उन पर वह खुद ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषण में जहां आपने श्रीलंका का उल्लेख किया है आपने श्री जयवर्द्धने के बारे में कुछ शब्द प्रयोग किये हैं। उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं दिया जायेगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)**

डा० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : इस मांग का समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करूंगा। विगत में यहां मैं बहुत अनुभव प्राप्त कर चुका हूं। मैंने वह वक्त भी देखा है जब विदेशी मामलों की चर्चा पंचशील, सह-अस्तित्व, अहस्तक्षेप जैसे तत्कालीन खुशनुमा शब्दों पर केन्द्रित होती थी। पर समय बदल गया है। ये अब पवित्र शब्द बनकर रह गए हैं। हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो इन बड़े-बड़े शब्दों से पूरी तरह भिन्न हैं। अब हमारे समक्ष सह-अस्तित्व या अहस्तक्षेप जैसे सिद्धांत नहीं हैं भले ही हम इन शब्दों का सम्मान करते हैं। जिस समय पंडित जी सत्ता में थे उस समय इनको पवित्र माना जाता था।

हम कम से कम अपने पड़ोसी देशों साथ एक सह-अस्तित्व के अनुसार रह सकते हैं। पर हमें न केवल शक्ति-गुटों द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों का सामनां करना पड़ रहा है, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भी कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं। वास्तव में सहअस्तित्व की भावना है ही नहीं। पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं, श्रीलंका के साथ हमारी गम्भीर समस्याएं हैं। सामान्य स्थिति होने के बावजूद चीन और बंगलादेश जैसे कुछ अन्य देशों के साथ हमें सीमा संबंधी मामलों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मैं पंजाब का रहने वाला हूं। हाल ही में कुछ समझौते हुए हैं और हमारे सचिवों और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने एक दूसरे देश की परस्पर यात्राएं की हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि स्थिति को सामान्य बनाने की प्रक्रिया जारी है। व्यापार संबंधों की पुर्नस्थापना, सीमाओं को खोले जाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शुरू करने आदि की मांग की गई है। हमें देखना होगा कि चाहे ये प्रयास कितने ही ठोस क्यों न लगें पर क्या शिमला समझौते, अनेकों यात्राओं के बावजूद क्या पुराने मसले हल किए गए हैं।

1.00 म० प०

उन्होंने कोई अन्तर्राष्ट्रीय मंच नहीं छोड़ा जहां से हमारे खिलाफ न बोला हो। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का संबध है, आज पजाब में हम जिन परेशानियों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पड़ोसी दश उत्तरदायी हैं। मैं कह सकता हूं कि रोज जो घटनाएं घट रही हैं उनमें उनका हाथ है। उन्होंने हमारी सीमाओं पर प्रशिक्षण शिविर लगाए हुए हैं—कुछ शिविर सीमा के एकदम करीब है तो कुछ अन्दरूनी क्षेत्रों में हैं हमारे युवक वहां जाकर प्रशिक्षण लेते हैं और वहां से लौटकर हर तरह के गलत काम करते हैं। समस्या यह है कि एक ओर तो हम व्यापार बढ़ाने, सीमाओं को खोलने आदि की बात करते हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि हमारी समस्याओं में उन्हीं का हाथ है। इससे निपटना एक गम्भीर मामला है और मुझे आशा है कि भगत जी जैसा आदमी अपने दिलो-

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिमाग का इस्तेमाल करके चर्चा के लिए हम में से कुछ व्यक्तियों को बुलाएंगे। वह रामूवालिया और उनके कुछ मित्रों को बुला सकते हैं। यह मेरा या कांग्रेस पार्टी का ही मत नहीं है बल्कि यह उनका अपना भी मत है। हाल ही में बरनाला जी ने एक वक्तव्य में कहा है कि अन्दरूनी कारणों से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पर अधिकांश समस्याओं का कारण पड़ोसी देश हैं इसलिए हमें इस मसले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

1.01 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

श्रीलंका को लीजिए। वे भी हमारे पड़ोसी हैं। हम उनके साथ भी शांतिपूर्ण संबंधों, प्राचीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मुझे खुशी है कि स्वैल जी ने इस मामले को उठाया है और संयुक्त राष्ट्र आयोग में मेरे द्वारा किए गए कार्य तथा मेरी प्रशंसा की है। लेकिन मैं सदन को बता दूं कि हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद वे टस से मस नहीं हुए हैं। जेनेवा जैसी जगह पर श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने ने अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सगे भाई को भेजा। समस्या है क्या? बहरहाल यह पूरी तरह से जातीय समस्या है। बहुत से देशों में भाषाई, जातीय या कुछ और समस्याएं हैं। उनका विचार है कि श्रीलंका में एकात्मक सरकार पद्धति एक पवित्र पद्धति है इसलिए वे इस समस्या को नहीं मानते कि किसी और सांस्कृतिक समूह या जातीय समूह को वहां रहने का अधिकार प्राप्त है। हमने यह प्रश्न उठाया था। हमने कहा था कि भारत में श्रीलंका से आए 1,35,000 शरणार्थी रह रहे हैं और 45,000 व्यक्ति स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि कुछ यूरोपीय देशों में बस चुके हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां आए शरणार्थियों और यूरोप के देशों में रह रहे शरणार्थियों के प्रति उन्होंने क्या रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि "हमने उन्हें बाहर नहीं निकाला। तमिलनाडु के आतंकवादियों ने उन्हें बाध्य किया कि वे उनका साथ दें और उसके बाद उन्होंने उन्हें भारत जाने को बाध्य किया गया। अधिकतर आतंकवादी इस तरह की विचारधारा के हैं तथा वे हमें हानि पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं।" जो उन्होंने रवैया अपनाया है वह इससे भी बदतर है। मैं तो कहूंगा कि हमें ऐसे पड़ोसियों पर शर्म आती है जो इस हद तक नीच विचार रखते हैं। वे कहते है, "जी नहीं हमने उन्हें नहीं निकाला, वे मादक द्रव्यों का व्यापार करने के लिए गए हैं और वे सभी पैसा कमाने के लिए मादक द्रव्यों के व्यापार में लगे हुए हैं।" इस तरह वे भारत और यूरोप के शरणार्थियों के साथ दोहरी चालाकी कर रहे हैं। एक तो उन्हें बदनाम कर रहे हैं और साथ ही उन्हें अपने देश से बाहर भी निकाल रहे हैं। मैंने सुना नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय ने नरसंहार शब्द के बारे में क्या कहा। उन्होंने इस शब्द का विरोध किया है। उनके राजदूत या उच्चायुक्त ने हमारे मंत्री जी को एक टिप्पणी भेजी है। उन्होने नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया। मालूम नहीं बाद में उन्होंने इसे संशोधित कैसे कर दिया पर मेरे मतानुसार श्रीलंका में पूरी तरह से नरसंहार हो रहा है। हो सकता है कि जो मैं कहूं वह सुनने में अच्छा नहीं लगे। नरसंहार क्या है? दूसरे समूह, समुदाय या जाति के लोगों की अंधाधुंध हत्या। और उनका कहना है कि नहीं यह युद्ध या लड़ाई तो उग्रवादियों के खिलाफ है। दोनों तरफ से गोली चलने के कारण नागरिकों की मौतें जरूर हुई होंगी। किस तरह की परस्पर गोलीबारी है। यह गोलीबारी या जाफना पर बम गिराना किस

[डा० जी०एस० ढिल्लों]

प्रकार का है। क्या हेलिकाप्टर और नीचे मकानों के बीच कुछ नागरिक रहते हैं? वे तो उनकी अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं। अत: यह नरसंहार ही है। इस मामले की सूचना हमारे एक जानेमाने रिपोर्टर संदन में टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता ने दी थी। सूचना थी कि राष्ट्रपति जयवर्धने ने कहा है कि वह सैनिक समाधान करेंगे। उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। उन्होंने इस संवाददाता के खिलाफ कहा। मुझे उनका नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उनका नाम है श्री कुलदीप नय्यर। तब हमने पूछा कि अगर वह गलत है तो आपने वास्तव में क्या कहा था। तब राष्ट्रपति जयवर्धने ने कहा कि वह सैनिक मामलों का हल सैनिक तरीके से और राजनैतिक मामलों का हल राजनैतिक तरीके से करेंगे। इसमें क्या अंतर है। सैनिक के लिए सैनिक और राजनैतिक के लिए राजनैतिक शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उन्होंने सैनिक हल करने से इन्कार नहीं किया। यह केवल शब्दों की हेराफेरी है। मेरा सुझाव है कि ऐसी परिस्थितियों में समझौता वार्ताओं के दौरान बहुत समय व्यर्थ किया जाता है। समय ऐसा आ गया है कि जब तक वे कुछ वायदे न करें तब तक हमें श्रीलंका के साथ वार्ता के लिए नहीं बैठना चाहिए—जैसा कि आज मैंने देखा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ वायदे करने के लिए कहा है। यही एकमात्र हल है। पिछले साल थिम्पू में हमारे द्वारा आयोजित समझौता वार्ता के लिए राजी होने से उन्हें समय मिल गया। उन्हें अपनी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई करने के लिए नहीं बल्कि बहुत सी अन्य समस्याओं के लिए वक्त मिल गया। मुझे खेद है कि हमने उतनी तैयारी नहीं की थी जितनी उन्होंने की। मैं श्रीलंका के बारे में यह सब कहना चाहता था। हमें कड़े उपाय करने चाहिए; हमें खोखले आश्वासनों से गुमराह नहीं होना चाहिए। वे हर तरह का धोखा कर सकते हैं। चाहे वे कहते रहे कि यह नरसंहार नहीं लेकिन हमें तो इसे नरसंहार ही मानना चाहिए। हजारों लोगों की अब तक हत्याएं की जा चुकी हैं। मैंने आज ही पढ़ा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सैनिकों की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है "जरूरी नहीं है कि हम शांति की बात करें।" इसी तरह की विचारधारा उनकी भी है। बड़ी हैरानी की बात है कि जब हमारा देश मुसीबतों का सामना कर रहा है तो पाकिस्तान के दो पोत सद्भावना यात्रा पर कोलम्बो पहुंचे। किस प्रकार की सद्भावना? निश्चय ही यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित नहीं है। विदेश मंत्री जी हाल ही में आपने अमरीकी विदेश संबंध समिति के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में बताया कि मोइनयान ने कहा कि हम भारतीयों ने बहुत से मामलों में अमरीका के पक्ष में मतदान नहीं किया। मेरे विचार से आपने सही उत्तर दिया कि उन्होंने भी बहुत बार हमारे पक्ष में मत नहीं दिया है। हम किस बात पर उनके पक्ष में मत दें? क्या हम फिलीस्तीन के प्रश्न पर मत दें? क्या इजरायल के लिए मत दें? क्या रंगभेद की नीति के लिए मत दें? क्या निकारागुआ या उनकी नीति के लिए मत दें? मैं फिलीपीन के बारे में कह सकता हूं। मालूम नहीं वे हमसे क्या आशा करते हैं। हमें खुशी है कि फिलीपीन में मैडम एक्वीनो आ गई हैं और तानाशाह चला गया है। मैडम एक्विनो को मैं पूरा समर्थन देता हूं लेकिन अमरीकी कूटनीति के नए रवैए से मुझे वास्तव में कुछ हैरानी होती है। कुछ कशमकश जारी थी, उन्होंने चुनाव कराए और उसके परिणाम निकले। इस पर अमरीकी सीनेट की बैठक हुई और अमरीकी राजनीतिज्ञों ने कहा कि चुनाव गलत हुए हैं। चुनाव में धांधलेबाजी, जालसाजी आदि हुई है। हम जानते हैं कि यह गलत है; यह हेराफेरी है। हम फिलीपीन की जनता के साथ हैं जिसने मारकोस को भागने के लिए बाध्य किया। हम मैडम एक्विनो का

समर्थन इसलिए नहीं करते कि चुनावों के बारे में सीनेट ने क्या कहा बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उस जनता का नेतृत्व किया जिसने मारकोस को देश से भागने के लिए बाध्य किया। अगर कल हमारे यहां कोई चुनाव होते हैं तो हमारे या किसी और देश के चुनावों के बारे में निर्णय देने वाले वे कौन होते हैं? यह बहुत गलत है। अब वे देशों को सैकड़ों-लाखों के हथियार सप्लाई करने के लिए सीनेट में बैठे हुए हैं। फिर भी यह सब जारी है, इस पर अभी तक सहमति नहीं हुई है। रीगन सीनेट की स्वीकृति लेने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। किसलिए? निकारागुआ और कुछ मध्य अमरीकी देशों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करने के लिए। यह 'प्रत्यक्ष' या अप्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है? एक स्थायी विधायी निकाय में बैठकर संकल्प पारित करने और विश्व को यह कहने वाले वे कौन होते हैं कि "फलां-फलां सरकारों को हम पसंद नहीं करते, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यवाही कर रहे हैं? उनकी कूटनीति के इन रवैयों की हम कड़ी निन्दा करते हैं। एक स्वतन्त्र राष्ट्र और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में—हमें गर्व है कि हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता हैं—हमें उनके द्वारा इन सभी छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध अपने साधनों और पैसों का दुरुपयोग करने की साफ-साफ निन्दा करनी चाहिए।

कुछ मामलों को कम समय में हल करना बहुत कठिन होता है। एक विशेष मामला नामीबिया के बारे में है। मैं अमरीकियों की बात कर रहा हूं—बहुत बेशर्मी से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बारे में वे संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों का उल्लंघन कर रहे हैं। अंगोला के कुछ हिस्से पर दक्षिणी अफ्रीका ने कब्जा किया हुआ है लेकिन हाल ही यू०एन०आई०टी०ए०बी० के नेता श्री स्वामी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहां जाकर बड़े-बड़े नेताओं से बातचीत की और आश्वासन दिया कि वह अंगोला में सरकार के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करेगा। सारे विश्व ने, यहां तक कि अमरीकियों ने भी इसकी निन्दा की है। किसी ऐसे दूसरे देश के बारे में, जो स्वतन्त्र और आजाद हैं कोई निर्णय लेने वाले और उसके सत्ता में रहने या न रहने का निर्णय लेने वाले वे लोग कौन होते हैं। इसीलिए स्वामी जैसे लोगों की हम सभी को खुलकर निन्दा करनी चाहिए।

क्योंकि आप दो बार घंटी बजा चुके हैं इसीलिए मैं आगे और कुछ नहीं कहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं किसी दूसरे समय बोलना चाहूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : सभापति महोदया, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले वर्ष हमने दूसरे देशों के साथ गुटनिरपेक्षता शान्ति और मित्रता की नीति का जोरदार ढंग से अनुसरण किया था। वास्तव में हमारी विदेश नीति ही हमारी आन्तरिक नीतियों को ही परिलक्षित करती है जिसकी नींव स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय डाली गई थी। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय अहिंसा हमारी राजनैतिक प्रक्रियाओं की आधार-शिला थी। इसी प्रकार हमारी विदेश नीति की आधार-शिला गुटनिरपेक्षता है। स्वतन्त्रता के पिछले 34 वर्षों में हमने लगातार इसी नीति का पालन किया है और इसके लिए हम पंडित जी और इंदिरा जी के बहुत आभारी हैं। गुट-निरपेक्षता का अर्थ केवल किसी शक्ति-गुट के पक्ष में होना ही नहीं है। अपितु इससे कुछ ज्यादा ही है। यह गतिशील और सक्रिय है जैसा कि इसे होना चाहिए। इसीलिए हम सभी प्रकार के दबाव और उपनिवेशिक शोषण के विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं। हम दक्षिणी अफ्रीका के

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

लोगों का, वहां की अल्पमत गोरी सरकार के विरुद्ध स्वतन्त्रता की लड़ाई में उनका समर्थन करते हैं। अपने देश के लिए फिलिस्तीनियों के संघर्ष का हम समर्थन करते हैं। हम निकारागुआ की अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करते हैं। जैसा कि यहां कहा जा चुका है, शायद हम फिलिपीन में एक्वीनो सरकार का समर्थन करने वाले अग्रणियों में से एक थे। गुट-निरपेक्षता का अर्थ शक्ति और निःशस्त्रीकरण भी है। इस दिशा में हमने जो प्रयत्न किए हैं, मैं उन्हें कहना नहीं चाहता। आणविक परीक्षणों पर एक साल के लिए रोक लगाने के लिए दिल्ली में छः राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा के बारे में जानते हैं। हम यह सच्चाई जानते हैं कि सोवियत संघ ने सभी आणविक शस्त्रों परीक्षण को छः महीनों के लिए स्थगित रखने की घोषणा कर दी है और वे इसे तीन महीने और आगे भी बढ़ा चुके हैं। मि० गोर्बाचोव ने स्वयं कहा है कि वह अमरीका द्वारा परीक्षण करने से पहले कोई भी आणविक परीक्षण नहीं करेंगे। कल ही हमने अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका ने जमीन के नीचे आणविक परीक्षण किए हैं और इस प्रकार आणविक परीक्षणों की अनुपस्थिति की सबसे लम्बी अवधि को भंग कर दिया है। विश्व जनमत की बिल्कुल उपेक्षा करके अमेरिका ने यह किया है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सभापति होने के नाते हमें अमेरिका पर ऐसे परीक्षणों से दूर रहने के लिए और महा-शक्तियों को समझौते पर दोबारा लाने के लिए अधिक से अधिक दबाव डालना है।

महोदया मुझे अब भी अंधेरे में आशा की किरण दिखाई दे रही है। मेरा अभिप्राय यह है कि उन्होंने समीप आने की इच्छा जाहिर की है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता गोर्बाचोव जनेवा में मिले और इस बात पर सहमत हो गए कि आणविक लड़ाई जीती नहीं जा सकती और इसीलिए इसे कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यही भावना बनी रहेगी और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष होने के नाते हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है।

हमें खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री इस देश के समस्त लोगों की और संसार के शांतिप्रिय लोगों की अभिलाषाओं को ध्यान में रख रहे हैं। हम सभी कामना करते हैं कि उनके प्रयत्न सफल हों। महोदया, अगर आप इस मंत्रालय की पिछले वर्ष की उपलब्धि देखते हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी ओर से सबसे बड़ी उपलब्धि सार्क का गठन कर रही है। दक्षिण-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में। सार्क ने हमारे पड़ौसियों में अच्छे सहयोग को ढांचा प्रदान किया है। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि हमारे पड़ौस में स्थिति तनावपूर्ण, अविश्वास और हिंसापूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैं श्रीलंका का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता। इस बात पर सदन में बहुत बार बहस हो चुकी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जयवर्धने आसान-सी जातीय समस्या को सैनिक समाधान से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में तकनीकी तौर पर आप कह सकते हैं कि यह उनका आन्तरिक मामला है। यदि सूचनाएं सही हैं तो 6 हजार या इससे अधिक तमिलों को मारा जा चुका है और कोई कह रहा था कि यह संख्या तीन हजार है और दूसरी अन्य सूचनाएं भी हैं। लेकिन जो भी हो पिछले 15 महीनों में बहुत से तमिलों को मारा जा चुका है और लगभग डेढ़ लाख शरणार्थी भारतीय भूमि पर हैं। इसीलिए इस जातीय समस्या का हम पर सीधा असर और तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। यह और कुछ नहीं अपितु नरसंहार है।

माननीय मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि यह एक प्रकार का नरसंहार ही है जिसकी उस देश में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई है।

माननीय सदस्य श्री ढिल्लों अभी कह रहे थे कि यह भीषण नरसंहार है। यह नरसंहार होने के कारण हम इसकी उपेक्षा यह कहकर नहीं कर सकते कि यह उनकी आंतरिक समस्या है। लेकिन इसका दूसरा आयाम भी है कि श्रीलंका में इस जातीय समस्या से हमारी सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो गया है। हमें ऐसी खबरें प्राप्त हुई हैं कि इस्राइली गुप्त आसूचना एजेन्सी "मूसा" श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं के सहयोग से कार्य कर रही है। फिर ऐसी ही खबरें प्राप्त हुई हैं कि निर्दोष लोगों को मारने में श्रीलंका की सैनिक कार्यवाही में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हथियारों और गोला-बारूद की सहायता दी है। यह भी सूचना मिली थी कि अमरीकी बेड़ा कराची में था और पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज कोलम्बो गये थे। इन सब बातों का क्या अर्थ है। इन सबका अर्थ यह है कि हमारे देश के विरुद्ध किसी प्रकार का षडयंत्र किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अमरीकी साम्राज्यवाद को अड्डे प्रदान किये और आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका भी श्रीलंका की सहायता कर रहा है। इधर इजराइल श्रीलंका की सहायता कर रहा है। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखा जाये तो आप एक ऐसी स्थिति पाएंगे जो हमारे देश में अशान्ति फैलाने वाली है। वास्तव में हम शत्रु सेनाओं द्वारा घेरे जा रहे हैं और इसलिये मुझे विश्वास है कि इस कारण श्रीलंका में जातीय समस्या में एक नया आयाम जुड़ गया है।

मैं माननीय मंत्री से इस मामले को इस दृष्टि से देखने के लिये और हमारे देश के हितों की सुरक्षा के लिये बहुत ध्यानपूर्वक व दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा।

श्रीजयवर्द्धने के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि वह सैनिक समाधान के लिये प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में बी० बी० सी० के साथ श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री अथुलाथमुहाली का साक्षात्कार हुआ था जिसमें उन्होंने सैनिक कार्यवाही करने के कार्यक्रम का वर्णन किया था। वह कह रहे थे कि पहले वह पूर्वी हिस्से को समाप्त कर सकते हैं और फिर तमिल बहुल क्षेत्रों में जायेंगे और वहां सिंहलियों को बसाएंगे। जबकि जयवर्द्धने ने स्वयं भी कहा है कि वह सैनिक हल को प्रथम वरीयता प्रदान करते हैं। इसलिये यह स्पष्ट ही है कि वह एक सैनिक समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या करना है ? डा० ढिल्लों अभी यह उल्लेख कर रहे थे कि हमें उनके साथ किसी तरह की बातचीत करना बन्द कर देना चाहिये। चाहे जो हो मैं एक बात कहना चाहता हूं। सुझाव दिये गये थे। लेकिन मुझे कहना पड़ा। सभी प्रकार के कूटनीतिक दबाव डाले जाने चाहिये। दूसरे सभी उपायों की खोज-बीन करनी चाहिये। जिससे इस जातीय समस्या को हमेशा के लिये हल कर लिया जाये। हमें श्रीलंका को यह स्पष्ट बता देना चाहिये कि हमारी श्रीलंका के साथ कोई साझेदारी नहीं है। उस देश में अस्थिरता पैदा करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम उस देश की अखण्डता को बनाये रखने में रुचि रखते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे तमिल भाई उस देश में रह रहे दूसरे नागरिकों की तरह गौरव और सम्मान के साथ रहे। उसी तरह हम चाहते हैं कि जो शरणार्थी भारत में आये हैं वे सम्मान व गौरव के साथ अपने देश को जाएं। इस बात को हमें उन्हें स्पष्ट बता

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

देना चाहिये और मैं कहूंगा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये। फिर भी जयवर्द्धने नहीं समझेंगे। हमें इस बात को समझा देना चाहिये कि जातीय समस्या का सैनिक समाधान का प्रयास व्यर्थ है हमारे पास पाकिस्तान का उदाहरण है। पाकिस्तान ने आन्तरिक समस्या का समाधान सैनिक उपायों द्वारा करने की कोशिश की थी और अन्ततः इसका परिणाम पाकिस्तान का बटवारा हुआ है। बाइबिल में एक उक्ति है। यह मलयालम में है "वलेदूयावन वतल" जो तलवार का सहारा लेगा वह तलवार द्वारा मारा जायेगा। यह बाइबिल से उद्धृत है। इसलिये हमें राष्ट्रपति जयवर्द्धने पर इस बात के लिये जोर डालना चाहिए कि जातीय समस्या को राजनीति के माध्यम से सुलझाना उनके हित में है, वह सैनिक समाधान का सहारा न लें हम इस समस्या के आयाम को देखें जिसके लिये मैंने कहा था कि इसका एक सुरक्षा पहलू है जिसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिये और इस समस्या को सुलझाने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के साथ पूरा देश है जो इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे और देश तथा सभी वर्गों के लोग इस प्रयास में हर सफलता की कामना करते हैं।

जब हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और श्रीलंका में निर्दोष तमिलों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही में पाकिस्तान सहायता कर रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने की कोशिश कर रहे है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के सामान्य होने की अधिक गुंजाइश है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं ही इस दिशा में पहल की है। उन्होंने कई अवसरों पर जनरल जिया के साथ कई बैठकें की हैं। पिछले दिसम्बर में जनरल जिया ने दिल्ली का दौरा किया था और हमारे प्रधानमंत्री से मिले थे। दोनो देशों ने यह समझौता किया था कि वे एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जुनजो से भी मिले थे। लेकिन इसके बावजूद फैसले तेजी से नहीं हो रहे हैं और शायद ठीक दिशा में भी नहीं हो रहे हैं। श्री जुनेजो ने हाल ही में कहा है कि काश्मीर समस्या राष्ट्र संघ को दुबारा भेजी जाये। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह शिमला समझौते की भावना से मुकर गए हैं। वह पुरानी समस्या को पुनः लाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वास्तव में जिया लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। वास्तव में वह भारत के साथ झगड़ों को निपटाना नहीं चाहते। वह हमारे देश के साथ शांति नहीं चाहते। वह तो ऐसा जताना चाहते हैं कि वह इस देश के साथ शांति नहीं चाहते हैं। लेकिन वह ऐसा चाहते नहीं हैं। हो सकता है कि वह विशेषकर पश्चिम में ऐसी धारणा पैदा करना चाहते हैं जिससे वह पश्चिम से अधिक सहायता प्राप्त कर सकें। हो सकता है जनरल जिया शान्ति के मामले को लेकर पश्चिम के साथ सौदेबाजी कर रहे हों। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जनरल जिया की इस चाल से सावधान रहें।

तब श्रीमन, हमें वास्तव में चिन्ता होनी चाहिए कि पाकिस्तान थोड़े ही समय में परमाणु शक्ति वाला देश बनने जा रहा है। हमें इस बात से चिन्ता होनी चाहिए कि वह आधुनिकतम सैनिक हथियारों को प्राप्त कर रहा है जिनका पर्वतीय क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसा कि वह

अफगानिस्तान के विरुद्ध करने का दावा करता है। वह इन्हें केवल हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है और इनमें से अधिकांश तो हमारी सीमाओं पर लगाये गए हैं। इसके अलावा वह हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही सदन में बताया जा चुका है। बहुत से प्रशिक्षण प्राप्त उग्रवादी हमारे देश में आ रहे हैं। और वे पंजाब में गम्भीर समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान से अपने सम्बन्ध रखने में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यह सच है और मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि जनरल जिया ने कहा है कि उनका सैनिक प्रशिक्षण में कोई हाथ नहीं है और वह सिखों को प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह सब जानते हैं कि यह सच नहीं है स्थिति इसके विपरीत हैं। लेकिन परमाणु साधन क्षमता के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि हम परमाणु ऊर्जा का शांति पूर्ण ढंग से प्रयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं सहमत हूं और ऐसा ही होना चाहिए परन्तु इसके साथ ही मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हम अपने परमाणु विकल्पों में स्वतंत्र रहें।

किसी अन्य देश के बारे में हमें अपने को धोखे में नहीं रखना चाहिए। हमें पाकिस्तान से अपने सम्बन्ध सुधारने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही, जो स्थिति आज है, उसकी चुनौती को और छुपे हुए खतरे को भी हमें समझना चाहिए।

मैं चीन के बारे में भी एक शब्द कहना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री द्वारा चीन से सम्बन्ध सुधारने के बारे में जो कोशिशें की जा रही हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस दिशा में लगातार और अथक प्रयास जारी रहने चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन से हमारे सम्बन्धों में सुधार हो। हालांकि उसके साथ हमारा सीमा-विवाद है। ठीक है। हमें उस विवाद को हल करने का प्रयास करना चाहिए।

इसके अलावा, मैं विदेशों में स्थित अपने दूतावासों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देशवासी जो खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे हैं, उनसे मुझे भारतीय दूतावासों के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली हैं। इनमें से अधिकतर अनपढ़ और कुशल कर्मचारी हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। जैसाकि मैंने कहा हमारे दूतावासों का रवैया सहायता पहुंचाने वाला नहीं है। वे समस्याओं के प्रति हमेशा नौकरशाही रुख ही अपनाते हैं। वे उन गरीब कारीगरों की सहायता के लिए कुछ नहीं करते जो वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। तीन सप्ताह पूर्व, मैंने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री को एक शिकायत भेजी थी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के एक रिश्तेदार को खाड़ी के एक देश में गिरफ्तार कर लिया गया है और मैंने मंत्री जी से कहा था कि वे टैलेक्स द्वारा वहां के भारतीय दूतावास से पता लगाएं कि वस्तु-स्थिति क्या है। और पता लगाएं कि उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने दो-तीन स्मरणपत्र भेजे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूरा पता दिया गया था, दूतावास के अधिकारी उसकी खोजबीन नहीं कर पाये। वह उस व्यक्ति से सम्पर्क नहीं कर पाए और न ही उन्होंने कोई उत्तर ही भेजा है। अगर मंत्री महोदय के निदेशों का दूतावास के लोग इस प्रकार पालन करते हैं तो, वहां रह रहे गरीब भारतीयों की दशा का अनुमान लगा सकते हैं, जो उनके पास सहायता के लिए जाते हैं। अतः दूतावास में उपयुक्त संख्या में लगन से कार्य करने वाले कर्मचारी रखे जाने चाहिए।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : कृपया हमें पूरा विवरण दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपको पूर्ण विवरण दूंगा। जो गरीब लोग वहां कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति इन कर्मचारियों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

अत: मैं, नाइजीरिया में कार्य कर रहे भारतीयों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। इनमें से कुछ लोगों की नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं।

(व्यवधान)

परन्तु वे वापस भारत नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने जो धन वहां कमाया है, उसे यहां पर लाने की अनुमति नहीं है। हमारे दूतावास को मामले में हस्तक्षेप करके उनकी सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा, उनके जिन बच्चों ने वहां शिक्षा प्राप्त की है, विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में डिग्री ली है। वे भारत वापस नहीं आ सकते। क्योंकि देश में वहां की चिकित्सा डिग्री मान्य नहीं है। अगर वह डिग्री उपयुक्त स्तर की नहीं तो हमें उनके लिए कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जैसा कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए, ताकि उन भारतीयों को नुकसान न पहुंचे। वे हमारे ही भाई-बन्धु हैं जो वहां पर अपनी अजीविका कमाने गये थे और हमें विदेशी-मुद्रा भेजते रहे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करें और कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ, मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री को गुट-निरपेक्ष नीति पर चलते रहने के लिए बधाई देता हूं। इस नीति पर चलने का शुभारम्भ हमारे महान् नेता पं० जवाहर लाल नेहरू आदि नेताओं ने किया था और काफी नाम और इज्जत पाई थी और विश्व में देश का सम्मान बढ़ाया था। गुटनिरपेक्ष नीति के कारण ही भारत विश्व में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष बन सका। इस नीति से हमारे मित्रों की संख्या बढ़ी है और शत्रुओं की संख्या कम हुई है।

पाकिस्तानी बन्दरगाह पर सातवें बेड़े के आगमन पर बोलते हुए, पिछली दफा मैंने कई मामलों पर अपने विचार प्रकट किए थे। आज मैं विदेशों में रह रहे भारतीयों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, केवल उनका ही जिक्र करूंगा।

हमें इस बारे में विदेशों में रह रहे कई भारतीयों के पत्र मिलते हैं कि अपने परिवारों के सदस्यों या बच्चों से मिलने के लिए वापस आने के लिए वीसा लेना बहुत जरूरी है। स्थिति इतनी विषम है कि कनाडा, ब्रिटेन और अमरीका में भारतीय दूतावासों के समक्ष वीसा लेने वाले लोगों की लम्बी लाइनें लगी रहती हैं। विशेष अवसरों पर, जैसे किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु आदि पर या तो वीसा दिया ही नहीं जाता या वीसा देने में देरी की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा भारतीयों, विशेषकर ब्रिटेन, कनाडा और अमरीका में रहने वाले पंजाबियों के मन में असंतोष और कटुता पैदा होती है।

ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को वीसा जारी करके प्रतिदिन 2,000 पौंड की आमदनी होती है। मैं समझता हूं कि वीसा जारी करने की फीस 15 या 20 पौंड है। मंत्री महोदय, कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करें। और जब ये लोग बम्बई या पालम पहुंचते हैं, तो इनकी बुरी तरह से तलाशी ली जाती है। इन सबसे उनके मन में कटुता में वृद्धि होती है। हम जैसे जिम्मेदार और गम्भीर लोगों की जिम्मेदारी है कि वे कटुता को दूर करें। इसे कम तो किया ही जा सकता है, ताकि उन्हें सन्तुष्टि मिल सके। लेकिन हो इससे उलट रहा है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि भारत, विशेषकर पंजाब में अपने परिवारों से मिलने आने वाले लोगों को वीसा लेने की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए।

कई देशों में दोहरी नागरिकता की प्रथा है। पाकिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेशिया आदि देशों में यह सुविधा विद्यमान है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों को दोहरी नागरिकता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करे।

हम भारतीय स्वाभाविक रूप से काफी विनम्र हैं। भारतीय देशभक्त हैं। हम अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपनी संस्कृति मातृभूमि और अपने परिवारों से प्यार और लगाव है। भारत में चुनावों के समय, उन्हें मत देने का अधिकार देना चाहिए। सभी गैर-प्रवासी भारतीयों को मत देने का अधिकार देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर भी विचार करें।

विदेशों में रह रहे भारतीय उन देशों में पैसा कमा कर भारत में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये भेजते हैं। मैं समझता हूं कि प्रो० तिवारी कम-से-कम इस मामले में मेरा समर्थन करेंगे···।

प्रो० के० के० तिवारी : कई मामलों में आप अपने विचार बदलते रहते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं नहीं बदलता। आप अब मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीकों से ले रहे हैं। पैसा भेजा जाता है। वे देश की सेवा और सहायता कर रहे हैं। लेकिन यहां स्थिति यह है कि उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इस बात की जांच हो रही है कि यह पैसा वे कहां से लाए। ड्राफ्ट का नम्बर क्या है, जिस बैंक में पैसा जमा कराया है, उसका नाम क्या है। इस परेशानी को समाप्त किया जाना चाहिए और भारत पैसा भेजने वाले सभी भारतीयों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिए।

आरम्भ में मैंने सभा में कहा था और सरकार से निवेदन किया था कि जिन देशों में भारतीयों को बसने की सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे विशेष रूप से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। माननीय विदेश मंत्री ने जो रात्रि भोज दिया था, उसमें मैं कनाडा के विदेश मंत्री श्री जो क्लार्क से मिला था। उन्होंने मुझे भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। कनाडा के विदेश मंत्री ने मुझे बताया कि वहां की सरकार इस बात से बहुत दुःखी है कि भारत में यह प्रचार किया जा रहा है कि कनाडा सरकार का तालमेल कुछ उग्रवादी गतिविधियों से है।

मैं मंत्री महोदय और सरकार से विशेषरूप से इस बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूं कि

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

कनाडा और ऐसे देशों के साथ जहां भारतीय अधिक संख्या में रह रहे हैं, बेहतर सम्बन्ध बनाने के लिए कारगर कदम उठाए। मुझे आशा है कि वर्षों से कनाडा का जो उच्च चरित्र है उसे कनाडा की मुरुनी सरकार भी निभा रही है, यानि भारत समेत किसी भी देश में वह अस्थिरता या वहां उत्पाद आदि कराना नहीं चाहती। मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि इस चरित्र को सुदृढ़ बनाया जाए, और इन देशों के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक और अन्य संबंध बढ़ाये जाएं।

हाल ही में कनाडा के राजदूत श्री वार्डन ने पंजाब का दौरा किया और वहां पंजाब सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और कुछ प्रमुख पत्रकारों और शिक्षाविदों से मुलाकात की। भारत और कनाडा में मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए इस दौरे का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

मुझे इस आशय का पत्र भी मिला है कि कनाडा में, वहां के संसद सदस्यों ने भारत-कनाडा के संसद सदस्यों का मैत्री संगठन बनाया है। मैं अपने सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस दिशा में कदम उठाएं।

महोदय, श्रीलंका के बारे में मेरे दल के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। मेरा दल लोकतन्त्रीय प्रणाली में विपक्ष के विचारों को आदर देने का समर्थक है। श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों की हत्या की जा रही है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षपीठ ने श्री तिवारी की टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। लेकिन मैं जीने के अधिकार और मानवता के आधार पर कह रहा हूं कि श्रीलंका में सेना और अधिक बलप्रयोग से बेगुनाह लोगों की हत्याएं की जा रही हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं कि या तो भारत से एक दल को भेजा जाए या लंदन, वाशिंगटन और ओटावा में हमारे दूतावासों को वीसा प्रणाली के बारे में शीघ्र रिपोर्ट देने के बारे में निदेश जारी किये जाने चाहिए। दूतावास के लोगों को वहां पर स्थित सिंह सभाओं, गुरुद्वारा समितियों, भारतीय समुदायों के नेताओं और भारतीय लोगों के अन्य सामाजिक संगठनों से मिलकर शीघ्र ही वीसा देने की प्रणाली को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : कनाडा सरकार के सम्बद्ध होने सम्बन्धी अपने तथ्यों की जांच करें। (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं तथ्यों की जांच के बाद बोल रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी संसद सदस्य पर यह आरोप लगाना कि उसने किसी विदेशी दूतावास से निदेश प्राप्त किया है, गम्भीर मामला है। मैं प्रो० तिवारी का सम्मान करता हूं परन्तु गम्भीर बात कही गई है। इसकी सभा में अनुमति नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) आप किसी सदस्य पर किसी राजदूतावास से निदेश लेने

का आरोप कैसे लगा सकते हैं। सभा में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कनाडा सरकार ने उग्रवादियों को लाखों डालर की सहायता जातीय कल्याण के नाम पर दी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं क्योंकि एक सदस्य को सच्ची बात कहनी होती है। किसी भी सदस्य को विदेशी शक्ति का प्रवक्ता बनने का अधिकार नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभा में क्या हो रहा है ?

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं रिकार्ड देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : इस सभा में किसी को भी विदेशी शक्ति का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिये।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया उन्हें अपने शब्द वापस लेने को कहें।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसी को भी सभा में किसी अन्य देश का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यह गैर जिम्मेदाराना बात है।

प्रो०के० के० तिवारी : मैं सिद्ध कर सकता हूं कि आप गलत बात कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं है।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदया, मुझे खुशी है। कि अकाली सदस्य ने सरकार की गुट निरपेक्षता की नीति का स्वागत किया है। हमारे एक मित्र श्री शाहाबुद्दीन ने कल अथवा किसी पिछले अवसर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह दीर्घकालीन नीति अपनाने की वजाए प्रतिदिन प्रतिवर्ष नई नीति अपना रही है । मैं उस वक्तव्य का विरोध करना चाहता हूं।

गुट निरपेक्षता की नीति सरकार ने थोड़े समय से नहीं अपनायी बल्कि 1952 से अपनायी है जब भारत ने राष्ट्र मंडल संसदीय सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमण्डल

[प्रो० एन० जी० रंगा]

ओटावा भेजा था। अपनी सरकार की ओर से हमने युद्धोंपरांत दो महान शक्तियों अमरीका और सोवियत रूस में से किसी का भी पक्ष न लेने का निर्णय घोषित किया था। बाद में इसे हमने गुट-निरपेक्षता का नाम दिया। इस प्रकार इन सभी वर्षों में यह नीति विकसित होती रही हमारी इसी दीर्घकालीन नीति के अनुसरण में "हमारा सौभाग्य है भारत तथा सोवियत संघ के बीच मैत्री दृढ़ से दृढ़ हुई है जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच भेदभाव पैदा करना अत्यन्त कठिन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम साम्यवादी हो गए हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सोवियत रूस का उपग्रह बन गए हैं। बेशक हमारे साम्यवादी मित्र हमारे देश में भी हैं, वे भारत के एक राज्य में सत्तारूढ़ हैं तथा वे इस सभा में भी विपक्ष में हैं परन्तु फिर भी हम साम्यवादी नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दो राज्यों में।

प्रो० एन० जी० रंगा : फिर भी हम साम्यवादी देश सोवियत रूस के मित्र हैं। तथा हमें गर्व है कि हम उस देश के अच्छे मित्र हैं क्योंकि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में हमारा साथ देता रहा है तथा हमारे कार्यक्रम तथा नीतियों को समर्थन देता रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से अमरीका के साथ हमारे वैसे सम्बन्ध नहीं बन सके। एक समय मैं अमरीका का बड़ा मित्र था, क्योंकि उस समय मैं तथा अन्य व्यक्ति यह समझते थे स्वयं एक लोकतन्त्र होने के नाते अमरीका भारत से मैत्री बढ़ाने में उत्सुक होगा। परन्तु पाकिस्तान के कारण जो निराशा पैदा हुई है। उससे हमें हैरानी हुई। गृह मन्त्री सरदार पटेल के परामर्श के विरुद्ध पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए तथा यह मानते हुए कि अमरीका भी गुट-निरपेक्षता, अहस्तक्षेप की नीति तथा एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करने के सिद्धांत के प्रति ईर्ष्या अनुभव करेगा काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। कश्मीर का मसला पैदा कैसे हुआ ? क्योंकि पाकिस्तान की की मदद से वहां की आदिम जातियों के लोगों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। और हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या करने को कहा ? हमने उनसे कहा कि आक्रमण के लिए पाकिस्तान को उत्तरदायी ठहरायें तथा उन्हें वापस हटने पर विवश करें। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया। उन्होंने हमसे कहा कि हम उनके परामर्श पर चलें तथा अमरीका तथा ब्रिटेन तथा उनके मित्रों की शक्ति और प्रभाव के सामने झुक जाएं। उन्होंने हमें वाद-विवाद में उलझाये रखा तथा आज भी उन्होंने यह विवाद बना रखा है। अमरीका के सम्बन्ध में यह हमारा कटु अनुभव था। उस समय से उसने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों का नेतृत्व संभाला। जैसे कि पिछली शती के मध्य में लार्ड पामरस्टन ने चीन को चुनौती दी जिसके परिणामस्वरूप 'चीन में बोक्सर क्रांति' हुई तथा चान पश्चिम के अधीन हो गया, उसी प्रकार अमरीका आज सम्पूर्ण विश्व पर आधिपत्य करना चाहता है। क्यों ? उनका कहना है, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। किसके लोकतंत्र की ? हमारे लोकतंत्र की नहीं अपितु अपने लोकतंत्र की। हमारा उनके लोकतंत्र से कोई विवाद नहीं है। मैं अमरीकी जनता तथा उनके लोकतान्त्रिक जीवन के पक्ष में हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं की अमरीका पूरे विश्व को अधिशासित करे। वह आज यही कर रहा है। वे निकारागुआ को कैंसर बताता है। परन्तु श्रीलंका को प्रोत्साहन देता है। श्रीलंका द्वारा अपने लोगों की तुलना में भारतीय मूल के लोगों के प्रति जो

असम्मानजनक और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसके लिये मैं उसकी निन्दा नहीं करना चाहता। वहां पर बसे लोग कौन हैं। ये लोग वहां 10 वर्ष से अथवा 50 वर्ष से अस्थायी रूप से रहने के लिये वहां नहीं गये थे, अपितु सैकड़ों वर्ष पहले वहां गये थे तथा वहां पर बस गये थे। यदि उन लोगों को वहां पर नागरिकता नहीं दी जा सकती तो उस महान बहुमत का क्या होगा जिन्हें विश्व के देशों में नागरिकता मिली हुई है। फिर भी श्रीलंका उनके साथ असम्मानजनक ढंग से व्यवहार कर रहा है तथा उसका कार्य अलोकतंत्रीय है। अमरीका वहां पर क्या भूमिका निभा रहा है? क्या वह श्रीलंका को किसी तरह का परामर्श दे रहा है। ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम के तथाकथित लोकतान्त्रीय देश क्या कर्तव्य निभा रहे है? क्या बात है कि वे कर्तव्य नहीं निभाते। इसके विपरीत वे पाकिस्तान तथा इस्राइल को श्रीलंका में क्रियाशील बनने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और श्रीलंका सरकार को कौन उकसा रहे हैं। यही सरकारे हैं, यही लोग हैं। हम कैसे विश्वास करें कि ये लोग लोकतंत्र के प्रति उतने ही निष्ठावान है जितने कि हम है। वे अपने देशों में लोकतन्त्री हो सकते हैं परंतु विश्व के अन्य लोकतन्त्रों के लिये उनके पास कोई सन्देश नहीं है क्योंकि उनके हाथ श्रीलंका में हम भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं।

मेरे तमिलनाडु के मित्र अत्यन्त विचलित हैं, पूरे मामले पर हम सभी विचलित हैं। जिस तरह से श्रीलंका हमारे लोगों की हत्या कर रहा है उससे हम अत्यन्त दुखी हैं परन्तु हम सब्र से बैठें हैं, और आगे भी सब्र से रहेंगे, परन्तु हर बात की सीमा होती है। इसलिए मैं विपक्ष के अपने मित्र द्वारा व्यक्त इन विचारों से सहमत हूं कि संसद सदस्यों का एक शिष्ट मण्डल पूरे विश्व की यात्रा करे उसे बताये ताकि श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का, मानवीय अधिकारों का तथा श्रीलंका में हमारे लोगों के नागरिकता संबंधी न्यूनतम अधिकारों का सम्मान करे।

हम सभी उन मित्रों के साथ सहमत होंगे कि हमारी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है तथा हमारी स्थिति महान है। वास्तव में शक्तिशाली अमरीका विदेशी मामलों के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति वहां के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है? हमारी किस तरह की शक्ति है? क्या हम बड़ी शक्ति हैं, जब अमरीकी नौ सेना आणविक शस्त्रों सहित निर्बाध रूप से फारस की खाड़ी में प्रवेश कर गई? क्या हम बड़ी शक्ति हैं जब हम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प का अमरीका द्वारा सम्मान किया जाये? जब डियागो गार्सिया पर शस्त्र लगाये गये इसे अड्डा बनाया गया, फारस की खाड़ी को अड्डा बनाया गया, हम कुछ नहीं कर पाये। उनका कहना है कि वे यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस अफगानिस्तान गया है। मेरे जैसे लोगो के लिए यह क्षोभ का विषय है, मैं चाहता हूं कि सोवियत वहां पर न गया होता। और जब वे वहां गये हैं तो हमने क्या किया? यह सैद्धान्तिक मामला है। हमने रूस से स्पष्ट एवं मैत्रीपूर्ण ढग से कह दिया है कि वे अफगानिस्तान से चला जाये, सोवियत रूस ने वापस जाना स्वीकार किया है बशर्ते कि वहा पर शान्ति रहे, तथा इस बात का आश्वासन हो कि अमरीका की सहायता से पाकिस्तान अशान्ति पैदा नहीं करेगा। क्या ऐसी गारंटी मिली? अमरीका को शेष विश्व को यह आश्वासन देना है कि वे पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान के माध्यम से सोवियत रूस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस तरह से हम सोवियत रूस की सत्यनिष्ठा के संरक्षक बन सकते हैं। हम ऐसा नहीं बन सकते। हम उसके मित्र हैं, हम उसे किसी

[प्रो० एन० जी० रंगा]

अनावश्यक कठिनाई में नहीं डालना चाहते न ही उसे कमजोर बनाना चाहते। एक मित्र को इस बात का ध्यान रखना है कि अन्य मित्र परेशानी में न पड़ें। क्या इसमें कोई बुराई है।
2.00 म० प०

फिर भी अमरीकी लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वे मानवीय सम्बन्धों की इस साधारण सी बात को तथा एक व्यक्ति की दूसरे से मैत्री को समझ सकें।

इस समय पाकिस्तान पूरी तरह शस्त्रों से सज्जित है न केवल सोवियत के विरुद्ध अमरीकी हितों के संरक्षण के लिए अपितु (मुख्यता) हम पर हमला करने के लिए तथा हमें कमजोर बनाने के लिए। पाकिस्तानियों की हमारे प्रति क्या भावनाएं हैं? सभी जानते हैं तथा वे स्वयं इस बारे में बात करते हैं। कुछ का कहना है कि यह अधिनायकवाद के कारण है तथा शीघ्र ही वहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा। श्रीलंका में किस तरह का लोकतंत्र है? संयुक्त साम्यवादी पार्टी तथा लोकतांत्रिक पार्टी तथा परम्परावादी सभी भारत के विरुद्ध हैं। पाकिस्तान की भी वैसी ही स्थिति है। क्या भुट्टो भारत का घनिष्ट मित्र था। क्या वे लोग भारत के मित्र हैं? राजनीतिक दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल का वास्तविक रूप से भारत का मित्र होने का कोई अवसर नहीं है। हम उनके साथ व्यापारिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रख सकते हैं परन्तु राजनीतिक मैत्री नहीं क्योंकि पाकिस्तान भारत विरोधी नीति पर चलता रहा है। मैं ऐसा सरकार की ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि बतौर प्रो० रंगा कह रहा हूं जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के इन सभी वर्षों में विदेशी मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। पाकिस्तान का रवैया हमारे प्रति अत्यन्त कटु रहा है। क्या यह कटुता कम होगी? बंगला देश से आए हुए 90000 युद्धबन्दियों को छोड़ने जिनके भरण-पोषण पर हमने करोड़ों रुपए व्यय किए थे और शिमला समझौता करने के बाद हमें आशा थी कि यह कटुता कम होगी। मैंने इंदिरा जी से उनके शिमला जाने से पूर्व और वापिस आने के बाद पूछा था कि क्या आपको विश्वास है कि अब कुछ शांति रहेगी? उन्होंने कहा यह केवल एक प्रयोग है, ऐसा होने की संभावना है और ऐसी आशा है। हमें सदा आशावान रहना चाहिए और उनका कहना ठीक भी था। मैं पाकिस्तान के साथ मैत्री की आशा करता हूं। आज पाकिस्तान को अमरीका ने हथियार सप्लाई करके उकसाया है जिनमें न केवल एफ-16, बल्कि परमाणु अस्त्र भी हैं, और सप्लाई भी इतनी कि पाकिस्तान खाड़ी के सभी देशों और अफ्रीका में हथियार सप्लाई करने की पेशकश कर रहा है। इस प्रकार पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई के लिए अतिरिक्त अड्डा बन गया है, हथियारों का एक मालगोदाम और अमेरिका द्वारा हमारे बिल्कुल नजदीक आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए एक और अड्डा! ये सब एक ओर अमेरिका को मजबूत बनाने और दूसरी ओर हमें धमकाने के लिए किया जा रहा है।

इन परिस्थितियों में मैं स्वयं कैसे कह सकता हूं कि भारत एक महान देश है? हमें सब ओर से धमकाया जा रहा है। और वे कहते हैं कि हमें रूस से बचायेंगे। बीच में अफगानिस्तान पड़ता है और रूस ने अफगानिस्तान को हड़प लिया है और अब वह पाकिस्तान को हड़प लेगा। इसलिए अमेरिका को यहां आने दो, पाकिस्तान पर कब्जा करने दो ताकि वह हमें निगल ले, ठीक उसी तरह

जिस तरह इंगलैंड ने फाकलैंड को निगल लिया है। वह हमसे कहते हैं कि "हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आपके पड़ोसी हैं और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो केवल हमारी एक कालोनी है।" यह पाकिस्तानी नेताओं को, उनमें से भी कुछ को, उचित लग सकता है क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक भी अपने देश के प्रति उतने ही वफादार हैं जितने कि हम अपने देश के लिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान की भावनायें हमारे लिये चाहे कुछ भी हों, किंतु वह इतना नहीं गिर सकता कि अमेरिका की एक कालोनी मात्र बनकर रह जाये। साथ ही साथ पाकिस्तान इतना बुरा है कि वह अमेरिका के नियंत्रण के अधीन भी रह सकता है! इन परिस्थितियों में मैं इंदिरा जी, राजीव गांधी और हमारे विदेश मन्त्री तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा इस देश से बहुत अच्छे राजनयिक सम्बन्ध रखे जाने के बावजूद भी, अपने देश में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता हूं? इनकी सभी प्रशंसा करते हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : आप इसका कोई ठोस हल बतायें। हम श्रेष्ठ राजनयिक सम्बन्ध रखने के बावजूद भी इस देश को बचाने में समर्थ नहीं हैं। कृपया इसका कोई हल सुझायें।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसलिए मैं इन बातों से खुश नहीं हूं। उस ओर श्रीलंका के और इस ओर पाकिस्तान और चीन के माध्यम से अमेरिका हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है जिसके लिए मैं पिछले कई वर्षों से यह आग्रह करता आ रहा हूं कि भारत को चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। चीन, रूस की तरह साम्यवादी देश है। एक समय चीन और सोवियत संघ बहुत अच्छे मित्र थे, किन्तु अब वे उतने अच्छे मित्र नहीं हैं। पहले उनमें दुश्मनी थी किंतु आजकल वे मित्रता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी चीन के साथ मित्रता करने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? पिछले कुछ वर्षों में हुई अप्रिय बातों का भूलना ही बेहतर होगा। क्या वे हमारी भूमि पर दावा करेंगे। उनका कहना है कि हमने उनकी भूमि पर कब्जा कर रखा है। किंतु वह बहुत समय लगा रहे हैं। अब हमें उन समस्याओं को हल करना चाहिए। हमारे साथ मित्रता रखना उनके भी हित में है। चीन के साथ मित्रता रखना हमारे भी हित में है और यदि हमें चीन के साथ मित्रता रखनी है तो हमें रूस पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। हम अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इस तरह अमेरिका हम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। अमेरिका चीन के माध्यम से हमारे विरुद्ध पाकिस्तान से दावे करवा रहा है। यदि हम चीन के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने में सफल हो जाते हैं—इस ओर कुछ रियायत करके बदले में दूसरी ओर से कुछ रियायत प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे लिए यह संभव हो सकेगा कि ये तीन बड़ी ताकतें—चीन, अमेरिका और रूस एक दूसरे की ओर ही देखते रह जायें और हम अपने देश के विकास के लिए वहां कुछ शांति बनाए रख सकें।

श्रीमती मीरा कुमार (बिजनौर) : महोदया, पिछले शुक्रवार और आज कुछ माननीय सदस्यों द्वारा हमारी विदेश नीति की सफलता के सम्बन्ध में कुछ संदेह व्यक्त किए गये थ। मैं नहीं समझती कि हमारी विदेश नीति की शीघ्र प्राप्त होने वाली सफलता अथवा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय घटना अथवा प्रत्येक देश के संदर्भ में आंका जा सकता है। इसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों और देशों पर दीर्घावधि प्रभाव से आंका जा सकता है। और यदि हम इस संदर्भ में देखें तो हमारी विदेश नीति की मूल अवधारणायें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। हमारी विदेश नीति का आधार गुटनिर-

[श्रीमती मीरा कुमार]

पेक्षता 1961 से शुरू हुई और यह एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गई है जिसमें बहुत से लोग और संयुक्त राष्ट्र संघ के दो-तिहाई सदस्य हमारे साथ हैं। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों में से अधिकांश भूतपूर्व औपनिवेशिक देश हैं जो सैन्य दृष्टि से कमजोर और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन सभी का निरस्त्रीकरण. विश्व-व्यापी आर्थिक विकास और शांति क्षेत्र बढ़ाने में समान हित है। यह आंदोलन नव-साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, विकासशील देशों के विकसित देशों द्वारा आर्थिक शोषण और बड़ी ताकतों के आधिपत्य के खिलाफ है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य और उसका सभापति होने के नाते भारत ने विश्व की राय इन प्रथाओं और प्रवृत्तियों के विरुद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए हैं। यह सच है कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कोशिशें समाप्त नहीं की। हम डगमगाएं नहीं। आगे बढ़े हैं, और तीसरी दुनियां के अनेक देशों के साथ आगे बढ़े हैं।

निरस्त्रीकरण के उद्देश्य के सम्बन्ध में हमने परमाणु शस्त्र बनाने वाले देशों से बातचीत करने में पहल की है। इस बातचीत में पांच महाद्वीपों के पांच अन्य देश अर्थात मैक्सिको, स्वीडन, ग्रीस, अर्जेंटीना और तंजानिया भी शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने के प्रयत्नों में हमारे साथ हैं। हमने दिल्ली घोषणा तथा जेनेवा शिखर वार्ता के माध्यम से यह दबाव डालना जारी रखा है।

हमने जातिवाद और उपनिवेशवाद समाप्त करने के लिए और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच, गुट निरपेक्ष आंदोलन और और राष्ट्रमण्डलीय देशों के माध्यम से आवाज उठाई है।

अपनी विदेशी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में हमने उत्तर-दक्षिण के बीच बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयत्न किया है और कर रहे हैं और हम दक्षिणी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न शील हैं।

'सार्क' एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में इसकी भूमिका के महत्व को कम नहीं माना जा सकता।

निस्सन्देह श्रीलंका की समस्या, हालांकि यह उनका आंतरिक मामला है, हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। हमें इस बारे में चिन्ता है और हम प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इस समय आवश्यकता है संयम की; जिसे हमें रखना है; और इसे हमारी ओर से ढील नहीं समझा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि सख्त कदम उठाने से हमें वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। श्रीलंका में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और महोदया, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से आग्रह करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही करें। जैसा कि पहले प्रो० रंगा ने भी कहा है हमें पूरे विश्व में अपने शिष्टमंडल भेजने चाहिएं जो ऐसा माहौल उत्पन्न करें जिसमें श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध किया जा सके और जो श्रीलंका सरकार पर मानव अधिकारों का

आदर करने के लिए दबाव डाल सके।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, इसके साथ हमारी मित्रता के रास्ते में लम्बे समय से कुछ अड़चनें चली आ रही हैं। परन्तु हम इन अड़चनों पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा निश्चय दृढ़ है और इच्छा मजबूत और मुझे विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी।

अपने देश की प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए कठिन परिस्थितियों में भी विश्व शांति और न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए समर्पित रूप से कार्य करने का हमारा दृढ़ संकल्प है और राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है यही दृढ़ संकल्प हमारी विदेश नीति का सार है और जहां तक दृढ़ संकल्प का प्रश्न है, हम असफल नहीं रहे।

मैं विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ऐसा कह रही हूं। मैंने इस मंत्रालय में साढ़े बारह वर्ष काम किया है। विदेश मंत्रालय के लिए बजट केवल 302 करोड़ रुपए है जो कि केन्द्रीय सरकार के कुल बजट का केवल 0.7 प्रतिशत है। मैं दोबारा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। यह बजट केन्द्र सरकार के कुल बजट का केवल 0.7 प्रतिशत है। इससे राज-कोष पर इतना कम बोझ पड़ता है जो कि नगण्य है। इतने कम बजट में भारत जैसा विशाल और महत्वपूर्ण देश विश्व में अपनी विदेश नीति चलाता है। इतने कम बजट में हमने जोकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक और सभापति हैं नव साम्राज्यवाद, जातिवाद, आर्थिक शोषण और कुछ देशों के आधिपत्य के विरुद्ध विश्व की राय तैयार करना चाहते हैं। हम एक अत्यधिक गतिशील विश्वनीति चाहते हैं और पूरे विश्व में सक्रिय रहना चाहते हैं। क्या यह संभव है ? इतने कम बजट में हम विदेशों में 135 मिशन चला रहे हैं। हम अपने प्रतिनिधान अधिकारियों और कनिष्ठ कर्मचारियों पर व्यय कर रहे हैं, विदेशों को शिष्टमण्डल भेज रहे हैं और वहां से शिष्टमंडल आ रहे हैं। हमारे प्रतिनिधान अधिकारी लगभग 600 हैं जो कि ब्रिटिश विदेश सेवा के कर्मचारियों की कुल संख्या का एक-चौथाई है। इस प्रकार आप विदेश मंत्रालय पर बोझ का अनुमान लगा सकते हैं जिसमें अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में बहुत कम सुविधायें हैं। आप कह सकते हैं कि मैं एक विकासशील देश की तुलना विकसित देशों के साथ कर रही हूं। किंतु हम भारत की उस भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते जो उसे विकासशील देशों के बीच और उनकी ओर से पूरे विश्व के बीच निभानी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी गतिविधियां आवश्यक रूप से बढ़ेगी और हमें इस सभी की व्यवस्था इतने कम बजट में करनी होगी। इसका श्रेय विदेश मंत्रालय को जाता है कि हमने सफलतापूर्वक इसकी व्यवस्था की है और ऐसी विदेश नीति तैयार की है जिसने देश का विश्वास अर्जित किया है और आदर कमाया है और जोकि अत्यन्त कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी सकारात्मक रही है।

एक स्पष्ट उदाहरण आई०टी०ई०सी० का है। यह दुतरफा सहायता योजना है जो विदेश मन्त्रालय द्वारा परिचालित है। आई०टी०ई०सी० को 60 विकासशील देशों को सहायता देने हेतु 9 करोड़ रुपए की अल्पराशि मिलती है। मेरे विचार में हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए।

हम यह अवश्य महसूस करते हैं कि विदेश मन्त्रालय का बजट एक गैर-योजना खर्च है और

[श्रीमती मीरा कुमार]

प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण विकास कार्यक्रमों में योगदान नहीं करता है। फिर भी यह विदेशी सहायता, व्यापार, संयुक्त उद्यमों, विदेशी सहयोग, निवेश, अनुदानों, ऋणों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इसी प्रकार के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अनुकूल बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करता है। यदि हमारे देश में तनाव कम और शान्ति अधिक हो तो इससे ठोस लाभ भी हैं। हम अकेले नहीं रह सकते हैं और हम दूसरे देशों में चल रही विकास सम्बन्धी गतिविधियों से लाभान्वित होने के अवसर नहीं खो सकते हैं।

आमतौर पर ऐसी धारणा है कि विदेश सेवा अधिकारी विदेशों में विलासितापूर्ण और विशिष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। यह तो एक कल्पना है। एम०ई०ए० के कुल बजट का 65% भूटान सहायता, नेपाल सहायता जैसे विकासशील देशों को अनुदान सहायता के रूप में चला जाता है। केवल 35% ही से स्थापना पर खर्च किया जाता है। विदेश सेवा अधिकारियों का मूल वेतन यहां ले रहे उनके साथियों के मूल वेतन के बराबर है। विदेश सेवा भत्ता जो वास्तव में इस मनघड़न्त बात को बढ़ावा देती है, उन देशों के जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक पर आधारित है जिनमें ये अधिकारी नियुक्त हैं, यह ठीक वैसे ही है जैसे कि यहां दूसरी सेवाओं में उनके साथी भारत के विभिन्न शहरों के जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता लेते हैं। सामान्यतया सही जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक उपलब्ध न होने के कारण इन अधिकारियों को दिया जाने वाला विदेशी भत्ता वास्तविक जीवन निर्वाह व्यय की तुलना में 15 से 20% कम है। जिसके फलस्वरूप आतिथ्य सत्कार क्षमता, जो इन अधिकारियों के प्रतिनिधान कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, सीमित हो जाती है। और यदि इन सभी बाधाओं को इकट्ठा कर दिया जाये तो भारतीय कूटनीति की प्रभावकारिता और आधुनिकता पर गहन प्रभाव पड़ता है। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। यदि हमें अपनी कूटनीति का परिचालन आधुनिक ढंग से और कुशलता से करना है तो महोदया, मैं आपके माध्यम से विदेश भत्ते और प्रतिनिधान अनुदानों में वृद्धि के लिए विदेश मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करता हूं।

कम से कम प्रतिनिधान अधिकारियों में प्रोत्साहन की कुछ भावना है परन्तु कनिष्ठ कर्मचारियों में जब वे विदेशों में नियुक्त किये जाते हैं शायद इलेक्ट्रोनिक के कुछ सामान के अतिरिक्त यह भावना नहीं होती है। अधिकांश विदेशों में वे खतरनाक और संकटमय परिस्थितियों में कार्य करते हैं। आपने कम्पाला में सुरक्षा गार्ड को गोली से उड़ा दिये जाने वाला मामला अवश्य सुना होगा। उनको खतरे और सुरक्षा जोखिम के अन्य कई उदाहरण हैं। उनको आवास की समस्या है। उनके साथ बच्चों की शिक्षा की समस्या है। उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। उनके लिए प्रोत्साहन बहुत कम हैं। इसलिए उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ शीघ्र किया जाना चाहिए।

जहां तक विदेश सेवा अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके पदोन्नति के रास्ते बन्द हैं। उच्च स्तर पर अविश्वसनीय गत्यावरोध है जिसके परिणामस्वरूप युवक, बुद्धिमान और उद्यमी लोग निजी क्षेत्र में दूसरी सेवाओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। एक सुझाव यह है कि दूसरे मन्त्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर के पद सुलभ करा दिये जाने चाहिएं। इससे न केवल संवर्ग सम्बन्धी समस्या का ही समा-

ध्यान होगा अपितु इससे विदेश सेवा अधिकारियों को संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य उद्योग और अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविज्ञता भी प्राप्त होगी। जटिल होती जा रही विदेश नीति की रूपरेखा के साथ यदि हम अपने आपको राजनैतिक कार्य तक ही सीमित रखते हैं तो हम अप्रासांगिक बन जाएंगे। हमें इस क्षेत्र में विस्तार करना होगा और विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविज्ञता प्राप्त करना सेवा के हित में होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांग का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदया, बहुत वर्षों के बाद मैं देख रहा हूं—मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में गलतफहमी हो—कि इस वर्ष के वाद-वाद में कुछ हद तक, मुझे कहना चाहिए कि सभा के दोनों पक्षों के बहुत से सदस्यों द्वारा चिन्ता व आशंकाओं का संकेत दिया जा रहा है। और यह कोई विस्मयकारी बात नहीं है। जबकि यह सत्य है, जैसा कि अन्तिम वक्ता ने कहा -और मैं उनको उनके भाषण पर बधाई देता हूं—कि यह देश जिस सम्पूर्ण नीति-सम्पूर्ण गुट निरपेक्षता की नीति, युद्ध के विरुद्ध शांति की नीति, निरस्त्रीकरण की नीति का अनुसरण कर रहा है वह सही सलामत बनी रहे और प्रत्येक व्यक्ति इनका समर्थन करता है। परन्तु, आखिरकार हम हर वर्ष केवल इस ढांचे की मोटी रूपरेखाओं को ही नहीं दोहरा सकते क्योंकि इस ढांचे में ही सरकार को विशेष मामलों पर कार्यवाही करनी पड़ती है, इसे विशेष परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है। और मेरे विचार में पिछले वर्ष कुछ विरोध, मुझे कहना चाहिए, कुछ हिचकिचाहटों, कुछ भ्रांतियों की धारणाएं रही हैं, जो चिन्ता को जन्म दे रही हैं, जिसे यहां सही ढंग से व्यक्त किया जा रहा है। मेरे विचार में इस चिन्ता के मूल कारण का तथ्य यह है कि लगभग एक वर्ष पूर्व अपने पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में एक कल्पित सुखाभास का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था। अब अचानक यह प्रतीत हो रहा है जैसे कि हमें अचानक सदमा पहुंचा है और हम जान गये हैं कि कार्य उस ढंग से नहीं हो रहे हैं जिस ढंग से हमने सोचा था। मेरे विचार में विदेश नीति में पहल पूर्ण रूप से नहीं है जैसा कि श्री तिवारी ने हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा की गई विभिन्न देशों की यात्रा से साबित करने की कोशिश की है। यह निश्चित रूप से इसका एक अंग है; इसमें कोई एक नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ठीक नहीं है कि एक अच्छी पड़ोसीपन की नीति के प्रति सुधार के बारे में कोई भ्रम पैदा किया जाये। क्योंकि हमने कुछ वास्तविकताओं पर ध्यान नहीं दिया है, कुछ वास्तविकताओं को पहचानने से इन्कार कर दिया है जिसे निःसंदेह बहुत से सदस्य यहां अब व्यक्त कर रहे हैं। हमारे पड़ोसियों के प्रति अच्छे पड़ोसी की यह नीति हमारे अपने राष्ट्रहित की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुस्तक हमें दी गई है, यदि आप इसे पढ़ें और भावों को समझें, तो आप समझेंगे कि नीति में गड़बड़ी है; और यहां प्रत्येक सदस्य इस बारे मे कह चुका है। स्थिति यह है कि दो निकटतम पड़ोसी, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनके साथ हमने मामलों को सुधारने की बहुत कोशिश की है, अपने शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के बारे में कठोर होते जा रहे हैं। वे कोई नरमी नहीं बरत रहे हैं। वे हमारे प्रधान मन्त्री के आकर्षण या व्यक्तिगत सम्बन्धों जो शायद वे उनके साथ रखते हैं, से भी नरमी का रवैया नहीं अपना रहे हैं। यह बेहतर है कि इसका कारण एक बार सदा के लिए मालूम कर लेना चाहिए। श्री तिवारी ने संकेत दिया था कि आश्चर्यजनक बात यह है कि इन मुद्दों

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

में से बहुत मुद्दों पर मैं उनसे सहमत हूं। इन दो देशों की समस्याओं का विश्व में असर हुआ है। यह मुख्य मुद्दा है। निसन्देह पाकिस्तान के बारे में यह इतना सुस्पष्ट है कि किसी को इस पर विस्तृत रूप से निवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जयवर्धने की सरकार के मामले में भी तथ्य यह है कि उनको अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और समर्थन मिल रहा है···

प्रो० एन० जी० रंगा : पश्चिमी और पूर्वी भी, चीन।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, जो कुछ प्रमाण हैं उनको देखते हुए आप कुछ हद तक ठीक कहते हैं। उनका समर्थन किया जा रहा है। वे अपनी स्थिति के मास्टर नहीं हैं। सदस्यों द्वारा कई तथ्य इस बारे में उद्धृत किए गए हैं कि ये शक्तियां अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका का किस प्रकार उपयोग कर रही हैं। मैं इस बारे में कुछ और छोटे-छोटे तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जयवर्धने के सुपुत्र रवि आजकल इजरायल में है। संयोग से वह श्रीलंका के राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार भी हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तमिलों के विरुद्ध पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा सेना का नेतृत्व किया था। ये बातें रिकार्ड में हैं, चाहे ये बातें हमारे समाचार पत्रों में उपलब्ध नहीं हों परन्तु यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों का अध्ययन करें तथा बी०बी०सी० आदि सुनें तो आपको बहुत-सी जानकारी प्राप्त होगी। वह इस समय इजरायल में है लेकिन वह एक मिशन पर हैं क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, यू०के०, चीन से हथियार खरीदने के लिए स्पष्टत: मुख्य बातचीत करने वाले हैं। इस तथ्य के बारे में भी कहा गया है कि जब अमरीका के सातवें जहाजी बेड़े ने कराची में लंगर डाला तो हम पूर्व में इसको देखने के आदी हो गए थे जबकि इस बार यह हमारे पश्चिमी किनारे पर दिखाई दिया। ऊपर से देखने के लिए तो यह कराची शहर में उपलब्ध मौज-मस्ती और आराम सुविधाओं का आनन्द उठाने के लिए कई हजार नौसैनिकों को दी गई साधारण अनुमति थी। कराची के नागरिकों को इसकी क्या कीमत पड़ी, मैं नहीं जानता, वह बाद में पता लगेगा। परन्तु उसी समय पाकिस्तान और चीन के नौसैनिक जहाज कोलम्बो गये थे। मैं नहीं बल्कि वह पुस्तक है जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच "बढ़ते हुए सैनिक गठ-बन्धन" के बारे में बताती है। यह साफ-साफ बताया गया है कि उनमें सैनिक गठबन्धन बढ़ रहा है। यह बहुत गम्भीर बात है जिसे थोड़े विस्तार के साथ भारत की संसद को स्पष्ट की जानी चाहिए कि किस साक्ष्य या किन तथ्यों के आधार पर भारत सरकार इस तरह का गम्भीर आरोप लगा रही है कि इन दोनों देशों के बीच सैनिक गठबन्धन बढ़ रहा है जो कि एक बहुत गम्भीर मामला है।

महोदया, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति जाओ जियांग ने कोलम्बो का दौरा किया था और यह बताया जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति जयवर्धने को कहा था कि वह वहां इसलिए आये हैं कि जो एक उपमहाद्वीपीय बड़ी शक्ति है उसके इरादों के विरुद्ध वह श्रीलंका के साथ चीनी एकता व्यक्त कर सकें (व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ कि आप श्री रंगा, मैं नहीं जानता कि क्या आप अपने आपको महा शक्ति समझते हैं···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उसका एक अंग।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ·· क्योंकि आप महाशक्ति सिद्धांत के एक उपासक हो जो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते : वह ऐश्वर्ययुक्त शक्ति है।

प्रो० एन० जी० रंगा : महाशक्ति का सिद्धांत आपसे शुरू हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीलंका के सुरक्षा मन्त्री श्री अनुलीनामुदाली ने बी०बी०सी० को एक भेंटवार्ता में बताया है कि छः महीनों के भीतर पूर्वी क्षेत्र में तमिल समस्या का समाधान हो जाएगा और उसके बाद वे जाफना के साथ निपट सकते हैं। निस्सन्देह कल की समाचारपत्र रिपोर्ट में आपने देखा है कि वित्त मन्त्री श्री रोनी डे मेल ने विद्रोही तमिल सैनिकों से मुकाबला लेने के लिए इस वर्ष रक्षा व्यय हेतु दस करोड़ डालर अधिक आवंटित करने की घोषणा की है। अतः मैं सरकार को तो इसके लिए दोष नहीं देता परन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कुछ शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने की कोशिश में कुछ बातचीत आदि के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। लेकिन ईश्वर की खातिर इस सबके बारे में भ्रम मत फैलाइए। भारत की तुलना में श्रीलंका छोटा देश है। यह सच है लेकिन इसके पीछे महा-शक्तियां खड़ी हैं जो श्रीलंका का अपने प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रही हैं और अब उस अभागे द्वीप में और अधिक हलचल होगी उतनी अधिक हत्याएं होंगी तथा जनसंहार जारी रहेगा क्योंकि शायद बाहरी ताकतों के लिए स्पष्ट कारणों से उस द्वीप में अपना पैर जमाना आसान होगा। अतः हमारे लिए केवल श्री जयवर्धने ही समस्या नहीं हैं बल्कि अन्य शक्तियां भी हमारे समुद्र तट के निकट हमारे पड़ोसी का स्थान ले लेंगे। समस्या बन सकती है। अधिक अच्छा होगा कि हम इस बारे में साफ-साफ बात करें। मेरी राय में हम यह पर्याप्त रूप से नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग में भी हमें कोई जवाब नहीं प्राप्त हो सका है। ऐसा क्यों है ? हम इस विषय पर अलग क्यों हैं ? श्रीलंका में तमिलों के इस हत्या के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में हमारे हितों के लिए कोई बात नहीं करता। हमें इस गुटनिरपेक्ष भाईचारे का बहुत गर्व है जिसके हम नेता आदि हैं, मैं समझता हूं कि आज यह विश्व में एक बड़ी शक्ति है परन्तु हमारी कूटनीतिज्ञता कहां है तथा हमारी कुशलता कहां है जिसका प्रयोग कर हम कम से कम इस विषय पर अपनी ओर से बोलने वाले जुटा सकें। यह तभी हो सकता है जब ये गुटनिरपेक्ष देश यह महसूस करें कि इन सब बातों के पीछे असली खेल क्या खेला जा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से इस क्षेत्र के गुटनिरपेक्ष देश इस तथ्य से बहुत खुश नहीं है कि हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र को बनाने में अनिश्चित समय का विलम्ब किया जा रहा है। वे इसे उतना ही चाहते हैं जितना कि हम। परन्तु क्या वे समझते हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है ? वे दियागो गार्शिया को भली-भांति समझते हैं। परन्तु क्या वे जानते हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है ? श्रीलंका की भूमि पर कल दूसरा दियागो गार्शिया बन सकता है। क्या वे कराची में में सातवें बेड़े की मौजूदगी के अर्थ को समझते हैं ? अतः हमें कुछ अधिक सक्रिय कूटनीतिक अभियान चलाना होगा, मैं तो कहूंगा कि कुछ लाबिंग करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इस तरह का काम नहीं जैसाकि पिछले वर्ष थिम्पू सम्मेलन के समय किया गया वहां आपने इस तरह का उल्लासोन्माद

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

का वातावरण पैदा किया है जैसे कि आपके आश्चर्यचकित व्यक्तित्व और आकर्षण आदि के कारण हमारे रास्ते से चीजें आ जा रही हैं। इसलिए आज बहुत से लोग निराश हो गए हैं और यह नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है और हम अचानक इस स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं। अतः महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साथ चालबाजी बढ़कर की जा रही है। यह गम्भीर बात है। मैं इस सरकार की सामान्य नीति का समर्थन कर सकता हूं परन्तु मैं असंगत, कमजोरी, अनिश्चय तथा विरोधाभास का समर्थन नहीं कर सकता जो हमारे देश के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं।

पाकिस्तान के बारे में, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इस बारे में बहुत अधिक कहा जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में इस बातचीत के बारे में भी जो हमारे प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति जिया के बीच हुई थी, यह कहा गया था कि एक दूसरे देश के नाभिकीय संस्थानों पर हमला न करने का समझौता हो गया है। उसको अब क्या हुआ है? कोई समझौता नहीं हो पाया है। कागजात पर कुछ नहीं लिखा गया है। किसी बात पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं क्योंकि बाद में पाकिस्तान ने दबाव डाला है कि इस समझौते को उस अनाक्रमण संधि का अंग बनाया जाना चाहिए जिसका उन्होंने प्रस्ताव किया है। अतः उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है क्योंकि किनके शब्दों पर आप विश्वास करेंगे। परन्तु जो कुछ भी है, वास्तविकता में कुछ नहीं है। अतः यदि आप मुझसे वास्तव में पूछें कि इसका समाधान क्या है, तो मैं आपको एक शब्द में नहीं बता सकता। स्पष्ट है कि हम श्रीलंका में सैनिक हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। मुझे आशा है कि हम श्रीलंका के साथ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत विनाशकारी होगी। इसलिए, सैनिक हस्तक्षेप की अपेक्षा हमें राष्ट्रों के समूह के बीच अधिक पहल करनी होगी और अधिक सुनिश्चित तथा ठोस कदम उठाने होंगे। हम यही सब कुछ कर सकते हैं। इन अभागे तमिल लोगों को हर प्रकार की सहायता और राहत जो हम दे सकते हैं, दें क्योंकि ये लोग लाखों की संख्या में श्रीलंका से भागने के लिए मजबूर हुए हैं और अब इन्हें हमारी भूमि पर शरण देनी होगी। अब इस कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति जयवर्धने यह सब समझते हैं कि वहां कोई जातीय समस्या है या वह उसे समझना नहीं चाहते हैं। वह समझते हैं कि उनके लिए कोई जातीय समस्या नहीं है। उनके विचार से यह आतंकवाद का प्रश्न है जो उनके देश में शांति और कानून व्यवस्था भंग कर रहा है तथा इसलिए इसका सैनिक समाधान किया जाना चाहिए। जहां तक उनका सम्बन्ध है यह बहुत आसान बात है। इसलिए इस हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न पक्षों के पास जाना चाहिए। इसलिए इस दृष्टिकोण से वह इस समस्या को देख रहे हैं। परन्तु विश्व भर में हमारे अन्य मित्र देश कहां हैं जो हमारे दृष्टिकोण को समझें और श्रीलंका सरकार पर नैतिक, राजनैतिक और कूटनीतिक दबाव डालें? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार नैतिक दबाव में नहीं आ सकती है। अतः हम बहुत मुसीबत में हैं। मैं समझता हूं कि समस्याएं निस्सन्देह बढ़ी हैं...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदया, मैं क्या कह सकता हूं? मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं

विशेषरूप से विदेश मंत्री की टिप्पणियों के बारे में जिनमें से कुछ टिप्पणियां उन्होंने अमरीका के अपने भ्रमण के दौरान भारत-अमरीका संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक में की थीं। मैं उनसे इनके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि ये समाचार पत्रों में ठीक से प्रकाशित नहीं की गई हैं तो उन्हें साफ-साफ शब्दों में यह बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, बैठक में श्री पेट्रिक मोनियान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा किये गये मतदान रिकार्ड के बारे में पूछा और यह आरोप लगाया कि हम सोवियत संघ के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। ऐसा कहना हमारा अपमान तो है ही, इसके अलावा इस प्रकार की चीज के लिए इस तरह हमसे स्पष्टीकरण मांगने पर श्री भगत ने जो कहा है वह समाचार पत्रों के अनुसार यह है कि वह रिकार्ड की जांच करेंगे। उन्हें रिकार्ड की जांच क्यों करनी चाहिए ? हम किसी के नौकर नहीं हैं। हम अपनी इच्छानुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री मोनियान या किसी और का यह काम नहीं है कि वह हमसे स्पष्टीकरण मांगे। स्वतंत्र स्वाभिमानी देश के नाते हमें किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना है, चाहे श्री भगत वहां 5,000 लाख डालर मूल्यों के एक सहयोग समझौते की बातचीत करने ही गए थे। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई अपनी कार्यवाही के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा।

अफगानिस्तान के बारे में ऐसा लगता है कि इनसे प्रैस में यह पूछा गया था कि उनके विचारानुसार अफगान समस्या का क्या समाधान है। लेकिन हम इसे कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं, मेरा मतलब सरकार से है, स्थिति स्पष्ट बताने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान का फिनलैंडीकरण और आस्ट्रियायीकरण होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या ये रिपोर्टें सही हैं। ये प्रकाशित हुई हैं परन्तु इनका खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए, मुझे ये बातें उठानी होंगी। यदि फिनलैंडीकरण और आस्ट्रियाईकरण अच्छे शब्द नहीं हैं तो हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जो बिल्कुल स्पष्ट है।

समाचार पत्रों में यह भी खबर है कि श्री भगत ने जो आश्वासन दिए, हालांकि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं बल्कि सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में वे अमरीकी प्रसन्न हैं। अतः इन आश्वासनों के परिणामस्वरूप क्या अमरीकी अपनी पहली आपत्तियों और संकोच को छोड़कर हमें उस प्रकार के उपकरण और तकनीक देने के लिए सहमत हो जाएंगे जो उन्होंने हमें और किसी विकासशील देश को देने से पहले इन्कार कर दिया था। वे आश्वासन कौन से थे ? मैं जानना चाहता हूं कि वे आश्वासन कौन से थे। जहां तक रक्षा उपकरणों का सम्बन्ध है, मैं समझ सकता हूं। वे कह सकते हैं कि आजकल भारत में बहुत अधिक जासूस घूम रहे हैं और कोई भी देश अवश्य चिन्ता करेगा कि रामस्वरूप आदि जैसे जासूस इस प्रकार की रक्षा सम्बन्धी गोपनीय बातों पर कब्जा कर सकता है। जब कभी हम खरीदे गए उपकरणों के बारे में पूछते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि इस प्रकार की बात नहीं है। यह मौसम पर नजर डालने के लिए है या और कुछ बल्कि मौसम पर नजर डालने के लिए सुपर कम्प्यूटर्स है। वे कौन से आश्वासन दिए गए हैं जिससे अमरीकियों का हृदय अचानक द्रवित हो गया ? मैं जानना चाहता हूं।

यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि सशस्त्र सेनाओं के लिए रात्रि अवलोकन उपकरण, चश्में तथा उपकरणों की खरीद के लिए जिनकी हमारे टैंकमैन तथा पैदल सैनिकों को आवश्यकता

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

होती है जब वे रात को चलते हैं, अमरीका की इन्टरनेशनल टेलीफोन और टेलीग्राफ कम्पनी नामक प्रसिद्ध बहुदेशीय कम्पनी के साथ कुछ समझौता हुआ है, जो मैं समझता हूं कि एक ऐसी कम्पनी है जिसका संदेहजनक रिकार्ड है और जो कुछ वर्ष पहले दिल्ली में सी० आई० ए० के साथ मिलकर वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति एलेण्डे की सरकार का तख्ता पलटने में सहायक रही है। यह आई० टी० सी० थी जिसके नीच कार्य प्रकाश में आए हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आप उनसे साधारणत: उपकरण खरीद रहे हैं या आप उन्हें यहां किन्हीं प्रकार की सुविधाओं को स्थापित करने को ला रहे हैं, या आप क्या करना चाहते हैं। परन्तु मैं कहता हूं कि चौकस रहिए। इन लोगों से सावधान रहिए। अन्यथा जब इतना अधिक झटका दिया गया है तो आपकी विदेश नीति अपने आप उलट जाएगी क्योंकि इस तरह की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के लिए आप अब अधिक द्वार खोल रहे हैं।

असंगतियों के बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम हमेशा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का और नियमित रूप से अटल विरोध प्रकट करते रहते हैं तथा प्रीटोरिया में उसे जातीय शासन के साथ सभी सम्बन्धों को पूर्ण रूप से तोड़ने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि समूचा देश सरकार के इस रवैये का समर्थन करता है।

मेरे पास एक व्यापारिक पत्रिका में प्रकाशित फोटो समेत ऐसे दस्तावेज हैं, जिससे पता चलता है कि आपको इस बात की जानकारी है कि हीरों का व्यापार करने वाले बम्बई के दो व्यापारी श्री मधु कांत चुकनवाला और डा० एच० जे० मोदी ने प्रथम भारतीय व्यापारी दल के रूप में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया है। वहां (दक्षिण अफ्रीका) पर हीरों की खानों और हीरों को काटने का समृद्ध व्यापार पनप रहा है। वे वहां कैसे पहुंचे, वे वहां पहुंचने में कैसे सफल हुए, स्वागत समारोह के कई फोटो हैं, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रतिपक्षी व्यापारियों और मंत्रियों के साथ हुई बैठकों के फोटो आदि विद्यमान हैं। मुझे यह दस्तावेज एक दक्षिण अफ्रीकी सज्जन ने भेजे हैं—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—उन्होंने अपने पत्र के अन्त में लिखा है—'आपका विरक्त और उदास'···इस प्रकार के गुप्त समझौतों की अनुमति क्यों दी जाती है ? आर्थिक लाभ के लिए या किस कारण से ? आपको जांच करनी चाहिए कि ये बातें कई दफा कैसे घटित हो जाती हैं। कुछ सप्ताह या कुछ माह पूर्व इस आशय का समाचार था कि आर्यसमाजियों के एक प्रतिनिधि मण्डल को दक्षिण अफ्रीका जाने की अनुमति दी गई है। जब हमने इस बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत भेजा गया है क्योंकि वहां भी दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों में जो भारतीय हैं उनमें आर्यसमाज सक्रिय है। क्या इसका मतलब यह है कि सांस्कृतिक समझौते रंगभेद नीति अपनाने वाले शासन के अन्तगत नहीं आते ? इसका क्या मतलब है ? मैं समझ नहीं पाया। अगर हमें अफ्रीकी जनता और दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, बल्कि उस सारे महाद्वीप में अपनी साख बनाये रखनी है, तो इस प्रकार की भूलों का समाप्त करना होगा। मैं नहीं जानता इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कागजात मंत्री महोदय को देने को तैयार हूं। उन्हें जांच करनी चाहिए कि इन लोगों को वहां जाने की कैसे अनुमति मिली और इससे विश्व में हमारे विरोधियों को बोलने का मौका मिलता है। मैं जानता हूं कि सरकार पूर्णत:

इस रंगभेद नीति की विरोधी है। अतः उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सारा सरकारी तंत्र ठीक ढंग से कार्य करे और इस प्रकार की कार्यवाही पुनः न हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस देश में पैसे से कुछ भी कमाया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर भाग में भ्रष्टाचार जड़ जमाये हुए है।

अतः मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जहां तक श्रीलंका और पाकिस्तान का प्रश्न है, उनके साथ अपने सम्बन्धों के बारे में हमें नये सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि अब एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इन दोनों देशों से कैसे निपटा जाए। और इनके मामले में कैसे हस्तक्षेप किया जाए। यदि ये दोनों देश विश्वव्यापी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, तो हमें भी विश्वव्यापी स्तर पर सामना करना चाहिए। लेकिन कम-से-कम हमें यथार्थवादी तो होना चाहिए और हमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए तथा यह आभास नहीं देना चाहिए कि कुछ अन्य ताकतों की सहायता से ये लोग जो वास्तव में कोई दूसरी चाल खेल रहे हैं। हमें उन्हें अपनी भारतीय कूटनीति और कुशलता से सद्भावना अपनाने के लिए मनाने में सफल हो गए हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : मुझे खुशी है कि मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। मैं विदेशी मामलों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं इस विषय पर दोनों पक्षों के सदस्यों का वाद-विवाद सुनता रहा हूं और मुझे गहरा संतोष है कि जहां तक भारत की विदेश नीति आधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, उस बारे में कोई मतभेद नहीं है।

स्वाधीनता-संग्राम के दौरान भी हमारे पूर्वजों ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर लम्बी चर्चा की की। भारतीय विदेश नीति के कर्णधार, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीसरे दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विदेश नीति के बारे में स्पष्ट रूपरेखा सामने रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई और अपनाई गई विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। पिछले 38 वर्षों से अपनाई जा रही हमारी विदेश नीति की प्रशंसा सरकार के विरोधियों द्वारा भी संसद में और उसके बाहर बराबर की जाती रही है। फासिस्टवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद नीति के विरुद्ध हम जो संघर्ष कर रहे हैं, उसकी ओर विश्व की जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

नव-साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारे वर्तमान संघर्ष को सारे विश्व से समर्थन प्राप्त हो रहा है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष होने के नाते हमारे माननीय प्रधान मंत्री विश्व के विभिन्न भागों में तनाव को दूर करने और शीत युद्ध को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की हमारी नीति हमेशा ही हमारे लिए सही रही है।

विदेश नीति पर बोलते हुए मेरे मन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई, वह थी अपने अच्छे पड़ोसी देशों के साथ समारे सम्बन्ध। कई वर्षों से पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध मधुर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश, जनरल जिया शासन द्वारा लुका-छिपी का खेल खेलने से स्थिति कठिन हो गई है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को हथियार देने की आड़ में अमरीकी साम्राज्यवाद पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान का हस्तक्षेप हमारे आन्तरिक मामलों में भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब की चिन्ताजनक स्थिति के अवसर पर पाकिस्तान से प्रशिक्षित उग्रवादी भारत आ रहे है और अमरीका द्वारा सप्लाई किये गये अत्या-

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

घुनिक हथियार दिये जा रहे हैं। पंजाब में इन उग्रवादियों द्वारा की जा रही तोड़-फोड़ और हत्याओं की घटनाओं के पीछे पाकिस्तान और अमरीका का तालमेल स्पष्ट नजर आता है। हमने कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ आपसी बातचीत की है। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे इस अनुरोध को नहीं माना है कि इस क्षेत्र में उग्रवादियों को सहायता और हथियार न दिये जाएं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में हथियारो का जो अम्बार जमा होता जा रहा है उसका दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारे रक्षा खर्च में वृद्धि होगी। हम शिमला समझौते को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं। लेकिन जनरल जिया सरकार के कुछ जिम्मेदार मन्त्रियों और पाकिस्तान में कुछ अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों से, स्थिति खराब हुई है। हम जानते हैं कि यह वक्तव्य जम्मू और काश्मीर राज्य और भारत में कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में है। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा तैयार आधार पर ही इन्हें जारी किया जा रहा है। कराची सागर में सातवें बेड़े की मौजूदगी से इस तथ्य को बल मिलता है। इस सम्मानीय सभा में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और हमारे माननीय विदेश मंत्री ने सभा में इस स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। यह महत्वपूर्ण है कि मात्र शिथिलता से विरोध करने पर स्थिति सुलझेगी नहीं।

हमें प्रभावशाली ढंग से पेश आना चाहिए और पाकिस्तान शासन से कड़ा विरोध व्यक्त करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए कि हिन्दमहासागर एक शान्ति क्षेत्र बनाया जाये।

श्रीलंका के प्रश्न पर आता हूं। हम जानते हैं कि श्रीलंका के अन्दर जो कत्लेआम चल रहा है, आधुनिक इतिहास में उसके बहुत कम उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि 1,24,000 से ज्यादा शरणार्थी भारत पहुंच चुके हैं और इससे भारत में एक खतरनाक स्थिति हो गई है। इसने हमारे देश के लोगों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक समस्या पैदा कर दी है।

प्रतिवेदनों के अनुसार जो उपलब्ध हैं, श्रीलंका इजरायल के साथ-साथ ब्रिटेन से भी सहायता प्राप्त कर रहा है। वैसे भी, वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों से अधिकतम सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कुछ मिनट पहले माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने श्री जयवर्धने के पुत्र द्वारा इजराइल की यात्रा करने की चर्चा की है। उसकी यात्रा आकस्मिक नहीं है, उसकी यात्रा श्रीलंका को इजरायल से हथियार देने से जुड़ी हुई है।

3.00 म० प०

हिन्दमहासागर महाशक्तियों के बल परीक्षण का एक अखाड़ा बन गया है। हिन्दमहासागर में विदेशी सैन्य उपस्थिति न सिर्फ भारत के लिए खतरा है बल्कि विश्व भर के सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों के लिए भी। एंग्लो-अमेरिकन गुट दियागोगर्सिया पर केन्द्रीयकरण कर रहा है और उनका प्रभाव स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में यह मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार को खुल कर सामने आना चाहिए और तटीय राष्ट्रों की एक आपाती बैठक बुलाने की कोशिश करनी चाहिए और देखे कि ये तटीय देश

विश्व की बड़ी ताकतों के साथ गुट न बनायें।

बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्ध उस देश की आजादी से लेकर मैत्रीपूर्ण रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश रास्ते में कुछ धक्के व रुकावटें पैदा हो गई हैं। सार्क के गठन के बाद, हमें आशा है कि हम अपने सम्बन्ध उस देश के साथ सुधार सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे सम्बन्ध सार्क के तीन सदस्य देशों नेपाल, भूटान तथा मालदीव के साथ मैत्रीपूर्ण हैं और हमें देखना चाहिए कि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हमेशा बने रहने चाहिए।

चीन के साथ हमारा सीमा विवाद भुला दिया गया लगता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, किसी को भी यह उक्ति स्मरण हो आती है, "चीन एक सोया हुआ दैत्य है।" इसके अलावा, नवीनतम राजनैतिक विकास, अमेरिका और चीन में सम्बन्ध, चीन और पाकिस्तान में सम्बन्ध और चीन तथा श्रीलंका के बीच सम्बन्धों को गम्भीर रूप से लेना चाहिए। चीन के उभरते हुए खतरे का यह एक संकेत है।

जहां तक अफगान समस्या का सवाल है भारत राजनैतिक समाधान के लिए दृढ़ है। दुर्भाग्यवश, हमारे निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद, हम अफगान समस्या का राजनैतिक समाधान नहीं ढूंढ़ सके। अफगानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं और उस देश के साथ हम अपने सम्बन्ध सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका में लाखों काले लोग जातीय पृथक्करण से मुक्ति पाने के लिए लड़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत हमेशा विश्व के उन लोगों के साथ रहा है, जो मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे दक्षिण अफ्रीका के इन लोगों के साथ हमें अपने समर्थन की अभिव्यक्ति करनी चाहिए।

3.03 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

अफ्रीका और लातीनी अमेरिका एक नई आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में हमारे देश को आगे आना चाहिये और अपनी सहायता का वचन देना चाहिये। हमें लातिनी अमेरिका और अफ्रीका के उन लोगों का अवश्य साथ देना चाहिये जो एक नई आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

भारत पेचीदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में तीसरी दुनियां के देशों, जिनकी सार्थकता अभी सिद्ध होनी है, के प्रवक्ता के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अन्त में, मैं अनुरोध करता हूं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन व शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के झंडे को ऊंचा पकड़े रखते हुए हमें यह देखना चाहिये कि हम विश्व के समाजवादी देशों के साथ हैं, विशेषतया

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

सोवियत संघ के साथ, जो विपत्तियों और तनावों में हमेशा हमारे पीछे खड़ा रहा है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, विदेश मन्त्रालय की अनुदान की मांग का समर्थन करते हुए, गुट-निरपेक्षता की उस नीति को जारी रखने के लिए सरकार को बधाई देने में मैं अपने प्रतिष्ठित साथियों और दोस्तों के साथ हूं जिसकी नींव सबसे पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने युगोस्लाविया के स्वर्गीय मार्शल टीटो एवं मिश्र के राष्ट्रपति श्री नासिर के साथ मिलकर रखी थी : तब से स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में नि:सन्देह अल्पकाल के लिए, और फिर हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी द्वारा बहुत से वर्षों तक (13 से 14 वर्षों तक) और अब श्री राजीव गांधी के युवा एवं प्रगतिशील नेतृत्व में हमारे नेता हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वर्तमान और पूर्व नेताओं के प्रयत्नों से गुट-निरपेक्ष आंदोलन का बहुमुखी विकास हुआ है और आज सौ देशों से अधिक देश इसके साथ जुड़े हैं। गुट-निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे प्रयत्न जारी रहने चाहिये। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने के प्रयत्नों में हम अपने हितों एवं विभिन्न राजनैतिक सम्बन्धों को अनदेखा कर दें जो हमारे विरुद्ध हमारे अपने क्षेत्र में पनप रहे हैं। उदाहरण स्वरूप चीन-पाक सम्बंधों, पाक-श्रीलंका सम्बन्धो, चीन.बंगलादेश सम्बन्धों तथा चीन-श्रीलंका सम्बन्धों को लीजिये। इन सभी का इरादा हमारे देश को एक उलझन पूर्ण स्थिति में डालना है। इन सभी सम्बन्धों के पीछे कुछ पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों का हाथ स्पष्टरूप से दिखायी देता है।

ऐसी स्थिति में हमारे प्रयत्न हमारी सीमाओं से सम्बन्धित समस्या को सुलझाने के लिये होने चाहिये। हमें यह अवश्य देखना चाहिये। कि हम अपने पड़ोसियों से अपने सम्बन्ध किस प्रकार सुधार सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूं और मैं महसूस करता हूं कि हमें अपनी मुख्य समस्या – चीन के साथ सीमा-विवाद और तथाकथित आजाद काश्मीर क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिपत्य को हल करना है।

समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार, मेरे विचार में हम चीन के साथ सीमा सम्बन्धी मामले पर वार्ता के छः दौर पूरे कर चुके हैं। और इन्हीं खबरों के अनुसार चीन ने एकमुश्त समझौते का सुझाव दिया है, उदाहरणतया, भारत अरुणाचल पर अपना अधिकार रखेगा। और चीन पश्चिमी क्षेत्र यानि जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के अकसाईचिन क्षेत्र पर अपना अधिपत्य रखेगा।

श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख क्षेत्र में 37000 वर्ग कि० मी० से अधिक क्षेत्र अनाधिकृत रूप से चीन के कब्जे में है। भारत ने क्षेत्रवार योजना के अन्तर्गत विवाद को हल करने की पेशकश की है। प्रारम्भ में चीन ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था परन्तु बाद में इस पेशकश को एक शर्त के साथ मान लिया था कि यदि क्षेत्रवार योजना द्वारा किसी समझौते पर पहुंचा जाता है तो यह सीमा विवाद के व्यापक समाधान का एक अंग होना चाहिये।

मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि चीन अकसाईचिन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अकसाईचिन

तिब्बत क्षेत्र, जो वर्तमान में उनके कब्जे में हैं, को चीन द्वारा सामान सप्लाई करने के लिए जीवन रेखा है। अतः मैं नहीं समझता कि वे अकसाईचिन को छोड़ने के लिए सहमत हो जाएंगे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ देना चाहिये। क्या यह सम्भव नहीं है कि आप चीन के साथ अकसाईचिन के बदले पश्चिमी तिब्बत अर्थात सिन्ध नदी का पश्चिमी क्षेत्र जो कैलाश मानसरोवर से लद्दाख में दामचेक तक हैं, के तबादले के लिए बातचीत प्रारम्भ करें? यह क्षेत्र कुछ शताब्दियों पूर्व लद्दाख राज्य का एक भाग होता था परन्तु 17 वीं सदी में किसी समझौते के अन्तर्गत तिब्बत में चला गया। चूंकि मेरे हिस्से में अधिक समय नहीं है मेरे विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु यदि चीन इस क्षेत्र के साथ उसके अनाधिकृत अधिपत्य में क्षेत्र अकसाईचिन से तबादला करने के लिए तैयार हो जाता है तो मेरे विचार में यह दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा। यह मेरा विचार है। यह क्षेत्र ठीक भारत-नेपाल-तिब्बत त्रिसंधिस्थान से लद्दाख में दमचेक तक है। यह क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लगभग अकसाईचिन के बराबर है। मेरे विचार में यदि चीन इसके लिए सहमत हो जाता है तो यह दोनों देशों के लिए बहुत लाभकारी होगा। यह मात्र एक सुझाव है मेरे विचार में सरकार को चीनी अधिकारियों से जब वह इनसे मिले इन सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये।

श्रीमान जी, पाकिस्तान के साथ झगड़ा ही कश्मीर है। मैं जो महसूस करता हूं वह यह है कि इस विवाद का हमें शिमला समझौते की भावना के अन्तर्गत द्विपक्षीय तरीके से समाधान कर देना चाहिए, ताकि दोनों देश एक साथ बैठकर विवादों पर इस ढंग से बातचीत कर सकें कि समाधान खोजा जा सके। मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि भारत को वर्तमान वास्तविक नियन्त्रण रेखा को यहां-वहां किंचित सामंजस्य के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थाई सीमा के रूप में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। यह फिर मेरी व्यक्तिगत राय है। पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका से हम कब तक लड़ते रहेंगे। मेरी धारणा है कि सरकार श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इन सब बातों का निपटारा कर सकती है। उनको जनादेश प्राप्त है और इस समस्या को दृढ़तापूर्वक एवं अधिकारपूर्ण ढंग से निपटाने की स्थिति में हैं। यह मेरा सुझाव है। सरकार को इसकी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए।

अब मैं चीन और पाकिस्तान के बीच राजनैतिक सम्बन्धों पर वापस आता हूं। चीन पाकिस्तान को हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान को सैनिक सामान, एस०एस०जी० कमांडो सेना प्रशिक्षण और परमाणु जानकारी दे रहा है। निस्सन्देह, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर यह खेल खेल रहे हैं और इस क्षण इस समस्या का सामना हम पंजाब व काश्मीर दोनों जगहों पर कर रहे हैं। अतः हमें भी इसी प्रकार की कार्यवाही के बारे में विचार करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अन्यत्र कुछ गुरिल्लों को प्रशिक्षण देना चाहिए। नहीं। क्या यह सम्भव नहीं है कि हम वियतनाम और कम्पूचिया को अधिक आर्थिक सहायता दें। वियतनाम ही ऐसा देश है जो चीनियों की कमर तोड़ सकता है, जो पहले वे कई बार सिद्ध कर चुके हैं। निःसन्देह उनको तोपों एवं गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनको कृषि क्षेत्र में सहायता चाहिए, उनको डेयरी विकास में सहायता चाहिए, उनको वस्त्र उद्योग में सहायता चाहिए और उनको रेलवे चल स्टाक में सहायता चाहिए। इसी तरह, हमारा देश ही है

[श्री पी० नामग्याल]

जिसने कम्पूचिया को मान्यता प्रदान की है। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि हम गुटनिरपेक्ष देशों को मान्यता देने के लिए मनाने में असफल रहे हैं। मेरे विचार में हमें प्रयत्न करने चाहिएं और अपने मित्र देशों को कम्पूचिया के बारे में अपनी स्थिति से अवगत करा देना चाहिए। कम्पूचिया पॉल-पॉट नामक शासन का शिकार रहा है। कुछ अनुमान के अनुसार पॉल-पॉट शासन के तीन सालों 1975-1979 के बीच 4.4 लाख से अधिक लोग, जो अधिकांशत: बुद्धिजीवी थे और जो कोई निठल्ला लगा, मार दिये गये थे।

अत: श्रीमान जी, उस देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए हमें आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के सम्पूर्ण राजनैतिक समाधान के लिए वे भी कुछ सहयोग कर सकें और सीमा विवादों के निपटारे में भी सहयोग कर सकें। यदि वे दबाव डाल रहे हैं तो हमें भी दूसरे साधनों से दबाव डालना चाहिए।

श्रीलंका के बारे में इस सम्मानित सभा के दोनों पक्षों के बहुत से प्रतिष्ठित माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री श्री के० आर० नारायणन अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। उस देश में शत्रुता केवल एक राजनैतिक समाधान द्वारा ही समाप्त हो सकती है और भारत को शत्रुता को समाप्त करके समस्या के समाधान हेतु अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें दोनों पक्षों को इस मामले पर आमने-सामने लाकर बातचीत कराने का प्रयत्न करना चाहिए और टकराव द्वारा नहीं। मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हूं जैसा कि उन्होंने सही उल्लेख किया है कि श्रीलंका भी आतंकवादी समस्या का इसी तरह से सामना कर रहा है जैसा कि हम पंजाब और अन्य स्थान पर कर रहे हैं। हमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के साथ-साथ दोनों ग्रुपों के समक्ष अपने विचारों को स्पष्ट करके सौहार्दपूर्ण ढंग से उस विषय का समाधान करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए और उन्हें आमने-सामने सभा में लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस विषय के लिए दिया गया समय व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया है। अभी भी दस माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और फिर उसके बाद मन्त्री जी को भी उत्तर देना होगा। मैं माननीय सदस्यों से संक्षेप में बोलने तथा केवल 5 मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री उन्नीकृष्णन।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (वडागरा) : सभापति महोदय, एक वर्ष में केवल यही अवसर होता है कि हमें इस मन्त्रालय पर बोलने का अवसर मिलता है। किसी को यह कहना कि पांच मिनट

के भीतर अपनी बात समाप्त करें, उचित नहीं होगा।

महोदय, मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा के अलावा यह हमें विदेश नीति उसमें निर्धारित विभिन्न मुद्दों, प्रक्रियाओं और कूटनीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने का मौका मिलता है। इस वर्ष इस वाद-विवाद का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण तथा दिलचस्प हैं। हम यह चर्चा उस समय कर रहे हैं जब चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त करने से उत्पन्न चमक-दमक काफी धीमी पड़ गई है और शोर-शराबा कम हो गया है। यह इस प्रकार से है जैसा रोमांस तथा हनीमून समाप्त हो गया है तथा इतिहास शुरू हुआ है। इस तरह की स्थिति में आप अस्पष्ट साधारण नीतियों के स्थान पर अपनी विशिष्ट तथा ठोस उपलब्धियों के आधार पर करेंगे और आप किस प्रकार से महत्वपूर्ण संगत तथा हमारे राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध विषयों पर कैसे निर्णय लेते हैं।

हमारी विदेश नीति उसी प्रकार से है जैसे यह पहले थी। जिसमें गुटनिरपेक्ष और शांति के सिद्धांत हैं, जो इसमें अनिवार्य है और इसमें अपने राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाए बिना जो भी सत्ता में हो परिवर्तन नहीं कर सकता। परन्तु मैं अपने कर्तव्य में असफल रहूंगा यदि मैं इसका उल्लेख नहीं करता जबकि विदेश नीति के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी इसमें कुछ परिवर्तन और अन्तर है कुछ चमत्कारिक दिखाने की आशा में तथा नेता की नई छवि उभारने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। इसका सबसे अधिक ठोस प्रकटीकरण श्रीलंका में संकट से निबटने में हुआ है। श्रीलंका के मूल लोगों के साथ और तमिलनाडु तथा केरल के लोगों के साथ कुछ असंदिग्ध ऐतिहासिक सम्बन्ध है। इन सम्बन्धों से इन्कार करना इतिहास तथा तथ्यों से विरोध करना होगा। इसलिए जब श्रीलंका के तमिल लोगों के विनाश तथा हत्या का प्रयास किया जाता है तो मानव अधिकारों का विषय है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग जैसे विश्व मंचों पर उठाना चाहिए। हम इस समस्या की अनदेखी अपने हित को नुकसान पहुंचाकर ही कर सकते हैं। यह सुझाव नहीं देना है कि यह एक समस्या है जो अपने आपको आसान समाधान देती है। यह केवल हमारे अपने मूल सम्बन्धों पर जोर देना है—मैं दोहराता हूं—सिलोन के तमिलों को नष्ट-विनाश करने की दिशा में अभूतपूर्व खतरा पैदा हुआ है। आप यह कहकर इस वास्तविकता से नहीं भाग सकते कि यह छोटे पड़ोसी देश का घरेलू मामला है। अपने विश्वव्यापी हितों में वृद्धि के लिए अमरीकी राजनीति के हस्तक्षेप तथा उन पर आश्रित सरकारों को समर्थन देने का भी परिणाम है इसलिए श्रीलंका का संकट हमारे विदेश नीति के महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमारे से शुरू हुआ जिसने हम पर अनेक प्रकार से प्रभाव डाला। बहुत दुःख से और मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूं कि इसे बहुत अधिक अप्रेरक तथा अपूर्ण ढंग से निपटाया गया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे अतिभावुकता-पूर्ण ढंग से भी किया गया है। हमने तमिल उग्रवादी ग्रुपों को थिम्पू आने के लिए विवश किया इससे केवल यही हुआ कि तमिलों के जान माल पर अधिक भयंकर प्रहार किये गये हैं और उग्रवादी ग्रुप का रुख और कड़ा हो गया। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि हमने अपनी कूटनीति निपुणता में कोई नया आयाम नहीं जोड़ा है साथ ही अपने लिए भी रास्ते बन्द कर लिए हैं और ऐसी स्थिति पर आए हैं जिसमें से निकलना हमें कठिन लग रहा है। इस समस्या को हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम करने की नीति के साथ बिना वजह ही मिला दिया गया है। अच्छे पड़ोसी ? जी हां। परन्तु किस प्रकार ? जब जनता शासनकाल के दौरान इसे सामने लाया गया था। मैं इस सदन में उन लोगों

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्]

में से एक हूं जिन्होंने इस नीति के उलझाव के बारे में चेतावनी दी थी।

दक्षिण एशिया के देश न केवल भौगोलिक रूप से निकट हैं और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के साथ बंधे बल्कि साम्राज्यवाद के अन्तर्गत हमारे समान अनुभव भी रहे हैं और कई खड़न तथा कारणों के बावजूद जो अन्तर पैदा करते है यह महत्वपूर्ण है कि हमें एक सामान्य प्रयोजन और सूझबूझ तथा सापेक्ष महत्व को प्रस्तुत करें। परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में मानवता का छठा भाग रहता है और हमारा अपना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है तथा मुझे यह कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है कि इसकी विश्वव्यापी भूमिका है तथा इसका महत्व कम नहीं समझा जा सकता। प्रभावी भूमिका के लिए यह कोई तर्क नहीं है या हमारे पड़ोसियों पर प्रभुत्व जमाने के लिए कोई सफाई नहीं है। साम्राज्यवादी और नव उपनिवेशवादी देशों द्वारा प्रेरित इस क्षेत्र में कार्य पर राष्ट्रीय पहचान तथा शक्तियों के बहुत अधिक जटिल कारणों के लिए दक्षिण एशिया सहयोग की जटिल समस्या का समाधान हम अपनी राजनयिक सूझबूझ और संयम के साथ ही कर सकते हैं इसलिए हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों को, चाहे यह श्रीलंका या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश समझना होगा और केवल इस संदर्भ में विचार करना होगा।

महोदय, "दिल्ली को हिरोशिमा नहीं बनने देंगे" और "पड़ोसी देश द्वारा परमाणु बम प्राप्त करने से खतरा" आदि जैसी टिप्पणियों या मनोभाव के साथ श्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान के बारे में शुरुआत की। कूटनीति में हमेशा बहादुरी का प्रदर्शन नहीं होता और हमारे विदेशी सम्बन्धों के संचालन करने का यह खतरनाक तरीका है। विगत समय में भारत ने चीन के परमाणु परीक्षण या क्षमता पर कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए हमारे परमाणु कार्यक्रम के लिए इसने हमें केवल हमारी कोशिशों के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान द्वारा परमाणु क्लब में भद्दे ढंग से प्रवेश करने के परिणामस्वरूप चेतावनी या दहशत का वातावरण नहीं होना चाहिए। पिछले 30 वर्षों से हमारे लोगों के विचारों को जिस प्रकार धैर्यपूर्वक गढ़ा गया है, उसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ना चाहिये हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि पाकिस्तान की उस नीति की जड़ तक पहुंचा जाये जो वह अमरीका से अत्याधुनिक सैनिक साज-सामान प्राप्त करने के लिए अपनाए हुए है। इस सम्बन्ध में, मैं सदन का ध्यान हाल ही में जहां तेहरान में अमरीकी दूतावास के अभिलेखागार से ईरान के प्राधिकारियों द्वारा प्रकाशित कुछ दस्तावेजों की ओर दिलाता हूं जिनमें ईरान के क्रांतिकारी गार्ड द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों से जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, विमानों सहित अत्याधुनिक अमरीकी सैनिक साज-सामान को प्राप्त करने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश का पता चलता जिसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि उनसे भारत के विरुद्ध उपयोग करने के लिए— अमरीका से भारी साज-सामान प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का पता चलता है। काबुल में रूसी सेना से बहुत पहले पहुंचने से यह बहुत पहले की बात है।

संयुक्त राज्य अमरीका प्रशासन का जवाब यह बहाना बनाना रहा है कि वह पाकिस्तान को

परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने और शासन को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। अत: संयुक्त राज्य अमरीका उपमहाद्वीप की परमाणु शक्ति पर वादविवाद बड़े जोरों से जारी रखना चाहता है और यह मुद्दा इस देश को विशेषकर सरकारी स्तर पर वादविवाद में शामिल नहीं किया जा रहा है।

राजीव गांधी की विदेश नीति के दूसरे चरण की शुरूआत 17 दिसम्बर को राष्ट्रपति जिया के साथ किए गये करार के साथ हुई जोकि एक बहुत ही नाटकीय बात थी। इसे इस प्रकार से दिखाया गया था कि जैसे कोई नयी बात हुई हो। क्या यह पुनरावृत्ति आवश्यक थी? 1972 में शिमला समझौता हमारे सम्बन्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जिसे बड़े ध्यान से तैयार किया गया था; परन्तु यह पाकिस्तान ही है जो इस समझौते की भावना व शर्तों से दूर भागता रहा है चाहे वह काश्मीर की बात हो या खालिस्तानी कैम्प की। अत: हमारे लिए संयुक्त राज्य अमरीका की पूर्ण भागिता, इसके हितों और दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को अधिक टकराव की तरफ धकेलने की कूटनीति को समझना महत्वपूर्ण है।

सीधी सी बात यह है कि यह एक सैनिक औद्योगिक समूह है और कुलीनतंत्र है जो वाशिंगटन में निर्णय लेने वालों को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में, अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में—दक्षिण एशिया या लैटिन अमरीका या हिन्द महासागर क्षेत्र में उनकी कार्य नीति में पहल क्या हो इसके लिए यही प्रेरणास्रोत है।

महोदय, हमारे दिमाग में यह भी बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे अस्तित्व का प्रमुख तथ्य यह है कि हमारे इतिहास के इस चरण में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय हित एक दूसरे के विपरीत हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक लम्बी अवधि का संघर्ष है जो दो बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता से अधिक मौलिक बात है। विश्व संसाधनों का अधिकांश प्रतिशत भाग विकसित राष्ट्रों द्वारा उपभोग किया जाता है जो पश्चिमी देशों तथा जापान की शिष्टोक्ति है। इसके उत्तर में विकासशील राष्ट्रों का जवाब केवल नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष हो सकता है। अगर इस मूल बात को हमने अपनी गुट-निरपेक्ष नीति में शामिल नहीं किया तो इसकी गुट-निरपेक्षता नहीं रहेगी, गुट-निरपेक्षता चालाकी अथवा तटस्थता को बराबर करना नहीं है बल्कि केवल गुट-निरपेक्ष नीति में साम्राज्यवाद विरोधी बातें होती हैं तथा नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ना इसकी मूल बात होती है अथवा इसका प्रमुख जोर हमारे हितों के लिए संगत और सार्थक होगा। इस संदर्भ में, मैं सभा का ध्यान एक अजीब बात की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कुछ समय पहले ही घटित हुई है। संयुक्त राज्य अमरीका के सीनेटर चार्ल्स पर्सी कुछ माह पहले यहां आये थे। उन्हें भारत का एक अच्छा मित्र माना जाता है और इसलिए यह कहा गया है। मैं भी उनसे मिला था। समझा जाता है कि उन्होंने इस सरकार से एक नये तिलहन का प्रयोग शुरू करने के लिए कहा है, क्या हमें एक तिलहन कार्यक्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि तिलहनों की कमी है। उन्होंने एक तिलहन का विकास किया है जिसे 'हैलोफाइट' के नाम से जाना जाता है या इसका कोई भी नाम हो। महोदय, इसके लिए पैसा चाहिए। यह कहा जाता है कि यह बिलियन डालर का व्यापार है। यह आनुवंशिक इंजीनियरी की नयी प्रौद्योगिकी है और यह समाचार है कि कुछ फर्मों ने भारत सरकार को सुझाव दिया है, जो

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्]

सारे वर्ष हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कार्यरत हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक खोज की बात है, कि हमें इस नये तेल का आयात शुरू करना चाहिए जो पी० एल०-480 कार्यक्रम जैसी एक नयी किस्म की बात हो सकती है और बाद में भारत के क्षेत्र को इस नयी किस्म के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो खाद्य तेल का उत्पादन करके हमारी अपनी कमी को पूरा करेगा।

महोदय इस पर्ली मिशन अथवा 'मर्सी' मिशन के तथ्य क्या हैं, मैं जानना चाहता हूं और इस सरकार द्वारा यह स्पष्ट करना है कि क्या वह नई प्रौद्योगिकी के शुरू करने के नाम पर इसकी अनुमति देने जा रही है। महोदय, हमारे लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है। यह नव-उपनिवेशवाद है जो इसके पीछे कार्य कर रहा है। जैसा मैंने कहा यह वही है जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में इस नीति के एक समर्थक, एक नोटिस रैंड निगम के प्रो० गुई पौकर ने कहा, मैं उद्धृत करता हूं।

> "नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संघर्ष राजनैतिक शक्ति के पुनःवितरण की मांग है कि संयुक्त राज्य अमरीका को उन शक्तियों का गठन करना है जो विकासशील देशों से, जो औद्योगीकृत देशों के संसाधनों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमरीका के हितों के गैर-सोवियत खतरों का सामना करे।"

तेजी से शक्तियों के तैनात किये जाने के पीछे भी यही तर्क है। महोदय, हम इन तथ्यों की अनदेखी अपने को खतरे में रखकर ही कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ तिरस्कार के साथ बात करे। हम किसी को अपनी मनमर्जी करके अपनी बात मनवाने की अनुमति नहीं दे सकते। कल हमने दो कुवैती नागरिकों के प्रश्न पर चर्चा की थी जो देश में आ रहे थे जिन्हें वी० आई० पी० समझा जाता है अर्थात् वे कुवैत नागरिक जिन्हें बीजा देने से मना कर दिया गया था—मुझे पश्चिमी एशिया में हमारे दूतावास द्वारा बताया गया था। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि इस देश को कोई गो-शाला नहीं बनाया जहां पर कोई भी भटकी हुई गाय आ-जा सकती है और शरण ले सकती है। यह एक गंभीर मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि इन कुवैत नागरिकों को क्यों और किस प्रकार से बीजा देने से मना किया गया था क्योंकि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम लागू करना इस मंत्रालय के अधीन आता है।

मैं अब यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि गुट-निरपेक्ष और शान्ति का अनुसरण करते हुए, भारत को निरस्त्रीकरण पर फिर से जोर डालने तथा उस पर फिर से सक्रिय होने की भूमिका निभानी चाहिए— एक अग्रणी भूमिका, जिसे जवाहरलाल नेहरू तथा स्वर्गीय कृष्ण मैनन ने शुरू किया था। विश्व अभी भी शान्ति का इच्छुक है। हाल ही में स्वीडन के प्रधान मन्त्री ओलोफ पाल्मे जिनकी दुःखद हत्या करदी गई थी स्वयं इस लालसा के प्रतीक बन गये थे। अतः हमें इन लक्ष्यों और पहलुओं का अर्थात निरस्त्रीकरण और महासागरों को परमाणु अस्त्रों से रहित करने की जरूरत का पूरी तरह से साम्राज्यवाद-विरोधी रहते हुए तथा अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा सुरक्षा सम्बन्धी हितों का संरक्षण करते हुए पूरी शक्ति से अनुसरण करना होगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं विदेश मंत्री द्वारा इस सभा में पुरःस्थापित मांगों का समर्थन करता हूं।

संदर्भाधीन वर्ष के दौरान भारत ने शान्ति कायम करने की भूमिका जारी रखी है और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के नाते शान्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सका है।

रीगन और गोर्बाचोव के बीच शिखर वार्ता जो बहुत समय से टल रही थी, किसी निष्कर्ष पर पहुंची, और हमारे प्रतिवेदन में उद्धृत ये 11 शब्द, अर्थात्

"परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता, और इसे लड़ा नहीं जाये।"

इस तथ्य की जानकारी देते हैं कि पश्चिमी विश्व शक्तियों का परमाणु सैन्य-शक्ति से लगाव समाप्त होने वाला है, अगर शीघ्र नहीं तो कम से कम कुछ समय के पश्चात्।

संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में दिए गये प्रधान मंत्री के अभिभाषण में विश्व नेताओं को विश्व को परमाणु सैन्य बल से मुक्त करने तथा मनुष्य की सृजनात्मक प्रतिभा का उसकी समृद्धि के लिए न कि उसके विनाश के लिए प्रयोग करने सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण सलाह दी गयी थी। ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द थे और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आशा की किरण थी। यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि प्रधान मंत्री को वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस और टोक्यो में जापानी डायट को सम्बोधित करने का सम्मान दिया गया।

यह तो भारतीय विदेश नीति को पुनः सम्मान देने की बात है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को विश्व शांति और भारत ही नहीं बल्कि उपनिवेशवाद के जूए तले आजादी की मांग कर रहे अन्य देशों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए किए गये शानदार योगदान के लिए क्यूबा और वियतनाम में मरणोपरान्त सर्वोच्च पुरस्कार दिए गये।

भारत-फ्रांस सम्बन्धों को सुधारने के लिए हमारे द्वारा फ्रांस अर्थात् पेरिस में भारत उत्सव (फेस्टीवल आफ इंडिया) का आयोजन करके किये गये योगदान की ओर भी सबका ध्यान गया है। मुझे बताया गया है कि फ्रांस के देहाती इलाकों के लोग घंटों अर्थात् 6-7 या 10 घंटे बैठकर महाभारत का मंचन देख रहे हैं और अपनी गहरी रुचि का प्रदर्शन कर रहे हैं।

अमरीका में भी भारतीय महोत्सव सफल रहा है। सोवियत संघ में और उसके बाद जापान में महोत्सव आयोजित करने सम्बन्धी निर्णय भी महत्वपूर्ण निर्णय है और ये हमें विश्व के देशों के निकट लाएंगे।

वर्तमान विदेश मंत्री श्री बी० आर० भगत ने अपने राज्य मंत्री के साथ 25 सितम्बर को कार्य-भार संभाला है और वे हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप आशा के युग का सूत्रपात करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं।

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

भारत को पूर्व के साथ साथ पश्चिम का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे खुशी है कि एक ओर चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और दूसरी ओर जापान और कोरिया के साथ सम्बन्धों पर अधिक जोर देने के लिए नए आधार बने हैं।

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत और चीन के प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के समारोह के अवसर पर अक्तूबर में न्यूयार्क में मिले थे और उन्होंने परस्पर हितों के विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया था। हम इस बात के लिए बचनवद्ध हैं कि सीमा-विवाद को हल करने के लिए संबंधों को सामान्य बनाया जाना चाहिए पर यह एक लम्बी प्रक्रिया है और इसमें समझौते की जरूरत है। अब तक बातों के छः दौर हो चुके हैं और अगली वार्ता 1986 में होगी। वर्तमान सचिव श्री ए० पी० वेंकटेश्वरन्, जिन्हें चीन में राजदूत के रूप में काफी अनुभव है, के कारण भारत के लिए सम्बन्धों को सामान्य बनाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। महोदय जब हम चीन की बात करते हैं तो हमें केवल माओ-त्से तुंग के पुराने चीन का ही ध्यान रहता है। लेकिन उस चीन में तो काफी परिवर्तन आ गया है और आ रहा है। इस देश के प्रतिनिधि मंडल चीन में जा रहे हैं और चीन के प्रतिनिधि मंडल इस देश में आ रहे हैं। लेकिन यह सब सोवियत संघ के साथ हमारी मैत्री की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सोवियत संघ हमारा पुराना मित्र है और उसने जरूरत के समय हमारा साथ दिया है और क्योंकि यह संभव है और होना चाहिए तथा वांछनीय है कि हम पूर्व और पश्चिम पर विचार किए बिना मैत्री का हाथ बढ़ाएं और इसी सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में चीन के साम्यवादी दल के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि का भेजा जाना एक स्वागत योग्य कदम हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि तथा सम्बन्धों का स्वागत किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि सीमा विवाद के हल और व्यापक व्यापार और वाणिज्य जैसी अन्य समस्याओं के शीघ्र हल के लिए चीन के साथ वार्ता जारी रखी जाए।

जापान के साथ इस सम्बन्ध में हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उभर रहा है। अमरीका को महसूस हो रहा है कि 1949 में उसने सैनिक शक्ति से जापान को भले ही हरा दिया हो पर आने वाले वर्षों में वह आर्थिक रूप से जापान से हार जाएगा। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में जापान द्वारा की जा रही प्रगति बहुत रुचि का विषय होना चाहिए। अगर दोनों देशों के बीच किसी तरह का सहयोग स्थापित किया जा सके तो हमारे पास आशा का एक आधार हो जाएगा और इस संदर्भ में प्रधान मंत्री का नवम्बर-दिसम्बर माह में जापान की यात्रा बहुत महत्व रखती है। यह यात्रा जापान के प्रधान मंत्री नाकासोने द्वारा नवम्बर-दिसम्बर 1984 में भारत की यात्रा के फलस्वरूप है। इसीलिए जापानी भारत जापान के सांस्कृतिक सम्बन्धों में कुछ रुचि ले रहे हैं। प्रधान मंत्री द्वारा जापान की संसद में दिया गया भाषण एशिया के देशों के बीच सहयोग पर जोर देता है और विशेष रूप से भारत और जापान के बीच सहयोग हमारे लिए विशेष महत्व रखता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान और भारत के मध्य सहयोग के लिए एक समझौते

पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, क्योंकि 21वीं सदी की ओर बढ़ने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में खासकर दूर संचार के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखना है। हमने जापान से लगभग 100 टेलीफोन एक्सचेंज मंगाए हैं ताकि सभी राज्यों की राजधानियों जिलों में लगाने के लिए लगभग 2 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकें। हमने एक और समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं यह दोनों देशों के हित में होगा। दोनों देशों के बीच इन सम्बन्धों से हमारा व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा। हमें इन देशों के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए। अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मधुर हैं। बंगला देश के साथ हमारे सम्बन्धों का परिचय इसी से मिलता है विपत्ति के समय बंगला देश की जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री द्वारा की गई यात्रा का स्वागत किया गया है। हमारी मैत्री उन लोगों के लिये तसल्ली का एक जरिया है और वे इसका आज भी स्वागत करते हैं। ये सभी कार्य चाहे प्रधान मंत्री की भूटान यात्रा हो, जहां उनका भूटानी बौद्ध तरीके से परम्परागत ढंग से स्वागत किया गया या बंगला देश के साथ उनकी सहानुभूति हो, इस बात के प्रतीक हैं कि हमें ठोस उपलब्धि हो रही है। ये इन देशों के साथ हमारे प्रगाढ़ सम्बन्धों की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।

चूंकि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिये हमें देखना चाहिये कि इन सालों के दौरान गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा उसमें भारत के नेतृत्व का क्या ठोस योगदान रहा है।

वह समय कठिन था जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस आन्दोलन की अध्यक्षा बनी थीं। ईरान-ईराक के बीच लड़ाई जारी थी जिसके कारण ईराक में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का आयोजन नहीं किया जा सका तो भारत इस आन्दोलन के बचाव के लिए आगे आया और उसने बहुत कम समय के नोटिस पर इसका आयोजन करने की पेशकश की। मार्च, 1983 में इस सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए विश्व नेताओं ने इस सम्मेलन को आयोजित करने और आन्दोलन के आदर्शों को बनाए रखने के लिए भारत की क्षमता और बुद्धिमता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस प्रकार भारत विश्व की नजरों में ऊंचा हो गया। इसी तरह पूर्व और पश्चिम के बीच विरोध की स्थिति को समाप्त करके भारत अपनी छवि को पुनः बनाने में और पश्चिम ही नहीं बल्कि पूर्व के साथ-साथ विकासशील देशों के लिये भविष्य में आशा को बढ़ाने में सफल हुआ है। हमारे उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटारमन द्वारा बलगरिया, यूगोस्लाविया, जर्मन संघीय गणराज्य आदि जैसे पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा से वहां भारत की छवि और उभरी है। विदेश के अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा भारत की यात्रा और यहां के अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा प्रतिनिधि मंडलों द्वारा विदेशों की यात्रा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे भारत और अन्य देशों के सम्बन्ध सुधारने में काफी योगदान मिलेगा। भारत धीरे-धीरे विश्व शांति का रक्षक, विवेकशीलता का प्रवक्ता तथा समस्त मानव जाति की शांति और सम्पन्नता के लिए अग्रसर होने वाले राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : चेयरमैन सर, हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री का ईरान-ईराक वार के सिलसिले में बड़ा तामीरी रोल रहा है। साउथ-अफ्रीका में हमारी सरकार का बड़ी शिदत्त के साथ रोल रहा है कि वहां की नसली-इम्तियाज की पालिसी को खत्म कर दिया जाए। वहां के डाउनट्रोडन अपनी आजादी और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, उनकी हिमायत के लिए हमारी सरकार की कोशिशें जारी रखी जाएं। इसी तरीके से फिलिस्तीन में पी० एल० ओ० के हक में जो सरकार की मुस्तहक्म और मजबूत पालिसी रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सारी दुनिया में हमारी फारेन-पालिसी की मजमुई एतबार की सराहना की जानी चाहिए। हो सकता है, कहीं-कहीं पर इख्तलाफात हों लेकिन मजमुई एतबार है। इस ऐवान का, इस हाउस का प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों के साथ मुकम्मिल साथ है। लेकिन में समझता हूं कि सबसे बड़ी कामयाबी इस साल की यह है कि साउथ एशिया में छः देशों ने आपस में इत्तिफाक होकर संगठन बनाया और उस सिलसिले में तिजारत और लेन-देन के मामले में व मसायल को आपस में हल करने में हमारी कोशिश है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कारनामा है। इस सिलसिले में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती, इसको आगे बढ़ाना वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं जानता हूं, यूनाईटेड स्टेट्स का सातवां बहरी बेड़े का करांची जाना या इसी तरीके से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के कई मामलात में इख्तलाफात होना और बड़ी ताकतों से बराबर असलहा हासिल हो रहे हैं···आरमामेंट्स मिल रहे हैं। तो इस मुल्क में तश्वीश पैदा हो रही है।

लेकिन इन सारी बातों के बावजूद फारेन मिनिस्टर के इन अल्फाज से इत्तिफाक करता हूं कि पाकिस्तान के साथ इतने इख्तिलाफ के बावजूद वह इस मुल्क के हित में है कि हम पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और दोस्ती के बजाय और कोई रास्ता नहीं है। यह वक्त का तकाजा है कि गुफ्तो-सनीद का रास्ता हो, डायलोग का रास्ता ही वाजिब रास्ता है। इस मुल्क की पाकिस्तान के साथ चार-पांच लड़ाइयां हुई हैं। एक 1947 में और 48 में जो कि कश्मीर में हुई। दूसरी 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई। 1971 में बंगलादेश पर हमारी जंग हुई। उनके साथ कच्छ पर भी मुआज आराई हुआ। इस सब में पाकिस्तान का कितना नकसान हुआ और हमारा भी बहुत हद तक नुकसान हुआ। हमारी चाहत है, हमारी नीतियां हैं कि हमारे गरीब लोगों के विकास के रास्ते खुलें, वे आगे बढ़ाये जाएं, इस मुल्क से गुरबत का खात्मा हो। हमारे पास इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और उसके साथ एक दोस्ती का रास्ता अपनाया जाएं। हम कोशिश करें कि उसको समझाएं।

मैं समझता हूं कि वहां के मिलिटरी रिजीम के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध नहीं हो सकते हैं लेकिन मेरा विश्वास है इस बात पर कि वहां के लोगों के साथ जो दोस्ती का एक मामला शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारा फायदा है और मैं पूरा सहयोग सरकार को देता हूं कि हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन लाईन खुल जाए, हमारी तिजारत उनके साथ बढ़े, हमारे कल्चरल

डेलीगेशंस वहां गये हैं, और भी हमारे डेलीगेशंस वहां जाएं। जो उनके साथ हमारा राबता है वह कायम रहे। मैं समझता हूं कि बहुत हद तक वहां की सरकार बदल गई है वहां के लोगों पर इन सब चीजों का बहुत अच्छा असर हुआ है। हमें पाकिस्तान के लोगों को एतबार में लेना है, उनको जीतना है, उनके दिलों को जीतना है। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों को पूरी तरह से यह पता चल जायेगा कि हिन्दुस्तान इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुरी नीयत नहीं रखता है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उसी दिन एक पक्का, साबित कदम दोस्त हमारे लिए साबित हो सकता है

एक बात है जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक बाधा आ जाती है। वह है कश्मीर का प्राब्लम। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक मेरी पार्टी नेशनल कान्फ्रेंस का ताल्लुक है, वह इस मामले में बिलकुल वाजेह है कि इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेसन से जम्मू कश्मीर का जो सम्बन्ध हिन्दुस्तान से है उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जब कभी प्रधान मंत्री की जुबान से या गवर्नमेंट इंडिया के खारजा मिनिस्टर की जुबान से यह सुनते हैं कि शिमला पैक्ट की रोशनी में कश्मीर का मसला हल किया जायेगा तो मुझे इस बात पर सोचना पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान भी यही कहता है कि शिमला पैक्ट की रोशनी में जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे और खुद हम भी यही कहते हैं और हम भी उसी की जुबान के साथ, उसी की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी यह बात कई बार कही और हमारी सरकार ने भी कही, उनकी सरकार भी यही कहती है कि शिमला पैक्ट की रोशनी में कश्मीर का मसला हल हो जायेगा।

मैं यह वाजे करना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के मामले में कोई हल निकालना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, यह तो आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कोई भी सेटिलमेंट का रास्ता हो, क्योंकि नीतियां बदलती हैं, अभी कांग्रेस आई की तरफ से कई मेम्बरान ने कहा, मेरे दोस्त नाम-ग्याल ने कहा कि सीज फायर लाइन के इधर-उधर करके कर लिया जाए, उधर का हिस्सा यानी आकुपाईड कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए और उधर का हिस्सा हमारे पास रहे। मुझे नहीं मालूम कि इस किस्म की जो तकरीरें आ रही हैं, क्या इन सब में सरकार की नीतियां जाहिर करती हैं या क्या करती हैं ? लेकिन मैं इस वक्त यह जरूर बताऊंगा कि एक जिम्मेदार पोलिटिकल पार्टी के नुमाइन्दे की हैसियत से कि सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए और हमारे फारेन मिनिस्टर को यह बता देना चाहिए कि किस किस्म का हल जम्मू कश्मीर के लिए वे चाहते हैं। अगर वह पाकिस्तान के साथ इस मामले में कोई फाइनल अकोर्ड करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अकोर्ड जो मरकजी सरकार गवर्नमेंट आफ पाकिस्तान के साथ करेगी, उसकी अथान्टिसिटी तब तक नहीं होगी जब तक कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को, वहां के लीडर्स को कान्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा।

हम इस बात पर एसर्ट करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल : एक स्पष्टीकरण। जो कुछ मैंने कहा वह मेरा निजी मत था, मेरे दल का मत नहीं। मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का वैसे भी मुतालबा रहता है, पाकिस्तान में कई जगहों से, वहां की मुस्लिम लीग और कई जमातों ने यह कहा कि जम्मू-कश्मीर में रायशुमारी होनी चाहिए, जम्मू-कश्मीर मसला मुतनाजे है, इसका हल होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सभा को बताना चाहता हूं जनाब चेयरमन, जम्मू-कश्मीर का हल जम्मू-कश्मीर के अन्दर है। मुझे यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ रही है और मैं विदेश मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जम्मू-कश्मीर में 1953 के बाद जो नीति वहां की सरकार की रही है, वह अच्छी नहीं रही है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने दियानतदारी और ईमानदारी के साथ हिन्दुस्तान के साथ इलाहाक किया, संबंध जोड़ा, लेकिन 1953 के बाद जब मोहम्मद शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए, जो वहां के वजीर-ए-आजम थे, प्राइम-मिनिस्टर थे, उसके बाद एक सिलसिला जारी रहा 22 वर्ष तक जिसमें सरकारें मरकज की मरजी से बनी और बिगड़ी और जम्मू-कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी के पसमंजर, डेमोक्रेसी में उनका प्रार्टीसिपेशन नहीं हुआ और यह सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क के लिए है, जम्मू-कश्मीर के लिए है और ईमानदारी की बात यह है जब तक लोगों को कान्फीडेंस में नहीं लिया जाता, लोगों को पूरा विश्वास में नहीं लिया जाता कि वे हिन्दुस्तान के साथ हैं, हिन्दुस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में आपका बराबर का हिस्सा है, जब तक वोट की ताकत से सरकार बनाने और बिगाड़ने की कूवत ओर कह नहीं देते, तब तक मैं समझता हूं कि आप कश्मीर के अन्दर डिफीकल्टीज पैदा कर रहे हैं, प्राब्लम्स पैदा कर रह हैं और बाहर की ताकतों को मौका दे रहे हैं कि वे कहें कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटड एरिया, ट्रबल्ड एरिया। कश्मीर के अन्दर तनाजा है, कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में शकोशुबहा पैदा करना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहता हूं कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कश्मीर के लोगों ने हिन्दुस्तान के लिए बड़ी कुरबानियां दी हैं और उसके बावजूद हमने देखा कि हमारे विरोध के बावजूद आपने कश्मीर में जी० एम० शाह की सरकार बनाई, लेकिन दो साल के बाद आपने उसको तोड़ दिया, हम दो साल तक कहते रहे कि एक अन-रेप्रजेन्टेटिव गवर्नमेंट बनाकर न तो आप मुल्क का भला कर रहे हैं और न ही रियासत का भला कर रहे हैं, लेकिन "देर आयद—दुरुस्त आयद।" मैं बताना चाहता हूं कि दो साल पहले भी नेशनल कांफ्रेंस की लीडरशिप के लिए लोगों ने तीन-तीन महीने हड़तालें रखीं, हंगामें हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : यह तो होम-मिनिस्ट्री की बात है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : फारेन मिनिस्ट्री का जम्मू-कश्मीर एक टिपीकल एग्जांपल है और

इसीलिए मैं फारेन मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि यह आपकी भी प्राब्लम है, जो आपको फेस करनी है, बाहर के मुल्कों में, मैं इस प्राब्लम को इसके साथ जोड़ रहा हूं। जम्मू-कश्मीर की स्टेबिलिटी वहां की डेमोक्रेसी में है और जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी आप वहां दे देंगे तो फारेन मिनिस्टर और प्राइम-मिनिस्टर, दोनों की डिफीकल्टीज कम हो जाएंगी और बाहर की ताकतें हमें बहुत कम छेड़ पाएंगी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डिफेक्टर गवर्नमेंट और दिल्ली से लाकर वहां सरकार बनाना, अपनी मरजी से गवर्नमेंट बनाना और वहां के लोगों की मरजी से बनी हुई सरकार तोड़ना, यह आप वहां सरकार नहीं तोड़ते हैं बल्कि वहां के लोगों का दिल तोड़ते हैं और इससे आप वहां पर इस किस्म की फोर्सेस को, ताकतों को हवा दे रहे हैं जो कश्मीर और हिन्दुस्तान को तोड़ना चाहती हैं और आप इस तरह से उन ताकतों की मदद कर रहे हैं। इस तरह से आप इस महान देश को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको मैं खबरदार करना चाहता हूं।

अंत में मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप माहौल ठीक बनाना चाहते हैं तो जो एक सिलसिला जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ है, इसको लाजिकल कन्क्लूजन तक पहुंचा दीजिए और लोगों को अपनी मरजी के मुताबिक गवर्नमेंट बनाने दीजिए। 6 महीने गवर्नर शासन चलने दीजिए, अंडर दी जम्मू-कश्मीर कांस्टीट्यूशन और 6 महीने के बाद वहां इलेक्शन होना चाहिए। इसमें फारेन मिनिस्टर का फायदा है और इस गवर्नमेंट का फायदा है।

आखिर में मैं एक ही अर्ज करना चाहता हूं, एक मिनट में अपनी गुजारिश करूंगा कि हमारे जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के साथ, वे दोस्ती के रहे हैं और मैं समझता कि उसके अच्छे नतायज आ रहे हैं। आज के टाइम्स आफ इंडिया और सभी नेशनल न्यूज-पेपर्स में यह बात आ गई है।

4.00 म० प०

जनरल जिया खुद यह मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसा सैटलमेंट होना चाहिए जिससे रूस के लिए डिफीकल्टी पैदा न हो जाए। वे कहते हैं कि आउट साइड एड मुजाहीदीन को नहीं मिलनी चाहिए। रूस, उस मुल्क से अपनी फौज वापिस लेना चाहता है। जनरल जिया उस मदद के हक में नहीं हैं। आपको मैं अखबार पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह आज के अर्थात् 24 मार्च 1986 के टाइम्स आफ इंडिया से है :

"वाशिंगटन मार्च 23 (पी० टी० आई०) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक ने लास एंजिल्स टाइम्स सिंडीकेट को दिए गए एक साक्षात्कार में अमरीका के इस मत का विरोध किया है कि अफगान विद्रोहियों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए।

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

उन्होंने कहा कि सोवियत संघ बहुत चाहता है कि राजनैतिक हल हो जाए।

उनका कहना है कि, "हम उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए हुए हैं और हमें सभी तरह से यह संकेत मिल रहे हैं कि सोवियत संघ वहां से अपनी सेनाओं को हटाना चाहता है।"

[हिन्दी]

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की मिलिटरी अथारिटीज और जनता को फायदा मिला और फारेन एड मिली। प्रोफेसर रंगा ने भी यह कहा कि रशियन्स वहां से विदड्रा करना चाहते हैं। इस किस्म के हालात पैदा करने में हमारी सरकार का इंटरेस्ट है कि वह रशिया के खिलाफ होस्टाइल न हो और जो बाहरी ताकतें हैं वह रशिया के खिलाफ डिफीकल्टीज पैदा न कर दें। पाकिस्तान में तीस लाख रिफ्यूजी जमा हैं। उनको वापिस वतन भेजने के लिए रास्ता ढूंढ़ना चाहिए। फारेन मिनिस्ट्री की तरफ इशारा करूंगा कि पालिटिकल सैटलमेंट अफगानिस्तान का आना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

۳ شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

چیئرمین سر۔ ہماری سرکار اور ہمارے پردھان منتری ایران عوامی واد کے سلسلے میں بڑا نیری رول رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں میری سرکار کا بڑی شدت کے ساتھ رول رہا ہے کہ وہاں کی نسلی امتیاز کی پالیسی کو ختم کر دیا جائے۔ وہاں کے ڈاؤن ٹروڈن اپنی آزادی اور عزت کے لئے لڑ رہے ہیں ان کی حمایت کے لیے ہماری سرکار کی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ اس طریقے سے فلسطین میں پی۔ایل۔او کے حد میں جو سرکار کی مستحکم اور مضبوط پالیسی رہی ہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں۔

ساری دنیا میں ہماری فارن پالیسی کی مجموعی اعتبار سے سراہنا کی جانی چاہیئے۔ ہو سکتا ہے کہیں کہیں پر اختلافات ہوں لیکن مجموعی اعتبار سے اس ایوان کا اس ہاؤس کا پردھان منتری اور سرکار کی نیتوں کے ساتھ مکمل ساتھ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی اس ساکھ کی یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سات دیشوں نے آپس میں اتنا مضبوط سنگھٹن بنایا اور اس سلسلے میں تجارت اور لین دین کے معاملے میں وہ مسائل کو آپس میں حل کرنے میں ہماری کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کو پاکستان کی دوستی اس کو آگے بڑھانا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ کا ساتواں بحری بیڑے کا کراچی جانا یا اس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے کئی معاملات میں اختلافات ہوں اور بڑی طاقتوں کے برابر اسلحہ حاصل ہو رہے ہیں۔ آرمامینٹس مل رہے ہیں۔ تو اس ملک میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔

लेकिन ان ساری باتوں کے باوجود میں نے ان منسٹر کے ان الفاظ سے اتفاق کرتا ہوں۔ کہ پاکستان کے ساتھ اتنے اختلاف کے باوجود اس ملک کے ہت میں ہے کہ ہم پاکستان کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور دوستی کے بجائے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ گفت و شنید کا راستہ ہی۔ ڈائلاگ کا راستہ ہی واحب راستہ ہے۔ اس ملک کی پاکستان کے ساتھ چار پانچ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک ۱۹۴۷ میں اور ۱۹۴۸ میں جو کہ کشمیر میں ہوئی۔ دوسری ۱۹۶۵ء میں پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ۱۹۷۱ء میں بنگلہ دیش پر ہماری جنگ ہوئی۔ ان کے ساتھ کچھ پر کبھی محاذ آرائی ہوا۔ اس سب میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا اور ہمارا بھی بہت حد تک نقصان ہوا۔ ہماری چاہت ہے ہماری نیتیاں ہیں کہ ہمارے غریب لوگوں کے وکاس کے راستے کھلیں۔ وہ آگے بڑھ جائیں اور ملک سے غربت کا خاتمہ ہو۔ ہمارے پاس اس کے سوائے اور کوئی دوسرا چارا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور اس کے ساتھ ایک دوستی کا راستہ اپنایا جائے۔ ہم کوشش کریں کہ اس کو سمجھائیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ملٹری رجیم کے ساتھ ہمارے اچھے سمبندھ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن میرا وشواس ہے اس بات پر کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو دوستی کا ایک معاملہ شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہئیے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور میں پورا سپیوک سرکار کو دیتا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ کمیونیکیشن لائن کھل جائیں۔ ہماری تجارت ان کے ساتھ بڑھے ہمارے کلچرل ڈیلیگیشنس وہاں گئے ہیں۔ اور بھی ہمارے ڈیلی گیشنس وہاں جائیں۔ جو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے وہ قائم رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک وہاں کی سرکار بدل گئی ہے۔ وہاں کے

लोगों पर ان سب چیزوں کا بہت اچھا اثر ہوا ہے۔ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے ان کو جیتنا ہے ان کے دلوں کو جیتنا ہے۔ جس دن پاکستان کے لوگوں کو پوری طرح سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان اتنی بڑی شکتی اور اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود پاکستان کے خلاف کوئی بری نیت نہیں رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دن ایک پکا تابت قدم دوست ہمارے لئے ثابت ہو سکتا ہے۔

ایک بات ہے جو ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں ایک باد ھا آجاتی ہے۔ وہ ہے کشمیر کا پرابلم۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری پارٹی نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے وہ اس معاملہ میں بالکل واضح ہے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیس سے جموں کشمیر کا جو سمبندھ ہندوستان سے ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جب کبھی پردھان منتری کی زبان سے یا گورنمنٹ آف انڈیا سے ہمارے منسٹر کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ شملہ پیکٹ کی روشنی میں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا تو مجھے اس بات پر سوچنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ شملہ پیکٹ کی روشنی میں جموں کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے اور خود ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہم بھی اسی کی زبان کے ساتھ اور اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہیں۔ پردھان منتری جی نے بھی یہ بات کئی بار کہی اور ہماری سرکار نے بھی کہی ان کی سرکار بھی یہی کہتی ہے کہ شملہ پیکٹ کی روشنی میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔

میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے معاملے میں کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔

لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوئی بھی سیٹلیمنٹ کا راستہ ہو کیوں کہ نیتیاں بدلتی ہیں ابھی کانگریس آئی کی طرف سے کئی ممبران نے کہا ہے۔ میرے دوست نام گیال نے کہا کہ سیز فائر لائن کے ادھر اُدھر کر کے کر لیا جائے ادھر کا حصہ یعنی آکپو پائڈ کشمیر پاکستان کو دے دیا جائے اور ادھر کا حصہ ہمارے پاس رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس قسم کی جو تقریریں آ رہی ہیں۔ کیا ان سب میں سرکار کی نیتیاں ظاہر ہوتی ہے یا کیا کرتی ہیں لیکن اس وقت میں ضرور بتاؤں گا کہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے کہ سرکار کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیئے اور ہمارے فارن منسٹر کو یہ بتا دینا چاہیئے کہ کس قسم کا حل جموں کشمیر کے لئے وہ چاہتے ہیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی فائنل ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی ریکارڈ جو مرکزی سرکار گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کرے گی اس کی اتھانٹیسٹی تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو وہاں کے لیڈرس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جائے گا ہم اس بات پر الیسرٹ کرتے ہیں۔

Shri P. Namgyal Sir, Just a clarification. Whatever I have expressed is my own personal opinion and is not my party's view. That is what I would like to clarify.

(Interruptions)

شری عبدالرشید کابلی :۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ویسے بھی مطالبہ رہتا ہے پاکستان میں کئی جگہوں سے وہاں کی مسلم لیگ اور کئی جماعتوں نے یہ کہا کہ جموں کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیئے جموں کشمیر مسئلہ متنازع ہے

इस का हल होना चाहिये। मैं आप के माध्यम से इस सभा को बताना चाहता हूं कि जनाब चेयरमैन जम्मू कश्मीर का हल जम्मू कश्मीर के अन्दर है। मुझे यह बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है और मैं विदेश मंत्री जी से कहना चाहूंगा आप के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में १९५३ के बाद जो नीति वहां की सरकार की रही है वह अच्छी नहीं रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हिन्दुस्तान के साथ अलहाक किया सम्बन्ध किया जोड़ा लेकिन १९५३ के बाद जब मुहम्मद शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुये जो वहां के वजीरे आजम के तौर पर प्राईम मिनिस्टर थे इस के बाद एक सिलसिला जारी रहा कई बरस तक जिस में सरकारें मरकज की मर्जी से बनी और बिगड़ी और जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी के परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेसी में उन का पार्टीसिपेशन नहीं हुआ और यह सब से बड़ा खतरा इस मुल्क के लिये है। जम्मू कश्मीर के लिये है और ईमानदारी की बात यह है कि जब तक लोगों को कान्फीडेंस में नहीं लिया जाता लोगों को पूरा विश्वास में नहीं लिया जाता कि वह हिन्दुस्तान के साथ हैं हिन्दुस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में आप का बराबर का हिस्सा है जब तक वोट की ताकत से सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत उन के हाथ में नहीं देते तब तक मैं समझता हूं कि आप कश्मीर के अन्दर डिफीकल्टीज पैदा कर रहे हैं प्राब्लम्स पैदा कर रहे हैं और बाहर की ताकतों को मौका दे रहे हैं कि वह कहीं कश्मीर को डिसप्यूटेड एरिया या ट्रबल्ड एरिया कश्मीर के अन्दर तनाजा है कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में शक और शुबहा पैदा करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। मैं आप के माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कश्मीर के लोगों ने हिन्दुस्तान के लिये बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इस के बावजूद हम ने देखा कि हमारे दुख दर्द के बावजूद आप ने कश्मीर में जी एम शाह की सरकार बनाई

लेकिन दो साल के बाद आप نے اس کو توڑ دیا۔ ہم دو سال تک کہتے رہے کہ آپ ایک ان ریسپانسیبل گورنمنٹ بنا کر نہ تو آپ ملک کا بھلا کر رہے ہیں اور نہ ہی ریاست کا بھلا کر رہے ہیں لیکن "دیر آید درست آید" میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو سال پہلے بھی نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کے لئے لوگوں نے تین مہینے تک کھڑتالیں رکھیں ہنگامے ہوئے لیکن اس کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔

پروفیسر کے تیواڑی :۔ یہ تو ہوم منسٹری کی بات ہے۔

شری عبدالرشید کابلی :۔ فارن منسٹری کا جموں کشمیر کا ایک سپیشل ایگزامپل ہے اور اسی لئے میں فارن منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی پرابلم ہے جو آپ کو فیس کرنی ہے باہر کے ملکوں میں میں اس پرابلم کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ تمبوں کشمیر کی اسٹیبلٹی وہاں کی ڈیموکریسی میں ہے اور جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ وہاں دے دیں گے تو فارن منسٹر اور پرائم منسٹر دونوں کی ڈیفکلٹیز کم ہو جائیں گی اور باہر کی طاقتیں ہمیں بہت کم چھیڑ پائیں گی۔ اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ اور دلی سے لگے وہاں سرکار بنانا اپنی مرضی سے گورنمنٹ بنانا اور وہاں کے لوگوں کی مرضی سے بنی ہوئی سرکار توڑنا یہ آپ وہاں سرکار نہیں توڑتے ہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کا دل توڑتے ہیں اور اس سے آپ وہاں پر اس قسم کی فورسز کو طاقتوں کو ہوا دے رہے ہیں جو کشمیر اور ہندوستان کو توڑنا چاہتی ہیں اور آپ اس طرح سے ان طاقتوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس مہان دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے آپ کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں۔

انت میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ماحول ٹھیک بنانا چاہتے ہیں تو جو ایک سلسلہ جموں کشمیر میں شروع ہوا ہے اس کو لاجیکل کنکلوزن تک پہنچا دیجئے اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق گورنمنٹ بنانے دیجئے 7 مہینے گورنر شاسن چلنے دیجئے انڈر دی جموں کشمیر کانسٹی ٹیوشن اور 7 مہینے کے بعد وہاں الیکشن ہونا چاہیئے۔ اس میں فارن منسٹر کا فائدہ ہے اور اس میں گورنمنٹ کا فائدہ ہے۔

آخر میں میں ایک یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ میں اپنی گذارش کروں گا کہ ہمارے جو ایفرٹس ہیں پاکستان کے ساتھ وہ دوستی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اچھے نتائج آرہے ہیں آج کے ٹائمس آف انڈیا اور سبھی نیشنل نیوز پیپرس میں یہ بات آگئی ہے۔ جنرل ضیاء خود یہ بات مان رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسا سیٹلمینٹ ہونا چاہیئے جس سے روس کے لئے ڈفیکلٹیز پیدا نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ایڈ مجاہدین کو نہیں ملنی چاہیئے۔ روس اس ملک سے اپنی فوج واپس لینا چاہتا ہے۔ جنرل ضیا اس مدد کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کو میں اخبار سے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔

This is—
from the Times of India of today, the 24th March, 1986

"Washington, March 23 (PTI) The Pakistan President Gen. Zia-ul-Haq, in an interview to the Los Angeles Times syndicate opposed the U. S. view that aid to Afghan rebels should be increased.

The Soviet Union, he said, was seriously interested in a political settelment. "We are in touch with them diretly and indirectly and from all counts, the signals we are receiving are that the Soviet Union wishes to withdraw", he said"

میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی ملٹری اور انٹیلی جنس اور ایجنسیز کو فائدہ ملا اور فارن ایڈ ملی۔ پروفیسر رنگا نے بھی یہ کہا کہ ریشینس وہاں سے وڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے حالات پیدا کرنے میں ہماری سرکار کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ریشیا کے خلاف ہوسٹائل نہ ہو اور جو باہری طاقتیں ہیں وہ ریشیا کے خلاف ڈفکلٹیز پیدا نہ کر دیں۔ پاکستان میں تیس لاکھ رفیوجی جمع ہیں۔ ان کو واپس وطن بھیجنے کے لئے راستہ ڈھونڈنا چاہیئے۔ فارن منسٹری کی طرف اشارہ کروں گا کہ پولٹیکل سیٹلمینٹ افغانستان کا آنا چاہیئے۔ ان شبدوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की डिमांड्स का अनुमोदन करता हूं। मैं, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो हमारे पहले के वक्ता कह चुके हैं। अन्त में बोलने वालों का दुर्भाग्य यह होता है कि जो वह कहना चाहते हैं, वह सारे प्वाइंट्स पहले के वक्ता कह चुके होते हैं। शुक्रवार को श्री नारायणन साहब ने इन्टरवीन करते हुए श्रीलंका के बारे में जो कहा, उसे सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की बहादुरी से तमिल जनता एनहीलिएट नहीं हो सकती है। मैं इसको समझ नहीं पाया कि कैसे एनहीलिएट नहीं हो सकती है।

4.02 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

सैंकड़ों तमिल बेरहमी से रोज मारे जा रहे हैं और एनहीलिएशन किसको कहा जाता है। श्रीलंका से कुछ रिफ्यूजी दिल्ली आए हुए हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों से वे मिले। लेकिन मेरे घर पर वे दो-तीन दिन पहले आए थे। उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर मजबूत से मजबूत हृदय का आदमी भी पसीज जायेगा, उसको रोना आ जायेगा कि किस बेरहमी से तमिलों की हत्या की जा रही है। जाफना में बम गिराना एनहीलिएशन नहीं है तो क्या है। सैंकड़ों निर्दोष तमिलों को खड़ा करके गोली से भून देना एनहीलिएशन नहीं है तो क्या है। निर्दोष औरतों को उनके पतियों और बच्चों के सामने बेइज्जत करना, क्या मनुष्यता का काम है। इसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते और यह कहते है कि इंतजार कर रहे हैं, धीरज रख रहे हैं। अगर हमें विश्वास है कि समस्या का कोई न कोई समाधान निकल आयेगा तो मैं कहूंगा कि शायद हम अंधेरे में हैं। इसके साथ, मैं यह भी कहूंगा कि एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को पढ़कर भी निराशा हुई है। आप मानें या न मानें, यह आपकी मरजी है, लेकिन सच तो यह है कि आप होस्टाइल नेबर्स से घिर गए हैं। आप सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका में मिलिटरी नैक्शस हो गया। यदि ऐसा हो गया तो आप क्या कर रहे थे। यह कोई आसमान से अचानक गिरकर नीचे नहीं आया। फिर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की इन्टैलीजैंस क्या कर रही थी। यह कोई नई बात नहीं है। यह नैक्शस बहुत जोर का है, उसके पीछ अमेरिका है। सारी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए।

यहां पर जैसा मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि हम चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 22-23 या 24 साल के इतिहास को आप देख लीजिए, जब चीन ने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी, तब से लेकर अब तक क्या हमें 24 इंच जमीन भी वापस मिली। दूसरी तरफ क्या चीन पाकिस्तान को न्यूक्लिअर प्रोग्राम्स में मदद नहीं कर रहा है। मैं "राइटिंग ऑन दी वाल" देख रहा हूं कि पाकिस्तान शीघ्र ही एटम बम का धमाका करने जा रहा है, चीन उसके साथ होगा, अमेरिका उसके साथ होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया अन्यथा मैं आपको बताता कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल भी आपके

[श्री गौरीशंकर राजहंस]

खिलाफ जा रहा है। जो बातें आज श्रीलंका कह रहा है, वैसी ही बातें नेपाल की तरफ से भी की जा रही हैं। नेपाल में इण्डियन ओरिजिन के लोगों को बुरी तरह कुचला जा रहा है, उन्हें सिटिजनशिप नहीं दी जा रही है, उनको नेपाल की पुलिस और सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। श्रीलंका की समस्या, कोई आज की समस्या नहीं है, जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते होंगे, वे जानते हैं कि पिछले 10 साल से श्रीलंका में ऐसा हो रहा है लेकिन हमारी आंख केवल तीन साल पहले ही खुली है। यह विषय इतना गम्भीर है कि इस पर डिबेट के लिए काफी समय दिया जाना चाहिए। हमें इस बात को अच्छी तरह से महसूस करना चाहिए कि हम अपने देश में चारों ओर से होस्टाइल नेबर्स से घिर गए हैं।

अभी मैं पिछले दिनों रूस गया था वहां पर मुझे अमेरिका के कुछ लोग मिले और मेरी उनसे बातचीत हुई। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, उसी में वे लोग भी ठहरे हुए थे। अब तो रूस ने ताशकंद में अमेरिकी टूरिस्ट्स को भी बुलाना शुरू कर दिया है। वे काफी समझदार लोग थे, कुछ प्रोफैसर थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमें एजूकेट करने तक की कोशिश नहीं की। आज श्रीलंका में क्या हो रहा है, वे नहीं जानते, आज बंगला देश में क्या हो रहा है, वे नहीं जानते, लेकिन चीन के साथ यह आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की सरकार और अमेरिकी जनता में काफी अन्तर है और उस अन्तर को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका की जनता की सहानुभूति हिन्दुस्तान के साथ है। मैं कहूंगा कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को चाहिए कि दुनिया की जनता को एजूकेट करे।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, हमारी विदेश नीति ठोस आधार पर सही दिशा में चल रही है। विश्व की कठिन परिस्थिति में भी अपनी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों पर लगातार चलते रहने के लिए हमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारी विदेश नीति की विशेषताएं हैं – गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अपनी सुदृढ़ आस्था रखना, परमाणु अस्त्रों के संग्रह की होड़ का और बाह्य अन्तरिक्ष में सैनिक कार्यवाही का विरोध करना, हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने का प्रतिपादन करना, फिलिस्तीनियों के संघर्ष जिसमें लेबनान से सभी प्रकार के सैनिक बलों का हटाया जाना; जिसका आरम्भ इजराइल से सैनिक बलों के हटाये जाने से होना चाहिये—का पूर्ण समर्थन करना आदि है। मैं उन प्रयासों की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जोकि दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भारत-अल्जीरियाई संबंधों का एक आदर्श प्रस्तुत करने की दिशा में किए गए हैं। विशेषकर अबून-बिन-सैयद के राज्याभिषेक के अवसर पर अपने प्रधान मंत्री द्वारा ओमान की यात्रा करने की भी मैं प्रशंसा करता हूं। खाड़ी देशों के साथ नजदीकी सम्बन्ध बनाए रखने तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के संवर्द्धन में भारत की सक्रिय भूमिका के लिये कोई भी भारत की विदेश नीति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता।

सीमित समय में जो मुझे मिला है मैं सभी विषयों पर नहीं बोल सकूंगा। मैं अपना भाषण अपनी विदेश नीति के कुछ ऐसे क्षेत्रों तक ही सीमित रखूंगा; जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और जिनके ऊपर वक्ताओं ने अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला है।

चाड़ में चल रहे विवाद के गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में, संघर्ष तो केवल आंतरिक है। किन्तु चूंकि चाड़ अफ्रीका का केन्द्र है, अतः वह साम्राज्यवादी ताकतों का शिकार बना हुआ है। लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी के अनुसार अमरीका का उद्देश्य है—

"उस देश पर अधिकार करना तथा वहां एक अमरीकी अड्डा स्थापित करना जहां से सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप पर नियन्त्रण रखा जा सके।"

हाल ही में हवाई अड्डे पर हुए हमले में लीबिया का हाथ होने का बहाना लेकर संयुक्त राज्य अमरीका भूमध्यसागर में सैनिक तैयारी कर रहा है। इस मामले में लीबिया का हाथ होने के बारे, लीबिया के बार-बार इन्कार करने के बावजूद यह कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

आपको विदेश नीति सिखाना मेरा काम नहीं है। आपको ही समझनी होगी। इस सीमित समय के लिए मुझे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला अपना भाषण जारी रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके बावजूद लीबिया के विरुद्ध आर्थिक और राजनैतिक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। इस "राज्य आतंक" की कठोर निन्दा की जानी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गुटनिरपेक्ष ब्यूरो की जो बैठक हुई थी; वह इस सम्बन्ध में सरकार का एक अच्छा प्रत्युत्तर थी। सभापति होने के नाते इस संबंध में भारत ने जो आवश्यक पहल की और ब्यूरो ने लीबिया को अपनी प्रादेशिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रता बनाए रखने में समर्थन और साथ देने का वचन पुनः दोहराया।

लीबिया पर आक्रमण करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका भूमध्य सागर में जो सामरिक तैयारी कर रहा है; उसे गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। दी अमेरिकन न्यूज वीक ने यह समाचार प्रकाशित किया था कि भूमध्य सागर में जो छठा बेड़ा स्थित है, उसमें तीन साल से अमरीकी पाइलटों को इजराइल में नेगी मरुस्थल में लक्ष्यवेधी आक्रमण करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इससे इजराइल के बारे में मेरे मन में शंका उत्पन्न होती है और यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भर्त्सना किये जाने के बावजूद इजराइल आतंक फैलाने की अपनी नीति से बाज नहीं आ रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक मानदंडों की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। इस नीति के अन्तर्गत इजराइल विमान अपहरण जैसे घृणित कार्यों में भी संलग्न है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक गैर-सरकारी लीबियाई वायुयान के उड़ान में रुकावट डाली जो भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था और उसे कब्जा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में उतरने को बाध्य किया।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

इस वायुयान में सीरिया का राजनैतिक शिष्टमण्डल यात्रा कर रहा है। जोर्डन के बादशाह हुसैन और सऊदी अरब के बादशाह फहेद तथा अन्य लोगों ने सीरिया के राष्ट्रपति असद को टेलीफोन किया तथा विमान अपहरण की घटना के प्रति अपनी भर्त्सना व्यक्त की। मुझे नहीं पता कि इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी और भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा क्या भारत सरकार ने इस मामले में अपनी कैसी भी प्रतिक्रिया सम्प्रेषित की अथवा नहीं। किन्तु ऐसी स्थिति में इजराइल के आक्रमण का मुकाबला करने में भारत को सीरिया का पूर्ण समर्थन करना चाहिए।

तथापि, मैं येरूशलम के पवित्र स्थानों की पवित्रता को बार-बार नष्ट करने के इजराइल के कार्य की संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा भर्त्सना किए जाने की प्रशंसा करता हूं।

ईरान और ईराक के बीच जो व्यर्थ का युद्ध चल रहा है; उसकी अवधि द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि से भी अधिक लम्बी हो गई है और इसके कारण दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए हैं तथा बहुत अधिक बर्बादी हुई है। अब रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरान ने यह आरोप लगाया है कि ईराक ने उसकी सैनिक टुकड़ियों के विरुद्ध रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, अपितु यह भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि रासायनिक युद्ध से नागरिक भी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने भी इसके बारे में एक प्रतिवेदन दिया है। कोई भी यह जानना चाहेगा कि भारत सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। तथापि, इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि उचित और न्यायोचित शर्तों पर इस युद्ध को समाप्त कराया जाये। भारत सरकार इस दिशा में हर सम्भव प्रयत्न कर रही है और हम इसकी सफलता की कामना करते हैं।

समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि टर्की के प्रधान मन्त्री श्री तुर्गत ओज़ल एक राजकीय यात्रा पर अगले महीने भारत आ रहे हैं। उनके आगमन का हम सभी स्वागत करते हैं, विशेष बात तो यह है कि 1960 में श्री जवाहर लाल नेहरू टर्की गए थे और इसके बाद से इस स्तर पर दोनों देशों के बीच कोई दौरा नहीं हुआ है। टर्की ने हाल ही में अनेक विकासशील देशों के साथ नजदीकी मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं। भारत के साथ टर्की के मैत्री संबंध का एक लम्बा इतिहास है और मुझे विश्वास है इस प्रस्तावित यात्रा से भारत और टर्की के संबंध के एक नये अध्याय का श्रीगणेश होगा। मेरा एक सुझाव है कि टर्की के प्रधान मन्त्री के आगमन पर जब प्रधान मंत्रियों के बीच प्रस्तावित बैठक हो तो टर्की के साथ साइप्रस का मामला उठाया जाए और इस समस्या के न्यायोचित और स्थायी समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रयासों का समर्थन किया जाए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समस्या के समाधान में ग्रीक का साइप्रस के प्रति दुराग्रह इसमें सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी समस्या बुलगारिया में बसे हुए अल्पसंख्यक टर्की के मुसलमानों से संबंधित है जिन्हें बुलगारिया सरकार के उत्पीड़न और दबाव का शिकार होना पड़ रहा है।

चूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है अतः अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इस उप महाद्वीप का भाग्य भारत-पाकिस्तान और बंगलादेश के मैत्री सम्बन्धों पर आश्रित है। मेरा सुझाव है कि सरकार को एक दीर्घकालीन

नीति तैयार करनी चाहिए जिससे कि हमारे सम्बन्धों के बीच जो आकस्मिक खिचाव पैदा हो जाते हैं··· (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : गत वर्ष ही उन्होंने जनरल जिया को एक आश्वासन दिया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं किसी से विचलित नहीं हो रहा हूं। जब तक आप मुझे समय नहीं देंगे; तब तक मैं इन सबके बारे में नहीं कह सकता हूं। यह माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन् भारत के कुवैत के सा र संबंध बिगाड़ने पर तुले हुए हैं और उन्होंने उन दो कुवैत राष्ट्रिकों का मामला उठाया है; जिन्होंने प्रवेश···(व्यवधान) पहले स्थान पर तो उन दोनों राष्ट्रिकों को नहीं बुलाया गया था···(व्यवधान)। मैं किसी से विचलित होने वाला नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि भारतीय मुस्लिम लीग संघ द्वारा उन कुवैत राष्ट्रिकों को नहीं बुलाया गया था। उन्हें किसी अनाथालय द्वारा आमन्त्रित किया गया है। दूसरी बात यह है कि किसी को कैसे पता चल सकता है कि किसी देश के किसी विशिष्ट राष्ट्रिक का नाम गृह मन्त्रालय के गोपनीय परिपत्र में पहले से ही दर्ज है। इसके बारे में उन्हें चिंता करनी चाहिए। चूंकि इसके पीछे कोई मन्तव्य होने का आरोप लगाया है, उसका मैं पूरी भर्त्सना के साथ खंडन करता हूं। सरकार को चाहिये कि वह इस षड़यन्त्र की ओर ध्यान दे जो खाड़ी देशों के साथ, जहां भारत के बहुत सारे श्रमिक रहते हैं, भारत के सम्बन्ध, बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आशा है कि वहां आने वाले सब मुद्दों को सरकार स्पष्ट करेगी, ताकि विरोधी दलों में निराश राजनीतिक तत्व राष्ट्रीय हित की कीमत पर अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने की बात ही नहीं सोचें ··(व्यवधान) मैं किसी की बात नहीं मानता। वह काफी बोल चुके हैं। यहां प्रत्येक बात राजनीतिक उद्देश्य के साथ आती है।

(व्यवधान)

जो स्वयं दोषी हैं, उनके लिए दूसरों पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाना आसान है। मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे विदेश कार्यालय को अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमन, विदेश कार्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए सेन समिति नियुक्त की गई थी। और प्रतिवेदन ··द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(व्यवधान)

मैं इस्लामाबाद गया था और मैंने वहां राष्ट्रपति जनरल जिया से बातचीत की थी। राष्ट्रपति जनरल जिया से बातचीत के समय हमारे राजदूत उपस्थित थे। उनके सामने ही पूरी बात हुई। मैंने अभी निवेदन किया था कि कुछ निराश राजनीतिक तत्व समाप्त हो गये हैं लेकिन फिर भी एक या दो यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

[श्री जी० एम० बनातवाला]

और अब इसका···अनुचित इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

निराश राजनीतिक तत्व अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं···निवेदन कर रहा था।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री तिवारी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय सदस्य बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। उनकी देश भक्ति में मुझे संदेह नहीं है···

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री तिवारी, व्यवस्था का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है जब सभा के किसी नियम की अवहेलना की जाती है। व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में कोई भाषण नहीं दिया जा सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। यह बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सेन समिति के प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विदेश कार्यालय के कार्य की समीक्षा करने के लिए सेन समिति नियुक्त की गई थी। मेरा विश्वास है कि समिति ने अप्रैल, 1984 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसे सभा के पटल पर भी नहीं रखा गया है। विदेश कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सेन समिति के सुझावों के सम्बन्ध में राष्ट्र को और संसद को विश्वास में लिया

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाना चाहिये। विदेश कार्यालय और रक्षा मन्त्रालय में परामर्श और सहयोग भी जरूरी है, पिल्ले समिति ने कहा है कि यह सहयोग सन्तोषजनक नहीं है कि मैं आशा करता हूं कि विदेश कार्यालय और रक्षा मन्त्रालय के बीच आवश्यक तालमेल लाने के लिए माननीय मन्त्री अधिक ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या श्री उन्नीकृष्णन निराश हैं अथवा पूरा विपक्ष निराश है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने माननीय मंत्री को बुला लिया है। अन्य कोई बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)**

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत): सभापति महोदय, गत शुक्रवार और आज सभा ने विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस की है। मुझे यह जानकर और यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो 18 सदस्य आज बोले और जिन आठ सदस्यों ने शुक्रवार को बहस में भाग लिया था उन्होंने सरकार की विदेश नीति से सहमति प्रकट करते हुए सभा की परिपाटी का पालन किया। यही परम्परा रही है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतन्त्रता पूर्व के समय से ही हमारी विदेश नीति का यही आधार रहा है। उस समय जो कुछ बुनियादी सिद्धांत उभरे थे। उनका प्रतिपादन हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। इस नीति के प्रति सबने सहमति प्रकट की और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है।

यद्यपि श्री बनातवाला अन्तिम वक्ता थे और मुझे विदेश नीति के बारे में उनके विचार सुन कर खुशी हुई है और मैं यहां उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं—"भारत सरकार की विदेश नीति न केवल युक्तियुक्त है अपितु यह सही दिशा में भी है।" (व्यवधान) इस वाद-विवाद में सभी पक्षों के सदस्यों के उच्च स्तर के भाषण हुए हैं और वरिष्ठ सदस्यों, उदाहरण के लिए मेरे पूर्वाधिकारी श्री दिनेश सिंह, सभा के वरिष्ठतम सदस्य और अग्रणी सदस्य, प्रो० एन० जी० रंगा, युवा सदस्य और विरोधी दल के नेताओं ने भी हमारी विदेश नीति का जोरदार समर्थन किया।

तीन माननीय सदस्यों ने सहमति प्रकट नहीं की और वे हैं और वे मेरे मित्र भी हैं। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुनकर हुआ। वह सदैव यथार्थ, उचित और तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्होंने जो कहा है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं—"सभा में इस बात की आशंका है क्योंकि यहां भ्रम और सुखाभास का वातावरण है सरकार ने अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों में भ्रम और शांति पैदा करने की कोशिश की है।" जो उनके अनुसार लड़खड़ा गए हैं। वह श्री शाहबुद्दीन के साथी हैं। माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन ने शुक्रवार को बहस में भाग लिया था। उन्होंने भी 'लड़-

** कार्यवाही— वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बी० आर० भगत]

खड़ाने' शब्द का इस्तेमाल किया था लेकिन वह आर्थिक नीति के बारे में था। उन्होंने कहा था "भारत सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की चेष्टा नाकामयाब रही है।" उन्होंने कहा था "विदेश नीति विफल रही है।" श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है कि हमारी नीति में 'नाटकीयता' है। मुझे इसमें सन्देह है। मैंने पहली बार देखा कि वह भाषण पढ़ रहे थे। यदि वह बगैर पढ़े भाषण देते तो कदापि यह बात नहीं कहते। वह जल्दी में थे और किसी अन्य व्यक्ति ने उनके लिए भाषण लिखकर दिया होगा। जब बिना तैयारी के बोलते हैं तो वह अपनी प्रतिभा से बोलते हैं। आज उनका भाषण उत्कृष्ट कोटि का नहीं था। लेकिन इन सब, पर विचार करने पर मेरी यह राय है कि इस सभा की परम्परा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली विदेश नीति के प्रति सभी सहमत हैं। ये आलोचनायें भाषण की शैली में अन्तर होने के कारण है। उसे गलत दिशा प्रदान करना वास्तविक तथ्य है। यदि कहीं किसी मामूली बात पर भी हमारी विदेश नीति गलत दिशा में गई हो। तो मैं माननीय सदस्यों के साथ हूं। परन्तु मैं मानता हूं कि जो भी आलोचनायें चाहे भ्रम या नाटकीयता या लड़खड़ाने वाली होने के कारण हुई हैं भाषण अथवा शैली में भेद के कारण हुई हैं।

अब मैं विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। इसके बाद माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई बातों की चर्चा करूंगा। सभा को यह मालूम है कि हमारा देश गुट-निरपेक्षता के प्रति एक नीति और आंदोलन के रूप में बचनबद्ध है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक साधन के रूप कार्य करेगी और इससे अधिक सुरक्षित और समान विश्व व्यवस्था स्थापित होगी।
मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस आन्दोलन के अन्तर्गत और उसके बाहर निरस्त्रीकरण के लिए जो कदम उठाये हैं उन्हें माननीय सदस्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। परमाणु परीक्षण स्थगित करने के लिए छः राष्ट्रों के प्रस्ताव के नवीकरण का सोवियत संघ के नेताओं ने तुरन्त ठोस समर्थन किया है। राष्ट्र-प्रति रीगन का उत्तर भी मिला है, और इसका अध्ययन किया जा रहा है। चूंकि यह उत्तर छः राष्ट्रों के नेताओं को सम्बोधित किया गया है, शांति के लिए पहल करने वाले पांच महाद्वीपों के अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही हमारी प्रतिक्रिया मालूम होगी।

अमरीका द्वारा हाल ही में परमाणु परीक्षण एक बड़े दुख की बात है। अमरीकी सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय जनमत पर ध्यान देकर इस महत्वपूर्ण मामले पर अपनी नीति पर पुनः विचार करे।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भारत की अध्यक्षता समाप्त होने वाली है और अब हम सितम्बर में हरारे में आयोजित आठवें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरों की विदेश मन्त्रियों के स्तर की बैठक हमने बुलायी है। यह हरारे शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी समिति का काम करेगी। हम ब्यूरों के सामने आर्थिक और राजनीतिक मसलों पर चर्चा करने और नीतियां निर्धारित करने जा रहे हैं।

सभा को मालूम है कि वर्ष 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली घोषणा में राज-

नीतिक और आर्थिक घोषणाएं की गई थी और इनमें आज मानव जाति के समक्ष आने वाले मसलों पर रोशनी डाली गई थी जिन्हें मेरे मित्र श्री दिनेश सिंह ने सारे विश्व के मसलें दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्ववाद का उद्भव और वर्तमान में इसके खतरे की संभावना और राष्ट्रसंघ के लिए भी इसे खतरा बताया है तथ्य यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है। जिसने विश्ववाद के मामलों में मूलभूत विदेश नीति का बिना किसी परिवर्तन के कठोरता के साथ अपनाया है। सबसे पहले दिल्ली शिखर वार्ता 1983 में निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों पर रोकथाम का मसला उठाया गया दूसरा मसला विकास, समान विकास का था और इसके बीच में निरस्त्रीकरण और विकास के बीच सम्बन्ध की बात है। ये सभी सम्बद्ध मसले विश्व के मसलों के अन्तर्गत आते हैं।

एक माननीय सदस्य ने साम्राज्यवाद के विरोध के प्रति वचनबद्धता और नव-उपनिवेशवाद के बारे में हमारे विरोध का उल्लेख किया है। हम इसके अन्तर्गत ही इसके प्रति वचनबद्ध हैं। हमारा रिकार्ड इस बात का प्रमाण है कि प्रारम्भ से ही कठिनाई से पूर्ण इस संसार में जब हमारे सामने गम्भीर समस्यायें थीं उस समय भी हमारी विदेश नीति असंदिग्ध थी अपितु हमने शान्ति और सामन्जस्य के मूल सिद्धांतों को भी अपनाया। हम सदा सही दिशा में बढ़े इस दिशा से हमनें कभी अलग कदम नहीं उठाया। अपनी नीति के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। इसलिए यह आरोप सही नहीं है कि एक देश से तो हमारी मित्रता है और इसलिए हम समझौते कर रहे हैं। मैं इस विशेष मामले को बाद में लूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमने भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों—गुटनिरपेक्षता, शांति और निरस्त्रीकरण का अपना अनुसरण किया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कार्य करने की स्वतन्त्रता। इसमें समझौता नहीं हो सकता। गुटनिरपेक्षता का आधार कार्य की स्वतंत्रता है। न कि अपने को, किसी सैनिक गुट से बंधना ताकि किसी की स्वतन्त्रता के साथ समझौता न किया जाये। अतः जब कोई देश गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है तो वह किसी भी रूप में स्वतन्त्र कार्य करने के अपने अधिकार को जानबूझकर या भ्रम में छोड़ नहीं सकता। हम सारे मामलों पर इनके गुण-दोष के आधार पर विचार करने के बाद ही इन पर निर्णय करते हैं।

श्रीमान, आर्थिक मोर्चे पर भी गुट-निरपेक्ष देशों के सामने बहुत विकट स्थिति है। कुछ औद्योगीकृत देशों में जो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के वातावरण में आवश्यक सीमा तक पुनर्जीवन नहीं आया है।

अब ऋण की स्थिति के बारे में कुछ कहना है। श्री दिनेश सिंह ने कहा है कि कर्ज का जाल मौत का फन्दा लिए हो सकता है। सौभाग्यवश इस क्षेत्र में भी भारत ने सामाजिक और प्रगतिशील उद्देश्यों के साथ आत्मनिर्भरता की आर्थिक नीति का अनुसरण किया है। समाजवादी देशों के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है जो ऋण के फन्दे के नजदीक भी नहीं है। यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि विदेश नीति और स्वदेश में सामाजिक व आर्थिक नीतियां परस्पर सम्बन्धित होती हैं। यदि आप स्वतन्त्र विदेश नीति चाहते हैं जो गुटनिरपेक्षता व कार्य की स्वतन्त्रता पर आधारित हो तो स्वदेश में अपनी आर्थिक नीति में भी आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। भारत ने भी ठीक इसी नीति का अनु-

[श्री बी० आर० भगत]

सरण किया है। आज भारत आत्मनिर्भरता के आधार पर न केवल अपना निर्माण करने की स्थिति में है, अपितु हम पर विदेशी ऋण भी कम से कम है—विश्व में सबसे कम। सातवीं योजना में हमारे संसाधनों का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा ही बाह्य स्रोतों से है। इसीलिए हम ऋण के फन्दे के निकट भी नहीं हैं। यह भी उचित दिशा और अच्छी विदेश नीति व घरेलू आर्थिक नीति दर्शाता है जिसका उल्लेख श्री बनातवाला ने किया है।

अफ्रीका में दीर्घकालीन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। चल रहे दक्षिण—दक्षिण सहयोग को और मजबूत बनाना चाहिए। यह अवधारणा भी हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हुई दिल्ली घोषणा से आई है। आर्थिक घोषणा में विकासशील देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिये कहा गया है। विचार यह था कि सभी विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण आत्मनिर्भरता के आधार पर करना चाहिए और एक जूट होकर उन्हें सामूहिक आत्मनिर्भरता की एक प्रणाली या आधार बनाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या सामूहिक आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेशों को शामिल करके है?

श्री बी० आर० भगत : सामूहिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है विकासशील देशों का स्वावलम्बन है। मैं फिर इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह कोई भ्रम नहीं है। हम जानते हैं कि कैसे साम्राज्यवादी शक्तियां काम कर रही हैं। हम जानते हैं कि कैसे अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में महाशक्तियां काम कर रही हैं जैसा कि मैंने कहा है अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सम्पूर्ण ढांचा बड़ी औद्योगिक शक्तियों के पक्ष में झुका हुआ है। हम जानते हैं कि कैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली ढह चुकी है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व वार्षिक प्रणाली ढह चुकी है। हमें चेतावनी दी गई थी कि हमें तेजी से उन्नति करनी है, तेजी का रास्ता अपनाना है जो कुछ दूसरे देश अपना रहे हैं। आपको याद होगा कि इस सदन में प्रतिपक्षी बेंचों का स्वतन्त्र और दूसरे अन्य सदस्य कह रहे थे कि हमें द्रुतगति का तेज रास्ता अपनाना है जो कुछ दूसरे देश भी अपना रहे हैं। मैंने कहा था कि यह रास्ता हमारे लिये नहीं है। मैं सोचता हूं कि अन्त में यही रास्ता तेज और सुरक्षित होगा क्योंकि इसका आधार हमारा अपना है। लेकिन इससे जो मूल बात पैदा हुई है वह है ऋण समस्या, ऋण-जाल और अर्थव्यवस्था के शोषण की। उत्तर-दक्षिण की बीच बातचीत के बारे में भी जानते हैं जिसके लिए हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहल की थी। कैन्कुन में और दूसरे विभिन्न मंचों पर विभिन्न स्थानों पर बैठकें हुई थीं। हम जानते थे कि उत्तर-दक्षिण के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं होगी क्योंकि औद्योगीकृत देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी दशा में थीं मुख्यत: शस्त्रीकरण के भारी बोझ के कारण। जब औद्योगीकृत देश लगभग 8000 लाख डालर प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं तो नतीजा यह है कि उनके सामने सभी प्रकार के आर्थिक संकट हैं। इन शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति की दर बहुत ऊंची है और विकास दर नीची है। इन देशों में औद्योगिक क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत भाग उपयोग में नहीं लाया जा रहा है और उनकी बेरोजगारी की दर ऊंची है क्योंकि मुख्यत: संसाधनों का बहुत बड़ा भाग बिल्कुल अनुत्पादक अर्थ नीतियों में लगा दिया जाता है, जैसे शस्त्र, आणविक शस्त्र जो शक्ति के सिवाय

किसी काम के नहीं हैं क्योंकि सारा सिद्धान्त शक्ति का है और यह आणविक शस्त्रों से निकलती है। इसीलिए वे विकासशील देशों को कोई छूट देने की स्थिति में नहीं है, चाहे नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था कायम करने के बारे में कितनी भी बातचीत की जाए या विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना ही कहा जाए। दिल्ली घोषणा में कहा गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वाणिक सम्मेलन होना चाहिए। यह मांग अस्वीकार कर दी गई थी। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित सभी बातें अस्वीकार कर दी गई थीं। इसीलिए कोई प्रगति नहीं हुई और यही कारण है कि हमें अपनी नीतियां ठोस आधार पर तैयार करनी हैं, मूलत: ठोस भूमि पर तैयार करनी हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि सामूहिक आत्मनिर्भरता चाहिए जो दक्षिणी—दक्षिणी सहयोग पर आधारित हो। इस समय के दौरान हमने इसका अनुसरण किया है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि अल्जीरिया और भारत ने अच्छे दक्षिणी—दक्षिणी सहयोग को आधार प्रदान किया है। मैं इसके साथ बहुत से अन्य उदाहरण भी जोड़ सकता हूं जैसे इण्डोनेशिया व दूसरे देश। हम जहां भी सम्भव हो ऐसे सहयोग का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके बाद 'सार्क' सम्मेलन हुआ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि बहुत से सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें शीघ्र उन्नति करनी चाहिए किन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर विश्ववाद कमजोर हो रहा हो, जैसा कि ठीक ही कहा गया है, तो सभी क्षेत्रीय सदस्यों की समानता और आपसी हितों के लिए तथा सहयोग की भावना लाने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने ढाका, बंगलादेश के 'सार्क' की भावना पैदा करने का आह्वान किया। एक साथ काम कर रहे सभी सातों देश शांति, स्थिरता तथा सहयोग का माहौल बना सकते हैं। यद्यपि हमने राजनीतिक और विवादास्पद समस्याओं को 'सार्क' के बाहर रखा है इसका उद्देश्य यह है कि एक बार 'सार्क' की भावना और प्रक्रिया आगे बढ़ने लगे, इसकी जड़ें मजबूत हो जायें तो हम द्विपक्षीय समस्यायें और अन्य समस्यायें भी बेहतर माहौल में सुलझा सकेंगे। इसका लक्ष्य विश्वव्यापी समस्याओं का हल ढूंढना विश्ववाद को मजबूत बनाना और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र संघ के चार्टर को मजबूत बनाना शांति और स्थिरता सहयोग और सह-अस्तित्व के आधार पर विश्व में माहौल उत्पन्न करना है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी अवसरों का प्रयोग किया जाये। मैं यह कह रहा हूं कि भारत सभी मोर्चों पर ऐसा करने का सक्रिय रूप से प्रयत्न कर रहा है। चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो या द्विपक्षीय हो, क्षेत्रीय मोर्चा हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख समस्यायें हैं। हम किसकी ओर हैं ? इसकी निधि में कटौती करने, यूनेस्को से सदस्यता वापस लेने और यूनेस्को तथा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को कमजोर बनाने के मामले में हम सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ रहे हैं और हम कठिन प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्या, श्रीमती मीरा कुमार ने ठीक ही कहा है उन्हें विदेश मंत्रालय में साढ़े बारह वर्षों के काम का अनुभव प्राप्त है, हालांकि वह संसद में नई हैं—कि विदेश नीति की सफलता का अनुमान एक दिन या घटना से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि हमें इसकी दिशा देखनी है। यहां तक कि

[श्री बी० आर० भगत]

शक्तिशाली देश भी नहीं प्राप्त कर सकते जो वे चाहते हैं। भारत की शक्ति उसकी सही नीति, नीति के पीछे सिद्धांत तथा इनके अनुपालन के लिए नैतिक बल है और समझौते करना नहीं। शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए भारत कभी समझौते नहीं करेगा हम यही परम्परा अपनाते रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत ने 1946 में ही दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने सभी सम्बन्ध तोड़ लिए थे। उस समय हमारा 20 प्रतिशत व्यापार दक्षिण अफ्रीका के साथ था किन्तु हमने उसे समाप्त कर दिया। आप इस बात की तुलना बड़े और शक्तिशाली देशों से करें, क्योंकि वे ऐसा करते रहे हैं, क्योंकि उनके अपने हित हैं, भारत के नहीं। यह हमारी नीति की परम्परा है, चाहे वह विदेश नीति हो या आर्थिक नीति। इसकी जड़ें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च नैतिक मूल्यों एवं नेतृत्व के गुणों में है। इस देश में हमारे नेताओं ने इस देश की विदेश नीति को उच्च स्तर के नैतिक मूल्य दिए हैं। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम कोई समझौते नहीं करेंगे।

इन सामान्य टिप्पणियों के साथ मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातों पर आता हूं। मैं दो विषयों के सम्बन्ध में विस्तार से कहूंगा, क्योंकि वे लगभग प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाए गए हैं। मैं कुछ बातों का उत्तर नहीं दे सकूंगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा समय की कमी के कारण और मुझे जितना बोलने दिया जाएगा इसके कारण है।

ये दो विषय पाकिस्तान और श्रीलंका के हैं। मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बताता हूं। अनेक सदस्य पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में बोले हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रशंसात्मक एवं कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। इस महत्वपूर्ण पड़ोसी के सम्बन्ध में अपनी नीति के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि सदस्यों को जानकारी है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों की तुलना में भिन्न हैं। इसमें अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं। तीन युद्ध हुए हैं और टकराव, अविश्वास और आक्रामक माहौल तो निरंतर ही बना रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : हम पर तीन बार हमला किया गया है। उसने हम पर हमला किया।

श्री बी० आर० भगत : जी हां, मैं आपसे सहमत हूं किन्तु हम डर कर भागे नहीं। हम लड़े और जीते।

द्विपक्षीय मामलों में 1972 का शिमला समझौता एक मुख्य बात रही है। इससे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में एक नया मोड़ आया है। तब से दोनों राष्ट्रों में शांति रही है। पाकिस्तान की नीतियों में अन्तर्विरोधों के बावजूद, जैसा कि कई सदस्यों द्वारा कहा गया है, हमने इस ऐतिहासिक समझौते के प्रति अपनी वचनबद्धता को सदा दोहराया है और इसका अक्षरशः पालन किया है। भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, सद्भाव और मैत्री चाहता है। यही बात पाकिस्तान के बारे में भी लागू होती है। और यदि हम अपना भविष्य जानना चाहें तो भूतकाल को पीछे नहीं रखा

जा सकता और हम अपनी नीतियां के सम्बन्ध में निर्णय आज की वास्तविकता को सामने रखकर करेंगे।

शुक्रवार को माननीय सदस्य श्री शरद दिघे बता रहे थे कि जनरल जिया हमारी अनदेखी कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम केवल वही करते हैं जो हमारे हित में होता है। इससे विपरीत कार्य हमसे कोई नहीं करवा सकता।

राष्ट्रपति जिया के भारत दौरे के संबंध में सुखाभास भ्रम या सनसनीखेज बात आदि बहुत कुछ कहा जा चुका है। 17 दिसम्बर को राष्ट्रपति जिया के दौरे के परिणामस्वरूप दोनों नेता एक दूसरे को कुछ समझ सके हैं। तब से अब तक हुई बातचीत का यह परिणाम था। पिछले 16 माह में हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच छः बैठकें हो चुकी है। एक बैठक प्रधान मंत्री जुनेजो के साथ स्टाकहोम में भी हुई थी। यह बात कि शीर्ष नेताओं, विदेश मंत्रियों, विदेश सचिवों और यहां तक कि वित्त मंत्रियों के बीच बातचीत, बैठक और चर्चा होती रही है, जो अपने आप में एक परिवर्तन की ओर इंगित करती है। हमने कई बातों के संबंध में समझौते किए जिनका उद्देश्य संबंध को सामान्य बनाना और एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास उत्पन्न करना था। वित्त मंत्रियों की बैठक में व्यापार के संबंध में बातचीत शुरू हुई। सुरक्षा सचिव मिले और सियाचिन हिमनदी के बारे में बातचीत की। विदेश सचिव इस्लामाबाद गए और पाकिस्तान द्वारा पेश की गई युद्ध-वर्जन सन्धि व भारत द्वारा प्रस्तुत शान्ति एवं दोस्ती की सन्धि के बारे में बातचीत की। व्यापार संबंधी वार्ता में कुछ प्रगति हुई है। सद्धांतिक रूप से पहली बार पाकिस्तान सहमत हुआ कि निजी व्यापार आरम्भ किया जाये। अभी तक पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। अब वे इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए सहमत हो गये हैं। मदों के बारे में अभी बातचीत होनी है। यह निर्णय लिया गया था कि सचिव मुलाकात करेंगे और इनके बारे में निर्णय लेंगे। रक्षा सचिव किसी ठोस बात पर सहमत नहीं हुए परन्तु वे मूल सिद्धांतों पर सहमत थे। सीमा के बारे में भी वहां सेनाएं एक दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं। यह निर्णय लिया गया कि हम सियाचीन हिमनदी के विवाद को निपटाने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। यह पहली बात है। दूसरे, उन्होंने कहा कि वे फिर दिल्ली में मुलाकात करेंगे, इन मामलों पर बातचीत करेंगे और इस मामले का निपटारा करेंगे। यह स्वयं एक बदलाव है और यह बदलाव ध्यान देने योग्य है। वास्तविकता यह है कि विदेश सचिवों ने भी इस बारे में बातचीत की और दोबारा मुलाकात करने का निर्णय लिया।

हमें आशा नहीं थी कि युद्ध-वर्जन संधि तथा शांति और दोस्ती की सन्धि के बारे में एक ही बैठक में फैसला हो जायेगा। हमें कई बैठकें करनी पड़ेंगी। यहां तक कि एक दूसरे की आणविक सुविधाओं पर हमला न करने की बातचीत की भी आलोचना की गई है। विभिन्न प्रकार के इरादे क्यों मंढ़े गए हैं ? लेकिन हम इस सदन में ऐसा कह चुके हैं कि इसका अर्थ हमारी आणविक नीति में परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि दोनों देश एक दूसरे की आणविक सुविधाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे। जहां तक भारत का सम्बन्ध है निश्चित रूप से हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसीलिए यदि कोई समझौता होता है तो निश्चित रूप से एक दूसरे की आणविक सुविधाओं पर

[श्री बी० आर० भगत]

आक्रमण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी प्रकार की बातों में कोई परिवर्तन हुआ है। यह कहा जा रहा है कि परिवर्तन हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के बम बनाने के आणविक अधिकार स्वीकार कर लिया है। हमने यह स्वीकार नहीं किया है। और हमने यह कहा है कि यह हमारा विश्वास है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का आणविक कार्यक्रम कतई भी शांतिपूर्ण नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। एक बार पाकिस्तान आणविक बम प्राप्त कर लेता है तो इससे देश की सुरक्षा के सभी आयाम बदल जायेंगे। हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आणविक सुविधाओं पर अनाक्रमण न करने के बारे में दोनों देशों के बीच समझौते के पीछे भावना केवल विश्वास का वातावरण उत्पन्न करना है। मैं पिछले झगड़ों, संघर्षों और युद्धों के बारे में बता रहा था। मित्रता का आधार तैयार करने के लिए पहले विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक है। ये सब केवल विश्वास उत्पन्न करने के उपाय हैं। 17 दिसम्बर को दोनों नेताओं के बीच जो सहमति हुई है वह यह है कि विश्वास का वातावरण तैयार किया जाये जिससे अन्ततः दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सके और शांति और मित्रता की सन्धि के बारे में फैसला किया जा सके। प्रधान मंत्री राष्ट्रपति जिया के निमन्त्रण पर इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। अच्छे पड़ोसी संबंधों की हमारी नीतियों के पीछे न तो कोई छल है और न ही नाटक। विचार यह है कि कैसे विभिन्न प्रकार से हम पाकिस्तान से सम्बन्ध बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है ? मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में इस तरह की बातें असामान्य नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमें स्थायी शांति के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना है ताकि हमारे अल्प संसाधनों का प्रयोग देशवासियों की उन्नति के लिए किया जा सके, और उन्हें रक्षा पर खर्च करने की नौबत न आए। इसीलिए हम एक स्थायी ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ शांति का एक आधार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हम बार-बार यह नहीं दोहराना चाहते कि यदि हम अपने देश की रक्षा में कोताही करते हैं तो हम अपने कर्तव्य पालन में विफल होंगे। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं जब उन्होंने यह कहा कि वास्तविक कठिनाई बाहरी शक्तियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। हमने अनेक बार इस बात को सदन में दोहराया है कि इस क्षेत्र में, भारतीय महासागर में, दक्षिणी एशिया में, फारस की खाड़ी में, कठिनाइयां बाहरी शक्तियों, महाशक्तियों के दखल के कारण उत्पन्न हुई है। इससे हिन्दमहासागर प्रभावित हुआ है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वसम्मति से घोषणा की गई है कि इसे शांति का क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके बजाय हिन्दमहासागर में हर तरह की सैनिक उपस्थिति है और यह शांति क्षेत्र की बजाय संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। यह एक बात है।

फिर इस क्षेत्र में चाहे वह पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या उनके बीच अन्तर्सम्बन्ध हो। बाह्य महाशक्तियां अन्तर्ग्रस्त है। माननीय सदस्य ने अन्तर्सम्बन्ध के बारे में कहा है, आपको इसकी व्याख्या चाहिए। यह पुस्तक में दी हुई है जो इस प्रकार है :—

"अप्रैल 85 में राष्ट्रपति जयवर्धने की पाकिस्तान यात्रा तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति

की दिसम्बर, 85 में श्रीलंका यात्रा के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच बढ़ते हुए सैनिक अन्तर्सम्बन्ध को चिन्ता का विषय माना जा रहा है।"

महाशक्तियों के अन्तर्ग्रस्त होने, धन देने और पाकिस्तान के कुछ अन्य क्षेत्रों में हथियार सप्लाई करने के बारे में हम बार-बार कह चुके हैं। यदि इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाये तो आप एक दिन में 100 प्रतिशत सफलता की आशा नहीं कर सकते।

5.00 म०प०

जैसा मैंने कहा कोई देश, बड़ी महाशक्तियां अपनी विदेश नीति, सुरक्षा, आदि सम्बन्धी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है। लेकिन बात यह है कि हम किन नीतियों का अनुसरण करते हैं। इस क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं कि सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध (व्यवधान) मैं श्रीलंका पर आ रहा हूं, श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध, द्विपक्षीय सम्बन्ध अच्छे हैं, भूटान व बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्ध··· (व्यवधान) आप यह कैसे कह सकते हैं ? क्या समस्या ? कोई समस्या नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा): आपका क्या अर्थ है ? आप क्या कह रहे हैं ? महोदय, मन्त्री जी बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। वह क्या कहना चाहते हैं। विदेश मंत्री द्वारा दिया गया यह एक अद्भुत वक्तव्य है।

श्री बी० आर० भगत : यह एक अद्भुत वक्तव्य नहीं है। यह एक तथ्य है। श्रीलंका के साथ कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्योंकि हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीलंका के साथ हमारी कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मन्त्री जी क्या कह रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : हमने हमेशा ऐसा कहा है और हमने इस स्थिति को कायम रखा है। द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में कोई समस्या नहीं है। हमने इस सदन में ऐसा कहा है (व्यवधान) आप कृपया मुझे सुनिए और तब निष्कर्ष निकालिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने इसे व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : क्या हम श्रीलंका में जातिसंहार के बाद भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये हुए हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हां; यही बात है जो वे कह रहे हैं। वे कहते हैं वहां कोई समस्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : मैं जानता हूं कि यह एक बहुत भावनात्मक विषय है किन्तु हमें कुछ ठोस तथ्यों के आधार पर इसका हल खोजना चाहिए। मैं कह रहा था कि हमारे संबंध··· (व्यवधान) क्या अब आप मेरी बात सुनेंगे ? (व्यवधान) हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर, पाकिस्तान के बारे में मैं विचार कर चुका हूं; श्रीलंका के बारे में मैंने कहा है और मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि श्रीलंका के साथ हमारे द्विपक्षी संबंध बुरे नहीं हैं। हमारे संबंध अच्छे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या संबंध अच्छे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : हां, संबंध अच्छे हैं। (व्यवधान) अन्यथा, यदि द्विपक्षी संबंध अच्छे नहीं होते, जैसाकि हम कह चुके हैं और सभा के सभी प्रवर्ग सहमत हैं, एक समस्या पर—एक जातीय समस्या पर, श्रीलंका में तमिल समस्या एक आन्तरिक समस्या है; तो श्रीलंका सरकार हमसे परामर्श क्यों मांगती ? ऐसा कौन-सा देश करेगा, यदि वह आप पर विश्वास नहीं करता है··· (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यह केवल राजनयिक दृष्टिकोण ही नहीं है; यह दार्शनिक दृष्टिकोण है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : इसे दूसरे ढंग से कहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने इसे व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है, जब उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे हैं।

श्री बी० आर० भगत : व्यंग्योक्ति इस तरह के गम्भीर मामले के लिए नहीं है, किसी दूसरे अवसर के लिए है। मैं अब भी इस पर कायम हूं। मैंने कहा : आप इसका इतिहास देख सकते हैं। यह मसला बहुत नाजुक मसला है। मैं सहमत हूं। परन्तु आप जानते हैं, (व्यवधान) उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए हमसे परामर्श मांगा था। हम क्या कर रहे थे ? आप किस देश के पास जाएंगे

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या हम घटनाक्रम की मांग कर रहे हैं ? इस सभा में हर एक घटनाक्रम को जानता है।

श्री बी० आर० भगत : यदि आप मुझे इस तरह क्षुब्ध करेंगे, आप नहीं··· (व्यवधान) मैं अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं। (व्यवधान) मैं इस दृष्टिकोण पर कायम हूं कि श्रीलंका के साथ हमारे द्विपक्षी संबंध अच्छे हैं; और प्रधान मन्त्री एवं श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के स्तर पर भरोसा है। (व्यवधान) पिछले दस महीनों के दौरान उन्होंने हमसे पूछा है···

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री बी० आर० भगत : उनके निवेदन करने पर, पिछले दस महीनों से समस्या के समाधान

में सहायता के लिए, हम परामर्श दे रहे हैं। (व्यवधान) यह केवल तभी हो सकता है यदि संबंध मैत्री-पूर्ण एवं अच्छे पड़ोसियों जैसे हों। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तब क्या हुआ ?

श्री बी० आर० भगत : अन्यथा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप किसी को भी नहीं कह सकते···

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम प्रो० तिवारी का सुझाव स्वीकार कर लीजिए। यह नहीं है कि वह हमेशा अच्छा होता है, परन्तु इस बार वह बेहतर है।

श्री बी० आर० भगत : तथापि 1983 से सरकार ने श्रीलंका को राजनैतिक समाधान खोजने के लिए सुझाव दिए हैं। हमें विश्वास है कि यह एक समस्या है जिसका सामना श्रीलंका कर रहा है। यह एक गम्भीर मसला है और इसने केवल एक प्रवर्ग को ही चिंतित नहीं किया है, अपितु सभा के सभी प्रवर्गों के लिए चिन्ता पैदा कर दी है; यह पूरे देश में है। सभी सदस्यगण बोल चुके हैं। इस मामले को सुलझाना है, परन्तु किन शर्तों पर ? (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सदस्यगण चिन्तित हैं, परन्तु मन्त्री महोदय चिन्तित प्रतीत नहीं होते।

श्री बी० आर० भगत : नहीं, नहीं। मैं अधिक चिन्तित हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मन्त्री महोदय चिन्तित प्रतीत नहीं होते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपका दर्शन है।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय को जवाब देने दीजिए, कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री बी० आर० भगत : मन्त्री महोदय कहीं अधिक चिन्तित हैं परन्तु उन्हें परिप्रेक्ष्य एवं नियन्त्रण नहीं खोना चाहिए। वास्तव में, प्रथमतः हमारी कार्य दिशा एवं परिप्रेक्ष्य क्या रहा है ? अब स्थिति यह है शुरू से हम एक पहली बात कह रहे हैं कि निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को अवश्य रोका जाना चाहिए। हम यह कहते आ रहे हैं। थिम्पू वार्ता के बाद हमने युद्ध-विराम की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया और युद्ध-विराम हो गया। किन्तु जब कोई उल्लंघन हुआ, हमने कहा कि उल्लंघन को अवश्य रोकना चाहिए। मैंने यह सभा में कहा था कि हिंसा को रोकना श्रीलंका का दायित्व है, वे अपनी सुरक्षा सेनाओं को अवश्य नियन्त्रित करें। ये मैंने कहा था।

यह हमारी स्थिति है कि यदि आप कोई समाधान चाहते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : भारत सरकार क्या कर रही है। वहां रोज कत्ल हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कदम उठाया जायेगा जिससे इन कत्लों को रोका जा सके।

श्री बी० आर० भगत : आपका क्या सुझाव है ?

श्री राम नगीना मिश्र : कौन-सा प्रयास किया जाएगा जिससे कत्ल रोका जा सके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी०आर० भगत : अगर मैं ऐसा कहूं कि यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो यह अपरिपक्व या अति नाटकीय होगा।

एक माननीय सदस्य : कैसा ?

(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : आप नहीं चाहते कि··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह वाद-विवाद चल-विवरण जैसा नहीं होना चाहिए। मन्त्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री बी० आर० भगत : यह एक प्रभुसत्तासम्पन्न सरकार है। यह हमारा पड़ौसी देश है। यह उनकी समस्या है और यह सब मानते हैं कि यह श्रीलंका की आन्तरिक समस्या है। यह सभी लोग मानते हैं कि इस समस्या को हल करना होगा। और यह श्रीलंका की एकता और अखंडता की समस्या है। माननीय सदस्य और क्या जानना चाहते हैं ? यद्यपि वे मेरे पक्ष के हैं परन्तु उनके यह कहने का क्या अभिप्राय है कि "आप कुछ नहीं कर रहे हैं ?" हम सभी संभव प्रयास कर रहे हैं।

फिर हमें बता दीजिए हम क्या कर सकते हैं और यही मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि सर्व-प्रथम हत्याओं को रोका जाना चाहिए जैसा कि हम कहते रहे हैं। वहां युद्ध-विराम असफल हो गया है। लेकिन वहां लंका सरकार की इस कथित नीति के कारण हत्याएं हो रही हैं कि लंका सरकार राजनीतिक हल से भी पहले सैनिक कार्रवाई करना चाहती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सारी बात यही है।

श्री बी० आर० भगत : हम पूर्णतया इसके विरुद्ध हैं। यदि यह स्थिति है, अगर लंका सरकार यह सोचती है कि इस समस्या का समाधान सैनिक कार्रवाई है तब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तब

हमारी भूमिका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : तब आप अन्तिम निर्णय क्यों नहीं लाते।

श्री बी० आर० भगत : यह बहुत ही जटिल समस्या है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब आप कहते हैं कि इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सच्चाई जानकर परेशान हो जाते है। अन्यथा वे मुझे परेशान नहीं करते। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए और बताइए कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं। मैं स्पष्ट बात कहता हूं हमारी नीति बहुत ही स्पष्ट व सीधी है।

5.09 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

जब मैंने बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया, तो श्रीलंका संसद में सभी ने मेरी निन्दा की। मुझे इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिये। हम एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या का समाधान करने का यत्न कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है—"व्यग्र मत होइये" मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में हमें बहुत ही धैर्य से और संभलकर कार्य करना है लेकिन इसके साथ-साथ आपको ठीक रास्ते पर चलना है। ठीक रास्ता यह है कि हत्याओं को शीघ्र ही रोका जाना चाहिए। जब तक नागरिकों की हत्याएं नहीं रुकती तब तक कोई राजनीतिक वार्ता या कोई और बात नहीं हो सकती। श्रीलंका सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा क्योंकि पहले उन्होंने राजनीतिक समाधान चुना और फिर उन्होंने कहा सैनिक समाधान पहले और राजनीतिक विकल्प बाद में। परिणामस्वरूप वहां जल्दी-जल्दी हो रही हत्याओं और हिंसा से, हम यह अनुमान लगाते और महसूस करते हैं कि श्रीलंका सरकार राजनीतिक समाधान की बात कर रही है और हमारी सहायता प्राप्त करना चाहती है और हमारे विदेश सचिव इसके लिए वहां जाते हैं परन्तु श्रीलंका सरकार जो कहती है उसे करना नहीं चाहती। वे राजनीतिक समाधान के लिए बहुत से मुद्दे साथ लाते हैं जैसा कि भूमि समझौता, जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों के हस्तातरण आदि। इन सब पर···और तब हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। इससे समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए मैंने एक कड़ा वक्तव्य दिया कि वे अब हमें बताएं कि क्या वह इसका समाधान ढूंढने के लिए तैयार है। हम इस मामले को अधिक नहीं लटका सकते। श्रीलंका सरकार ने पिछले पत्र में हमें बताया था कि वे हमारी सहायता और राजनीतिक हल चाहते हैं। लेकिन अभी आपने प्रधान मंत्री के वक्तव्य से देखा होगा—उन्होंने बड़ौदा से जो वक्तव्य दिये हैं—उन्होंने कहा कि हत्याएं रोकी जानी चाहिए और उन्हें सभी विचारों वाले तमिलों से सीधे बात करनी चाहिए।

[श्री बी० आर० भगत]

उन्हें विश्वास पैदा करना है। इस समय उन्हें तमिलों के साथ सीधे बातचीत शुरू करनी चाहिए। यदि बातचीत के दौरान कोई असहमति होती है जिसे सुलझाने की आवश्यकता हो या उन्हें किसी प्रकार सहायता देने की बात हो तो हम वह करेंगे। पहली शर्त यह है कि हत्याएं रुकनी चाहिए क्योंकि वे अभी तक राजनैतिक समाधान में विश्वास रखते हैं। आपने पूछा कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर क्या किया है और कहा है कि सभी उनके पक्ष में हैं। सभी उनका समर्थन नहीं करते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन खो रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम मानव अधिकार आयोग से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मेरे साथी, डा० ढिल्लों यहां हैं। उन्हें मालूम है कि जो हम चाहते थे वह हमें प्राप्त हुआ है। बहुत से सदस्यों ने जो यहां बोले हैं, श्रीलंका सरकार की, वहां होने वाली हत्याओं की और उनकी सैनिक समाधान की नीति अपनाने की निन्दा की है। उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस समस्या को सुलझाना चाहिए क्योंकि यह उनके अपने ही नागरिकों का प्रश्न है। उन्हें उनके मान और सम्मान को वापस दिलाना चाहिए। अपने भाषणों में उन्होंने यह सब कहा है। यही हम चाहते हैं। मानव अधिकार आयोग ने वहां पर हो रही हत्याओं और श्रीलंका सरकार के उनके प्रति रवैये की निन्दा की है। मैं समझता हूं कि डा० ढिल्लों ने हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहां अच्छा कार्य किया है। परन्तु यहां हम अनभिज्ञता के कारण कहते हैं कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। अपनी गलत नीतियों, सैनिक विकल्प को बढ़ावा देने और राजनैतिक विकल्प के बारे में बात करने के कारण श्रीलंका सरकार अधिकाधिक अलग-थलग पड़ गई है। साथ ही उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने तथा अपने ही लोगों से निपटने के लिए मोसाद जो इजरायल का एक बहुत ही घृणित संगठन है तथा दक्षिण अफ्रीका के भाड़े के सैनिकों की सेवाएं लेने की एक बहुत ही गलत नीति अपनायी है, इस सम्बन्ध में मैं प्रो० के० के० तिवारी के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि वे स्वयं अपने लोगों से बात करें तो अच्छा हो और इसे सुलझा लें। समझौते द्वारा हल निकालना हमेशा सरल और फायदेमंद रहता है, अन्यथा आप तीस लाख तमिलों को नहीं दबा सकते हैं, आप उनको मिटा नहीं सकते हैं। यह सब श्रीलंका को बरबाद कर देगा। मेरे साथी ने जोकि एक काफी अधिक अनुभवी राजनयिक हैं कुछ दिन पहले कहा था कि यदि वे सैनिक विकल्प को अपनाएं तो वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जायेंगे, जिससे निकल पाना उनके लिए आसान न होगा। मैं एक राजनीतिज्ञ हूं इसलिए मैं एकदम स्पष्ट बात कहता हूं। मैं समझता हूं उन्होंने यह ठीक ही कहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उनकी सहायता करेंगे यदि वे इस नीति का पालन करने की इच्छा रखते हों। उद्देश्य यही है कि श्रीलंका में तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाये। उनकी सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वायत्तता की मांग और दूसरी अन्य बातें इस नीति के अन्तर्गत पूरी होनी चाहिए। किसी भी समझदार सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने लोगों की बात माने और समझे। आप हमारा उदाहरण लें कि कैसे हमने विभिन्न वर्गों से तालमेल बिठाने की कोशिश की है। हम श्रीलंका पर भिन्न नियमों को लागू नहीं कर सकते···(व्यवधान)।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जब तक आप किसी समझौते पर पहुंचेंगे तब तक सभी तमिल खत्म हो जायेंगे।

श्री बी० आर० भगत : अभी···(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी मैं समझता हूं श्रीलंका सरकार भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद ईमानदार नहीं है और मैं सोचता हूं कि वे इस मुद्दे को लंबा खींचना चाहते हैं और वे किसी प्रकार के सैनिक हल के लिए अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं। यही सब लोग सोचते हैं—ऐसा मैं समझता हूं।

श्री बी० आर० भगत : महोदय, मैंने इस पर काफी समय ले लिया है परन्तु, क्योंकि यह एक बहुत संवेदनशील मामला है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अब हमें विश्वास हो गया है कि उस देश के साथ हमारे सम्बन्ध···

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे हमें विश्वास हो गया है कि श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं।

श्री बी० आर० भगत : दूसरे पड़ोसियों के साथ भी मैं सोचता हूं कि आप नेपाल, भूटान, बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्धों को चुनौती नहीं देंगे। इन देशों के साथ इस समय अच्छे सम्बन्ध हैं। सहयोग बढ़ता जा रहा है।

बर्मा के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हम बर्मा की अवहेलना कर रहे हैं। आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि हम बर्मा की अवहेलना कर रहे हैं, जब हमने प्रो० जी० जी० स्वैल को वहां अपने राजदूत के रूप में भेजा···(व्यवधान···)

श्री जी० जी० स्वैल : यह इस शताब्दि का सबसे बड़ा मजाक है।

श्री बी० आर० भगत : यदि सम्बन्ध सक्रिय नहीं है और नहीं बढ़े हैं तो प्रो० स्वैल जानते हैं कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अपनी तरफ से हम बर्मा के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं।···(व्यवधान)।

श्री जी० जी० स्वैल : हमारी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : यदि सदन मुझे आज्ञा दे तो क्या मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ कहूं। बहुत सी बातें कहीं जा चुकी हैं। कुछ सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों का जिक्र किया है। हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और बढ़े हैं, विशेषत: हमारे प्रधानमन्त्री की अमरीका की जून यात्रा और उनकी राष्ट्रपति रीगन और अन्य नेताओं के साथ बातचीत और राष्ट्रसंघ में राष्ट्रसंघ की चालीसवीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में अक्तूबर में राष्ट्रपति रीगन के साथ उनकी बातचीत से ये सम्बन्ध और बढ़े हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि क्या इसका तात्पर्य हमारी नीति में परिवर्तन है। इससे हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि हमारा आधारभूत सिद्धांत यह है कि हम सभी देशों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाना चाहते हैं।

[श्री बी० आर० भगत]

निश्चय ही हम पड़ौसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। सोवियत संघ के साथ पिछले 30-35 वर्ष से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अतः हमारे उनके साथ इस प्रकार के विशेष संबंध हैं कि हमने उनके साथ शांति और मैत्री-संधि की है। सोवियत संघ ही एक ऐसा देश है जिसने हमेशा संकट के समय हमारा साथ दिया है और आप जानते हैं कि जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है और सोवियत संघ पर यह बात लागू होती है। यदि कोई यह समझता है कि अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्ध होने के कारण सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे तो वह व्यक्ति धोखे में है। 'धोखा' शब्द उन पर लागू होता है जो ऐसा समझते हैं। मैं अमरीका के साथ अपने संबंधों के बारे में बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध बदलते रहे हमारे दृष्टिकोणों में अन्तर था। कई बार ऐसा हुआ है जब अमरीका की विदेश नीति भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया तथा हिन्द महासागर में हमारे विकास हितों के विरुद्ध रही है। हम सब देशों के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं चाहे वह बड़ा देश हो या छोटा और उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसी दृष्टिकोण से हम अमरीका के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा न तो किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंधों की कीमत पर किया जा रहा है न ही हम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर अपने सुदृढ़ निर्णय को बदल रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। वे प्रश्न संयुक्त आयोग की बैठक के सम्बन्ध में मेरे वाशिंगटन जाने के बारे में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका समाचारों में छपा भाषण।

श्री बी० आर० भगत : मुझे यह बताने दीजिए। यह संयुक्त आयोग की बैठक थी। उसमें जिन संबंधों पर चर्चा की वह पूर्णतः द्विपक्षीय थे।

प्रो० मधु दंडवते : द्विपक्षीय सम्बन्ध हमेशा अच्छे होते हैं।

श्री बी० आर० भगत : मैंने राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री से भेंट की। उन्होंने मुझसे दो विशेष प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि सीनेटर मोयनिहन ने आपसे मतदान के रिकार्ड के बारे में पूछा और आपने कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा। ऐसा विदेश संबंधों संबंधी सीनेट समिति की बैठक में हुआ था। वह अचानक बाहर आ गए। वह उसके सदस्य नहीं थे (व्यवधान) बाद में मुझे बताया गया कि वह उसके सदस्य नहीं थे। वह ऐसे ही अन्दर आ गए थे। (व्यवधान) चूंकि संसदीय समिति में गैर-सदस्य व्यक्ति भी आ सकता है इसलिए वह वहां आ गए थे।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं नहीं। वह उसमें कैसे भाग ले सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : मुझे यही बताया गया था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप कृपया इसे और विस्तार से बताइए।

श्री बी० आर० भगत : मैं पूरी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मैं उस बारे में भी कहूंगा। मुझे यह कहा गया था कि वह उस समिति के सदस्य नहीं हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : ऐसा अमरीका में ही हो सकता है।

श्री बी० आर० भगत : वह उसमें भाग लेने आए। मैं समझता हूं कि सभी सीनेट-सदस्य समिति में भाग ले सकते हैं क्योंकि वहां कोई भी सदस्य समिति की बैठक में भाग ले सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : संसदीय समिति में केवल वही व्यक्ति आ सकते हैं जिन्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाता है।

श्री जी० जी० स्वैल : हम सीनेट चैम्बर में तब गए जब इसकी बैठक···

श्री बी० आर० भगत : ···अनौपचारिक रूप से।

श्री जी० जी० स्वैल : और हमें यहां बधाई दी गई थी।

श्री बी० आर० भगत : खैर मैं इसकी हामी नहीं भरता। किन्तु मुझे ऐसा बताया गया था। मैं आपको केवल उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : ऐसा संभव है। यह वहां आम बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने क्या कहा हम वह जानना चाहते हैं।

श्री बी० आर० भगत : उन्होंने अपनी समिति या सीनेट की किसी समिति द्वारा सभी देशों-भारत, चीन आदि के मतदान रिकार्ड के बारे में किए गए अध्ययन के बारे में बताया।

यह 16 प्रतिशत पक्ष में था और शेष विपक्ष में। चीन 22 प्रतिशत पक्ष में था और शेष विपक्ष में वह ये सब आंकड़े दे रहे थे। उस पर मैंने कहा कि हमने अपने देश में होने वाले मतदान के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है और मेरे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है और वापिस जाने पर मैं इस पर नजर डालूंगा। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप एक महान देश के विदेश मंत्री हैं। आप उनके जवाबदेह हैं। क्यों ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आप उन्हें कह सकते थे आप अपना काम कीजिए।

श्री बी० आर० भगत : मैं और भी जो कुछ कहा, उसका मैंने अभी उल्लेख नहीं किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। शांति, शांति।

श्री बी० आर० भगत : मैं समझता हूं कि आपको ··· (व्यवधान) ···चाहिए था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह और भी बुरा है।

श्री बी० आर० भगत : यह और बुरा नहीं है। मैंने कहा मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपके पास आंकड़े क्यों होंगे ? वह पूछने वाले कौन होते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : आपकी अपने विदेश मंत्री के बारे में बहुत खराब राय है कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। नहीं। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने कहा, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : यह अनुचित है। मुझे उनसे नाराजगी है कि उनकी मेरे बारे में इतनी खराब राय है। यदि वह कुछ बात कहते हैं तो मैं उन्हें बुरा नहीं कहता उन्हें मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह आपके बारे में मेरी राय थी मेरे बारे में आपकी राय का प्रश्न नहीं है। यह वास्तविकता है।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : मैंने देश की स्वतन्त्रता के लिए काम किया है। मैं अपनी जान भी दे देता। वह कहते हैं कि मैं उसका सौदा कर सकता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह उत्तेजित होने का समय नहीं है। यह···(व्यवधान) का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्नीकृष्णन जी, मंत्री महोदय को बात समाप्त करने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इसमें व्यवधान डाला जाये। उनकी बात समाप्त होने पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री बी० आर० भगत : सर्वप्रथम मुझे श्री उन्नीकृष्णन को डांटने का अधिकार है क्योंकि मित्र के नाते मैं उनसे बड़ा हूं। मैं किसी पर यह कीचड़ नहीं उछालूंगा 'कि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं'। मैं

जानता हूं मुझे कैसा व्यवहार करना है । आप यह देखिए कि मैंने आगे क्या कहा । मैंने कहा : 'श्रीमान सीनेटर मोयनिहन, अमेरिका भारत के विरुद्ध मतदान करता रहा है और सोवियत संघ भारत का साथ देता रहा है । भारत अमेरिका के विरुद्ध मतदान नहीं करता रहा है'। आप इस बारे में भूल जाइए और यह सब मत सुनिए । मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के समक्ष जो भी मामले हैं वे सार्वभौमिक हैं। मैंने दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, विश्व-व्यापी मामलों, फिलिस्तीन और अन्य मामलों के बारे में कहा। मैंने कहा : 'आपने लोगों के विरुद्ध मतदान किया है । सोवियत संघ हमारे साथ रहा है ।' मैंने यह उत्तर दिया था । आप इस बारे में भूल जाइए । यह कहा गया है कि मैंने देश के सम्मान का सौदा किया है। (व्यवधान) यदि कोई कहता है कि मैंने देश के सम्मान के साथ सौदा किया है तो मैं तो मर जाऊंगा**

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया···**···मेरा आपसे अनुरोध है कि आप**

प्रो० मधु दंडवते : **अन्यथा श्री उन्नीकृष्णन संकट में पड़ जायेंगे (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : अन्य प्रश्न —फिन्लैंडाइजेशन या आस्ट्रीयनाइजेशन के सम्बन्ध में हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा । यह बात प्रेस द्वारा कही गई है । मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन आपने उन दो देशों का जिक्र किया था ।

श्री बी० आर० भगत : नहीं, नहीं । मैंने उनका जिक्र नहीं किया। 'उन्होंने फिन्लैंडाइजेशन' का उल्लेख किया है । मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है । मैंने 'फिन्लैंडाइजेशन और आस्ट्रीयनाइजेशन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया । तीसरी बात जो आपने कही है वह अन्य सन्दर्भ में है। (व्यवधान)

श्री जी० जी स्वैल : किस सन्दर्भ में ?

श्री बी० आर० भगत : वह जानते हैं, इसमें ज्यादा समय लगेगा । तब उन्होंने मुझसे एक अन्य प्रश्न भी पूछा : आप आर्य समाज प्रतिनिधिमंडल क्यों भेज रहे हैं ? दक्षिण अफ्रिका के साथ कोई संबंध न रखिए । आप आर्य समाज प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपसे यह पूछा था कि समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि आपने उन्हें कुछ आश्वासन दिए हैं जिनसे वे इतने सन्तुष्ट हुए कि वे आपको कुछ ऐसी उच्च प्रौद्योगिकी देने पर सहमत हो गए जो उन्होंने पहले किसी विकासशील देश को नहीं दी । मैंने पूछा था कि क्या आश्वासन दिए गए थे ।

श्री बी० आर० भगत : मैंने उच्च प्रौद्योगिकी की बात ही नहीं की । मैंने उनके साथ इसके बारे में चर्चा नहीं की और जहां तक किन्हीं शर्तों का प्रश्न है - सुपर कम्प्यूटर के बारे में जिक्र किया

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

[श्री बी० आर० भगत]

गया था जो वह हमें देने के इच्छुक थे और हम मानसून तथा मौसम सम्बन्धी अध्ययनों के लिए उसे प्राप्त करना चाहते थे। यह बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगे व्यक्तियों द्वारा की गई। मैंने इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं की ओर जहां पर शर्तों और गारंटी का प्रश्न है यह द्विपक्षीय मामला है जिसे दो विभागों द्वारा निपटाया जाना है। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिए और न ही मुझसे कुछ पूछा गया क्योंकि इसका प्रश्न ही नहीं उठता। दक्षिण अफ्रिका में भेजे गए आर्य समाज प्रतिनिधि मण्डल का प्रश्न पिछली बार उठाया गया था। मधु जी का मैं सम्मान करता हूं इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ((व्यवधान) आपको याद नहीं है लेकिन आप जानते हैं···

प्रो० मधु दंडवते : मेरा आर्य समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : नहीं, नहीं। आप मेरी बात सुनिए। मैंने···नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मुझे कोई भी गाली दे सकते हैं। लेकिन मुझे आर्य समाजी मत कहिए। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : आप यदि मेरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा—आप जानते हैं पिछली बार बहुत सी बातें कही गई थी। लेकिन मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। यहां तक आपने यह भी कहा 'आपने आश्वासन क्यों दिया ? मैंने तथ्यों पर नजर डाली। पहली बार यह निर्णय लिया गया था क्योंकि वहां करीब 7-8 लाख भारतीय रह रहे हैं। धार्मिक उद्देश्य से, उपदेशों या किसी अन्य कारणों से, क्योंकि वहां अधिकतर आर्य समाजी हैं, यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें जाना चाहिए और पहली बार उन्हें भेजने का निर्णय लिया गया था। 5-6 व्यक्तियों को भेजे जाने का निर्णय लिया गया था। ऐसा वर्ष 1978 में किया गया था जब जनता सरकार सत्ता में थी मधु जी उस समय सत्तारूढ़ दल में थे।

(व्यवधान)

मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। फिर 1980 में यह मामला सामने आया। मैंने मामले की जांच की। मुझे उसमें दोष नजर आया और मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा 1978 में हुआ था। वे 1978 से प्रतिनिधिमण्डल भेज रहे थे। 1980 में इन्दिराजी कांग्रेस (आई) पुनः सत्ता में आई। उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि "चूंकि पहले ही इस बारे में निर्णय लिया जा चुका है हमें यह प्रतिनिधिमण्डल भेजना चाहिए। लेकिन हमें सदस्यों की संख्या कम कर देनी चाहिए।" वे उन्हें अधिक संख्या में भेजना चाहते थे हमने उन्हें कम करके 3 से 5 तक कर दिया। तबसे ऐसा चल रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप चाहते हैं कि इसे चलते रहने की अनुमति दी जाये।

श्री बी० आर० भगत : ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे। यदि सदन ने इच्छा जाहिर की कि अगले वर्ष हमें यह प्रतिनिधिमण्डल नहीं भेजना चाहिए, तो हम इसकी जांच करेंगे। मेरी इस बारे कोई ठोस राय नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसकी पुनः जांच कराने के लिए आपको अनुमति चाहिए।

श्री इंद्रजीत गुप्त : बम्बई के हीरों के व्यापारियों के बारे में आपकी क्या राय है जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं तथा फोटो भी दिखाया है ?

श्री बी० आर० भगत : क्या वे दक्षिण अफ्रीका गए थे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हे भगवान! मैंने जो कुछ कहा आप वह सुन नहीं रहे थे। मैंने हीरों के कुछ व्यापारियों के नाम बताए थे जो बम्बई से दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर उनके स्वागत के फोटो आदि भी दिखाए थे। उन्हें वहां जाने की अनुमति कैसे मिली ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे खेद है। मैंने इसकी जांच नहीं की। मैं इसकी जांच करूंगा। आम तौर पर हमारे उनके साथ कोई वाणिज्यिक सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन लोग वहां जा रहे हैं। चोरी छिपे सब प्रकार के काम हो रहे हैं।

श्री बी० आर० भगत : मैं इसकी जांच करूंगा। मेरे विभाग ने मुझे इस बारे में जानकारी नहीं दी है। उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : वे दक्षिण अफ्रीका गए हैं उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अफ्रीका के लोग इसे क्या समझेंगे —भारत का पाखण्ड ? कृपया कुछ कीजिए।

श्री बी० आर० भगत : अब मैं उन दो कुवैत निवासियों के बारे में बताऊंगा जो यहां आए थे। इस बारे में मुझे बताया गया है कि गृह मन्त्रालय यह समझता हैं कि यह किसी अधिकारी की भूल के कारण हुआ है और वे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपको इसकी जांच करनी चाहिए। यह मामला आपके मंत्रालय के अन्तर्गत आता है, उनके नहीं। मैंने यह नहीं पूछा था। उन्हें वीसा देने से इंकार किया गया था···

श्री बी० आर० भगत : क्या अब वीसा देने से इंकार करने के बारे में मुझे स्पष्टीकरण देना होगा ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह सभा के वीसा देने से इंकार किए जाने के कारणों के बारे में पूछ सकती है। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : वे 'वीसा के लिए आवेदन पत्र दिया गया' के अन्तर्गत आए हैं। उनके पासपोर्ट पर छपा था 'वीसा के लिए आवेदन पत्र दिया गया।'

श्री० जी० जी० स्वैल : उन्हें आने की अनुमति दी गई थी; उनकी अगवानी और मेहमानबाजी राज्य के मेहमानों के रूप में की गई थी।

श्री बी० आर० भगत : विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमिकों की कठिनाइयों के बारे में प्रश्न पूछा गया था। आपने वीसा के बारे में पूछा है। अपने दोहरी नागरिकता की बात कही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने कहा था कि जो भारतीय अपने परिवार से मिलने के लिए वहां वापिस आना चाहते हैं उन्हें उस देश में स्थित भारतीय राजदूतावास से वीसा लेना होता है।

श्री बी० आर० भगत : ऐसा केवल उनके लिए है जो पंजाब जाना चाहते हैं। अन्यथा कोई समस्या नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : समस्या यही है।

श्री बी० आर० भगत : सुरक्षा की दृष्टि से यह अस्थायी कदम उठाया गया है। ज्यों ही स्थिति सामान्य होगी···

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : ऐसा तीन वर्ष से भी ज्यादा समय से हो रहा है।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमिकों का सम्बन्ध है उनकी देखभाल श्रम मन्त्रालय तथा संबन्धित खाड़ी के देश अथवा उत्तरी अफ्रीका के देश, जहां वे काम कर रहे हैं, करते हैं। कानूनी तौर पर हमारे शिष्टमंडल को उनकी ओर से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती उनके न्यायालय हैं। यदि कोई कानूनी मामला होता है उन्हें न्यायालय की सुविधाएं प्राप्त हैं। उन्हें वहां जाना पड़ता है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : लेकिन हमारा मिशन इसमें सहायता कर सकता है।

श्री बी० आर० भगत : जी हां, वह तभी सहायता कर सकता है जब उससे सहायता करने के लिए कहा जाए। अतः उस सीमा तक हम सहायता कर सकते हैं। लेकिन अधिकार के रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते। अन्य कई क्षेत्र है परन्तु मैं समझता हूं कि सदन अब थक गया होगा।

प्रो० के० के० तिवारी : यू० के० अमरीका और कनाडा द्वारा आतंकवादियों को शरण और प्रशिक्षण के बारे में आपने जिक्र नहीं किया। यह महत्वपूर्ण है।

श्री बी० आर० भगत : जी हां। मैं उसे वहां पा सकता हूं। जहां तक आप जानते हैं कि सदन ने उग्रवादियों की भारत विरोधी गतिविधियों तथा वहां की सरकारों की ओर से इस बारे में कार्यवाही न किए जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है जहां तक यू० के० का सम्बन्ध है भारत की चिंता की उसने कोई परवाह नहीं की है और अब खालिस्तान को यू० के० मे विशेषाधिकार के रूप में प्रवेश तथा रिहायश की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहां हिंसा हो रही है और उग्रवादियों द्वारा शांतिप्रिय सिखों तक को भी कत्ल किया जा रहा है जिनमें से कुछ भारतीय नागरिक हैं। उग्रवादियों ने अब तक

140 में से लगभग 20 गुरुद्वारों पर जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया है। उत्तेजक और सांप्रदायिकता से भरे लेख यू० के० से प्रकाशित जातीय पत्रों की विशेषता बन गये हैं। सरकार ने इस ओर बार-बार उनका ध्यान आकृष्ट कराया है।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या आपने विरोध प्रकट किया है, आप कई वर्षों से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ? आपको इस बारे में अब तक विरोध प्रकट करना चाहिए था।

श्री बी० आर० भगत : भारत सरकार को यू० के० सरकार के रवैये और नीति से निराशा हुई है।

हमने इस मामले को उनके साथ उठाया है और अपनी चिन्ता बार-बार व्यक्त की है और मैं इस मामले को फिर से उस समय उठाना चाहता हूं जब ब्रिटिश विदेश मंत्री सर जियोफ्रे होवे भारत की यात्रा पर आएंगे। वह 31 मार्च से 2 अप्रैल तक राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। हम इसे अंतिम प्रयास के रूप में उठायेंगे। हमने उन्हें अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : चीन के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बी० आर० भगत : चीन के साथ हमारे सम्बन्ध···

प्रो० के० के० तिवारी : क्या आप चीन के बारे में कुछ नहीं कहते ?

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कुछ चीन के सम्बन्ध में भी जानकारी दें दें। चीन ने हमारी जो जमीन अनाधिकृत रूप से ली हुई है, उसके बारे में क्या प्रगति हुई, और हमारी सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है, वह जरा संक्षेप में बता दें।

[अनुवाद]

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि मैंने कहा हम चीन के साथ भी संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सांस्कृतिक, वाणिज्यिक तथा अन्य क्षेत्रों में आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन चीन के साथ हमारी मुख्य समस्या सीमा विवाद और उन क्षेत्रों को खाली कराना है जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हमने उनको यह बताया है तथा हम चर्चा कर रहे हैं। जब तक इस प्रश्न का समाधान नहीं हो जाता तब तक चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते और इसलिए हमने उनके साथ सीमा के बारे में 6 बार बात की हैं। पिछली बार दिल्ली में बैठक हुई थी और इस वर्ष आपसी सुविधाजनक समय पर हम सातवीं बार बात करेंगे। सीमा के बारे में मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली पांच बैठकों में हमने सिद्धांतों पर चर्चा की थी। छठवें चक्कर में हमने मूल विषयों के सम्बन्ध में चर्चा की थी।

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय मंत्री महोदय की·····** सम्बन्धी पेशकश को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा । हम देखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग पर प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि श्री के० रामचन्द्र रेड्डी यह न चाहते हों कि उनका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए ।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
29	विदेश मंत्रालय	39,45,84,000	2341,67,000	1,97,29,17,000	42,13,33,000

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

5.41. म०प०

रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
तथा
अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 और 20 पर एक साथ चर्चा करेंगे।

मुझे सभा को सूचित करना है कि राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अंतर्गत अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक 1986 पर लोक सभा द्वारा विचार करने की सिफारिश की है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

जहां तक इस अध्यादेश का सम्बन्ध है, इस सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव करने के पीछे हमारा उद्देश्य इसका विरोध करना है जिसका इस विधेयक की विषयवस्तु से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पंजाब में उत्पन्न हुई स्थिति से हमें बहुत चिंता है। बटाला और कुछ अन्य जिलों की स्थिति और स्वर्ण मंदिर कुछ उदाहरण हैं। पहले खराब से खराब दिनों में भी हिन्दू और सिख के बीच कोई दंगे नहीं हुए थे और वे भी आज शुरू हो गये हैं तथा इससे देश के भीतर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यदि इसको तुरंत नहीं रोका गया तो देश और अधिक खतरे में पड़ जायेगा।

पहली बात यह है कि बिना किसी रुकावट के पंजाब समझौता कार्यान्वित किया जाना चाहिये। उस दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक को अभ्यावेदन के रूप में लाए गए इस विधेयक द्वारा पंजाब समझौते को लागू करने के मामले में सरकार अपनी टांग अड़ा रही है और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इस समझौते को लागू करने में दृढ़ता से काम नहीं लिया है। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। पहले किसी भी सत्र में यह लाया जा सकता था लेकिन इसे नहीं लाया गया।

पंजाब में हमारी पहली चिंता आतंकवादियों की गतिविधियों से है जो खालिस्तान चाहते हैं और जिनको जिया की सैनिक तानाशाही द्वारा हर प्रकार का समर्थन दिया जा रहा है जिसका अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। वे देश में अस्थिरता पैदा करने पर तुले हुए हैं और इसलिए पूरे देश के हित के लिए पंजाब समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि आतंकवादियों के बारे में अकाली सरकार द्वारा अपनाये गये

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

नर्म रवैया और आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि स्वर्ण मंदिर का नियंत्रण जिस तरह से ए० आई० एस० एस० एफ० के लोगों ने अपने हाथ में लिया उसे एक साधारण बात नहीं माना जा सकता। श्री तोहरा और इन लोगों के बीच किसी गुप्त समझौते के बिना ऐसा नहीं हो सकता था यह बहुत गंभीर बात है जिस तरह से आतंकवादी हत्या आदि करते हैं और जिस तरह से वे और अधिक हिंसात्मक होते जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासनिक और राजनैतिक दोनों स्तरों पर और अधिक ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है। शिवसेना और बी० जे० पी० के नेतृत्व में हिन्दू सांप्रदायिक तत्वों का उभरना अन्य अशुभ घटना है। हमारी दृष्टि में केन्द्रीय सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए ? मैं कहना चाहती हूं कि पंजाब समझौते तथा चुनाव के बाद केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार इस स्थिति का मुकाबला किया है और जिस प्रकार से मैथ्यू आयोग के प्रतिवेदन को लिया गया है, उसे हम कतई पसन्द नहीं करते। उनकी आलोचना की जानी चाहिए। निस्संदेह सरकार जानती थी कि मैथ्यू आयोग का क्षेत्राधिकार बड़ा होना चाहिए था। इस आयोग के निर्देश पदों में साथ लगते गांव वाला खंड नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ अन्य गांवों वाला प्रावधान भी होना चाहिए था अन्यथा इस आयोग को नियुक्त करने की ही क्या आवश्यकता थी ? प्रश्न यह है कि क्या सारे देश में यह वातावरण उत्पन्न नहीं किया गया था कि पंजाब समझौते को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस परिवेश में मैं यह समझती हूं कि मैथ्यू आयोग का पूरी तरह सोच समझ कर गठन नहीं किया गया।

इतनी उछल कूद की गई और यह दर्शाया गया जैसे प्रत्येक चीज कल पूरी हो जायेगी जबकि सोच समझकर और समय पर उचित कदम नहीं उठाए गये। जहां तक पंजाब की स्थिति का प्रश्न है मैं केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराती हूं। लेकिन जहां तक चंडीगढ़ के प्रश्न का संबंध है यह पंजाब को दिया जाना चाहिए और उसका समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। इस विधेयक में राज्य सभा में बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा : "चूंकि किसी राज्य सरकार ने इसका अर्थात् रावी-व्यास जल विवाद का पहले केन्द्रीय सरकार को उल्लेख नहीं किया इसलिए इसे नहीं किया जा सका अब इस अधिनियम में नया संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार इसे पहले नहीं कर सकी।" इस तर्क में कोई दम नहीं है। यह विवाद दो राज्य सरकारों के बीच है। एक राज्य में शासन की बागडोर कांग्रेस (आई) के हाथ में है। कांग्रेस (आई) वहां क्या कर रही थी। उन्होंने इस विवाद का उल्लेख क्यों नहीं किया? इस पहलू को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अकालियों की तरह हरियाणा में लोकदल तथा बी० जे० पी० का रवैया निन्दनीय है लेकिन यदि ऐसा है तो तो भजनलाल का रवैया भी कुछ कम निन्दनीय नहीं है क्योंकि उसमें इस समस्या को तुरन्त हल करने की इच्छा की झलक नहीं मिलतीं। जबकि अकाली आतंकवाद को रोकने में निश्चित रूप से असफल रहे हैं। सत्ता-रूढ़ दल भी असफल रहा है।

(व्यवधान)

भजनलाल ने वहां कौन सी अप्रिय बात की है ? यह बताना आपका काम है। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं।

सभी हालातों को ध्यान में रखकर पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। अगर पंजाब समझौता दोष रहित था तो उसे अच्छी लाइनों पर ही बनाना होगा। (व्यवधान)

चोर से कहें चोरी करो, शाह से कहें जागते रहो। इस प्रकार आप कार्य नहीं कर सकते। इस तरह से पंजाब में कोई भी शांति स्थापित नहीं कर सकता। हमें सिद्धांत पर आधारित मार्ग पकड़ना चाहिए और धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक सभी शक्तियां जुटाने के लिए संघर्ष करना चाहिए और एक बिल्कुल नई पहल करनी चाहिए। पंजाब समझौते के समर्थक ऐसे सभी लोगों को सक्रिय बनाने के लिए तथा पंजाब समझौते के उन सभी खण्डों की यथा सम्भव शीघ्र क्रियान्विति हेतु शीघ्र प्रशासनिक उपाय करने के लिए राजनैतिक पहल करनी चाहिए।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मेरे विचार से, यह विधेयक पहले 1976 और 1981 में हस्ताक्षर किए गये समझौतों को प्रभावित नहीं करेगा। अगर इन दो समझौते को सुरक्षित करके ही मेरे ख्याल में यह प्रश्न उठता है। इस विधेयक ने, मेरे ख्याल से, इस भाग को सम्मिलित कर लिया गया है। परन्तु उसे गंभीरता से लेना चाहिए। यद्यपि हरियाणा और राजस्थान की जल की मांग के प्रति, जो उन्हें पूर्व समझौतों के अनुसार मिलना चाहिए, मेरी बहुत सहानुभूति है लेकिन मैं सतलज-यमुना लिंक नहर के प्रति बरनाला सरकार ने जो रुख दिखाया है उसके प्रति मैं बहुत आलोचनात्मक भी हूं··· (व्यवधान) उग्रवादियों ने कहा है कि वे उसे भी सील कर देंगे जो पहले किया जा चुका है। यह एक बहुत गंभीर बात है और यह पंजाब समझौते के भी विरुद्ध होगी। इसमें अकाली दल सरकार यह सुनिश्चित करे कि सतलज-यमुना लिंक नहर का निर्माण न रुके। पंजाब समझौते को वास्तव में लागू करने के लिए भी यह एक शर्त है। समझौते को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही अमल में लाया जाएगा। पंजाब में जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसे समाप्त करने के लिए ही अभियान होना चाहिए। इसमें भी सिद्धांत रूप में पंजाब समझौते पर कायम रहकर ही स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी प्रकार के संकीर्ण क्षेत्रीय विचार कहीं भी पनपेंगे वे वास्तव में भारत के लिए खतरनाक होंगे। मेरा ऐसा विचार है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से पंजाब समझौते को लागू करने के लिए शीघ्र उपाय करने का आग्रह करती हूं। मैं अकाली दल सरकार से उग्रवादी गतिविधियों के विरुद्ध सख्त उपाय करने का आग्रह करती हूं। मैं हरियाणा और राजस्थान के लोगों से भी इसी प्रकार से सहयोग करने का आग्रह करती हूं। इसके पहले मैं भारत की सभी देशभक्त तथा धर्म निरपेक्ष शक्तियों को भारत की एकता व अखंडता के लिए छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठकर कार्य करने तथा इस प्रकार के अलगाववादी और साम्प्रदायिक संकट, उग्रवाद संकट जिसने अपने नापाक इरादों से बिना बुनियाद के अपना सर उठाया है उससे लड़ने के लिए एकजुट होने का आग्रह करती हूं; इसकी जड़ में विदेशी साम्राज्यवाद की दुष्टतापूर्ण सांठगांठ है। जहां तक हमारे दल का संबंध है, हम हमेशा धर्म-निरपेक्ष रहे हैं, हमने पंजाब में हिन्दू-सिख एकता के लिए तथा पंजाब के बाहर भी सभी समुदायों के बीच एकता कायम करने के लिए संघर्ष किया है। हमें डर है कि उग्र-

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

वादी लोग वास्तव में ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अन्य राज्यों से लोग पंजाब में पलायन करें। हमें इन बातों के नतीजे मालूम हैं। पहले भी हमें मालूम था। इसका विरोध किया जाना चाहिए। प्रशासनिक उपायों के अलावा, जिनमें अभी भी कमी है, पंजाब को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, अपने देश की अखण्डता को बचाने के लिये सारे देश में राजनैतिक उपाय बहुत जरूरी है। इस प्रश्न पर सिद्धांत पर आधारित रवैया अपनाना चाहिए और इसमें निकट में या भविष्य में होने वाले किसी चुनाव लाभ को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। मैं अपनी स्थिति शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को सभा के विचारार्थ विधेयक का प्रस्ताव रखना है। क्या वह अपना भाषण आज करेंगे अथवा अगली बार जारी रखना चाहेंगे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, केवल पांच मिनट बचे हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, वह छः बजे के बाद भी पांच मिनट अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जावे।"

जैसा कि इस सभा को मालूम है कि पंजाब समझौते के ज्ञापन पत्र पर अर्थात् इस ऐतिहासिक समझौते, पर 24 जुलाई, 1985 को भारत के प्रधान मंत्री और स्वर्गीय संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल, ने हस्ताक्षर किये थे। समझौते के पैरा 9 में कहा गया है कि :—

"9.1 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषक कम से कम उतना जल प्राप्त करते रहेंगे जितने का वे रावी-व्यास प्रणाली से, 1 जुलाई, 1985 को उपयोग कर रहे थे। उपभोग के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए जल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दावा किए गए जल के प्रयोग की मात्रा का सत्यापन नीचे पैरा 9.2 में निर्दिष्ट अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

9.2 पंजाब और हरियाणा का उनके लेव जल में हिस्से की बाबत दावा न्याय-निर्णयन के लिए अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। इस अधिकरण का विनिश्चय छह मास के अन्दर दे दिया जाएगा और वह दोनों

पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस सम्बन्ध में अपेक्षित सभी विधिक और संवैधानिक उपाय शीघ्रता से किए जाएंगे।

9.3 सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण चलता रहेगा। नहर 15 अगस्त, 1986 तक पूरी कर दी जायेगी।"

महोदय, यह याद होगा कि सतलुज, व्यास और रावी नदियों का जल केवल भारत के ही प्रयोग के लिए सिंधु जल संधि, 1960 के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया था। जैसे कि सतलुज नदी के जल का भाखड़ा-नंगल परियोजना के माध्यम से पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है, रावी और व्यास नदियों के जल का बंटवारा, उस समय के पंजाब, पेप्सू, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के बीच 1955 में हुए एक अन्तर्राज्यिक समझौते के अन्तर्गत किया गया था। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। उस समय के पंजाब राज्य के रावी और व्यास जल हिस्से को दिल्ली की पेयजल की आवश्यकता के लिए भारत सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 1976 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 (1) के अन्तर्गत जारी करके कुछ जल अलग रखकर पंजाब और हरियाणा के बीच बांट दिया गया था। पंजाब सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और इस मामले को उसने सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण से, जिसका हरियाणा ने अपने जल का हिस्सा अपने यहां ले जाने के लिए प्रस्ताव किया था, जोड़ दिया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी और समग्र राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए तीनों मुख्य मंत्री 31 दिसम्बर, 1981 को रावी-व्यास जल के बंटवारे पर एक समझौते पर पहुंचे थे। अकाली दल इस मामले को फिर से खोलना चाहता था। भारत सरकार ने 1983 में अकाली नेताओं से बातचीत की थी परन्तु ये सब बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। अन्त में यह मामला भारत के प्रधान मंत्री और स्वर्गीय संत हरचंद लोंगोवाल की बातचीत के मुद्दों में से एक था और जिसके परिणामस्वरूप 24 जुलाई, 1985 को समझौता हुआ।

मूल मंशा न्यायाधिकरण को अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित करने की थी। हालांकि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए राज्य सरकार से निर्देश की आवश्यकता थी परन्तु किसी भी संबंधित राज्य से यह प्राप्त नहीं हुआ था। अतः केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं कर सकी। क्योंकि भारत सरकार समझौते को लागू करने के लिए वचनबद्ध थी इसलिए 1956 अधिनियम की जिक्र किये बिना ही न्यायाधिकरण स्थापित करने का फैसला किया गया था। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और पंजाब एम० ओ० एस० की सभी बातों को 26 जनवरी, 1986 को लागू करने का इरादा था तो इसलिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी। तदनुसार, 24-1-1986 को रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी किया गया था।

6.00 म० प०

उपर्युक्त अध्यादेश का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 24-1-1986 को रावी-व्यास

[श्री बी० शंकरानन्द]

जल न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी० बालाकृष्णा इराड़ी की अध्यक्षता में गठित किया। केन्द्रीय सरकार ने उसी दिन पंजाब समझौते के ज्ञापन में पैरा 9.1 और 9.2 में दिये गये मामलों को कथित न्यायाधिकरण के पास भेज दिया। न्यायाधिकरण से छह माह में अपना निर्णय देने के लिए कहा गया था।

इस दौरान यह महसूस किया गया कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण के गठन के उद्देश्य की प्राप्ति एक उपयुक्त संशोधन से हो सकती है। यह किसी भी सम्भव एतराज की स्थिति से निपट सकेगा, जो किया जा सकता है, कि एक अलग कानून के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन करके इस मामले में अलग से व्यवहार किया गया है। अत: अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए निर्णय किया गया था ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत इस मामले का फैसला करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जा सके और रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 को रद्द किया जा सके। अत: रावी-व्यास जल अधिकरण विधेयक, 1986 जिसे इस सभा में 25-2-1986 को उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पुर:स्थापित किया गया था उसे 18 मार्च, 1986 को लोक सभा में वापिस ले लिया गया और अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1986 को राज्य सभा में 19 मार्च, 1986 को पुर:स्थापित किया गया था और उसे 20 मार्च, 1986 को उसी सभा द्वारा पारित कर दिया गया था।

महोदय, यह विधेयक 24 जुलाई, 1985 के ऐतिहासिक समझौते को अमल में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण खंड 2 है जो एक नई धारा अर्थात् इस अधिनियम की धारा 13 के अन्त में वर्तमान अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में धारा 14 को अन्त:स्थापित करने के लिए है। इस विधेयक की धारा 14 इस प्रकार है :—

(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में निर्दिष्ट मामलों के सत्यापन और उनके न्यायनिर्णयन के लिए रावी-व्यास जल अधिकरण के नाम से एक अधिकरण इस अधिनियम के अधीन गठित कर सकेगी।

(2) जब धारा (1) के अधीन कोई अधिकरण गठित किया जाता है है तब इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3); धारा 5 की उप-धारा (2), उप-धारा (3) और उप-धारा (4) और धारा 5 क से धारा 13 तक की धाराओं के (दोनों सहित) गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन से संबंधित उपबन्ध, यथाशक्य, इसकी उप-धारा (3) के अधीन रहते हुए उप-धारा (1)

के अधीन गठित अधिकरण के संबंध में गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन को लागू होंगे।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिकरण गठित किया जाता है तब केन्द्रीय सरकार ही स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे अधिकरण को पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में विनिर्दिष्ट मामले निर्देशित कर सकेगी।"

नयी धारा 14 की उप-धारा (1) केन्द्रीय सरकार को पंजाब समझौते के ज्ञापन में पैरा 9 में निर्दिष्ट रावी-व्यास जल अधिकरण को गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।

इस नई धारा 14 की उप-धारा (2) यह उपबन्ध करती है कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन से संबंधित विभिन्न उपबंध जिनका इसमें उल्लेख किया गया है समान रूप से उप-धारा (1) के अधीन गठित अधिकरण के संबंध में गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन लागू होंगे। तदनुसार रावी-व्यास जल अधिकरण अब तीन सदस्यों का अधिकरण होगा जिसमें एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा और इस संबंध में दो सदस्यों का नामांकन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जायेगा जो ऐसे नामांकन के समय या तो उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। यह अधिकरण को इसके सामने की जा रही कार्यवाही में इसे परामर्श देने के लिए दो या अधिक निर्धारकों की नियुक्ति भी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस उपबंध के अन्तर्गत अधिकरण को अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

आगे यह भी प्रावधान है कि अधिकरण का निर्णय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर उनके द्वारा अमल किया जायेगा और नई धारा 14 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत इस अधिकरण को सौंपे गये मामलों पर न तो उच्चतम न्यायालय द्वारा न ही अन्य किसी न्यायालय द्वारा अधिकारिता या अधिकारिता प्रयोग करने की शक्ति होगी।

नयी धारा 14 की उप-धारा (3) केन्द्रीय सरकार को पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और 9.2 में विनिर्दिष्ट मामलों को स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे अधिकरण को निर्देशित करने की शक्ति प्रदान करती है।

विधेयक का खंड 3 मात्र रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 को निरसित करने का प्रावधान करती है।

महोदय, सभा यह मानेगी कि केन्द्रीय सरकार 24 जुलाई, 1985 के पंजाब समझौते के ज्ञापन को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मैं नहीं समझता कि जहां तक इस विधेयक के उपबंधों या इसके उद्देश्यों का देश के बेहतरीन हित में तथा इसकी एकता से संबंध है, उनके विरोध

[श्री बी० शंकरानन्द]

में कोई आवाज उठेगी।

महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम यद्यपि कार्यसूची में इस विधेयक को अस्वीकृत करने वालों में है परन्तु अब उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए जोरदार समर्थन किया है। मेरे विचार से कोई भी विरोधी स्वर नहीं होगा। मैं सारी सभा से इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि चर्चा का उत्तर देते समय विदेश मंत्री श्री बी० आर० भगत ने कुछ कहा था जिस पर प्रो० तिवारी ने एतराज किया था और अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया था कि उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, वह सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

6.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 मार्च, 1986/4 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53